Administrative & Editorial Board

ISSN (Prit) : 3048-6327

Shodh Garima

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multidisciplinary Research Journal

Year : 1 **Vol. - 2** **(Oct. to Dec., 2024)**

EDITORIAL BOARD

Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : drratankmverma.jtdc@gmail.com
Institutional Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

Prof. Hitendra Kumar Mishra
Professor, Dept. of Hindi
North-Eastern Hill University
Shillong-793022
Mob.: 9436594338
Email : hiten.hindi@gmail.com
Institutional Email : hkmishra@nehu.ac.in

Dr. Jamuna Bini
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Rajiv Gandhi University, Roho Hills
Daimukh, Arunachal Pradesh
Mob.: 9436044427
Email : jamunabini@gmail.com
Institutional Email : jamuna.bini@rgu.ac.in

Dr. Akta Kumari
Asst. Professor, Dept. of Hindi
Kazi Nazrul University
Aasansol (North) District Bardwan
West Bengal
Mob.: 8084450160
Email : ekta2k8@gmail.com
Institutional Email : akta.kumari@knu.ac.in

Dr. Uma Kumari Shah
Asst. Professor
Dept. of Media & Communication Studies
Chaudhary Banshilal University
Bhimani (Haryana)
Mob.: 8340336167
Institutional Email : uma.mghv@cblu.edu.in

International Editorial Board Members

1. **Prof. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich**
Dean of Faculty of Foreign Languages
Doctor of Philosophy (Phd)
Associate Professor
Fergana State University
Fergana, Uzbekistan
Institutional Email : m.mamajonov@pf. fdu.uz
https://fdu.uz/site/sahifa/2864f5cb9c 6906184be1041e508b1bcadd666d5170 a4bfce
Telegram: +998903031330

2. **Prof. Elham Hossain**
Senior Faculty Member
Department of English
Green Uiversity of Bangladesh
Bangladesh
Profile Link : elham@eng.green.edu.bd
Institutional Email : https://elhamhossain.com

Chief Managing Editor
Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : shodhgarima@gmail.com

Managing Editor
Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Publisher Information

Publishing Body
G.H. Publication

Address
121, Shaharabag, Prayagraj (U.P.)–211003

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ratan Kumari Verma
Jagat Tarn Girl's Degree College, Prayagraj
Mob.: 9415050933
Email : ratankmverma@jtgdc.ac.in

जर्नल के विषय में

''शोध गरिमा'' जर्नल प्रकाशित करने का उद्देश्य

प्रत्येक काल में शोध पत्र-पत्रिकाओं का समाज हित में अपना अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान समय में भी बहुत-सी शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसी श्रृंखला में 'शोध गरिमा' जर्नल प्रकाशित किये जाने का विनम्र प्रयास है।

यह शोध जर्नल अन्य शोध जर्नल से इस मामले में भिन्न होगा कि इसमें उन विषयों को शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया जायेगा, जो विषय अभी तक अध्ययन का मुख्य विषय नहीं बन पाये हैं, अपितु बनने की दिशा में प्रयासरत हैं। जिसमें विशेष रूप से दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किन्नर, समाज के हाशिये पर पड़ा कोई वर्ग, व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य निर्धन वर्ग, किसान, केवट, मछुआरा, श्रमिक, महिला वर्ग इत्यादि के विषय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण, नये-से-नये तथ्यों का अन्वेषण, उनके आधार पर समाज की मुख्य धारा में मुख्य स्थान दिलाने का प्रयास है। इन सभी बिन्दुओं से जुड़े हुए विभिन्न विषय के विद्वानों, शोधार्थियों के शोध-अभिलेखों को प्रकाशित कर अकादमिक जगत् में योगदान करना है। इसके माध्यम से विद्वानों को अपना शोध-आलेख प्रकाशित करवाने में सुविधा होगी। 'शोध गरिमा' जर्नल को ऐसे नवीन अन्वेषण से युक्त शोध-आलेख को प्रकाशित कर अपना योगदान करने में गर्व की अनुभूति होगी। हम भी संवेदना के संवाहक बन सकेंगे और मानवता के कल्याण में हमारा भी योगदान हो सकेगा।

मुख्य सम्पादक

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in Vol.-1 (January to March), Vol.-2 (Apr. to June), Vol.-3 (July to Sept.), Vol.-4 (Oct. to Dec.)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध-गरिमा', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं युनिवर्सल ग्राफिक्स, 6बी/4बी/9ए, बेलीरोड, न्यू कटरा, प्रयागराज से मुद्रित

(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : shodhgarima@gmail.com, website : www.shodhgarima.com

जर्नल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

ADVISORY BOARD

- Dr. Damodar Khadse
  Sahitya Akademi Purskarit, Hindi, MGIHU, Vardha
- Prof. Sadanand Shahi
  HOD (Hindi), BHU, Varanasi
- Prof. Anita Gopesh
  Zoology, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. S.P. Shukla
  Hindi, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Dr. Dhananjay Chopra
  Course-co-ordinator Media Study Centre, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Ram Gopal Singh
  Hindi, Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, Gujarat
- Prof. Dayashankar
  Hindi, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar, Anand, Gujarat
- Dr. S.B. Pateel
  Principal, Arts and Commerce College, Akkalkuwa, Maharashtra
- Dr. Sanjay Tiwari
  Principal, Navyug Arts and Commerce College, Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.
- Prof. Manju Sharma
  Hindi, Delhi University, Delhi
- Prof. Sandeep Kumar Singh
  Dean School of Arts, Humanitiesa and Social Science, CSJM University, Kanpur, U.P.
- Dr. Santosh Khanna
  Chief Editior, Mahila Vidhi Bharti Journal, Delhi
- Dr. Monika Devi
  State Planning Institute Lucknow, U.P.
- Prof. (Dr.) Sunil Kumar
  H.O.D. (Hindi & Bhasha-Sankay), Guru Nanak Dev University, Amritsar (P.B.)

SUB-EDITORS BOARD

- Dr. Shamenaz Bano
  English, *R.T.D.C., Prayagraj*
- Dr. Kulwant Singh
  Senior Scientist, Bhabha Parmanu Anusandhan Kendra, Tromby, Mumbai
- Dr. Manish Vaghela
  Hindi, Dr. VRGM College, Porbandar, Bhakt Kavi Narshingh Mehta University, Junagarh, Gujarat
- Dr. Amar Kant Kumar
  HOD Hindi, MLSM College, Darbhanga, Bihar
- Dr. Amit Kumar Dubey
  Principal, Shri RST College of Education, Magadh University, Bodhgaya, Bihar
- Prof. D.B. Singh
  Physics, Dr. Shakuntla Mishra National Rehabilitation University, Lucknow, U.P.
- Dr. Keerti Kumar Singh
  History, M.G. College, Lucknow University, Lucknow, U.P.
- Dr. Ramakant
  History, Allahabad University, Prayagraj, U.P.
- Prof. Arvind Kumar Verma
  Sociology, R.G.P.G. College, Akbarpur, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Dhruv Bhushan Singh
  SHSGPG College Chandauli, MGKVP, Varanasi, U.P.
- Dr. Vineeta Singh
  Principal, Ganga Memorial Girl's PG College, Dr. RML Awadh University, Ayodhya, U.P.
- Prof. Vishwanath Verma
  History, HPG College, MGKVP, Varanasi, U.P.

Peer-Reviewed Board

- Dr. Chunduri Kameshwari
  Hindi, *Bhavan's Vivekananda College Sainikpuri Secunderabad, Telangana, Ormanice University, Hyderabad*
- Dr. Alka Yadav
  Hindi, *PNS College, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh*
- Dr. Mukti Sharma
  Hindi, *Mattan Degree College, Kashmir University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Sangeeta Kumari Pasi
  Hindi, *Caton University, Paan Bazar, Guwahati, Assam*
- Dr. Neeta Agrawal
  Writer, *Nohal, Hanumangarh, Rajasthan*
- Dr. Smriti Anand
  Hindi, *J.D. Womens College, Pataliputra University, Patna, Bihar*
- Dr. Vishwamauli
  Hindi, *B.H.U., Varanasi, U.P.*
- Dr. Sanghsen Singh
  Political Science, *SPM P.G. College, Allahabad University, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Rakesh Singh
  Geography, *CSNPG College Hardoi, Lucknow University, U.P.*
- Dr. Sarvesh Kumar Singh
  Economics, *G.G.D.C., Sewapuri, MGKVP, Varanasi, U.P.*
- Dr. Vikash Chand Verma
  Hindi, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Mr. Santosh Kumar
  English, *BNKB, P.G. College Akbarpur, Ambedkar Nagar, Dr. RML University, Ayodhya, U.P.*
- Dr. Shivam Singh
  English, *TNPG College Tanda, Ambedkar Nagar, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Sandeep Kumar Verma
  Psychology, *KS Saket PG College, Dr. RML University Ayodhya, U.P.*
- Dr. Gopal Krishna Singh
  Mathematics, *UPRTOU, Prayagraj, U.P.*
- Dr. Arvind Kumar Yadav
  Hindi, *Jammu Central University, Jammu & Kashmir*
- Dr. Asha Rani
  Hindi, *Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur, M.P.*

- Dr. Amanpreet Kaur Kang
  Music (Vocal)*, G.G.S. Khalsa College for Women Jhar Sahib Ludhiyana, Punjab University, Chandigarh*
- Dr. Anita Singh
  Hindi, *Pondicherry University, Punducherry*
- Dr. Sainaba Gldar
  Hindi, *Jawahar Lal Nehru Rajkeeya Mahvidyalaya, Portbliar, Andman and Nicobar Islands*

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificatesa issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

© ***Publishers***

Registration Fee	:	**Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	:	**Rs. 250.00**
Annual Subscription (4 Issues)	:	**Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	:	**Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	:	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication

State Bank of India
Bahadurganj, Prayagraj-3
A/c. 42202333697
IFSC : SBIN 0050274

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN 0530271

(1) आप दोनों में से किसी पर भी शुल्क का भुगतान करने के बाद उसका स्क्रीन शॉर्ट मोबाइल नं.: 9532481205 पर अवश्य भेजें, जिससे आपके शुल्क भुगतान का सत्यापन हो सके।
(2) किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी हेतु आप मो.: 9532481205 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

Please Research Paper will be sent in our
E-mail : shodhgarima@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो.: 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

अनुक्रम

1. **नूरजहाँ–पुनर्वेक्षण एवं मूल्यांकन** 13-16
डॉ. राजीव कुमार सिंह
2. **आधुनिक सिंचाई की विभिन्न विधियों का अध्ययन** 17-24
मंगल प्रसाद एवं डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी
3. **मेघदूत में पर्यावरण विज्ञान** 25-28
मनोज कुमार सिंह एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी
4. **स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों में समाज सुधार की प्रासंगिकता** 29-32
वन्दना यादव
5. **भारतीय ज्ञान-परम्परा और राष्ट्रीय शिक्षानीति, 2020** 33-35
डॉ. प्रमा द्विवेदी
6. **मार्क्सवाद की विविध दृष्टि का विकास और हिन्दी साहित्य** 36-45
रोहित कुमार
7. **स्वतन्त्रता के पश्चात् खेल की स्थिति** 46-56
मनोज कुमार वाजपेयी एवं डॉ. सुरेश चन्द्र राय
8. **Successful Homeopathic Treatment of Bloody Leucorrhoea by Conium Maculatum : A Case Study** 57-60
Dr. Saroj Verma
9. **निम्नवर्गीय गृहस्थी को सिरजती केशर (सन्दर्भ : केशर कस्तूरी)** 61-65
अवनीश यादव
10. **Exploring the Impact of Social Media Content and Online Advocacy on Public Opinion and Policy Change : Persuasion, Engagement, and Effectiveness** 66-74
Sunil Kumar Tripathi & Dr. Praveen Tiwari
11. **नये युग के युद्ध के संचालन का एक ऐतिहासिक अध्ययन** 75-80
नरेन्द्र कुमार, डॉ. सोनू सरन एवं डॉ. हरीश कुमार
12. **भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और ऊधम सिंह** 81-86
डॉ. फ़ैज़ान अहमद
13. **भाषा : मानवीय अस्मिता की परिचायक** 87-89
डॉ. खेमाबाई साहू
14. **वृद्ध जीवन में पीढ़ियों के बीच टकरराव : प्रेमचन्द की कहानियों का सामाजिक अध्ययन** 90-94

प्रीती बोपचे एवं प्रो. रेनू सिंह

15. **English as a Medium of Instruction in HEIs of Chhattisgarh, India : Problems, Challenges & Solutions** **95-104**

Prof. Bhupendra Kumar Patel

16. **बीसवीं सदी के हिन्दी काव्य लेखन में महिलाओं का योगदान** **105-109**

डॉ. अंजू सिंह पटेल

17. **इक्कीसवीं सदी में महात्मा गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता** **110-114**

डॉ. जय प्रकाश पटेल

18. **Digital Repositories: Administration, Preservation and Distribution of Digital Content** **115-122**

Dr. Pramod Yadav

19. **Rivers Occupies A Central Position in the Lifeline of People, Plants and Organism : Degradation of Natural Resources** **123-128**

Sangeeta Banjare, Dr. Neeta Gupta & Dr. A. L. S. Chandel

20. **स्व-सहायतासमूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन** **129-132**

श्रीमती पूजा यादव

21. **बैतूल जिले में राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं असहयोग आंदोलन** **133-137**

डॉ. संकेत कुमार चौकसे

22. **Teacher Education Programmein the light of NEP 2020** **138-144**

Dr. Rama Gupta

23. **कोरवा जनजाति गोत्र : उद्भव, मान्यता एवं प्रतीक** **145-152**

डॉ. अलका यतीन्द्र यादव

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 3rd Oct. 2024 **Paper Accepted : 15th Oct. 2024**

नूरजहाँ–पुनर्वेक्षण एवं मूल्यांकन

❑ **डॉ. राजीव कुमार सिंह***

शोध-सारांश

नूरजहाँ का नाम भारत की अनुपम वीरांगनाओं में है जिसने अपनी अद्भुत प्रतिभा, अलौकिक सौंदर्य, उन्नत व्यक्तित्व, स्वामिभक्ति, पति–प्रेम तथा अचल प्रतिष्ठा, सुदृढ़ नैतिक बल, अपार कला–प्रेम तथा साहित्यिक रुचि, व्यापक योग्यता तथा विलक्षण बुद्धिमत्ता, अदम्य उत्साह तथा अचल धैर्य, अविचल कर्त्तव्य परायणता, गौरव गरिमा तथा अपार उदारता एवं सभ्यता के बल से अपने नाम को भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। उसके इन गुणों के कारण ही जहाँगीर ने नूरमहल, नूरजहाँ एवं बादशाह बेगम की उपाधि से अलंकृत किया था और अपनी मुद्राओं पर उसके नाम को अंकित कराकर उसे अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान की थी। नूरजहाँ को राज्य में जो सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वह उसके अनुपम गुणों के कारण प्राप्त थी, जिसके वह सर्वथा योग्य थी। न कि केवल सम्राट् की कोरी कृपा–दृष्टि के कारण वास्तव में उसका उत्थान स्वाभाविक और न्याय संगत था। डॉ. बेनी प्रसाद आदि नूरजहाँ का इतिहासपरक उचित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं करा सके हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देष्य नूरजहाँ का पुनर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना है।

मुख्य शब्द–*नूरजहाँ, पुनर्वेक्षण, मूल्यांकन।*

मेहरून्निसा (नूरजहाँ) का जन्म 31 मई, 1577 ई. को कंधार में हुआ था।[1] इसके पिता मिर्जा ग्यास बेग (एत्माउद्दौला) एवं माता अस्मत बेगम थीं। सत्रहवीं शताब्दी के दूसरे दशक में जहाँगीर से विवाह के पश्चात् साम्राज्य में घटी घटनाएँ नूरजहाँ से ही प्रभावित रहीं। मेहरून्निसा को नूरमहल और बाद में नूरजहाँ का खिताब दिया[2] तथा उसके सभी सगे–संबंधियों को धन–दौलत और इज्जत दी गई। सम्राट् ने नूरजहाँ को प्रभुसत्ता और शासन का अधिकार प्रदान किया। उसके नाम के सिक्के ढाले गए। ऐसे सभी फरमानों पर जिनमें सम्राट् के हस्ताक्षर आवश्यक थे, नूरजहाँ बेगम का नाम भी साथ–साथ लिखा जाता था। अंततः उसकी प्रभुसत्ता इस सीमा पर पहुँच गई कि सम्राट केवल नाम का ही सम्राट् रह गया।

नूरजहाँ में ऐसी विलक्षण प्रतिभा एवं शक्तियाँ

* सहायक प्राध्यापक (अतिथि), इतिहास विभाग, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिंदवाड़ा (म.प्र.)

थीं और उसका व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि अपने काल की राजनीति में क्रियाशील होकर उसे प्रभावित करना उसके लिए असंभव न था।

वस्तुतः अपने काल की राजनीति में केवल एक बार अत्यंत सक्रिय भाग लिया, यह वह अवसर था जब महावत खाँ ने सम्राट् पर अपना अधिकार स्थापित कर राजपद के गौरव तथा प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचाने का दुस्साहस किया था। एक मनसबदार के आचरण को वह सहन न कर सकी और उसका आत्म गौरव जाग पड़ा। इस अवसर पर वह रण–प्रियता अथवा राजनीति लिप्सा की भावना से प्रेरित न थी और न ही अपनी किसी महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने ऐसा किया था। वरन् अपने अगाध पति–प्रेम के कारण तथा राजपद की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा की रक्षा के लिए ही राजनीति में सम्मिलित हुई थी।[3] उस समय उसने अदस्य उत्साह तथा अचल धैर्य का पूर्ण परिचय दिया और बुद्धिमत्ता तथा कूटनीतिज्ञता के बल से उसने अपने जीवन–संगी को मनसबदार के चंगुल से मुक्त कर राजपद की प्रतिष्ठा एवं मर्यादा की पुनर्स्थापना की। उसके जीवन का केवल एक प्रधान लक्ष्य था और वह था जहाँगीर के सम्मान की रक्षा करना और उसके जीवन को सुखी तथा निष्कण्टक बनाना।

नूरजहाँ साम्राज्य के स्त्री समाज की अग्रणी तथा शाही वंश की अधिष्ठात्री थी। वह इतनी शक्तिप्रिय रमणी थी कि न केवल उसने राजकीय मामलों में हाथ बँटाना आरंभ किया वरन् सारी राज्य सत्ता भी उसने अपने हाथों में लेने के लिए उद्योगशील होने लगी।

नूरजहाँ ने अपना एक दल संगठित कर लिया तथा राज्य की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस दल का नाम 'नूरजहाँ गुट' था[4] जिसमें वह स्वयं, उसके माता–पिता, भाई (आसफ खान) तथा भतीजी के पति शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। नूरजहाँ के राजनीतिक दल के आधार स्तंभ यही परिश्रमी एवं प्रतिभावान व्यक्ति थे।

नूरजहाँ के पिता की मृत्यु के बाद उनकी सारी अमीरात और प्रशासन का स्वामित्व भी जहाँगीर ने नूरजहाँ को प्रदान कर दिया जिससे उसके प्रभुत्व में वृद्धि हुई।

नूरजहाँ में एक तीक्ष्ण मेधा तथा समस्याओं के रहस्य को क्षणभर में समझ सकने की क्षमता थी। वह उच्च शिक्षा प्राप्त थी तथा कविता, संगीत एवं चित्रकला में विशेष अभिरुचि रखती थी। फारसी में वह पद्य रचना करती थी। उसमें एक असाधारण अविष्कार क्षमता थी,[5] जिसके फलस्वरूप नवीन प्रकार की वेशभूषा आभूषण तथा शृंगार के नये–नये ढंगों की वह व्यवस्था किया करती थी। उसके द्वारा प्रचलित वेशभूषा की प्रणाली का अचूक प्रभाव औरंगजेब के समय तक बना रहा।

नूरजहाँ की सबसे बड़ी सेवा उसकी सांस्कृतिक देन है। वह बड़ी ही प्रतिभावान तथा व्यावहारिक बुद्धि की महिला थी। इसके साथ–साथ वह बड़ी ही सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत थी। अपने पति की भाँति कला में उसकी विशेष अनुरक्ति थी। उसे सौंदर्य तथा अलंकार से बड़ा प्रेम था और जो कार्य वह करती थी उसमें सौंदर्य उत्पन्न करने तथा उसे अलंकृत करने का प्रयत्न करती थी। फलतः उसमें अत्यंत प्रबल सांस्कृतिक प्रभाव डालने की क्षमता उत्पन्न हो गई। वह पारसी सभ्यता तथा संस्कृति की प्रेमी एवं पोषक थी।[6] अतएव सभी क्षेत्रों में उसके प्रभाव पड़ने लगे। दरबार के आचार व्यवहार में भी उसने सौंदर्य तथा सौष्ठव उत्पन्न किया। तात्कालिक वास्तुकला पर उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप है।

नूरजहाँ द्वारा आगरा में निर्मित एतमाउद्दौला का मकबरा मुगल वास्तुकला का पहला ऐसा मकबरा है जो कि पूर्णतः सफेद, बेदाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस मकबरे में ही सर्वप्रथम संगमरमर में

सोने तथा कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम ''पित्रादुरा''[7] प्रारंभ किया गया। मकबरे के अंदर बनी कब्रों में पीले किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मकबरे की दीवार निर्माण में सुंदर संगमरमर की जालियों का प्रयोग किया गया है। एतमाउद्दौला के अतिरिक्त रावी नदी के किनारे 'शाहदरा' में जहाँगीर के मकबरे का निर्माण भी नूरजहाँ द्वारा कराया गया था। मकबरे के प्रत्येक कोने पर एक–एक सुंदर मीनार निर्मित है जिन्हें रंगीन टाइल्स तथा अनेक रंगों से सुंदर बनाया गया है। नूरजहाँ ने कलात्मक सजावट की ओर विशेष ध्यान दिया। उसके द्वारा नई–नई पोशाकें बनाई गईं जिनमें दूल्हा–दुल्हन के बीच 'नूर महाली' विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। दुर्लभ पुस्तकों से भरे एक पुस्तकालय का रख–रखाव भी नूरजहाँ द्वारा किया गया। नूरजहाँ की वाणिज्य में भी विशेष रुचि थी। वह विदेशी व्यापार पर ध्यान देती थी।[8] इस प्रकार उसने अपने समय के सांस्कृतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। आभूषणों में पायल, कान की बालियाँ, लौंग, नुपूर आदि के निर्माण का श्रेय भी नूरजहाँ को जाता है।

नूरजहाँ का न केवल मस्तिष्क ही बड़ा उन्नत था। वरन् उसका हृदय भी विशाल था। वह उदार तथा दयाल महिला थी। दानशीलता उसमें उच्चकोटि की थी। दीन–दुखियों, असहायों, अनाथों, विधवाओं तथा पीड़ितों की वह कर्णधार बन जाती थी और उनकी हर प्रकार से सहायता करती थी। धनाभाव के कारण जो बालिकाएँ अविवाहित रह जाती थीं, उनके विवाह की वह व्यवस्था करती थी। अपने इन श्लाघनीय परोपकार के कार्यों से उसने उदारता तथा दानशीलता का ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया जिसका सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्त्व है।

भारतीय नारियों के लिए नूरजहाँ की सबसे बड़ी देन उसका पातिव्रत धर्म का आदर्श उच्चादर्श है। उसमें उच्चकोटि का पतिप्रेम, पतिनिष्ठा तथा स्वामिभक्ति थी। अपने प्रथम पति शेर अफगन के प्रति उसकी अनुपम अनुरक्ति थी। जब जहाँगीर ने उसे अपनी प्रेयसी तथा पत्नी बनाया तब उसने अपने अगाध प्रेम, अनुपम भक्ति तथा निःस्वार्थ सेवाओं से उसे ऐसा मुग्ध कर लिया कि सम्राट् अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उद्धत हो गया। पति प्रेम व पति सेवा उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। अपनी अनुपम सेवाओं के बल से उसने अपने पति के हृदय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी और उसकी प्रेमपात्री, कृपापात्री, सम्मानपात्री व विश्वासपात्री बन गई। उसने न केवल सम्राट् के हृदय पर वरन् साम्राज्य पर भी शासन किया। नूरजहाँ का यह पातिव्रत धर्म का उच्चादर्श सभी भारतीय महिलाओं का पथ प्रदर्शन करता है।

इस प्रकार मुगल साम्राज्य की राजनीति में नूरजहाँ की भूमिका के बारे में विद्वानों में मतभेद हो सकता है। लेकिन इस विषय में दो राय नहीं हो सकती कि वह बुद्धिमान व सहृदय थी। अपने पति के विषय में निष्ठावान थी। प्रकृति ने उसे किसी भी गुण से वंचित नहीं किया था। उसमें फारस का असीम सौंदर्य था। प्रकृति से उसे असीम त्वरित ग्रहण शक्ति, बहुमुखी प्रतिभा और परिपुष्ट सहज बुद्धि का वरदान प्राप्त था। शिक्षा ने उसके गुणों में असाधारण अभिवृद्धि की थी। उसमें सौंदर्य की रसानुभूति की श्रेष्ठ क्षमता थी। साथ–साथ ही उसमें स्त्रियोचित गुण थे जिन्हें पाकर कोई भी स्त्री गौरवान्वित होती है। अपने परिधानों की शैली से फैशन को दिशा प्रदान करने के साथ–साथ वह जहाँगीर के साथ शिकार पर भी जाती थी। सलीके से घुड़सवारी व अचूक निशाना लगा सकती थी। जहाँगीर के लिए वह शक्ति थी और निःसंदेह उसके समर्थन और दिशा–निर्देश ने साम्राज्य को ऐसे समय शक्ति प्रदान की जब जहाँगीर वास्तव

में अशक्त हो गया था।[9]

संदर्भ ग्रंथ स्रोत

1. FathNama – i – Nurjahan Begum by Shirazi, Pg.No. 19
2. Tatimma – i – Wakiat – i – Jahangiri by Muhammad Hadi (E & D), Vol. VII, Pg.No. 399
3. Iqbalnama – i – Jahangiri by Muatamid Khan Culcutta, 1965, Tr. By (E&D) Vol. VI, Pg.No. 424
4. History of Jahangiri by Bani Prasad, Allahabad 1940, Pg.No. 345-346
5. Women in Mughal India (1526-1748) by Rekha Mishra, Delhi 6, 1967, Nov., Pg.No. 33-40
6. Society and Culture in Mughal Age by P.N.Chopra, Agra, 1995
7. Rise and Fall of the Mughal Empire by R.R.Tripathi, Pg.No. 422
8. The Economic History of India by R.K. Mukherji, Pg.No. 83
9. History of Jahangiri by Bani Prasad, Allahabad, 1976, Pg.No. 156

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Oct. 2024
Paper Accepted : 15th Oct. 2024

आधुनिक सिंचाई की विभिन्न विधियों का अध्ययन

मंगल प्रसाद*
डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी**

शोध-सारांश

देश में 95 प्रतिशत भाग (क्षेत्रफल में) पर आधुनिक विधि द्वारा सिंचाई की जाती है तथा भारत वर्ष में सिंचाई की यह विधि सबसे अधिक प्रचलित है। सिंचाई के जल को भूमि के ऊपरी धरालत पर लगाने की विधि को धरातलीय सिंचाई कहते हैं। इस विधि में सिंचाई के पानी को ऊँचाई पर नाली द्वारा खोल दिया जाता है। इस आलेख में उक्त बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

***मुख्य शब्द**–आधुनिक, सिंचाई, विभिन्न, विधियों, अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण, बल, बरसीम।*

प्रस्तावना

सिंचाई की यह विधि बहुत ही प्राचीन तथा अधिकांश नहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहाँ सिंचाई का जल सस्ता होता है। इस विधि से सिंचाई की नाली खेत के एक किनारे पर आकर खुलती है जिससे सारा खेत जल से भर जाता है। यह केवल समतल खेतों में ही अपनाई जाती है। धान एवं बरसीम की फसलों के लिए यह विधि उत्तम मानी जाती है परन्तु अन्य फसलों के लिए इस विधि से सिंचाई करने पर लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। इस विधि में सिंचाई करते समय सारे खेत में जल छोड़कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी जाती है। इस विधि में मृदा स्तर पर जल स्वतंत्र रूप से बहता है। इस विधि में जल का सर्वाधिक नुकसान होता है। हमारे देश में सिंचाई की यह विधि अधिक प्रचलित है, इसका प्रयोग गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, कपास, चना एवं सब्जियों जैसे पालक, मेथी, टमाटर में किया जाता है। अधिकतर खेतों में सिंचाई करने के लिए यह विधि अपनायी जाती है। सिंचाई करने से पूर्व खेतों में मेड़ बनाकर छोटी–छोटी क्यारियाँ बना ली जाती हैं। क्यारियों का आकार जलस्रोत, खेत की समतलता, फसल जो उगाई गई है तथा मृदा कणों पर आधारित होता है। तत्पश्चात प्रत्येक क्यारी को एक–एक करके भरते जाते हैं। समतल खेतों में भी इस विधि से सिंचाई करके जल की अधिक मात्रा की बचत की जा सकती है।

इस विधि में दो पंक्तियों के मध्य एक सिंचाई की नाली बना लेते हैं। इस नाली से छोटी–छोटी नलिकायें बनाकर पेड़ के थालों से जोड़ देते हैं। तने के चारों ओर मिट्टी की मेंड़ बना दी जाती है जिससे जल तने को न छूने पाये। पेड़ के फैलने

* शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राचार्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

के अनुसार रिंग की संख्या बढ़ती जाती है। यह विधि अधिकतर बाग–बगीचों में सिंचाई करने में प्रयोग की जाती है। पेड़ों के चारों ओर गोल या वर्गाकार थाले बना दिये जाते हैं तथा पेड़ों की पंक्तियों के बीच में एक नाली बनाकर थालों से जोड़ दी जाती है। थालों के अन्दर पौधे के तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। जिससे पौधे का तना जल के सीधे सम्पर्क में न आने पाये। इस विधि से कम समय में अधिक क्षेत्र कम जल द्वारा सींचा जा सकता है। छोटे पेड़ों की सिंचाई में यह विधि उत्तम है। इस विधि से सिंचाई उन फसलों में की जाती है, जो पंक्तियों में मेंड़ों या नालियों में बोई जाती हैं और जिसमें बुवाई के समय अथवा बाद में मेंड़ बनानी पड़ती है। जैसे आलू, शकरकन्द, गन्ना, मूँगफली, मक्का, तम्बाकू, ज्वार, सब्जियों आदि में प्रयोग की जाती है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सतना जिले की सिंचाई से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया गया है, जिसमें आलू की फसल में कूंड और मेंड़ प्रत्येक की मोटाई 22.5 सेमी. तथा गहराई 20–25 सेमी. रखते हैं। इस विधि में दो पंक्तियों के बीच में कूंडों एवं मेंड़ों के माध्यम से सिंचाई की जाती है जिससे रिसाव द्वारा जल मेंड़ों पर पहुँचता है। फसल मेंड़ों पर बोई जाती है। कूंड में कब, कितना तथा कितने समय तक जल दिया जाए यह पौधों की जलमांग, इनफिल्ट्रेशन दर तथा मृदा की किस्म पर निर्भर करता है। यह विधि विशेषकर उन फसलों में प्रयोग की जाती है जिनमें अधिक जल से जड़ गलन रोग हो जाता है तथा जल की जल्दी–जल्दी आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल निकास की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी कूंड बनाने से वर्षा का अतिरिक्त जल बहकर निकल जाता है। इस विधि से सिंचाई करने से कम सिंचाई जल से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की जा सकती है। इस विधि द्वारा जल की क्षति बहुत कम होने से जल उपयोग क्षमता अन्य विधियों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह 0.2–0.5 प्रतिशत ढलान एवं 1–2 लीटर प्रति सेकेण्ड धारा प्रवाह के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में कूंड मुख्यतः पाँच प्रकार के होते हैं, जैसे समतल कूंड, ढालू कूंड, एकान्तर कूंड, समोच्च कूंड, वलीय कूंड।

पौधों को भूमि के नीचे की सतह की ओर से सिंचाई का जल प्रदान करने की क्रिया को अधरातलीय अथवा अधोपृष्ठीय सिंचाई कहते हैं। इस विधि में सिंचाई जल पौधों के जड़ क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई की इस विधि का प्रयोग भारत वर्ष में कम सिंचित क्षेत्रफल में किया जाता है। यह विधि उन्हीं क्षेत्रों में सफल हो सकती है जहाँ फसलें स्थाई रूप से लगाई जाती हैं। इस विधि में सिंचाई भूमि में खुली नालियाँ अथवा पाइप लाइन बिछा कर की जाती है। यह नालियाँ अथवा पाइप लाइन मृदा की 30–100 सेमी. की गहराई पर 15–30 सेमी. की दूरी पर बिछाई जाती हैं।

सख्त तह तक नालियाँ खोदकर इनमें कंकड़–पत्थर भर दिये जाते हैं। कंकड़ों के स्थानों पर नालियों में छिद्र युक्त लोहे या सीमेन्ट के पाइप भी प्रयोग किये जा सकते हैं। मुख्य नाली का स्तर सहायक नालियों की तुलना में ऊँचा रखा जाता है। सहायक नालियों में 150 प्रतिशत तक ढाल दिया जाता है। सहायक नाली से जल जड़ क्षेत्र में पहुँचता है तथा जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अधो सतह सिंचाई उन क्षेत्रों में की जाती है जिन क्षेत्रों में जल स्तर बहुत ऊँचा हो गया हो और जल की एक निश्चित मात्रा ही प्रयोग करनी हो। भारत में इस विधि का प्रयोग बहुत सीमित क्षेत्रों में ही किया जा रहा है।

इस विधि में खेत के धरातल के नीचे नालियाँ बनाकर उन्हें घास–फूस, ईंट–पत्थर आदि से ढँककर ऊपर से मिट्टी की तह डाल दी जाती है। इन नालियों में सिंचाई के स्रोत से जल भेजा जाता है जो कि धीरे–धीरे घास–फूस में से ऊपर को निकलकर मिट्टी में फैलता है। लोहे, सीमेंन्ट या प्लास्टिक के छिद्र युक्त पाइप काम में लिये जाते हैं।

इस विधि में छिद्रयुक्त पाइपों/नलों को भूमि में लगभग 1.0 मीटर के अन्तर पर तथा 25 से 50 सेमी. की गहराई पर दबा दिया जाता है। इन नलों के सिरे एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा अन्त में वे मुख्य जल स्रोत से जोड़ दिये जाते हैं। जल स्रोत से सिंचाई जल को अधिक दबाव के साथ इन नलों में भेजा जाता है। इसलिए जल बारीक छिद्रों से रिस–रिसकर भूमि में फैलता रहता है और मृदा कणों के बीच रिक्त स्थानों में जमा होता रहता है तथा यहाँ से यह केशीय गति के द्वारा पौधों की जड़ों के समीप पहुँच जाता है। लवणीय भूमियों में इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

इस विधि में छिद्रयुक्त मटके जल से भरकर भूमि में दबा दिये जाते हैं, घड़े में से जल धीरे–धीरे रिसता रहता है, जिससे भूमि नम बनी रहती है। यह जल पौधों की आवश्यक वृद्धि के लिए उत्तम नमी बनाए रखता है। घड़े में जल की कमी को एक निश्चित अन्तराल पर जल डालकर पूरा कर दिया जाता है। इस विधि को फलदार और वानिकी पौधों हेतु आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक उत्तम विकल्प है तथा यह प्रणाली शुष्क और जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। कृत्रिम रूप से पौधों की जड़ों में धीरे–धीरे सिंचाई जल को बूँद–बूँद करके पहुँचाना ड्रिप सिंचाई कहलाता है। अथवा समुचित मात्रा में नियमित रूप से पौधों की जड़ों में सीधे पानी देने की विधि को ड्रिप अथवा सूक्ष्म सिंचाई निकाय (ड्रिप/माइक्रों इरिगेशन सिस्टम) कहते हैं।

टपक सिंचाई–वह विधि जिसमें प्लास्टिक पाइपों पर स्थापित जल ड्रिपर के द्वारा पौधों की जड़ों में तथा समान रूप से सिंचाई कर कम जल के प्रयोग से अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इस विधि द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में तरल घुलनशील रासायनिक तथा उर्वरक पोषक तत्त्वों का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है। बूँद–बूँद करके जल का प्रयोग भारतीय संस्कृति में अनादि काल से शिवलिंग का सिंचन करने के लिए किया जाता है। परन्तु सिंचाई के लिए बूँद–बूँद जल का प्रयोग हमारे देश में पहले नहीं किया गया। ड्रिप इरिगेशन का विकास सिम्बाब्रास नाम के इज्राइली वैज्ञानिक द्वारा 1960 में प्रारम्भ किया गया था। मेघालय के मुक्तापुर जिले में बाँस की बनी हुई नालियों के प्रयोग से सुपारी के वृक्षों को बूँद–बूँद करके जल देने की विधियों का पता चला है, इसे हमेशा से जयन्तिया जन जाति द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है।

आधुनिक ड्रिप इरिगेशन का प्रचलन भारत में 1970 से प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में 03 लाख हेक्टेयर तक फैल चुका है और विश्व स्तर पर उभर कर आगे आ रहा है। आज इस विधि का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है जहाँ जल की कमी है तथा जल लवणीय है। इस विधि में पौधों की जड़ों के सहारे पाइप बिछाये जाते हैं और इनमें नोजल/टोटियाँ लगी होती हैं। इन टोटियों द्वारा 2–10 लीटर प्रति घण्टा की दर से जल बूँद–बूँद करके भूमि पर टपकता रहता है। धीमी गति से पड़ने के कारण पूरा जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। यह उन क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो रहा है जहाँ जल की कमी और मृदा लवणीय है। ड्रिप सिंचाई का मुख्य उद्देश्य फसल को एक समान मात्रा में जल उपलब्ध कराना, जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करना, पौधे की जड़ों के पास लगातार नमी रखकर उपज बढ़ाना है। ड्रिप सिंचाई में जल का सामान्य दबाव 1–1.5 किग्रा.. प्रति वर्ग सेमी. होता है, इस विधि में जल ईमीटर के द्वारा प्राप्त होता है, ड्रिपर एवं ईमीटर के द्वारा जल के प्रवाह की दर 2–4 लीटर प्रति घण्टा होती है।

ड्रिप नालियों व लेटरल्स में रुकावट की समस्या को दूर करने के लिए 1–2 माह के अन्तराल पर तनु हाईड्रोक्लोरिक अम्ल को नालियों में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि सिंचाई जल में लवणों की अधिकता से ड्रिप नालियों व लेटरल्स के ड्रिपर

बन्द हो जाते हैं। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है, जहाँ जल का अभाव व मृदा में लवणों की समस्या है। यह विधि उद्यानों, बगीचों व फल वृक्षों के लिए सर्वोत्तम है। ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1–4 लीटर/ड्रिपर/घन्टे बहाव (डिस्चार्ज) रेट होता है। इसमें जल की आपूर्ति निरन्तर या अन्तराल पर की जा सकती है। सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई से 30–40 प्रतिशत तक जल की बचत होती है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज भी 20 से 25 प्रतिशत अधिक प्राप्त होती है। गन्ने की सिंचाई में इस प्रकार की ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें 50 प्रतिशत कम जल की आवश्यकता होती है। आजकल इसका प्रयोग हवाई द्वीप समूह में गन्ने की सिंचाई हेतु भी होता है। इसकी अनेक विधियाँ हैं, जैसे; टपक सिंचाई विधि।

उप–सतही बूँद–बूँद सिंचाई–उप सतह ड्रिप सिंचाई परंपरागत सतह ड्रिप सिंचाई प्रणाली का संशोधित रूप है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल हानि को बचाने के लिए ड्रिप के पार्श्व पाइप तथा ड्रिपर दोनों ही भूमि के भीतर दबा दिये जाते हैं। इस विधि में फसलों में की जाने वाली सस्य क्रियाओं में कोई परेशानी नहीं होती है। पार्श्व पाईप को उथली मृदा के लिए 0.5 सेमी., मध्यम गहरी भूमि के लिए 10 से 25 सेमी. तथा गहरी भूमि के लिए 25 सेमी. से अधिक गहराई पर स्थापित कर सकते हैं। इस विधि में पेड़ या पौधे के आस–पास जल बूँद–बूँद करके नालियों से बाहर आता है और दो पौधों या पेड़ों के बीच की पूरी भूमि की सिंचाई नहीं की जाती है, जिसके फलस्वरूप सिंचाई दक्षता अधिक होती है और सीमित प्राप्य जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। इस विधि में बूँद–बूँद करके 1 से 4 लीटर प्रति घंटा जल प्रवाह दर से सिंचाई की जाती है। यह एक अत्यधिक कुशल सिंचाई प्रणाली है जो जल को सीधे फसल के जड़ क्षेत्र में पहुँचाकर सिंचाई जल की मात्रा में काफी बचत करती है। इसमें केवल पौधों के आस–पास का क्षेत्र ही गीला होता है और जल सभी दिशाओं में एक समान फैलता है।

सूक्ष्म सिंचाई अथवा ड्रिप सिंचाई पद्धति– इस पद्धति में सहायक पार्श्व तथा ड्रिपर भूतल पर स्थित होते हैं परन्तु इनसे सिंचाई जल बाहरी फुहार अथवा फुवार के रूप में मृदा पर पड़ता है इस विधि का प्रयोग कम दूरी पर बोई गई फसलों में किया जाता है।

स्पन्द ड्रिप सिंचाई पद्धति–इस पद्धति में जल लगातार स्पन्द के रूप में दिया जाता है अर्थात् ऐसी व्यवस्था होती है जो यंत्र में सामंजन करके 5–10 या 15 मिनट के अन्तराल पर जल दिया जाता है।

टपक सिंचाई के लिए उपयुक्त फसलें–(क) सब्जियाँ–टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, फूलगोभी, भिंडी, बैंगन, करेला, खीरा, मटर, प्याज आदि। **(ख) फल वाली फसलें**–अंगूर, केला, अनार, नींबू, अमरूद, आँवला, लीची आदि। **(ग) फूलों वाली फसलें**–गुलाब, कार्नेशन, जरबैरा, गुलदावदी, डहैलिया गेंदा आदि। **(घ) तिलहन फसलें**–सूरजमुखी, ऑयल पाम, मूँगफली आदि।

ड्रिप सिंचाई तंत्र की लागत और सरकारी सहायता–ड्रिप सिंचाई को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना के द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। किसान अगर फल, फूल, सब्जियाँ और दवाइयों में प्रयोग होने वाली फसलों को उगाते हैं, तो वह इन फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र लगाने के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। यह एक केन्द्र पोषित योजना है, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कुल लागत में से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा शेष 50 प्रतिशत भाग लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार अधिक से अधिक 5 हेक्टेयर खेत में ड्रिप प्रणाली लगाने के लिए अनुदान देती है। सरकारी अनुदान लेने के लिए किसान के पास सिंचाई के जल, मोटर और ऊर्जा स्रोत के

साधन उपलब्ध होने चाहिए। इस योजना के द्वारा सभी वर्ग के किसान को सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी छोटे व सीमांत हों।

ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कीमत फसलों के ऊपर निर्भर करती है। ड्रिप सिंचाई लागत अलग–अलग राज्यों में भी अलग–अलग है। भारत के पूरे राज्यों को केन्द्र सरकार ने अनुदान देने के लिए तीन श्रेणियों अ, ब और स में बाँटा है। जिन राज्यों में अप्रैल 1,2004 तक 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है, उन राज्यों को "अ'' श्रेणी में रखा गया है, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य सम्मिलित हैं। हिमालय पट्टी में आने वाले सभी राज्य जो श्रेणी ''अ'' में नहीं आते, वे श्रेणी ''ब'' में आएँगे। समस्त पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड तथा पश्चिमी दार्जिलिंग जिले को ''स'' श्रेणी में रखा गया।

ड्रिप सिंचाई विधि में फर्टिगेशन–ड्रिप सिंचाई प्रणाली के द्वारा जल के साथ जल में घुलनशील या द्रव उर्वरकों को पौधों तक पहुँचाना फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन के द्वारा पोषक तत्त्वों को जल उत्सर्जक के ठीक नीचे वाले भाग में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जड़ों की क्रियाविधि केन्द्रित रहती है। फर्टिगेशन उर्वरकों के वाष्पीकरण एवं लीचिंग द्वारा होने वाले नुकसान को कम करता है तथा मृदा में समान रूप से उर्वरकों का वितरण करने में सहायता करता है।

उर्वरकों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली में विभिन्न आवृत्तियों में (प्रति दो दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार) दिया जा सकता है। यह आवृत्ति प्रणाली की रूपरेखा, सिंचाई तत्त्वों की आवश्यकता और किसान के चुनाव पर निर्भर करती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बहुत से स्रोत हैं जिन्हें कि सूक्ष्म सिंचाई के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

स्प्रिंकलर/बौछारी/फव्वारा/ओवर हेड– छिड़काव सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा सिंचाई जल का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह जल भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। इस विधि में पौधों की दो पंक्तियों के बीच में लोहे या रबर के पाइप भूमि के ऊपर बिछा दिये जाते हैं। सहायक पाइप एक–दूसरे से समान्तर रखते हुये आवश्यकतानुसार दूरी पर नोजल लगा दिये जाते हैं। नोजल घूमने वाले या स्थिर हो सकते हैं। इन नलों का संबंध मुख्य नल से व मुख्य नल का सम्बंध जल स्रोत से कर दिया जाता है। इन नलों में जल अधिक दबाव से प्रवाहित किया जाता है। जिससे जल तेज बहाव के साथ निकलता है और स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती रहती है। स्प्रिंकलर हमेशा घूमता रहता है जिससे उसे खेत में इधर–उधर ले जाया जा सकता है।

स्प्रिंकलर एवं शाखा लाइनों की आपसी दूरी लगभग 12 मीटर रखी जाती है। इस विधि को हमारे देश में 1980 के दशक के बाद बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इस विधि में सतही जल बहाव बिल्कुल नहीं होता है। जिन क्षेत्रों में फसल पाले अथवा अधिक तापमान से प्रभावित होती है वहाँ पर इस विधि द्वारा सिंचाई करके फसल को बचाया जा सकता है तथा अधिक पैसे देने वाली फसलों जैसे; चाय, कॉफी बागानों आदि के लिए सिंचाई की यह विधि अधिक उपयुक्त है परन्तु धान एवं जूट के लिए उपयुक्त नहीं है। यह विधि काली मृदाओं को छोड़कर सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। फव्वारा या छिड़काव सिंचाई में जल का दबाव 2–2.5 किग्रा. प्रति वर्ग सेमी. होता है तथा इस प्रणाली में जल का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घन्टे, प्रति नोजल होता है। 5 नोजल वाले सेट से एक घण्टे में लगभग 4000–5000 लीटर जल छिड़का जा सकता है। इस विधि से एक एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई लगभग 3–4 घण्टे में की जा

सकती है।

देश में लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि में इसका प्रयोग हो रहा है। स्प्रिंकलर सिंचाई बलुई मृदा, ऊँची–नीची भूमि तथा जहाँ पर जल कम उपलब्ध है वहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। इस विधि के द्वारा गेहूँ, कपास, मूँगफली, तम्बाकू तथा अन्य फसलों में सिंचाई की जा सकती है।

सिंचाई की आधुनिक विधियाँ

(1) माइक्रो जेट इरिगेशन–इस विधि में एक स्वचालित जेट द्वारा लगभग एक दाब पर जल छोड़ा जाता है। जिससे जेट द्वारा 1–2 मीटर दूरी तक सिंचाई की जा सकती है। जल रिसाव की दर 5–160 ली. प्रति घण्टा होती है। यह विधि कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है।

(2) माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन–इसमें जल का रिसाव 28.22 लीटर प्रति घण्टा की दर से 0.8–4 बार दाब पर होता है और छिड़काव की दूरी 1–4 मीटर तक होती है। यह वन वृक्षों के लिए उपयुक्त होता है।

(3) सर्ज सिंचाई विधि–यह विधि गुरुत्व जल पर आधारित है तथा यह चालू व बन्द प्रणाली (ON & OFF) पर आधारित है। इसमें जल का आन्तरिक प्रयोग, एक लम्बी कूंड में जिसकी लम्बाई 25 मीटर से 200 मीटर तक होती है, उसमें निरन्तर समय अन्तराल (5 से 10 मिनट) से खुला और बन्द मोड की एक श्रृंखला में किया जाता है। इस विधि में जल के खुले समय में जल कूंड में एक निश्चित लम्बाई में बढ़ता है और इसके बाद जल के प्रयोग के बन्द समय में मृदा को आंशिक रूप से संतृप्त करता है एवं जब जल पुनः खुले समय में दिया जाता है तो कूंड में जल कम अन्तःस्रवण (इनफिल्ट्रेशन) दर होने से कूंड के अन्तिम छोर तक शीघ्र पहुँच जाता है। इस विधि के बन्द और खुली प्रक्रिया से पानी के कटऑफ से गहरा विस्त्र्रण (परकोलेशन) एवं अपवाह (रनऑफ) हानियाँ कम होती हैं।

(4) बब्लर इरिगेशन–खुले ऊर्ध्वाधर पाइप की ऊँचाई इस तरह से निर्धारित की जाती है कि जल अपेक्षित दर से बुलबुले के रूप में गिरे। इसका प्रयोग आम, अंगूर, संतरा व नारियल आदि बागवानी फसलों की सिंचाई हेतु किया जाता है। इस विधि में पतली खाँचेनुमा ऐसी पाइपों का प्रयोग किया जाता है जिनमें कम दबाव पर भी सिंचाई जल आसानी से शीर्ष से बाहर आये। पार्श्व पाइप टपक विधि की तरह भूमि में दबा दी जाती है तथा इनमें उचित दूरी पर 1–3 सेमी. व्यास के राइजर भूमि से बाहर जल निस्सरण करते हैं।

(5) केबलगेशन सिंचाई विधि–यह सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है। इसमें पाइप में सिंचाई हेतु सिरे की ओर निश्चित दूरी पर छिद्र होते हैं। सिंचाई की लम्बी पाइप को खेत के एक निश्चित झुकाव पर रखा जाता है। पाइप के अन्दर आगे–पीछे खिसकने वाला एक प्लग लगा होता है जो केबल की रोल से जुड़ा होता है। प्लग के खिसकाने की दर फसल की जलमाँग के अनुसार रखी जाती है। पाइप के अन्दर जल का प्रवाह होता है जो जल निकासी छिद्रों के माध्यम से सिंचाई हेतु बाहर आता है। प्लग के निकट वाले छिद्रों से जल दबाव के कारण अधिक तथा दूर स्थित छिद्रों से कम जल निकलता है। इस विधि में सतह सिंचाई की अन्य विधियों की अपेक्षा कम श्रम तथा जल की आवश्यकता होती है।

(6) न्यून ऊर्जा प्रिसिजन एप्लीकेशन प्रणाली (लीपा)–यह स्प्रिंकलर सिंचाई का एक परिवर्तित रूप है जिसमें जल अति न्यून दबाव से नाली में छोड़ा जाता है और कम दबाव के कारण जल छोटी नलिकाओं में जाता है तथा बूँद–बूँद या कम मात्रा में टपकता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिटर्स लगे होते हैं। इसमें स्प्रिंकलर प्रणाली की भाँति दबाव के साथ छिड़काव नहीं किया जाता है।

(7) कोरूगेशन–छोटे तथा छिछले कूंड को कोरूगेशन कहा जाता है। यह विधि गेहूँ एवं मूँगफली इत्यादि की सिंचाई में अपनाई जाती है।

इसमें प्रत्येक कूंड में सिंचाई की जाती है। जल फसल की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। समय पर और सही मात्रा में की गई सिंचाई उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही खेती की प्रासंगिकता को बनाती है। भूमि पर वर्ष भर खेती, जिसमें खरीफ, रबी और जायद फसलें तीनों शामिल हैं, लेना किसान के लिए बिना जल के संभव नहीं है।

कृषि में सिंचाई विधियों के उन्नयन हेतु सरकारी प्रयास—सूखे की समस्या से स्थाई समाधान पाने के लिए और हर खेत तक जल पहुँचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई, 2015 को की गई। लक्ष्य; उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना। इस योजना का मुख्य नारा है—**"हर खेत को पानी"**। इसके तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। खेतों में ही जल के प्रयोग करने की दक्षता को बढ़ाना है ताकि जल के अपव्यय को कम किया जा सके। **"हर बूँद अधिक फसल"** के उद्देश्य से ही सिंचाई और जल बचाने की तकनीक को अपनाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि हर बूँद से अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं। सभी जनपदों के लिए जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों को जिला सिंचाई योजना तैयार करने के लिए राज्यों को राशि दी गई है। यही नहीं मनरेगा के तहत वर्ष 2016—2017 में वर्षा पोषित क्षेत्रों में 5 लाख तालाबों और कुँओं की व्यवस्था भी की गयी थी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाकर हर खेत को पानी पहुँचाना और जल के प्रयोग की कुशलता में वृद्धि करते हुए प्रति बूँद अधिक फसल प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, कार्यान्वयन और विस्तार गतिविधियों पर समग्रता के साथ ध्यान केन्द्रित कर प्राप्त किया जाना है। यह योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, भूमि संसाधन विभाग के समेकित जलागम प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि और सहकारिता विभाग के खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को मिलाकर तैयार की गई है। इस योजना को कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू करेंगे। कृषि मंत्रालय ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइवोट और रेनगन जैसे जल प्रवाह और जल के अधिक कुशल प्रयोग के उपकरणों को बढ़ावा देगा। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को जल के वितरण की प्रणालियों के विकास समेत सुनिश्चित सिंचाई स्रोतों, विपथन नहरों, फील्ड चौनलों तथा जल विपथन (लिफ्ट) सिंचाई से संबंधित विभिन्न कदम उठाने हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को मुख्यतः वर्षा जल संरक्षण तथा खेतों में पोखर, वॉटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं, छोटे रोक बाँधों और परिरेख बाँधों के निर्माण से संबंधित काम करना है। इस योजना में केन्द्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केन्द्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।

भारतीय किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु प्रधानमंत्री की सात सूत्री कार्ययोजना का पहला सूत्र प्रति बूँद अधिक फसल के उद्देश्य को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर ध्यान देना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फोकस चार बिंदुओं पर है—

- संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।
- हर खेत को पानी।
- प्रति बूँद अधिक फसल।
- जल संभरण विकास।

अगर इस योजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुँचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली भूमि में दो फसलें लेना

संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा लाभ संभव है। देश में राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत भी इसके 5 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

- जलवायु परिवर्तन के जलीय स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। जलीय आँकड़ों का डेटाबेस तैयार करना।
- जल संरक्षण के लिए व्यक्ति, राज्य को प्रोत्साहित करना।
- जल का अत्यधिक दोहन करने वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- जल के उपयोग की क्षमता को वर्तमान के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना।
- बेसिन लेवल पर एकीकृत जलीय स्रोत प्रबंधन को प्रोत्साहन देना।

इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में लगातार ह्रास हो रहा है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तथापि सभी व्यक्तियों को समय पर सही मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण कुछ व्यक्तियों को अधिक जल उपलब्ध है, यही वास्तविकता है। इसमें भी जिन स्थानों पर भू–जल की उपलब्धता अधिक है वहाँ के किसान खेती के लिए अधिक जल का दोहन करते हैं क्योंकि खेती में जल की माँग अधिक होती है। इस अधिक जल की माँग को उन्नत सिंचाई विधियों के द्वारा कम किया जा सकता है। दक्षतापूर्ण विधियों से सिंचाई करना किसान का ही काम है क्योंकि जल को उत्थापित करने में लगने वाली ऊर्जा को विद्युत अथवा डीजल के द्वारा प्रदान किया जाता है जिसमें खर्चा आता है। यदि कम जल का प्रयोग होगा तो खर्च में कमी आयेगी और किसान की लागत कम होने से लाभ में वृद्धि होगी। इसलिए किसानों को नवीन सिंचाई की विधियों को अपनाने का प्रयास करना होगा, जिससे सभी को लाभ होगा और संसाधनों को अधिकतम दोहन होने से बचाया जा सकेगा जिससे प्रतिपादित विकास के अभीष्टों की पूर्ति हो सकेगी।

संदर्भ स्रोत

1. डॉ. वीरेन्द्र कुमार, राजभाषा विशेषांक, अक्टूबर–दिसम्बर 2017।
2. गुप्त, डॉ. शिवभूषण, कृषि अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस।
3. भारतीय अर्थशास्त्र।
4. पंचायिका 2000।
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110012।
6. पत्र–पत्रिका, दैनिक भास्कर, नव भारत।
7. रणबीर सिंह, जल प्रौद्योगिकी केन्द्र भा.क.अनु. सं. पूसा, नई दिल्ली–2।

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Oct. 2024 **Paper Accepted : 15th Oct. 2024**

मेघदूत में पर्यावरण विज्ञान

❐ मनोज कुमार सिंह*
❐ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी**

शोध-सारांश

कथाकाव्यों में पहला स्थान नीति कथाओं का है। इन नीति कथाओं में पशु–पक्षी, वृक्ष, वनचर आदि मनुष्येतर प्राणी एवं स्थावर पदार्थों में मानवीय आहार–व्यवहारों का आरोप कर बड़े सुन्दर ढंग से कथाएँ कही गयी हैं। इन कथाओं में एक के भीतर दूसरी कथा को गुम्फित कर अंत में उसकी परिणति किसी उपदेश या शिक्षा में की गई है। इस प्रकार नीति कथाओं में प्रतिनिधि–ग्रन्थ 'पंचतंत्र' और 'हितोपदेश' हैं। 'पंचतंत्र' सम्प्रति अपने मूलरूप में विद्यमान नहीं है। नीति कथाओं का दूसरा ग्रन्थ 'हितोपदेश' है जो कि 'पंचतंत्र' का ही संस्करण है और उसको बंगाल के राजा धवलचन्द्र के राजकवि नारायण पण्डित ने 14वीं शताब्दी के आसपास रचा। इसी तरह से हमारी प्रकृति (पर्यावरण) में अवस्थित मेघ में प्रयुक्त अवयवों का महाकवि ने क्या सुन्दर निरूपण किया है–

धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः।[1]

यक्ष द्वारा मेघ की यात्रा के शुभ शकुनों का मनोहारी वर्णन अति सुन्दर है–

मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां
वामश्चायं नदति मधुर चातकस्ते सगन्धः।
गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः
सेवियन्ते नयनसुभगं रवे भवन्तं बलाकाः।।[2]

मुख्य शब्द–*मेघदूत, पर्यावरण, विज्ञान, 'पंचतंत्र', 'हितोपदेश', प्रतिनिधि कथा आदि।*

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में महाकवि कालिदास के मेघदूत में पर्यावरण से सम्बन्धित अनेकों वर्णन आया है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ के सहयात्रियों का वर्णन हृदयाकर्षक है–

कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां
मुक्ताजालप्रथितमलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम्।।[3]

अलका की रमणियों के पुष्पाभूषणों के वर्णन में कवि ने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है–

हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं

* शोधार्थी (संस्कृत), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः।
चूड़ापाशे नवकुरबकं चारु कर्णेशिरीषं
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्।।[4]

अलका की निसर्ग–सुषमा का सुन्दर निदर्शन मन को मोह लेता है–

यत्रोन्मत्तभ्रमरामुखराः पादपा नित्यपुष्पाः
हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः।
केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा
नित्यज्योत्सनाः प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः।।[5]

अभिसारिकाओं के मार्ग का वर्णन करने में कवि ने पर्यावरण का अति सुन्दर रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है–

गत्युत्कम्पादलकपतितैर्यत्र मन्दारपुष्पैः
पत्रच्छेदैः कनककमलैः कर्णविभ्रंशिभिश्च।
मुक्ताजालैः स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रैश्च हारै–
र्नैशो मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्।।[6]

कल्पवृक्ष द्वारा श्रृंगार–सामग्री प्रदान करने का ह्रदयग्राही वर्णन कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है–

वासश्चित्रं मधु नयनयोर्विभ्रमादेशदशं
पुष्पोद्भेदं सह किसलयैर्भूषणानां विकल्पान्।
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या–
मेकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः।।[7]

वापी के समीपवर्ती क्रीड़ा–पर्वत का वर्णन श्लाध्य है–

तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः
क्रीड़ाशैलः कनककदलीवेष्टनप्रेक्षणीयः।
मद्गेहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण
प्रेक्ष्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि।।[8]

इस प्रकार संक्षेप में खण्डकाव्य मेघदूत में पर्यावरण विज्ञान के बिखरे मोतियों को चुनने का संक्षेप में प्रयास किया गया।

कथाकाव्य

संस्कृत के कथा साहित्य का विकास वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश आदि कई स्थितियों एवं युगों से होकर गुजरता रहा है।[9] वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद् ग्रन्थों में कथा साहित्य की विपुल संपदा छिपी हुई प्रतीत होती है।[10] पौराणिक युग ने कथा–साहित्य को अधिक लोकव्यापी बनाया। पुराणों की कथाओं का अस्तित्व बहुत समय तक समाज में मौखिक रूप से बना रहा।[11] प्राचीन भारत में कथाकाव्यों का अतिशय प्रचार रहा है। भारतीय कथाकृतियों का महत्त्व, उनकी जनप्रियता और उनकी ऐतिहासिक प्राचीनता की ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि विश्व–साहित्य के लिए भारतीयों की यह देन आज सर्वोपरि गिनी जाने लगी है। संसार के सामने साहित्य के इस लोकप्रिय पक्ष को प्रकाश में लाने का पहला श्रेय भारतीय कलाकारों को ही उपलब्ध है।[12]

कथाकाव्यों में पहला स्थान नीति कथाओं का है। इन नीति कथाओं में पशु–पक्षी, वृक्ष, वनचर आदि मनुष्येतर प्राणी एवं स्थावर पदार्थों में मानवीय आहार–व्यवहारों का आरोप कर बड़े सुन्दर ढंग से कथाएँ कही गयी हैं। इन कथाओं में एक के भीतर दूसरी कथा को गुम्फित कर अंत में उसकी परिणति किसी उपदेश या शिक्षा में की गई है।[13] इस प्रकार नीति कथाओं में प्रतिनिधिग्रन्थ–'पंचतंत्र' और 'हितोपदेश' हैं। 'पंचतंत्र' सम्प्रति अपने मूलरूप में विद्यमान नहीं है।[14] नीति कथाओं का दूसरा ग्रन्थ 'हितोपदेश' है जो कि 'पंचतंत्र' का ही संस्करण है और उसको बंगाल के राजा धवलचन्द्र के राजकवि नारायण पण्डित ने 14वीं शताब्दी के आसपास रचा।[15] विण्टरनिट्स का कथन है कि, संसार में अन्य किसी जाति के पास कदाचित इतना समृद्ध कथा साहित्य नहीं है जितना कि भारतीयों के पास। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी कहानी की परम्परा भारत से ही ली गई है। पंचतंत्र पशुकथाओं की परम्परा का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। काव्यशास्त्र में इसकी विधा निदर्शना बताई गयी है। आधुनिक आलोचक इसे नीतिकथा विधा में रखते हैं।[16]

हितोपदेश की रचना नारायण पण्डित ने की। इसका मूल आधार पंचतन्त्र है। पंचतन्त्र के अतिरिक्त नारायण पण्डित ने अनेक स्रोतों से भी शिक्षाप्रद

कथाओं का चयन करके उसे अपने ग्रंथ में समाहित किया।[17]

कुल अन्य कथाओं में बृहत्कथा (गुणाढ्य); बृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्र), कथासरित्सागर (सोमदेव), सिंहासन द्वात्रिंशिका, शुक सप्तति, कथा रत्नाकर आदि प्रमुख हैं। हमारा देश कथा या कहानी की जन्मभूमि कहा जा सकता है। जिस प्रकार विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद की रचना ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व हो चुकी है, उसी प्रकार वाचिक परम्परा में अनेक लोकप्रिय आख्यानों व कथाओं का प्रणयन भी हमारी परम्परा में किया गया।[18]

कथाकाव्य में भी पर्यावरण की सुन्दर झाँकी अनेक स्थानों पर दिखाई पड़ती है। महादेव के सिर पर शुक्ल पक्ष की द्वितीया चन्द्रमा के समान कला गंगा के फेन के सदृश शोभायमान होती है। हितोपदेश के मंगलाचरण में शिव के प्रसाद से सज्जनों के सभी कार्य सिद्ध होने की अभिलाषा का क्या सुंदर निरूपण है–

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटेः।
जाह्नवीफेनलेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कलाः।।[19]

सभी जीव–जन्तुओं के आश्रयदाता विशाल वृक्ष का वर्णन प्रकृति और जीव के परस्पर साहचर्यता का एक अनुपम उदाहरण है–

अस्ति कस्मिश्चित्प्रदेशे महान् न्यग्रोपादपः। तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः स्म। अथ तयो प्रसवकाले वृक्षविवरात् निष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदैव तदपत्यानि भक्षयति ततस्तौ निर्वेदात् अन्य वृक्षमूल निवासिनं प्रियुहृदं श्रृगालं गत्वा ऊचतुः।[20]

विद्याहीन मनुष्य यदि अच्छे कुल में भी उत्पन्न हो तो भी निर्गन्ध पलाश (ढाक) के पुष्प के समान शोभा नहीं पाते–

रूपयौवनसम्पन्ना, विशालकुलसम्भवाः।
विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः।।[21]

इसी प्रकार के पर्यावरण की मनोरम कल्पना पञ्चतन्त्र के मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति तथा हितोपदेश के मित्रलाभः शीर्षक के अन्तर्गत की गई है–

अस्ति कस्मिश्चिद्वनप्रदेशे नानाजलचर सनाथं महत् सरः। तत्र च कृताश्रयो बक एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान् व्यापादयितुमससर्थः। ततश्च क्षुत्क्षामकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टो मुक्ता–फलप्रकरसदृशैः अश्रु प्रवाहैर्धरातलमभिषिंचन् रुरोद।[22]

जिसकी छाया में मृग शयन करते हों, जिसके पल्लव पक्षिसमूहों से आवृत्त हों, जिसके कोटर कीटों से युक्त हों, जिसकी शाखाओं पर वानर आश्रय ले रहे हों, जिसके पुष्परस का पान निःशंक मधुप ले रहे हों तथा जो अपने सब अंगों से बहुत से जीवों को सुख प्रदान कर रहा हो, वह वृक्ष प्रशंसनीय है–

छायासुपतमृगः शकुन्तनिवहैर्विष्वग् विलुप्तच्छदः।
कीटैरावृतकोटरः कपिकुलैः स्कन्धे कृतप्रश्रयः।।
विश्रब्धं मधुपैर्निपीतकुसुमः श्लाघ्यः स एव द्रुमः।
सर्वाङ्गैबहुसत्वसङ्गसुखदो भूभारभूतोऽपरः।।[23]

कहा भी गया है कि फल और छाया से युक्त किसी महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि कदाचित् वह वृक्ष दैवयोग से फलहीन भी हो जाए तो भी उसकी छाया तो कोई नहीं रोक सकता–

'सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छायासमन्वितः।
यदि दैवात्फलं नास्ति, च्छाया केन निवार्यते'।।[24]

जिसकी सभी इन्द्रियाँ क्षीण हो गई हों, ऐसे वृद्ध व्यक्ति की अनुपयोगिता प्रकृति के माध्यम से दर्शायी गयी है–

शशिनीव हिमार्तानां, धर्मार्त्तानां खाविव।
मनो न रमते स्त्रीणां जराजीर्णेन्द्रिये पतौ।।[25]

इस प्रकार कथा काव्य में पर्यावरण का यत्र–तत्र सुन्दर निदर्शन प्राप्त होता है जो हमारी प्रकृति के अवयवों के अति मनोरम रूप को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रन्थ स्रोत

1. मेघदूतम् (पूर्व मेघ)–तारिणीश झा, पृ. 10
2. वही, पृ. 21, 22
3. मेघदूतम् (पूर्व मेघ)–तारिणीश झा, पृ. 142
4. मेघदूतम् (उत्तर मेघ)–तारिणीश झा, पृ. 03

5. वही, पृ. 05
6. मेघदूतम् (उत्तर मेघ)–तारिणीश झा, पृ. 19
7. वही, पृ. 21
8. वही, पृ. 29
9. संस्कृत–साहित्य का इतिहास, वाचस्पति गैरोला, पृ. 785
10. वही, पृ. 786
11. वही, पृ. 786
12. वही, पृ. 787
13. वही, पृ. 787
14. संस्कृत–साहित्य का इतिहास, वाचस्पति गैरोला, पृ. 787
15. वही–पृ. 788
16. संस्कृत–साहित्य का अभिनव इतिहास, डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ. 345
17. वही, पृ. 349
18. संस्कृत–साहित्य का अभिनव इतिहास, डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ. 342
19. हितोपदेश, श्री गुरुप्रसाद शास्त्री, आचार्य सीताराम शास्त्री, पृ. 1
20. पंचतंत्र, श्री भारतीय योगी, पृ. 105
21. हितोपदेश, श्री गुरुप्रसाद शास्त्री, आचार्य सीताराम शास्त्री, पृ. 20
22. पंचतंत्र, श्री भारतीय योगी, पृ. 106, 107
23. पंचतंत्र, श्री भारतीय योगी, पृ. 220
24. हितोपदेश, श्री गुरुप्रसाद शास्त्री, आचार्य सीताराम शास्त्री, पृ. 275
25. वही, पृ. 96

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Oct. 2024
Paper Accepted : 15th Oct. 2024

स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों में समाज सुधार की प्रासंगिकता

❑ **वन्दना यादव***

शोध-सारांश

भारत में धर्म सुधार के प्रणेताओं में महर्षि दयानन्द सरस्वती का विलक्षण स्थान है। बंगाल में जिस प्रकार राजा राममोहन राय ने धर्म सुधार का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार उत्तर भारत में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज और वेद दर्शन का प्रवर्तन किया। दयानन्द जी ने धर्म के माध्यम से समाज, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक सुधारों की रूपरेखा तैयार की।

दयानन्द के योगदान का मूल्यांकन उन विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जिनमें उनके विचारों का निर्माण हुआ है। आर्य समाज की उपलब्धि ब्रह्म समाज से भी अधिक रही है। श्री अरविन्द ने दयानन्द को आध्यात्मिक क्रियाशीलता की एक शक्ति–मूर्ति कहा है।

रवीन्द्र नाथ टैगोर का कथन है, मेरा सादर प्रणाम हो उस महान गुरु दयानन्द को जिसकी दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक इतिहास को, सत्य और एकता को देखा और जिसके मन ने भारतीय जीवन के सब अंगों को प्रदीप्त कर दिया।

सामाजिक विचार

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारत के बडे भाग का भ्रमण किया। भारत में व्याप्त दरिद्रता, धार्मिक विकृतियों, सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। उनका विचार था कि जब तक भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों का अन्त नहीं होगा, भारत का विकास असंभव है। जैसे–**प्रदा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के प्रति उपेक्षा का बर्ताव, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं दहेज प्रथा** आदि प्रमुख हैं। स्वामी दयानन्द ने भारत में समाज सुधार के यथेष्ट प्रयास किए। उन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की चेष्टा की।

समाज से सम्बन्धित दृष्टिकोण को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

1. वर्ण व्यवस्था के पक्षधर

स्वामी दयानन्द वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, किन्तु उन्होंने जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं माना। उन्होंने गुण और कर्म को महत्ता दी।

''चातुर्वर्ण्यं मयासृष्टं गुणकर्मविभागशः।[1]

दयानन्द ने जन्म से सब मनुष्यों को समान

* शोधच्छात्रा, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, प्रयागराज

माना।

2. आश्रम व्यवस्था का समर्थन

दयानन्द ने वेदों द्वारा प्रस्तावित आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया, क्योंकि यह चार प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यथा–**यतोऽभ्युदयनिः–श्रेयससिद्धि सधर्मः।**[2] जिससे व्यक्तियों के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा बन पाती है। आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपने स्थान और अपने आध्यात्मिक प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करते हैं।

''कुर्वन्नेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।[3]

मनुष्य की सामान्य आयु सौ वर्ष स्वीकार करते हुए धर्मादि चतुःपुरुषार्थों के सम्यक् उपभोग हेतु जीवन को 25–25 वर्षों के बराबर भागों में विभाजित किया गया है–(1) ब्रह्मचर्य आश्रम, (2) गृहस्थ आश्रम, (3) वानप्रस्थ आश्रम, (4) संन्यास आश्रम।

3. विवाह सम्बन्धी विचार

स्वामी दयानन्द ने विवाह को एक पवित्र बंधन माना है। उनकी मान्यता थी कि जो कन्या पिता के गोत्र तथा माता के कुल से निकट सम्बन्ध न रखती हो, उसी से पुत्र का विवाह करना चाहिए। दयानन्द बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे। **''विधवा विवाह को मान्यता''**[4] के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द जी ने समाज में व्याप्त विधवा विवाह का सामना करते हुए लोगों को देखा कि पुनः विवाह करना समाज में पूर्णरूपेण निषिद्ध था। यथा–**न द्वितीयश्चसाध्वीनां कश्चिद् भर्तोपदिश्यते।**[5] क्योंकि उस समय बाल विवाह अधिक हुआ करते थे जिसके कारण कभी किसी दुर्घटना के बाद पति की छोटी सी उम्र में ही जीवनलीला समाप्त हो जाती है तो नारी को सम्पूर्ण जीवन सफेद साड़ी में चहारदीवारी के अंदर काटनी पड़ जाती है। इसलिए लड़कियों को भी उच्च शिक्षा प्रदान करके उनके जीवन को सुधारा जा सकता है।

''या पूर्वं पतिं वित्त्वाऽथान्यं विन्दतेऽपरम्। पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः।[6]

धार्मिक विचार

दयानन्द ने धर्म की व्याख्या के प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया। दयानन्द के अनुसार धर्म का अर्थ है, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार, मानवीय और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना। दयानन्द ने धर्म को आचरण की ऐसी व्यवस्था के रूप में अभिव्यक्त किया जो व्यक्ति को सत्य के प्रति आस्थावान बनाती है।

दयानन्द की ईश्वर में अक्षुण्ण निष्ठा थी। दयानन्द एकेश्वरवाद के अनुयायी थे। यथा–**तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्।**[7] उनके अनुसार ईश्वर के नाम भले ही अनेक हों, किन्तु ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। दयानन्द की आस्था ईश्वर के अमूर्त स्वरूप में थी। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दयानन्द के अनुसार मूर्ति पूजा वेद है तथा इसका कोई प्रमाणिक और तार्किक आधार नहीं है। अतः सारभौमिक धर्म का समर्थन और वेद एवं उनके अनुपूरक ग्रन्थों को ही मान्यता है।

शिक्षा सम्बन्धी विचार

दयानन्द ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया, उनके लिये शिक्षा का अर्थ था शरीर का निर्माण, इन्द्रियों की साधना और बौद्धिक शक्तियों का विकास। ब्रह्मचर्य पालन को उन्होंने सच्ची शिक्षा पद्धति की एक अनिवार्य शर्त माना और शिक्षण कार्य को चरित्रवान तथा विद्वान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहा। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में उन्होंने माता–पिता को बालक का प्रथम गुरु बताया और बताया कि माता–पिता के उपदेश से सन्तान को जितना लाभ हो सकता है, उतना और किसी से नहीं। उनका मानना था कि सभी वर्गों व जातियों के बच्चों को समानता के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए। क्योंकि विद्याविहीन व्यक्ति को पशु माना गया है–**''विद्याविहीनः पशुः''**[8]

प्राचीन शिक्षा का मुख्य विषय था वेद। इसमें गुरु की संतुष्टि ही उपाधि थी। इस अवसर पर

वह शिष्य को भावी जीवन में सफल एवं तेजस्वी होने के मूलभूत मूल्यों का उपदेश देता था। **''सत्यं वद। धर्मं चर। कर्म कुरू।**[9] प्राचीनकाल में बहुत दिनों तक गुरु का आश्रम ही शिक्षा का केन्द्र था, बाद में तक्षशिला, नालन्दा, बलभी और विक्रमशिला को विशेष स्थान प्राप्त हुआ।

राजनीतिक विचार

यद्यपि स्वामी दयानन्द ने न तो अपने युग की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और न उन्होंने एक राजनीतिक चिन्तन के रूप में किसी विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन ही किया। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए विभिन्न राजनीतिक विषयों पर भी अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। यही कारण है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे धार्मिक ग्रन्थों में राजधर्म लिखा।

स्वामी दयानन्द ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही उसकी समानता का भी समर्थन किया है। दयानन्द के लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों पर पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का कोई प्रभाव नहीं है। उनके विचारों का मूल स्त्रोत एवं आधार वैदिक राजनीतिक दर्शन एवं प्राचीन भारत की राजनीतिक परम्पराएँ हैं। जैसे—ईशा पूर्व तीसरी शताब्दी में आर्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, उन्होंने राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं और रणनीतियों की भी स्पष्ट व्याख्या की। प्रधानमंत्री होते हुए भी वह झोपड़ी में रहते थे। उन्होंने निःस्वार्थ और सेवा उन्मुख जीवन जिया और हमारे पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में खड़े रहे।[10]

स्वामी दयानन्द ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार भी वेद प्राचीन वैदिक इतिहास तथा मनुस्मृति आदि को माना है। स्वामी दयानन्द ने राज्य के प्रशासन की आधारभूत इकाई ग्राम को स्वीकारा है।

नारी उत्थान के पक्षधर

''अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः।

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद।''[11]

एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। **''प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान्।''**[12] धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विधा न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करें। (दयानन्द सरस्वती)

दयानन्द के चिन्तन एवं कर्म का दायरा सिर्फ राजनीतिक सामाजिक सरोकारों तक ही सीमित न था, बल्कि वे भाषा एवं साहित्य के प्रति भी काफी जागरूक थे। उन्होंने जातिप्रथा को पाप माना तथा दलितों को सवर्ण बनने का अवसर प्रदान किया, जिसके प्रमाण स्वरूप उनके द्वारा स्थापित संस्था आज भी जातिप्रथा का विरोध करती है और वहाँ कोई दलित एवं सवर्ण नहीं होता, वहाँ सब मानव मात्र हैं।

इसी क्रम में दलित शब्द से ज्ञात हुआ कि स्त्री भी दलित निकली। तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्रियों के साथ चाहे वे किसी भी धर्म की क्यों न हों, पशुवत् व्यवहार था, तब दयानन्द ने उस समय स्त्री मुक्ति की हुँकार भरी और उसे आजाद कराने का भरसक प्रयत्न प्रारम्भ कर सारे राष्ट्र की स्त्रियों को ऐसा आत्मबल प्रदान किया कि वे अपना दलितपन, पिछड़ापन तथा दासता एवं गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उनके राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता क्रान्ति के विद्रोह में भी रणचण्डी बनकर कूद पड़ीं। इसके पश्चात् स्त्री जागरण का वह सिलसिला प्रारम्भ हुआ जो जगजाहिर है। देश के प्रत्येक सुधारकों ने स्त्री जागरण एवं स्त्रियों के अधिकारों के लिए आन्दोलन तेज कर दिये।

सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा एवं समानता के लिए दयानन्द के प्रयास लोक विख्यात हैं। उन्होंने स्त्री को माता के रूप में सारे राष्ट्र की जननी कहकर भावी राष्ट्र निर्मात्री कहा, जिसे शिक्षित होने का सर्वप्रथम अधिकार है। नारी शिक्षा से ही समाज सुधार हो सकता है, ऐसा विचार स्वामी दयानन्द का था।

निष्कर्ष

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक सुधारक के रूप में समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर

करने का अथक प्रयास किया है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से स्वदेशी, स्वभाषा, स्वशासन को बढ़ावा देकर राष्ट्र की भावना को प्रोत्साहन दिया। स्वामी जी ने अपने विचारों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की जो आज भी समाज सेवा की दिशा में कार्य कर रहा है। आर्य समाज द्वारा संस्थापित शिक्षण संस्थाएँ, गुरुकुल, डी.ए.वी. कालेज वस्तुतः स्वामी दयानन्द के सच्चे स्मारक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

पी.के. त्यागी : भारतीय राजनीतिक विचारक, विश्वकर्मा, पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली (2006)

1. श्रीमद्भगवद्गीता (4 / 13)
2. वैशेषिक सूत्र (1.1.2)
3. ईशावास्योपनिषद् (मन्त्र 2)
4. प्राचीन भारतीय संस्कृति (डॉ. वीरेन्द्र कुमार सिंह)।
5. मनुस्मृति (द्वितीय अध्याय)
6. अथर्ववेद (9.5.27)
7. पातञ्जलयोगदर्शन (समाधिपाद)।
8. नीतिशतकम् (विद्वत्पद्धतिः श्लोक 17)
9. तैत्तिरीयोपनिषद् (शिक्षावल्ली)
10. अर्थशास्त्र (भूमिका भाग)
11. शतपथ ब्राह्मण
12. सत्यार्थप्रकाश द्वितीय समुल्लास

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multidisciplinary
Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 3rd Oct. 2024
Paper Accepted : 15th Oct. 2024

भारतीय ज्ञान-परम्परा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

❑ डॉ. प्रमा द्विवेदी*

शोध-सारांश

भारतीय ज्ञानधारा में गुरु–शिष्य परम्परा के माध्यम से अनेक वर्षों तक अर्जित ज्ञान को आत्मसात व विश्लेषित कर नए ज्ञान को संश्लेषित किया गया। प्राचीन काल की ज्ञान प्रणाली, परम्पराएँ एवं प्रथाएँ मानवता को प्रोत्साहित करती थीं। आधुनिक युग में प्रचलित ज्ञान एवं विदेशों में हो रहे नवीन आविष्कार, जो हमारे ग्रन्थों में पूर्व से ही उल्लिखित हैं, वह सब भारतीय ज्ञान परम्परा के समृद्ध होने का प्रमाण है। अतएव भारतीय ज्ञान प्रणाली वर्तमान परिदृश्य में और भी अधिक प्रासंगिक है, जो व्यक्ति को कर्त्तव्य–बोध कर्त्तव्य–परायणता, स्थिरता एवं तनाव प्रबंधन इत्यादि के समायोजन हेतु व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुदूर अतीत से चली आ रही ज्ञान की आवयविक अखण्डता के अनुरूप अंतरानुशासनिक अध्ययन और अनुसंधान पर बल देती है और नवाचारों को प्रोत्साहन के अवसर दे रही है।

मुख्य शब्द–*ज्ञान–प्रणाली, कर्त्तव्य, व्यवहार, प्रांसगिक, नवाचार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020।*

प्रस्तावना

भारतीय संस्कृति से संवलित संस्कृत भाषा में संरक्षित भारतीय ज्ञान–परंपरा में वेद, वेदांग, उपनिषद्, श्रुति, स्मृति से लेकर विभिन्न प्रकार के दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, नाट्यशास्त्र, प्रबन्धन एवं विज्ञान इत्यादि का अथाह ज्ञान समाहित है।

नयी पीढ़ी को भारतीय ज्ञान–परम्परा से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभिनव पहल की है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक अनुशासन के विषय की पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान–परम्परा से सम्बन्धित ऐसे संप्रत्ययों को जोड़ा जा रहा है जिनके अध्ययन द्वारा निश्चित रूप से नयी पीढ़ी के विद्यार्थियों में भारतीय होने का गोरवबोध जागृत होगा।

भारतीय ज्ञान–परंपरा की महत्ता

भारतीय ज्ञान–परंपरा उस भारतीय मनीषा को प्रतिबिंबित करती है जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान, लौकिक एवं पारलौकिक, कर्म एवं धर्म तथा भोग व त्याग का अद्‌भुत समन्वय रहा है। प्राचीन समय से ही शिक्षा के प्रति भारतीय ज्ञान–परम्परा का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं सूक्ष्म रहा है। शिक्षा को विद्या, ज्ञान, दर्शन, प्रबोध, प्रज्ञा, वागीशा एवं भारती इत्यादि शब्दों से पारिभाषित किया गया है।

* सहायकाचार्या, संस्कृत विभाग, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कालेज, प्रयागराज

ये सभी शब्द उस स्वर्णिम परम्परा को द्योतित करते हैं जिसका अभीष्ट उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करते हुए विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा उसे समाजोपयोगी एवं मोक्षगामी बनाना था।

भारत का पारंपरिक ज्ञान विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे कि, शास्त्रीय ग्रंथ, पांडुलिपियाँ व मौखिक संचार के रूप में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। यह बहुमूल्य ज्ञान प्रायः हमारे दैनिक क्रिया–कलापों का भी भाग है। कुछ पारंपरिक पद्धतियों से सम्बन्धित ज्ञान धारकों की आजीविका के साधन हैं। इसके साथ ही, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता (1000–500 ईसा पूर्व) सहस्रों औषधीय जड़ी–बूटियों के पारम्परिक ज्ञान को प्रदान करने वाले ग्रन्थ हैं। विश्व धरोहर के लिये इन समृद्ध विरासतों को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इन्हें बढ़ाना चाहिए और इन्हें नए उपयोग में भी लाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन– अध्यापन में विशेष बल दिया गया है। यह नीति भारत के सनातन ज्ञान एवं विचारों के समृद्ध आलोक में निर्मित की गयी है।

एन.ई.पी.–2020 में पारंपरिक–ज्ञान, कला–कौशल एवं मूल्यों को शिक्षा से जोड़ने एवं उसके नवीन प्रयोगों के लिये संस्तुति दी गयी है। इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय ज्ञान–परम्परा प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है जिसका लक्ष्य स्वदेशी ज्ञान एवं विद्या परम्परा को प्रोत्साहित करना एवं आगे बढ़ाना है। एन.ई.पी.–2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि भारतीय ज्ञान–परम्परा के विविध सम्प्रत्ययों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाय।

वर्ष 2020–23 के बजट में भारतीय ज्ञान–परम्परा के अध्ययन , संवर्धन एवं अन्वेक्षण के लिए 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी। 2025 तक यू.जी.सी. 15 लाख अध्यापकों को भारतीय ज्ञान–परम्परा का प्रशिक्षण देगा। इसका ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरु किया गया है। विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों–स्वयं, स्वयंप्रभा, ई–दीक्षा, ज्ञानदर्शन इत्यादि के साथ–साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी इसके प्रचार–प्रसार का प्रावधान इसमें किया गया है। यह नीति भारत की समृद्धि विविधता, संस्कृति एवं आवश्यकताओं पर विचार करते हुए भारत के युवाओं, शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व रचनात्मक अधिगम के साथ–साथ परस्पर सहयोग, एकता तथा भ्रातृत्व की भावना के विकास पर बल देती है।

एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें कोई भी शिक्षार्थी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं अन्य भेदभाव के कारण पीछे नहीं रहेगा। जिसके लिए सर्वशिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा के रूप से पारिभाषित करते हुए वर्ष 2030 तक सभी बच्चों का प्राथमिक स्कूलों में 100 : नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। भाषारूपी असंगतता को समाप्त करते हुए एन.ई.पी.–2020 में सभी बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को अपनी मातृभाषा (हिन्दी अथवा स्थानीय) में प्रदान करने की बात कही गयी है। एन.ई.पी., 2020 का लक्ष्य शिक्षा को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और समग्र बनाना है। यह 21वीं सदी के कौशल यथा–आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या–समाधान के विकास पर केन्द्रित है। यह नीति शिक्षक प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक विकास के महत्त्व पर भी बल देती है।

बहुविषयी शिक्षा, सम्पूर्ण विकास, जड़ से जग तक, मानव से मानवता तक की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में समावेशित है। विभिन्न भाषाओं और बोलियों के साथ–साथ शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत, लोककला की विकसित परंपराएँ, मिट्टी के पात्र, मूर्तियाँ और कांस्यकला, असाधारण वास्तुकला, अप्रतिम व्यञ्जन, प्रभावशाली टेक्सटाइल इत्यादि

जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी महान विविधता को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधलेख का निष्कर्ष यही है कि जिस प्रकार भारतीय परंपरा 'शास्त्र' और 'लोक' को समान महत्त्व देती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ज्ञान, बोध और प्रज्ञा के समस्त अवयवों के साथ भारतीय मनीषा के समय एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसा कि कहा गया है–

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।।

(वृहदारण्यक 1.3.28)

सं गच्छध्वं सं वदध्वं

(संज्ञान सूक्त 10.1.91)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. झा, कन्हैया (2022), ''शिक्षा प्रणाली में भारतीय ज्ञान–परम्परा की अनिवार्यता'', दैनिक जागरण आलेख, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा (उ. प्र.)
   https:// www-google .co.in /amp/s/www. jagran. com/lite/ editotal/ apnibaat-ncr-the- inperative-of-indian- knowledge-tradition- in the-education-system-22412895. html
2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
   www-education-gov.in
3. शर्मा, संगीता एवं पाण्डेय, जय शंकर (2023), ''उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएँ एवं भारतीय ज्ञान परम्परा के अनुशीलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की भूमिका'' ह्यूमैनिटीज एंड डेवेलपमेंट, वॉल्यूम 18, नंबर 01, जनवरी–जून 2023।
   https://humanitiesdevelopment.com/ index-php/ had/article/view/124/115
4. त्रिवेदी, राकेश (2014), ''भारतीय शिक्षा का इतिहास'' ओमेगा पब्लिकेशन (दरियागंज), नयी दिल्ली
5. https://hi.m.wikipedia. org/wiki/ भारतीय ज्ञान परम्परा
6. https-//him.www.google.co.in./url\ sawebsrctj-opi899744-urlhttps://rajbha wan-rajasthan-gov-in-/content/dam/rajbhawan/psf/speech/2020/ September/speech%252022-%25209%2520-% 25202020%25202pdf-ved2ahUKEwj G6J-288CEA-WkU2w2wGHeYmDv1QFno ECBwQBg-usgAOvVawZSuU1UDFLZH81 Bss-pb7g

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Oct. 2024 **Paper Accepted : 15th Oct. 2024**

मार्क्सवाद की विश्व दृष्टि का विकास और हिन्दी साहित्य

❑ रोहित कुमार*

शोध-सारांश

मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है जिसके प्रस्तोता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धान्तों में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद है। मानव इतिहास की व्याख्या के दौरान छः अवस्थाओं का जिक्र किया। मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर लूनाचस्की, गोर्की, काडवेल, राल्फ फाक्स के रूप में प्रभाव देखने को मिलता है।

इसके साथ ही मार्क्सवाद का हिन्दी साहित्य के प्रगतिवाद और आलोचना के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव के साथ–साथ अन्य लगभग सभी विधाओं पर व्यापक या सूक्ष्म प्रभाव देखने को मिलता है।

***मुख्य शब्द**–मार्क्सवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, वर्ग–संघर्ष, वाद, प्रतिवाद, संवाद, पूँजीवाद, सामन्तवाद।*

मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक पद्धति है जिसके प्रस्तोता कार्ल मार्क्स (1818–1883) और फ्रेडरिक एंगेल्स (1820–1895) हैं और जिसे नयी परिस्थितियों में सोवियत संघ के क्रांतिकारी नेता ब्लादीमीर इलिच लेनिन (1870–1924) और चीन के जननेता माओत्से तुंग (1893–1976) ने व्यावहारिक रूप से विकसित और समृद्ध किया।

मार्क्सवाद में हम दर्शन के बुनियादी तत्त्वों, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त, वर्ग–संघर्ष, क्रांति, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और साम्यवाद के माध्यम से मार्क्सवाद का विश्व दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ा, के माध्यम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स का लेखन एक संपूर्ण दर्शन पद्धति है। जिसके तीन अनिवार्य घटक हैं– द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा वैज्ञानिक समाजवाद।

मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विषमता रहित और शोषण रहित समाज व्यवस्था के लिए मार्क्सवादी–सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कम्युनिस्ट लीग क्रान्तिकारी सर्वहारा का पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन। 1847 ई. की गर्मियों में लन्दन में इसकी स्थापना हुई थी। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स इसके संगठक थे और उन्होंने इस संगठन के अनुदेश पर 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' लिखा।

लीग के लक्ष्य इस प्रकार थे–पूँजीपति वर्ग को अपदस्थ करना, वर्ग–विरोधों पर आधारित पुराने पूँजीवादी समाज की समाप्ति और ऐसे नये समाज की स्थापना जिसमें न कोई वर्ग होंगे और न निजी

* शोधार्थी–हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
चन्दौहाँ, उमरी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश–221507, ईमेल–rohitkumar7271639@gmail.com

स्वमित्व होगा। सर्वहारा क्रांतिकारियों के शिक्षालय, सर्वहारा पार्टी के बीज और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर–संघ (पहला इण्टरनेशनल) के पूर्वज के रूप में 'कम्युनिस्ट लीग' ने महान ऐतिहासिक भूमिका अदा की। लीग नवम्बर 1852 तक बनी रही।

कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम–मूलक दस्तावेज है जिसमें मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धान्त के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था और 1848 के प्रारम्भ में यह प्रकाशित हुआ था। लेनिन के शब्दों में, "यह छोटी–सी पुस्तिका अनेकानेक ग्रन्थों के बराबर है : उसकी आत्मा सभ्य संसार के समस्त संगठित और संघर्षशील सर्वहाराओं को प्रेरणा देती रही है और उनका मार्गदर्शन करती रही है।" घोषणापत्र की मूल अन्तर्वस्तु और ऐतिहासिकता की चर्चा करते हुए, अन्यत्र लेनिन ने लिखा है–"इस कृति में एक नयी विश्व दृष्टि, सुसंगत भौतिकवाद की रूपरेखा खींची गयी है।"

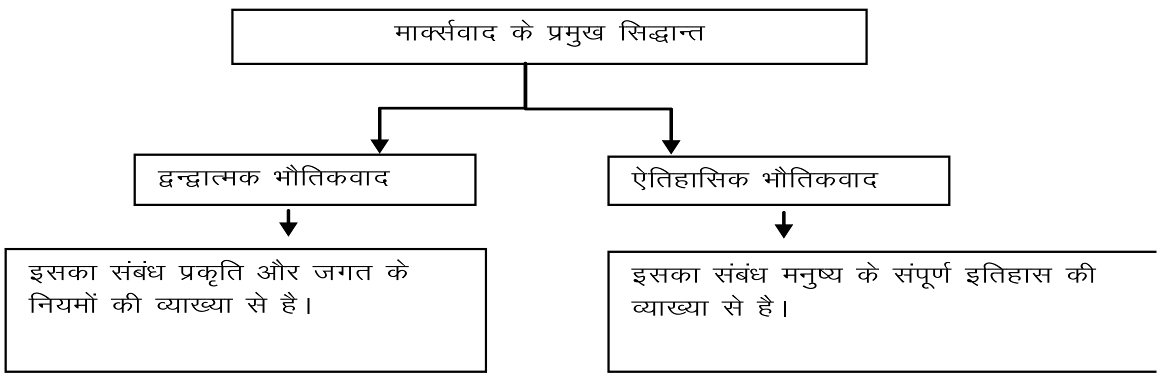

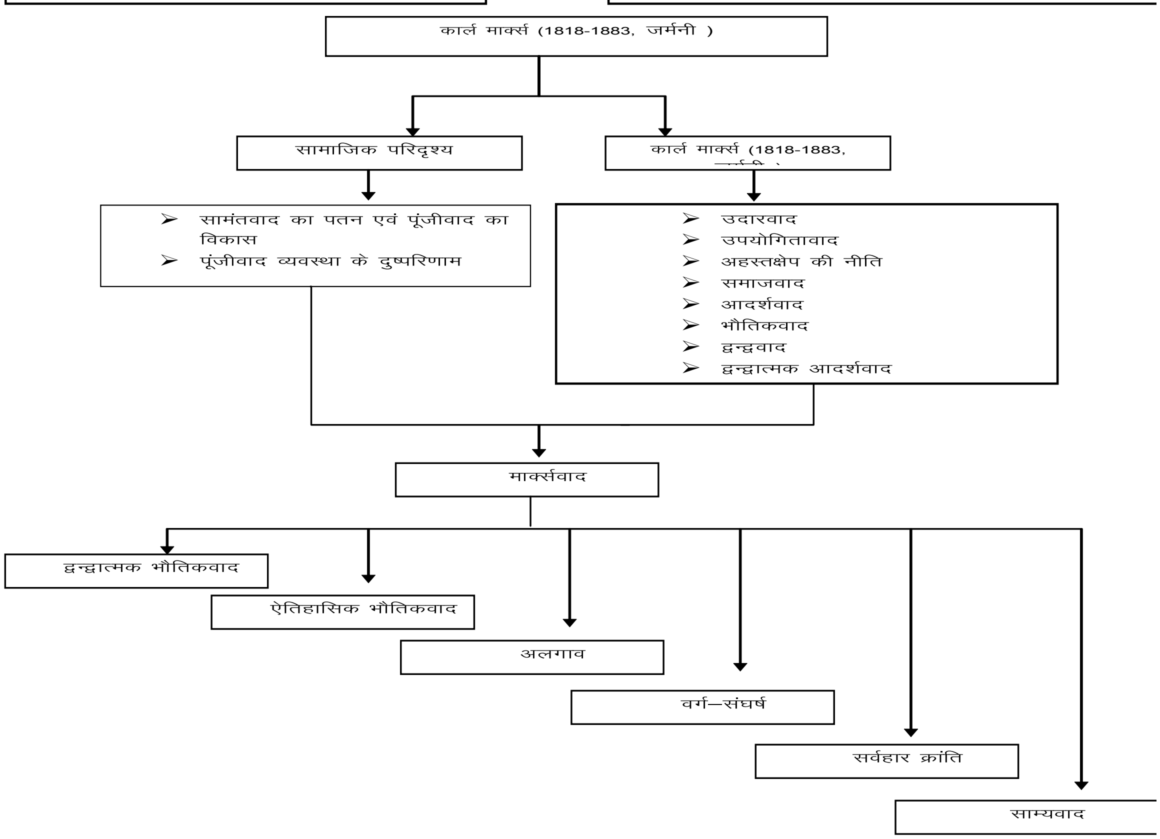

मार्क्सवाद द्वन्द्वात्मकता के नियम को मानता है और उसका दावा है कि प्रकृति और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यही नियम काम करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अन्तर्विरोध होते हैं जिनके कारण उनके भीतर 'वाद' (Thesis) और 'प्रतिवाद' (Anti-thesis) में द्वन्द्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से तीसरी अवस्था 'संवाद' (synthesis) का उद्‌भव होता है।

आगे चलकर, 'संवाद' खुद ही 'वाद' बन जाता है। 'वाद', 'प्रतिवाद' तथा 'संवाद' की इस विस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा विकास होता है।

मार्क्स का दावा है कि हर समाज दो वर्गों अमीर (haves) तथा (have nots) में विभाजित होता है। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रहने और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। मार्क्स के अनुसार, शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर 'हिंसक क्रांति' करें।

मार्क्सवाद का मानना है कि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ 'निजी संपत्ति' की धारणा में छिपी है। निजी संपत्ति ही समाज में विषमताएं पैदा करती हैं। जब तक निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण विनाश नहीं होगा, तब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकेगी। मार्क्स का दावा है कि क्रान्ति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा।

मार्क्सवाद में निजी संपत्ति की व्याख्या 'अधिशेष/अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त' द्वारा की जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार पूँजीपति की आय, जिसे वह लाभ कहता है, वस्तुतः 'अधिशेष मूल्य' या 'चोरी की आय' है।

मार्क्सवाद राज्य (state) विरोध करता है, अतः वह 'अराजकतावाद' का समर्थक है। मार्क्स ने 'धर्म' का विरोध किया है। उसकी राय में, 'धर्म अफीम (opium) के समान है।' क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग–शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक सुखों के लिए प्रेरणा देकर भटका देता है।

मार्क्सवाद 'राष्ट्रवाद' (Nationalism) का भी विरोध करता है क्योंकि मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद एक 'मिथ्या चेतना' है जो कृत्रिम भौगोलिक, धार्मिक, भाषायी या सांस्कृतिक भावनाओं को उभार कर वास्तविक आर्थिक शोषण से मजबूर वर्ग का ध्यान भटकाती है।

मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है। उसका दावा है कि दुनिया का हर समाज इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएँ इस प्रकार हैं–

(1) आदिम साम्यवाद
(2) दास व्यवस्था
(3) सामंतवाद
(4) पूँजीवाद
(5) समाजवाद
(6) साम्यवाद

साम्यवाद अंतिम व्यवस्था है जिसे मार्क्स का 'यूटोपिया' या 'स्वप्नलोक' भी कहते हैं। यह समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है। जहाँ राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न 'शोषण रहता है, न 'राष्ट्र', न 'विवाह' या 'परिवार' और न ही किसी प्रकार का 'अलगाव' या 'अजनबीपन'।

मार्क्सवाद का विश्व पटल पर प्रभाव

मार्क्स अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है क्योंकि दुनियाभर के मजदूरों की हालत प्रायः एक–सी है, राष्ट्र के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। उसने कहा है कि, 'मजदूरों का कोई देश नहीं होता।' उसने नारा भी यही दिया– 'दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ'। उसका दृढ़ विश्वास था

कि पूँजीवाद का चरम विकास होने पर वैश्विक क्रान्ति होगी जिससे समाजवाद का उद्‌भव होगा।

मार्क्सवाद के समर्थकों का एक वर्ग विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोध करता है क्योंकि ये संस्थाएँ निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई हैं, न कि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऐसे मार्क्सवादियों का स्पष्ट मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अन्तर्गत शोषित वर्ग है, जबकि पुरुष शोषक वर्ग है।

लेनिन ने अपने एक लेख में मार्क्स और डार्विन दोनों के महत्त्व को समान रूप से स्वीकारते हुए लिखा कि "जैसे डार्विन ने जैविकी की अंदरूनी प्रक्रियाओं की खोज करके उनमें एक अनुक्रम स्थापित किया था, उसी तरह मार्क्स ने हमें बताया था कि इतिहास मनुष्यों के जीवन का यांत्रिक संकलन भर नहीं है, उसमें एक अन्तःक्रिया है, और उसका आधार अनियमित, अराजक नहीं, बल्कि पूर्ण तथा वैज्ञानिक और द्वंद्वात्मक है!"

मार्क्सवाद को सोवियत संघ में अक्टूबर क्रांति के बाद 1917 में लेनिन ने पहली बार व्यावहारिक रूप दिया। बाद में माओ–त्से–तुंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रान्ति का सिद्धान्त देकर इसे और अधिक समृद्ध किया। इस तरह मार्क्सवाद से तात्पर्य कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की उस विचार–धारा से है जिसे लेनिन, स्टालिन और माओ–त्से–तुंग ने समृद्ध किया। इसीलिए आज मार्क्सवाद एक संपूर्ण दर्शन का नाम है।

मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर प्रभाव

मार्क्सवादी विचारधारा को साहित्य से जोड़नें और उसकी व्याख्या करने वालों में कई मार्क्सवादी विचारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन विचारकों में जी.वी. प्लेखानोव, लूनाचस्की, गोर्की, कॉडवेल, राल्फ फॉक्स, जार्ज लुकाच, रेमण्ड विलियम्स, बेंजामिन आदि का नाम लिया जा सकता है।

प्लेखानोव ने अपनी पुस्तक कला और सामाजिक जीवन में मार्क्सवादी विचारधारा के समाजशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र को समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह लूनाचस्की ने भी मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्क्सवादी समीक्षा की समस्याएँ उनका बहुचर्चित निबन्ध है।

लूनाचस्की के बाद गोर्की महत्त्वपूर्ण मार्क्सवादी रचनाकार और आलोचक हैं। उन्होंने सन् 1934 में सर्वप्रथम समाजवादी यथार्थवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

इसी तरह कॉडवेल ने कविता को आधार बनाकर अपनी बात रखने की कोशिश की। कॉडवेल का मानना है कि कविता का अध्ययन विशुद्ध रूप से सौंदर्यशास्त्र की सीमा में रहकर नहीं किया जा सकता। राल्फ फॉक्स ने मुख्यतयः उपन्यास के सन्दर्भ में अपनी मान्यताएँ प्रस्तुत की। उनकी पुस्तक, उपन्यास और लोकजीवन, विश्व प्रसिद्ध है। हिन्दी में भी इस पुस्तक का अनुवाद हो चुका है।

पश्चिमी देशों में मार्क्सवादी साहित्यिक दृष्टि का विकास करने में 'फ्रैंकफर्ट' स्कूल का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मार्क्सवादी आलोचना की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह आलोचना विश्वव्यापी है।

कार्ल मार्क्स किसी भी देश के आधुनिक औद्योगीकरण के विकास के संबंध में कहते हैं कि "जिस देश में कोयला एवं लोहा मौजूद हो और उस देश में परिवहन साधनों का मशीनीकरण हो जाय तो उस देश को आधुनिक औद्योगीकरण से कोई नहीं रोक सकता अर्थात् आधुनिक औद्योगीकरण रेलवे से होकर आएगा।"

इस प्रकार हम देखते हैं, मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जिससे शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बँट गई। मार्क्सवाद शोषित वर्ग का मूल कारण 'आर्थिक पिछड़ापन' मानती है। इसी के विरोध में फेमिनिज्म और भारत में कुछ हद तक अंबेडकरवाद आया। अंबेडकरवाद निम्न जाति की असली व्यवस्था पूँजीवाद नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणीय व्यवस्था है। इसी तरह फेमिनिज्म

आर्थिक पिछड़ेपन के बजाय, असली खतरा पुरुष से मानती है।

मार्क्सवाद : हिन्दी साहित्य

"श्रीमान् कवियों,
क्या तुम नहीं थके?
इन महलों, राजकुमारियों, प्रेम और नरगिस के गुच्छों से?
अगर जैसे तुम हो वैसे ही कलाकार होते हैं,
तो मैं इस कविता पर थूँकता हूँ
इसके बजाय मैं एक दूकान खोलना
या दलाली करना अधिक पसंद करता हूँ।

—मायकोवस्की

(1915 में लिखी 'कवि—बन्धु' कविता से)

1. हिन्दी काव्य में मार्क्सवाद

1936—1943 तक हिन्दी कविता के इतिहास में एक विशेष आन्दोलन चला जिसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1936 से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई थी और लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में उसका पहला सम्मेलन हुआ था। ई.एम. फोस्टर ने 1935 में पेरिस में 'प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन' की स्थापना की थी। 'प्रगतिशील साहित्य अंग्रेजी के प्रोग्रेसिव लिटरेचर' का हिन्दी अनुवाद है।

1936 में उसी की एक शाखा के रूप में भारत में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनन्द की विशेष भूमिका थी।

वर्तमान में प्रगतिवाद से आशय उन कवियों के आन्दोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय—वस्तु और रचना—प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। ऐसे कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा आदि प्रमुख हैं। दिनकर भी काफी हद प्रगतिवाद की धारा में शामिल होते हैं, हालाँकि वे सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध न होकर कई विचार धाराओं में संतुलन साधने की कोशिश करते हैं।

'प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है।' मार्क्सवाद के अनुसार, साहित्य 'स्वायत्त' या 'स्वतंत्र' संरचना नहीं है बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप—उत्पाद है। साहित्य में मुख्य महत्त्व वस्तु (content) का होता है, न कि रूप (form) का। जॉर्ज लुकाच ने इस नजरिये को थोड़ा—सा बदला और शिल्प को भी स्वायत्त महत्त्व देना आरंभ किया। हिन्दी के प्रगतिवादियों में यही विचार मुक्तिबोध का भी था।

"लाल क्रान्ति की लड़ने वाली, मजदूर सेना आम,
उनको, उनके स्त्री पुरुषों को, मेरा लाल सलाम।"

(मुक्तिबोध)

"लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की,
लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का।"

(नरेन्द्र शर्मा)

प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केन्द्र पूँजीवादी व्यवस्था व पूँजीपति वर्ग है। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूँजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं—

"तू है मरण, तू है रिक्त तू है व्यर्थ,
तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ।"

(मुक्तिबोध)

प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा, सहानुभूति व आस्था का भाव है—

"मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा,
लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा,
मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा।"

(केदारनाथ अग्रवाल)

प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहता है। यह वर्ग—संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा, 'व्यवस्था में' नहीं, 'व्यवस्था का' होगा—

"सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है
दो राह, समय के रथ का घर्घर नाद सुनो,

सिंघासन खाली करो कि जनता आती है।"
(दिनकर)

प्रगतिवाद के बाद 'नई कविता' में हम देखते हैं कि कवि भोगे हुए यथार्थ पर बल ही नहीं देते बल्कि विचारधाराओं पर भी व्यंग्य करते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि, विचारधारा पेट भरने के बाद पैदा होती है। सर्वेश्वर कहते हैं कि मार्क्सवाद भी एक विचारधारा है जो पेट भरने के बाद पैदा हुई है।

"गोली खाकर
पहले के मुँह से निकला—माओ,
दूसरे के मुँह से निकला—गांधी,
पर तीसरे के मुँह से निकला— आलू
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है
पहले दो के पेट भरे थे।"
(सर्वेश्वर)

जनवादी कविता आन्दोलन के पहले चरण (1967—1975) में हमें संसदीय लोकतंत्र तथा देश की राजनीतिक स्थितियों के प्रति तीव्र आक्रोश दिखाई पड़ता है।

"अपने यहाँ संसद, तेली की वह घानी है,
जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है।"
(धूमिल)

वंचित वर्ग के प्रति करुणा का भाव जिस प्रकार प्रगतिवाद व जनवाद में दिखता है, वैसे ही नवगीत आंदोलन में भी। अंतर सिर्फ यह है कि ये कवि समकालीन कविता के पूँजीवाद को आर्थिक स्तर पर गुलाम बनते देख रहे हैं।

"युद्ध भूमि में
कोई तोप नहीं है
कोई हथियार नहीं है
सामने
सिर्फ एक बाजार है
कोई भी बता सकता है
युद्ध में किसकी जीत होगी।"
(विमल कुमार)

(2) हिन्दी आलोचना में मार्क्सवाद

हिन्दी की प्रगतिवादी समीक्षा 1936 ई. में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना के बाद अस्तित्व में आई। इसका सैद्धान्तिक पक्ष मार्क्सवाद पर आधारित है हालाँकि व्यवहारतः इसके प्रयोक्ताओं ने कहीं—कहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अतिक्रमण भी किया है।

(अ) सैद्धान्तिक समीक्षा— प्रगतिवादी समीक्षा की सैद्धान्तिक मान्यताएँ निम्न हैं—

- लेनिन का कथन है, "साहित्य जनक्रांति के लिए एक हथियार मात्र है।"
- साहित्यकार मूलतः एक नागरिक है। उसकी साहित्यिक महत्त्व की पहचान उसके सामाजिक योगदान से होती है।
- साहित्य में महत्त्व वस्तु का है, रूप का नहीं। प्रगतिवादी समीक्षा में भी मुक्ति—बोध और नामवर सिंह का दृष्टिकोण ऐसा ही है।

(ब) व्यावहारिक समीक्षा—प्रगतिवादी व्यावहारिक समीक्षा कई समीक्षकों के माध्यम से विकसित हुई जिनमें प्रमुख हैं—

शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चन्द्र गुप्त, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। इसके अतिरिक्त, समकालीन समीक्षकों में मलयज, नंदकिशोर नवल, निर्मला जैन, नित्यानंद तिवारी, मैनेजर पाण्डेय और विश्वनाथ त्रिपाठी भी इस धारा में शामिल हैं।

शिवदान सिंह चौहान पहले प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं— 'हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष' तथा 'आलोचना के सिद्धान्त'। चौहान जी के अनुसार प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी ही हो, यह अनिवार्य नहीं है।

डॉ. रामविलास शर्मा प्रगतिवादी समीक्षा में 'भीष्म पितामह' कहलाते हैं। इन्होंने न केवल मार्क्स को स्वीकार किया बल्कि कई बिन्दुओं पर मार्क्सवाद में संशोधन भी किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं— 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना', 'प्रेमचन्द्र', 'निराला की साहित्य साधना'। इनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन्होंने मार्क्सवादी

साहित्यिक सिद्धान्तों में कई क्रान्तिकारी संशोधन किए।

नामवर सिंह समकालीन प्रगतिवादी समीक्षक हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण में कई अन्य समकालीन विचारधाराओं का संश्लेषण किया है। इनकी कई समीक्षात्मक पुस्तकें हैं– 'कविता के नये प्रतिमान', 'इतिहास और आलोचना', 'छायावाद', 'दूसरी परम्परा की खोज' आदि।

समकालीन आलोचना में मैनेजर पाण्डेय का सूर संबंधी विश्लेषण, मलयज का सरोज–स्मृति का विवेचन, नंद किशोर नवल और निर्मला जैन द्वारा निराला और मुक्तिबोध की समीक्षा, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा तुलसी और नागार्जुन की समीक्षाएँ और डॉ. नित्यानन्द तिवारी द्वारा सूफी काव्य धारा तथा फणीश्वरनाथ रेणु की समीक्षाएँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

शुक्लोत्तर युगीन समकालीन महत्त्वपूर्ण आलोचकों में डॉ. धर्मवीर आते हैं। इन्हें दलित विमर्श का प्रमुख आलोचक भी माना जाता है। इनकी प्रमुख आलोचना ग्रन्थ हैं– कबीर के आलोचक (1997), कबीर और रामानन्द : किंवदंतियाँ (2000), कबीर : डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन (2000), प्रेमचन्द : सामन्त का मुंशी (2005), खसम खुशी क्यों होय (2013) इत्यादि हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवादी समीक्षा के अनुसार कविता या साहित्य का लक्ष्य 'आनंद' नहीं, 'तनाव' की उत्पत्ति करना है ताकि यह तनाव सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रान्ति चेतना का रूप धारण करे। इन आलोचकों का दावा है कि चूँकि समाज की संरचना शोषणपरक है, इसलिए अच्छे साहित्य का उद्‌देश्य इस शोषण का विरोध करते हुए समतामूलक समाज का निर्माण है।

मार्क्सवादी समीक्षक रचना में आध्यात्मिकता का प्रचंड विरोध करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 'कामायनी' है जिसके अंत में दिखने वाले अध्यात्मवाद की मुक्तिबोध, दिनकर जैसे मार्क्सवादी समीक्षकों ने कठोर आलोचना की है। प्रगतिवादी आलोचक सामान्यतः कबीर को ज्यादा महत्त्व देते हैं क्योंकि उनकी रुचि शोषण–विरोधी चेतना में है, न कि शिल्प की गहराई में।

(3) हिन्दी कहानी में मार्क्सवाद–हिन्दी कहानी के विकास में 1935–55 ई. का समय उत्तर प्रेमचंद युग कहलाता है। यह युग दो विचार–धाराओं के के प्रभाव का युग है– मार्क्सवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवाद या समाजवादी कहानी कहते हैं।

'प्रगतिवाद, समाजवाद/मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है।' इस धारा के रचनाकार 'समाजवादी यथार्थवाद' के समर्थक हैं। जिसके अनुसार जीवन–यथार्थ की खोज आर्थिक परिस्थितियों में की जानी चाहिए। प्रगतिवादी लेखक शिल्प को गौण मानते हैं।

इस धारा के सबसे समर्थ लेखक यशपाल हैं। यशपाल की कहानी 'भूख के तीन दिन' में बेरोजगारी तथा वर्ग भेद की समस्याएँ, 'वो दुनिया', 'पराया सुख', 'फूलों का कुर्ता' आदि में भी इन्होंने आर्थिक शोषण, नारी शोषण तथा धार्मिक आडम्बर जैसी समस्याओं पर चोट की है।

नयी कहानी के बाद की हिन्दी कहानी को सामान्यतः समकालीन कहानी या साठोत्तरी कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत समानांतर कहानी, जनवादी कहानियों में मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 'समानांतर कहानी–आन्दोलन' आठवें दशक में कथाकार कमलेश्वर द्वारा चलाया गया महत्त्वपूर्ण कहानी–आन्दोलन है।

सन् 1972 में एक ओर 'सारिका' पत्रिका तथा दूसरी ओर 'समानान्तर–प्रथम' कहानी–संग्रह के माध्यम से कमलेश्वर ने इस आन्दोलन को रचना के धरातल पर प्रतिफलित किया। इस आन्दोलन से कमलेश्वर, कामतानाथ, इब्राहिम शरीफ, सतीश जमाली आदि प्रमुख कहानीकार जुड़े रहे।

इस आन्दोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केन्द्र में

आम आदमी होना चाहिए। इन्होंने आम आदमी के संघर्ष को बखूबी चित्रित किया है। जो सामंतवादी, पूँजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों के शोषण से परेशान था।

जवाहर सिंह की 'गुस्से में आदमी', हिमांशु जोशी की 'जलते हुए डैने', स्वदेश दीपक की 'तमाशा', आलम शाह खाँ की 'परायी प्यास का सफर', गंगा प्रसाद विमल की 'उसकी पहचान' आदि प्रमुख मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित समानांतर कहानियाँ हैं।

1982 ई. में दिल्ली में 'जनवादी लेखक संघ' की स्थापना के साथ 'जनवादी कहानी आंदोलन' का आरम्भ माना जाता है। जिनमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, शिवमूर्ति, संजीव, सूरज पालींवाल आदि प्रमुख हैं। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर बल देती है।

यह मार्क्सवादी विचारधारा को अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत करती है। काशीनाथ सिंह की 'सुध ीर घोषाल', स्वयं प्रकाश की 'सूरज कब निकलेगा', शिवमूर्ति की 'कसाईबाड़ा', संजीव की 'अपराध' आदि इस धारा की प्रमुख कहानियाँ हैं।

(4) हिन्दी में मार्क्सवादी, समाजवादी या प्रगतिशील उपन्यास—मार्क्सवादी दृष्टिकोण को 'समाजवादी यथार्थवाद' कहा जाता है। संपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रेमचन्द पर अंतिम समय में मार्क्सवाद का थोड़ा—बहुत प्रभाव दिखता है, पर वास्तविक अर्थों में समाजवादी उपन्यास प्रेमचन्दोत्तर युग में लिखे गए।

'यशपाल' इस धारा के केन्द्रीय लेखक हैं व नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त तथा रांगेय राघव एवं अन्य प्रमुख रचनाकार हैं। उनके उपन्यासों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ दिखती हैं—

- आर्थिक समस्या, गरीबी व शोषण
- नायक मजदूर वर्ग या किसान वर्ग
- शोषण तंत्र के विरुद्ध वर्ग—संघर्ष
- भाषा—शैली सामान्यतः सरल।

'उपन्यासकार'	**'उपन्यास'**
यशपाल	— पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, दिव्या
नागार्जुन	— बाबा बटेसरनाथ, वरूण के बेटे
भैरवप्रसाद गुप्त	— मशाल, गंगा मैया
रांगेय राघव	— घरौंदा, विषाद—मठ

हिन्दी नाटक में मार्क्सवाद का प्रभाव

नाटक साहित्य की प्राचीनतम विधा है। रंगमंचीयता, गत्यात्मकता ही नाटक का मूल मर्म है। नाटक के क्षेत्र में 'इप्टा' अर्थात् 'इंडियन पीपुल्स थियेटर ऐसोसिएशन' का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। इप्टा का जन्म देश की आजादी की लड़ाई और विश्वव्यापी फासीवादी विरोधी आन्दोलन के गर्भ से हुआ था। इसकी स्थापना 25 मई, 1943 को बंबई (अब मुंबई) में हुई थी। इसका नामकरण रोमारोलां की पुस्तक 'पीपुल्स थियेटर' के आधार पर किया गया था।

इस समूह ने प्रगतिशील नाटकों के मंचन पर बल दिया। इसने लोक—मंचों के तत्त्वों को आत्मसात् करते हुए नुक्कड़ नाटक के मंचन को भी लोकप्रिय बनाया। इससे भारतीय भाषाओं के सभी प्रगतिशील एवं वामपंथी लेखक या तो प्रत्यक्षतः इससे जुड़े थे या अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रशंसक थे। आजादी के बाद भी 1960 तक सैकड़ों प्रगतिशील नाटकों का मंचन इप्टा द्वारा किया गया।

अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, राजेन्द्र रघुवंशी, रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसी महान हस्तियाँ इप्टा से जुड़ी थीं। बलराज साहनी इप्टा के एक महत्त्वपूर्ण अभिनेता थे। हिन्दी रंगमंच को आम जनता के साथ जोड़े रखने में इप्टा की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका मानी जाती है। एक ठहराव के बाद आज भी इप्टा समकालीन रंगमंच पर अपनी सक्रियता बनाए हुए है।

निष्कर्ष

इस तरह हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स और

फ्रेडरिक एंगेल्स की मार्क्सवादी विचारधारा का यूरोप/पश्चिम से होते हुए संपूर्ण विश्व के राजनीति व साहित्य में इसका प्रभाव फैला गया। राजनीति में जहाँ लेनिन, तुंग जैसे क्रांतिकारी हुए उसी तरह दूसरी तरफ विश्व साहित्य में प्लेखानोव, कॉडवेल, गोर्की, राल्फ फॉक्स, जार्ज लुकाच इत्यादि लेखकों ने अपनी मार्क्सवादी विचारधारा लेखनी से साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया।

हिन्दी साहित्य में प्रगतिशील लेखकों ने बंगाल अकाल, विश्व युद्ध, भारत–पाक बँटवारा आदि को महसूस करते हुए साहस पूर्वक आगे बढ़कर जनता को ढाँढस बँधाया और उसकी रहनुमाई की। प्रेमचंद द्वारा संस्थापित 'हंस' तथा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित 'नया–साहित्य' जैसे मार्मिक पत्रों ने इस युग में प्रगतिशील साहित्य की रचना और प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

जिस तरह 19वीं सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा 20वीं सदी के राष्ट्रीय जागरण ने मध्यवर्ग के नव–शिक्षित युवक समुदाय में से अनेक कवि और साहित्यकार पैदा किये, उसी तरह पैंतीस के प्रगतिशील आन्दोलन की उपलब्धि यह है कि उससे मुख्यतः किसानों, मजदूरों और निम्न–मध्यवर्ग में से कवि तथा लेखक निकले। मध्यवर्ग से उगने वाली इस पौध के विशेष कवि और लेखक सांकृत्यायन, यशपाल, अश्क, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, राजेन्द्र यादव उल्लेखनीय हैं तो वहीं दूसरी ओर इनसे प्रभावित लोक कवि बलभद्र दीक्षित, रमई काका, वंशीधर शुक्ल, मुकुल अशान्त, नन्दन आदि हैं।

संदर्भ स्रोत

- मार्क्स एंगेल्स, कम्युनिष्ट पार्टी का घोषणापत्र, राहुल फाउन्डेशन, लखनऊ, चौथा संस्करण : मई 2018 (पेज नं. 21, 22, 30, 42, 44, 77, 109)
- एंगेल्स, लुडविग फायरबाख और क्लासिकीय जर्मन दर्शन का अन्त, राहुल फाउन्डेशन, लखनऊ, संस्करण : जनवरी 2006 (पेज नं. 55, 56, 57, 65)
- 'फ्रेडरिक एंगेल्स, जीवन और शिक्षाएँ', कोट्स, जेल्डम, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ, संस्करण : मई 2018 (पेज नं. 79, 83, 87, 90,)
- लेनिन, 'जनवादी क्रान्ति में सामाजिक–जनवाद के दो रणकौशल', राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ, संस्करण : जनवरी 2006 (पेज नं. 32, 45)
- मिश्र, शिवकुमार, 'मार्क्सवादी साहित्य चिंतन : इतिहास तथा सिद्धान्त', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, मध्य प्रदेश
- डॉ. अमरनाथ, हिन्दी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, छठाँ संस्करण : 2020, नई दिल्ली (पेज नं. 279, 280, 374, 375, 377, 68)
- त्रिपाठी, विश्वनाथ, हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद, संस्करण : 2021 (पेज नं. 136)
- चतुर्वेदी, रामस्वरूप, हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, लोक भारती प्रकाशन, छब्बीसवां संस्करण : 2019, प्रयागराज (पेज नं. 225)
- सिंह, बच्चन, आधुनिक साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, संस्करण : 2021, प्रयागराज (पेज नं. 329–336)
- राय, गोपाल, हिन्दी उपन्यास का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण : आठवाँ 2022 (पेज नं. 182–83)
- जैन, निर्मला, पाश्चात्य साहित्य–चिंतन, राधाकृष्ण प्रकाशन, ग्यारहवाँ संस्करण : 2020, दिल्ली (पेज नं. 170–175)
- मधुरेश, हिन्दी कहानी का विकाश, लोकभारती प्रकाशन, दसवाँ संस्करण : 2020, प्रयागराज (पेज नं. 135–137, 150–152)
- सिंह, नामवर, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2016, प्रयागराज (पेज नं. 60, 70, 71, 79)
- मिश्र प्रो. सत्यप्रकाश, साहित्य का उद्देश्य : प्रेमचन्द के श्रेष्ठ निबंध, लोकभारती प्रकाशन , चतुर्थ संस्करण : 2015, नई दिल्ली (पेज नं. 86–98)
- त्रिपाठी, विश्वनाथ, हिन्दी आलोचना, राजकमल

प्रकाशन, संस्करण : 2019, प्रयागराज (पेज नं. 171–205)

- शर्मा, डॉ. रामविलास, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन, संस्करण : 1954, आगरा।
- भारती, धर्मवीर, प्रगतिवाद : एक समीक्षा, साहित्य भवन प्रकाशन, प्रथम संस्करण : 1949, आगरा (पेज नं. 86, 87)
- दवे, डॉ. विकास, प्रगति से परंपरा की ओर रामविलास शर्मा, साहित्य अकादमी, प्रथम संस्करण : 2021, भोपाल (पेज नं. 9–19)
- 'इग्नू' बुक, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, इग्नू, सितम्बर 2020, नई दिल्ली (पेज नं. 11–40)
- पॉमदल, रजनी, 'इण्डिया टुडे' 1940 एण्ड टुमॉरो', lowerence and wishart LTD., London

पत्रिका

1. **हिन्दी अनुशीलन**–भारतीय हिन्दी परिषद् का त्रैमासिक मुख–पत्र (अक्टूबर–मार्च 2005–06, संयुक्तांक), भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग (लेख–प्रगतिवादी समीक्षा में डॉ. रामविलास शर्मा की उपलब्धियाँ एवं प्रदेय–डॉ. मोहसिन खान) (पेज नं.– 78–88)

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Oct. 2024 **Paper Accepted : 15th Oct. 2024**

स्वतन्त्रता के पश्चात् खेल की स्थिति

□ **मनोज कुमार वाजपेयी***
□ **डॉ. सुरेश चन्द्र राय****

शोध-सारांश

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कई विदेशी शासकों (मुस्लिम, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश) का राज रहा, जिस कारण खेल के विकास में काफी बाधा रही। स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न विवेचन हैं–1948 ताराचंद्र समिति/खेल शिक्षा समिति–स्वतंत्रता के बाद भारत में खेल के क्षेत्र में देश को ऊँचा उठाने का विशेष प्रयास किया जा रहा था। इस अनुक्रम में यह शोध पत्र लिखने का एक प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द–*स्वतंत्रता, पश्चात्, खेल, स्थिति लिंगायाड, भारतीय, संस्कृति, विद्यालय, महाविद्यालय, अनुशंसा आदि।*

प्रस्तावना

खेल के विकास हेतु सन् 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कार्प्स एवं ऑक्जीलरी कैडेट कार्प्स की कमेटी को विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थापित किया गया। सन् 1949 में खेल के विकास हेतु हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल, अमरावती, महाराष्ट्र में चयनित टीम, स्टॉक होम, स्वीडन में आयोजित दूसरे लिंगायाड में भारतीय संस्कृति के माध्यम से प्रसारित किया जिस कारण खेल के विकास में काफी लाभप्रद रहा। सन् 1950 में ताराचंद्र समिति की अनुशंसा पर खेल के विकास हेतु 10 सदस्यीय केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया जिसकी प्रथम बैठक ताराचंद्र की अध्यक्षता में 19 मार्च, 1950 को हुई। इस परिषद् के विभिन्न उद्देश्य थे।

1. देश के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से खेल संबंधी नीति बनाना।
2. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल शिक्षा को पढ़ाया जाना।
3. लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना।

सन् 1951 में एशियन खेल के पथ प्रदर्शकों द्वारा विभिन्न एशियायी खेल स्थापित किये गये और प्रत्येक 4 वर्ष में खेल आयोजन करने हेतु सुनिश्चित किया गया जिसे सफल बनाने में प्रो. जी.डी. सांधी, एंथनी एस. डिमेलो, पटियाला के महाराजा यादवेन्द्र सिंह, एम.सी. धवन, जनरल के. एम. करिअप्पा एवं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अथक प्रयास किया। एशियाई खेल का 4 वर्ष में आयोजित होने वाले का प्रथम आयोजन 1950 को

* शोध अध्ययन केन्द्र प्राचीन लाइफ लांग लर्निंग विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)

होना था किन्तु कुछ कारणों से नहीं हो पाया जो 4 से 11 मार्च को नई दिल्ली में किया गया।

खेल का अर्थ—खेल से आशय शारीरिक संबंधी संपूर्ण क्रियाओं से है, इसका किसी एक या सभी शारीरिक विशिष्टताओं से मेल हो ही नहीं सकता है। यह शारीरिक क्षमता, शारीरिक फिटनेश, शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर होता है। खेल एक कार्यकलाप है। कोई भी व्यक्ति जब तक किसी कार्य को करेगा नहीं तब तक वह कुछ भी सीख नहीं सकता, जो कभी भी सीखा जा सकता है। खेल व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाने में प्रेरक सिद्ध होता है। खेल—शिक्षा सुनिर्देशित कार्यक्रम है। यह जीवन की सामाजिक दक्षता, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और समय का सदुपयोग करना सिखाता है। खेल दैनिक जीवन को और अधिक सार्थक रखता है। खेल मनुष्य के शारीरिक क्रिया—कलापों से मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक परिवर्तन जैसे—हृष्ट—पुष्ट और मजबूत शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक स्फूर्ति और सामाजिक एवं भावनात्मक संतुलन रखने वाला व्यक्ति भी बन जाता है।

खेल की परिभाषाएँ—खेल का आकार विस्तृत होने के कारण इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है परन्तु नामुमकिन नहीं है। कुछ विचारकों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है—**रोजालिंड कैसिड़ी**—खेल व्यक्ति के उन परिवर्तनों का संकलन है जो अपकेन्द्रिप्रेरक क्रियाशीलता के अनुभव से आते हैं। **चावेर सी. कौवेल**—खेल मानव व्यवहार के परिवर्तन की सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रोत्साहन हेतु खेल और अन्य संबंधित क्रिया—कलापों से उद्भूत होती है। **डेल्बर्ट ओबर्ट यूकट**—खेल उन अनुभवों का संकलन है जो वैयक्तिक क्रियाओं के द्वारा आते हैं। **द सोसायटी ऑफ स्टेट डायरेक्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड हैल्थ**—खेल कार्यक्रम का वह पड़ाव है जो बच्चों की वृद्धि एवं विकास के बाहुबल वाले क्रिया—कलापों के जरिए अपना नाता बनाए रखती है। **ब्राउन वेल**—खेल बाहुबल वाले क्रिया—कलापों में भागेदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है, जो अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहित करता है। **एफ. विलियम्स**—खेल मानव की उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका प्रयत्न उनके प्रभाव की दृष्टि के अनुसार किया जाता है।

स्काउट एवं गाईड—स्वतंत्रता पश्चात् देश के समस्त स्काउट एीं गाईड संघों को एकत्र कराने का प्रयास किया गया, जिसके दिशा निर्देशन में तात्कालीन एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू, प्रथम एवं तात्कालिक शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, मध्य प्रांत के राज्यपाल श्री मंगल दास पकवासा, स्काउट लीडर पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्रीराम वाजपेयी, न्यायमूर्ति विवयन बोस का अथक प्रयास रहा, जिस कारण स्काउट एवं गाईड प्रचलन में आया।

राजकुमारी अमृत कौर खेल प्रशिक्षण योजना—अमृत कौर कपूर थाला के राजा हरमान सिंह की पुत्री है जो देश (स्वतंत्र भारत) की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री, पहली स्वास्थ्य मंत्री, साथ ही शहरी विकास मंत्री और खेल मंत्री थीं, जिनके सुझाव पर इस योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था।

संदर्भ—नेट एवं शारीरिक शिक्षा बी.ए./बी. एस.सी. प्रथम वर्ष, डॉ. श्रीकृष्ण पटेल एवं डॉ. उपेन्द्र पाण्डेय।

अखिल भारतीय खेल परिषद्—वर्ष 1954 में सभी खेल संघों के प्रमुख मौलाना आजाद की अध्यक्षता में सम्मिलित अखिल भारतीय खेल परिषद् भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 01/09/1984 को राष्ट्रीय खेल निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना था। खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन करना सम्मिलित हुए और

भारत सरकार के अध्यादेश के माध्यम से अखिल भारतीय खेल परिषद् को गठित करने का अनुरोध किया, तत्पश्चात सन् 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद् का गठन किया गया जिसके विभिन्न उद्देश्य थे–

1. खेलों के तकनीकी पक्ष पर वैज्ञानिक विधि का प्रयोग।

2. खेल के स्तर को सुधारने हेतु प्रशिक्षण की स्थापना।

3. भारत सरकार एवं विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय संघों के बीच संपर्क साझा करना।

4. भारत सरकार को विभिन्न खेलों महासंघों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करना।

5. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने के लिए आवश्यक शर्तों के तहत राष्ट्रीय खेल महासंघों को भारत सरकार से अनुमति प्रदान करवाना।

6. देश के विभिन्न खेल महासंघों से संबंधित खिलाड़ियों के स्तर को सुधारने का प्रयास करना।

7. देश के विभिन्न खेल महासंघों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

8. देश में विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करना।

9. देश के विभिन्न खेलों के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना।

उपरोक्त बिन्दुओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय खेल परिषद् सभी खेलों के विकास हेतु एक केन्द्रीय संस्था है, जिसके द्वारा खेल संबंधी विभिन्न उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयास करती है, जिसके द्वारा आवश्यकता की पूर्ति कर खेल सुनियोजित किया जाता है।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया–खेल को विकसित करने हेतु यह एक महासंघ है जिसकी स्थापना 1954 में स्कूल स्तर पर हुई, जो स्वास्थ्य, जोशपूर्ण एवं पूर्णतावादी शारीरिक शिक्षा एवं स्कूल गतिविधियों को प्रदान करने हेतु अस्तित्व में आया।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना–इस योजना की शुरुआत जरनल जे.के. भोंसले के मार्गदर्शन में जुलाई 1954 में की गई। इस योजना को विस्थापित परिवार के बच्चों हेतु दिल्ली, मुंबई, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल से प्रारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, मार्चिंग, ड्रिल में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसके साथ कक्षाओं में भाषण के माध्यम से बच्चों को देश का गौरवशाली अतीत, सांस्कृतिक विरासत एवं पूर्वजों के शौर्य एवं पराक्रम को बताया जाता था ताकि उनमें नागरिकता के आदर्शों, समूह भावन, आत्म विश्वास आदि गुणों का विकास हो सके सन् 1956 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को सौंप दिया गया जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुशासन योजना निदेशालय की स्थापना की गई। जिसके महानिदेशक जे.के. भोंसले को नियुक्ति किया गया लेकिन सन् 1963 में इस योजना का खेल शिक्षा में विलय किया गया जिसके कारण खेल का काफी विकास हुआ।

खेल शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति–स्वतंत्रता पश्चात् सन् 1956 में खेलों के विकास हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1950 में शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खेल शिक्षा संबंधी विषयों पर एवं सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना था। सन् 1956 में खेल शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई जिसके विभिन्न उद्देश्य थे–देश के सम्पूर्ण विद्यालय/महाविद्यालय संस्थानों में खेल शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू करना। खेल संबंधी विषयवस्तु का निर्धारण करना। खेल के प्रति उपलब्धता का आकलन करना और दिशा सुनिश्चित करना। स्कूल महाविद्यालयों में खेल संबंधी पाठ्यक्रम का संचालन करना।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय–खेल के विकास हेतु सन् 1957 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई, जहाँ चार

वर्षीय बैचलर और फिजिकल एज्यूकेशन (बीपीई) और दो वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन (एमपीई) संचालित है साथ ही रिसर्च डेवलपमेंट एवं एडवान्स स्टडीज डिपार्टमेंट में एम.फिल व पी. एच.डी. की उपाधि भी प्रदान की जाती है। शारीरिक शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी–एच.डी. की उपाधि प्राप्त होने से लोगों के मन में खेल के प्रति रुचि बढ़ी और भविष्य में स्वस्थ रहने की चेष्टा रखते हुए उपरोक्त डिगरियाँ प्राप्त करते हैं और प्रोफेशनल हो जाने पर स्वस्थ सुरक्षित जीवन–यापन करने का एक साधन प्राप्त हुआ साथ में खेल के प्रति लोगों की अभिरुचि जागृति होती है।

सन् 1958 में ही शारीरिक शिक्षा (खेल) के राज्य इंस्पेक्टरों की युनिवर्सिटी डायरेक्टरों के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन 16 से 30 मई, 1958 में वर्तमान शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी के निम्न उद्देश्य हैं–खेल संबंधी वर्तमान निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली पर चर्चा करना और केन्द्रीय सलाहकार संस्था द्वारा तैयार खेल एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति के संबंध में विकास पर चर्चा करना। खेल संबंधी गतिविधियों के संबंध में विचार–विमर्श करना। उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए विभिन्न अनुशंसाएँ थीं। पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। खेल शिक्षकों की सहायता हेतु प्रतिभावान शिक्षकों और छात्र नेताओं को प्रोत्साहित करना। खेल शिक्षा का अनिवार्य कार्यक्रम लागू करना। छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में भौतिक वस्तुओं के साथ–साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाना। खेल संबंधी संस्थानों विश्वविद्यालयों में कोर्सों के पाठ्यक्रमों में अन्य विषय की तरह खेल को भी सभी छात्रों को अनिवार्य किया जाना। विश्वविद्यालय में खेल शिक्षा स्थापना को अनिवार्य किया जाना। विश्वविद्यालयों में खेल विभाग को विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व दिया जाना।

खेल संबंधी जाँच समिति–सन् 1951 में नई दिल्ली में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भारत का दूसरा स्थान था, 1954 में मनीला, फिलीपीन्स में सम्पन्न एशियाई खेलों में भारत का चौथा स्थान और सन् 1958 में टोकियो, जापान, एशियाई खेलों में भी भारत का खेल प्रदर्शन जारी रहा जिसमें सातवाँ स्थान अर्जित किया। जिस कारण ऐसा महसूस हुआ कि खेल के विकास में अवरोध है। इस अवरोध को हटाने की अनुशंसा हेतु पटियाला के महाराजा सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में खेल संबंधी जाँच समिति का गठन किया गया, जिसके विभिन्न उद्देश्य थे–अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय एथलीटो के खराब प्रदर्शन के कारणों की खोज करना। भारतीय खिलाड़ियों में घटते खेल प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक उपायों हेतु सुझाव देना। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विचाराधीन आवश्यक चरणों की अनुशंसा।

उपरोक्त समिति द्वारा खेल सुधार हेतु विभिन्न अनुशंसा की गई–राष्ट्रीय महासंघ (National Sports federation / Associations), अखिल भारतीय खेल परिषद् एवं राज्य खेल परिषदें (All India Council of Sports and state sports council), खेल में प्रशिक्षण की व्यवस्था Coaching in Suport and Game) Vheksa dk p;u (Selection of Teams) टीमों का प्रबंधक (Management of Team) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन (Promotion of sports in Rural Areas) खेल मैंदान एवं खेल सामग्री (Playground and equipment) भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहायता अनुदान की प्रक्रिया (Procedure for Grant of Assistance by the government of India) अम्पायरिंग एवं रैफरिंग (Judging, Refereeing and Umpiring) एमेच्योरिज्म (Amateurism)

उपरोक्त सन् 1951, 1954 एवं 1958 में खेलों के गिरते स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक एवं एशियन खेलों में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन को सुधारने हेतु अनुशंसा की गई।

कार्य समिति–सन् 1959 में खेल मनोरंजन

एवं युवा कल्याण हेतु समिति डॉ. हृदयनाथ कंजरू द्वारा की गई जिसके विभिन्न कार्य हैं–खेल युवा कल्याण संबंधी संचालित योजनाओं के गुण एवं भूमिका का अवलोकन करना। स्वीकृत योजनाओं के उचित समन्वय के लिए अनिवार्य उपाय की अनुशंसा करना। विद्यार्थियों में खेल मनोरंजन, चरित्र निर्माण एवं अनुशंसा को प्रोत्साहन हेतु उपर्युक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के विकास के अनिवार्य साधनों एवं विधियों का परीक्षण करना था जिसके अनुशंसा के विभिन्न विषय हैं–संचालित योजनाओं का संगठन एवं संचालन। विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों का मूल्यांकन। भावी नीति संबंधी सुझाव। उपरोक्तानुसार खेलों की विकास संबंधी गठित समिति की योजनाओं की अनुशंसा की जाती है।

राष्ट्रीय खेल परियोजना और जाँच परियोजना का गठन–राष्ट्रीय खेल और जाँच परियोजना का गठन 1959–1960 के बीच किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य खेलने वाले खिलाड़ियों के शारीरिक फिटनेस हेतु लोगों को जागरूक व उत्साहित करना था, जिससे उन्हें स्वस्थ एवं उत्तम जीवन जीने में सहायता मिल सके। इस परियोजना में महिलाओं की शारीरिक क्षमता के अलग–अलग मूल्यांकन हेतु परीक्षण शामिल था जो इस प्रकार है–

पुरुष		महिला	
आयु	वर्ग	आयु	वर्ग
कनिष्ठ प्रथम वर्ग	19 से कम आयु	कनिष्ठ प्रथम वर्ग	16 वर्ष की आयु
वरिष्ठ द्वितीय वर्ग	19 से 34 वर्ष	वरिष्ठ द्वितीय वर्ग	16 से 30 वर्ष
वरिष्ठ तृतीय वर्ग	35 से 44 वर्ष	वरिष्ठ तृतीय वर्ग	31 वर्ष से अधिक
वरिष्ठ चतुर्थ वर्ग	35 वर्ष से अधिक	–	–

राष्ट्रीय खेल संस्थान (National Institute of sports)–इस संस्थान की स्थापना सन् 1961 में तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री माली द्वारा स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य देश में खेल प्रशिक्षण को वैज्ञानिक उन्मुखीकरण प्रदान करना एवं विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय टीमों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागेदारी हेतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना था। यह संस्था समिति की अनुशंसा पर अखिल भारतीय परिषद् द्वारा भारत सरकार को राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना को समाप्त करने के बाद उसका स्थान दिया गया।

सन् 1961 में ही कौल–कपूर समिति की भी स्थापना हुई जो तदर्थ जाँच समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने एक द्वि सदस्यीय समिति को नियुक्त किया जिसमें अखिल भारतीय खेल परिषद के दो सदस्य श्री एम.के. कौल एवं श्री एम.एन. कपूर थे। इस समिति द्वारा खेल संस्थानों का अध्ययन हेतु विभिन्न देशों का दौरा किया गया, जिसने 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जागरूकता के विकास हेतु खेल को भी आधार बनाया गया।

नेशनल फिटनेस कॉर्पस (National Fitness Corps)–यह योजना खेल के विकास हेतु सन् 1905 में प्रशिक्षित खेल शिक्षा कार्मिक एवं राष्ट्रीय अनुशासन योजना को मिलाकर बनाई गई। इसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए खेल गतिविधि संबंधी प्रोग्राम शीर्षक नाम से एक पुस्तिका तैयार करना था।

खेल शिक्षा समिति–इस समिति का गठन डॉ. सी.डी. देश मुख, कुलपति, दिल्ली विश्व विद्यालय की अध्यक्षता में सन् 1967 में खेलों के स्तर में सुधार और कमियों को दूर करने हेतु किया गया।

खेल समिति के कार्य क्षेत्र–भारतीय विश्व–विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेल शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं के स्तर और गुणवत्ता का परीक्षण करना। विश्वविद्यालयों एवं महा विद्यालयों में गुणवत्तापरक खेलों का स्तर बढ़ाने, आवश्यक

खेलों का विकास और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करना।

अनुशंसा की प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं—समस्त छात्रों की तत्परता से अपने साथ जोड़ने की क्षमता होना। इस प्रकार के कार्यक्रम को सामान्य शिक्षा अंगभूत भाग के रूप में स्थायी एवं नियमित रूप से आयोजित किया जाना आवश्यक है। खेल शिक्षा प्रभावशाली कार्यक्रम में अनिवार्यता होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रत्येक छात्र को अपनी स्वेच्छानुसार खेलों का चयन करना चाहिए। ऐसे कार्य का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय एजेन्सी की देख–रेख में होना आवश्यक होता है जिसमें खेल शिक्षा को राष्ट्रीयता समर्पण की जागृति होनी चाहिए।

ग्रामीण खेल प्रतियोगिता योजना (Rural sports Tournament Scheme)—इस योजना की शुरूआत के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतिभावान नवयुवकों को खोजकर उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध करने से किया गया। साथ ही इसी वर्ष खिलाड़ियों द्वारा इस योजना में भाग लेने पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—इस आयोग की स्थापना सन् 1973 में किया गया। इस योजना से इच्छुक विश्व विद्यालयों को स्नातक स्तर पर खेल को एक वैकल्पिक विषय के रूप में बढ़ावा देने हेतु कदम उठाया गया, जिसमें स्नातक स्तरीय कोर्सों के पाठ्यक्रम में शामिल कर अधिक से अधिक युवाओं को प्रोत्साहित करना था।

महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव—महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन सर्वप्रथम 1975 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर खेल के प्रति जागृति करना था। इस योजना से खेल में प्रतिभावान महिलाओं को कुछ वित्तीय सहायता से भी प्रोत्साहित किया जात था, जो 3 खण्ड में है—राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु 5000 रुपये से 10000 रुपये तक। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 3000 रुपये। प्रति विकासखण्ड प्रतियोगिता हेतु 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी।

उपरोक्त प्रोत्साहन राशि तो नाम मात्र की थी किन्तु प्रतियोगिता में शामिल होने पर नाम के साथ राशि भी महिलाओं को खेल के प्रति जागृति करने में सहायक होती थी, जिसके कारण आज सभी खेलों में राष्ट्रीय स्तर के खेलों में महिलाएँ प्रतिभाग करती हैं।

एशियन खेल—सर्वप्रथम 1951 में एशियन खेलों की मेजवानी का अवसर प्राप्त हुआ था। यह 1982 का दूसरा अवसर था। यह खेल एशियाई ओलंपिक परिषद् के तत्वाधान में आयोजित होने वाला खेल था। भारत में इन खेलों की मेजवानी हेतु वृहत पैमाने में अवसंरचनात्मक किया जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधा उपकरणों के विकास के लिए खेल को प्रोत्साहित किया जाता था। सन् 1982 में ही भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक सोसायटी के रूप में की गई। इसका उद्देश्य 1982 में एशियाड के दौरान दिल्ली में निर्मित खेल–कूद की बुनियादी सुविधाओं को सुरक्षित करना था, जो देश के खेलों के विस्तार एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की एक नोडल एजेंसी बन गई। यह खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय खेल प्रतिभा, आर्मी वॉइज, स्पोर्टस कंपनी, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र तथा विशेष खेल योजनाओं का संचालन करता था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों के लिए बैंग्लोर, गांधीनगर, कोलकता, चंडीगढ़ भोपाल, इंफाल, पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किये गए थे।

खेल संस्थान सोसायटी—इस सोसायटी की स्थापना लोगों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और खेल विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण

अपनाने के उद्देश्य से खेल संस्थान सोसायटी जिसके अंतर्गत नेता जी सुभाष संस्थान, पटियाला और तिरुवंतपुरम् सम्मिलित थे, जिसे 1 मई, 1987 में खेल प्राधिकरण में विलय कर दिया।

एफ्रो–एशियाई खेल (Afro- Asian Games)–यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन था जो हैदराबाद में 24 अक्टूबर, 2003 से 1 नबंवर 2003 के बीच सम्पन्न हुआ, जो एफ्रो–एशियाई खेलों के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

राष्ट्रमण्डल खेल–भारत में 3 से 14 अक्टूबर, 2010 के मध्य पहली बार इतनी तैयारी के साथ राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन किया गया जो सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

खेल पूर्व दर्शन–जैसा कि मालूम है कि मानव प्रकृति का सभी जीवों से ज्यादा क्रियाशील और सृजनात्मक प्राणी है। आदि मानव की योजना और आश्रय की तलाश थी जिसके लिए वे अनेक प्रकार के शारीरिक क्रिया–कलापों से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शारीरिक क्रिया–शीलता मनुष्य को जीवित रहने की नैसर्गिक आवश्यकता थी। इतना ही नहीं संचार एवं सम्प्रेषण शारीरिक क्रिया–कलाप का माध्यम है। जैसे–जैसे समाज जटिल होता गया उसी प्रकार से शारीरिक क्रिया कलाप एक संगठित और निरीक्षणात्मक रूप में जन्म लेता गया और धीरे–धीरे वह एक खेल के रूप में परिवर्तित हो गया।

खेल का उद्देश्य–खेल व्यक्ति के उन अनुभवों को उस सीमा तक प्रभावित करता है। जहाँ तक व्यक्ति की परिमित हो जो अपनी इच्छाओं में वृद्धि और सुधार लाकर अपनी योग्यता को विकसित कर सके। वास्तव में खेल वह क्रिया है जिसका संबंध मानव की शारीरिक क्रियाओं से होता है।

खेल के उद्देश्य को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है–

शारीरिक विकास–खेल का प्रथम उद्देश्य शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को अपनाना है। व्यक्ति खेल के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है।

मानसिक विकास–बच्चों में सिर्फ शारीरिक विकास से ही काम नहीं होता बल्कि शारीरिक विकास के साथ उनमें मानसिक विकास भी होना अति आवश्यक है जिसके लिए खेल एक साधन है।

भावनात्मक विकास–भावना मानव मस्तिष्क का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और इसी के आधार पर मानव का विकास होता है। अधिकतर यह देखा जाता है कि एक निश्चित आयु के बाद लोगों में भावनात्मक विकास होता है। अच्छे–खराब, लाभ–हानि, सुख–दुःख की अनुभूति उनके जीवन में निर्णय लेने में पथ प्रदर्शक, सहायक होते हैं।

ज्ञान का विकास–ज्ञान के विकास से आशय उत्कंठाओं की पूर्ति से है। खेल के माध्यम से लोगों में ज्ञान का विकास होता है और लोगों की निपुणता निखरती है।

कार्य क्षमता में विकास (Efficency Development)–खेल का उद्देश्य लोगों को कार्यक्षमता में वृद्धि से है। आज के समय में लोगों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं का ज्ञान कराकर शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि करना होता है।

सामाजिकता का विकास (Social Development)–खेल के माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सिखाया जाता है। सीखे गए क्रियाओं को वह समाज में व्यावहारिक रूप प्रदान करता है जिसके माध्यम से सामाजिक विकास में सहायक होती है।

श्रम के प्रति विश्वास (Believe in Labour)– खेल का उद्देश्य श्रम के प्रति विश्वास जगाना है, जिससे लोगों को शारीरिक क्रियाओं से अवगत कराता है। खेल से लोगों को विभिन्न क्रियाओं को करते रहने से उन लोगों में श्रम के प्रति समर्पण का भाव जागृत होने लगता है। अतः कहा जा सकता है कि खेल लोगों में श्रम के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करती है।

स्वास्थ्य के प्रति लाभ—जैसा कि समस्त जन मानस को ज्ञात है कि उत्तम स्वास्थ्य से ही अच्छे कार्यों का सम्पादन किया जा सकता है। इसके लिए खेल खेलना लाभदायक है।

देश—विदेश में खेल की स्थिति—यह संसार एक है किन्तु जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति का नाम, उसकी पहचान का माध्यम है ठीक उसी प्रकार इस संसार को विभिन्न देशों के नाम से जाना जाता है, जिनमें अलग—अलग स्थान (देशों) में अलग—अलग प्रकार के खेल, खेले जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

यूनान—यह देश, विश्व के यूरोप महाद्वीप में स्थिति है। इस देश का क्षेत्रफल 1,31,945 वर्ग किमी. है। यहाँ की जनसंख्या के कार्यों में अधिकतर कृषि आधारित उद्योगों जैसे—वस्त्र, रसायन और भोज प्रदार्थ मुख्य हैं। यह सूत्री वस्त्र निर्माण का मुख्य केन्द्र है। यूनान में खेल के विकास हेतु गहन चिन्तन किया गया क्योंकि यहाँ के लोग खेल को व्यक्तित्व विकास का साधन मानते थे। यहाँ खेल के माध्यम से बच्चों में आत्म अनुशासन, साहस, विनम्रता, दृढ़ता, आत्म विश्वास आदि गुणों का विकास करना चाहते थे। किन्तु चरित्र निर्माण के समक्ष खेल को नगण्य मानते थे। उस समय यूनान संगठित देश नहीं था उस समय छोट—छोटे रियासतों में बँटा था। लोग स्वतंत्र थे और स्वतंत्र होने के कारण अपना निर्णय स्वयं लेते थे। यहाँ के लोग खेल को सिर्फ शरीर को स्वस्थ रहने का साधन ही नहीं बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम भी मानते थे।

स्वीडन में खेल का विकास— यह देश विश्व के यूरोप महाद्वीप में स्कंडनेविया प्रायद्वीप में 528447 वर्ग किमी. स्थित है जिसमें 407343 वर्ग किमी. थल क्षेत्र और 40080 वर्ग किमी. नदियाँ, झील और 81027 वर्ग किमी. समुद्र क्षेत्र है। यहाँ प्रति व्यक्ति 'सकल घरेलू उत्पाद' के मामले में विश्व का सातवाँ अमीर देश है, और यहाँ के लोग (नागरिक) उच्च जीवन स्तर अनुभव करते हैं। स्वीडन विश्व का नौवाँ बड़ा हथियार निर्माणक और निर्यातक देश है।

खेल को स्वीडन में राष्ट्रीय मनोरंजन माना जाता है और यहाँ की लगभग आधी आबादी (लोग) खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यहाँ खेलों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण संगठन 'स्वीडिस खेल परिसंघ और स्वीडिस ओलंपिक समिति' है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत लोगों की खेल में भागेदारी है। यहाँ पर सबसे अधिक प्रतिभागी वाले खेल—फुटबॉल, फ्लोर बॉल, घुड़सवारी खेल, हैंडबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक और एथलेटिक्स हैं, जिनमें कि टेलीविजन दर्शकों का सबसे लोकप्रिय—फुटबॉल, आइस, हॉकी, बेंडी, गोल्फ मोटर स्पोर्ट और एथलेटिक्स हैं। इसके अलावा बैंडी, बास्केटबॉल, ओरिएंयरिंग टेनिस टेबल टेनिस, बौले, कुब, स्कीइंग, तैराकी, जिमनास्टिक, पैदल चलना, दौड़ना, साईकल चलाना, नृत्य और आखेट करना सम्मिलित हैं।

रूस में खेल की स्थिति—रूस संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 17,125,191 वर्ग किमी. है। इस देश से सटी सोलह देशों की सीमाएँ हैं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 9वाँ सबसे बड़ा देश है। यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

रूस में सबसे अधिक खेले जाने वाले खेल—बैंडी, आइस हॉकी, वॉलीबॉल आदि थे, जिसमें सबसे लोकप्रिय खेल हॉकी है। रूस में प्राचीन काल से खेल का विकास उतना नहीं रहा जितना कि अन्य देशों में रहा। खेल के विकास को एक विशिष्ट कदम उस समय उठाया गया जब विद्यालय स्तर पर खेल संबंधी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, इतना ही नहीं बल्कि मनोरंजन कार्य हेतु विविध प्रकार की सुविधाओं का प्रबंधन किया जाता था। इसके साथ विभिन्न प्रकार के क्लबों को भी निर्मित किया गया, जहाँ पर अधिक संख्या में विभिन्न वर्ग के व्यक्ति एक साथ खेल क्रियाओं में भाग लेते थे।

रूस देश का सबसे महत्त्वपूर्ण खेल जिमनास्टिक को माना जाता है जिसके लिए समय–समय पर जिमनास्टिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को चुनने के लिए उनका शारीरिक परीक्षण कराया जाता था तथा स्वस्थ छात्रों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती थीं और उन्हीं को प्रतियोगताओं में प्रतिभाग कराया जाता था। ऐसी प्रतियोगिताएँ विशेषतौर पर गर्मियों के मौसम में आयोजित की जाती थीं, जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिभाग कराया जाता था।

इंग्लैंड में खेल का विकास–इस देश का क्षेत्रफल 130279 वर्ग किमी. है। यहाँ के लोगों के अधिकतर औद्योगिक कार्य में लगे होने के कारण इनके पास समय भी काफी मात्रा में बचता था जिस कारण खेल में अधिक रुचि लेते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण इनके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। सन् 1944 में एक एजुकेशन एक्ट बनाया गया जिसके अनुसार सभी छात्र, जिनकी आयु 15 वर्ष तक थी, उनके लिए माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य घोषित किया गया। खेल को विकसित करने के लिए बनाए गये कार्यक्रमों में विभिन्न खेल क्रियाओं के अलावा कई अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया।

संयुक्त राज अमेरिका में खेल का विकास–संयुक्त राज अमेरिका को अंग्रेजी में State of America (US) कहा जाता है। यह विश्व में हर राष्ट्र की अपेक्षाकृत शक्तिशाली राष्ट्र है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल 'बेसबॉल' है। कुछ समय पूर्व राष्ट्र निर्माण के बाद खेल शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय खेल को शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ना समय की बर्बादी समझा जाता था, किन्तु समय के साथ–साथ सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास के साथ–साथ खेलों के प्रति अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया तथा खेलों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उस समय उठाया गया। तथा विद्यालय, शालाओं में व्यायाम शालाओं का निर्माण किया गया तथा विभिन्न प्रकार के व्यायामों में भी परिवर्तन किया गया जिससे लोग खेलों का महत्त्व समझने लगे और प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षा प्रदाय के बाद छात्रों को खेल खेलने की व्यवस्था की गई। जिस कारण यहाँ पर खेलों का विकास हुआ।

सन् 1980 के दशक में बास्केटबॉल, आइस हॉकी काफी लोकप्रिय रहे। 20वीं सदी के पूर्व मुक्केबाजी और फुटबाल को महत्त्व दिया गया। जो बास्केटबॉल के बाद महत्त्वपूर्ण खेल थे। खेलों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे सफल देश है जिसमें बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, तैराकी, बीच बॉली बॉल, स्केटिंग, शूटिंग, टेनिस, टेबिल टेनिस, गोल्फ, गोताखोरी, कुस्ती, मुक्केबाजी, स्कीइंग, घुड़सवारी, नौकायन, साइकिलिंग जैसे अन्य खेल भी बहुत आयत में खेले जाते हैं।

आस्ट्रेलिया में खेल का विकास–आस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत विश्व का एक देश है जिसे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी कहा जाता है। यह केवल सात देशों को मिला कर बना है। यह एक ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। इसके उत्तर दिशा में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू–गिरी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानु अतु और कैलेडोनिया है। सन् 1788 दशक के पहले कोई भी व्यक्ति इस युग में खेल से परिचित और सहज नहीं थे। जैसे–घुड़दौड़ मुक्केबाजी, पैदल चाल और जानवरों से जुड़े खेल आदि। आस्ट्रेलिया को अक्सर खेलों का दीवाना देश माना जाता है, खेल के प्रति लोगों का प्यार यहाँ खेलने वाले और टेलीविजन पर खेल देखने वालों की संख्या से मालूम होता है कि आस्ट्रेलिया खेल विज्ञान और टेलीवीजन खेल कवरेज के तकनीकी विकास में दुनिया का प्रथम देश है।

चीन में खेल की स्थिति–चीन का पूरा नाम चीनी जनवादी गणराज्य है। प्राचीन चीन में

मुख्यतः माओ जाति के व्यक्ति निवास करते थे और उनका जीवन–यापन कृषि कार्य था। ऐसा माना जाता है कि चीन के लोगों का शासन ईशा से लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ था जो इस स्थान पर इतनी महत्त्वपूर्ण बन गई कि इनके नाम से देश का नाम पड़ गया। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 9,600,000 किमी. है। इस देश को विकसित करने में चीन जाति का विशेष योगदान है। चीन देश की सभ्यता अन्य देशों की सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई तथा यहाँ के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित किया। यहाँ विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों के बाबजूद यहाँ की संस्कृति का विशेष प्रकार से ध्यान रखा गया। यही कारण है कि यहाँ के लोग मिल–जुल कर काम करते थे और अपना जीवन–यापन करते थे। इसके लिए यहाँ पर पूर्व से ही एक प्रधान नियुक्त होता था और उसके आदेशों का पालन करना समस्त जन को अनिवार्य था।

माओ वंश के शासकों ने चीन में सबसे अधिक राज किया तथा उन्होंने शिक्षा को विकसित करने का विशेष प्रयास किया। इनके शासन काल में कई प्रकार के शिक्षा संगठनों का गठन हो गया था और वह पूर्ण रूप से संगठित रूप प्राप्त कर चुके थे। शिक्षण क्रिया मुख्यतः मानसिक और शारीरिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है। शिक्षण क्रिया बहुत ही कठिन थी क्योंकि इस जाति द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा काफी अधिक जटिल थी। इसके बाबजूद भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई लेकिन सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं होते थे।

माओं शासकों के पश्चात् यहाँ पर शिक्षण क्रिया को नियंत्रित कर लिया गया और इन संस्थाओं द्वारा अध्यात्मिकता को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ सैनिकों हेतु बनाई गयीं, जिसमें आध्यात्मिकता को कम महत्त्व दिया जाने लगा जिस कारण खेल क्रिक्राओं का महत्त्व बढ़ा।

इस समय यहाँ पर तलवारबाजी, घुड़सवारी व्यायाम आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इनके अलावा खेल प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेली जाती थी। धीरे–धीरे खेल का विकास हुआ और खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में भाग लेने लगे।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में खेल का इतिहास यूनानी खेलों से भी अधिक प्राचीन है। ओलंपिक खेलों का विकास भी यूनानी खेलों के संदर्भ में विकसित हुआ। भारत में भी लगभग 200 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान से आरंभ हुई जिन्हें खेल परंपरा के रूप में याद किया जाता है। यूनानियों को 800 ईसा पूर्व में खेल पक्ष पर अधिक ध्यान देने वाला माना जाता है तो उनकी तुलना में भारतीयों को तत्त्वमीमांसा अस्तित्व में विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है जिनकी भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं थी और यह तथ्य भारतीय संस्कृति के विकास की उच्च अवस्था में परिलक्षित होता है। जहाँ यह माना जाता है कि भौमिक जगत मिथ्या, असत्य एवं अस्थायी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारतीय सामूहिक खेलों को विशेष महत्त्व देते और पसंद करते थे। कुशल धनुर्धरों की कलाओं, शक्तिशाली मल्ल योद्धाओं के पराक्रम एवं बल तथा कुशाग्र एवं चपल नटों की कलाबाजी देखने में प्राचीन भारतीय लोग बहुत खुस होते थे। कई धार्मिक उत्सवों में खेलों का आयोजन भी किया जाता था। यह परंपरा वैदिक काल से प्रचलन में थी। जो प्रत्येक नवचंद्र मास के पाँचवें दिन देवी सरस्वती के समर्पण में आयोजित किया जाता था। इस प्रकार के उत्सव राजाओं द्वारा आयोजित किये जाते थे जिसमें प्रशिक्षण पूर्ण युवाओं हेतु साहस, शौर्य, बल एवं कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता था। आम जन–मानस हेतु पुष्पों एवं ध

वजों से सुसज्जित दर्शक दीर्घा एवं वीथिकाएँ बनायी जाती थीं।

संदर्भ स्रोत

- पाठक, पी.डी. (1986), शिक्षा मनोविज्ञान, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
- भटनागर, आर.पी. (1986), शैक्षिक अनुसंधान, मेरठ, लायल बुक डिपो।
- शर्मा, आर.ए. (1993), फन्डामेन्टल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, लायल बुक डिपो, इन्दौर।
- श्रीवास्तव, के.एम. (1995), शैक्षिक खेल गति–विधियों का मापन एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय बुक डिपो, रीवा।
- सुखिया, एस.पी. (1995), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
- पाण्डेय, रामसकल (1998), शिक्षादर्शन; विनोद पुस्तक मन्दिर।
- मिश्र, पी.एन. (1997) रीवा नगर में संचालित हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में (10+2) स्तर पर विज्ञान समूह के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन, एम.एड.(लघु–शोध–प्रबन्ध), रीवा, अ.प्र.सिंह.वि.वि.।
- शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा अनुसंधान मेरठ, आर.एल. बुक डिपो।
- मंगल, अंशु एवं बरौलिया, ए. (2005), शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, समंक विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकीय।
- सक्सेना, सरोज (2003), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार।

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 30th Nov. 2024 **Paper Accepted : 7th Dec. 2024**

Successful Homeopathic Treatment of Bloody Leucorrhoea by Conium Maculatum : A Case Study

Dr. Saroj Verma*

ABSTRACT

Leucorrhoea is a abhorent condition experienced by many women. Today this is one of the leading unlooked problem in women. Reproductive tract infection are one of the leading problem in women basically of reproductive age group are most likely to get these infection. It is normal during the age of puberty of girls, menstrual cycle beginning and during pregnancy. It is a physiological condition when women experience the vaginal discharge. It has three types physiological leucorrhoea which is normal, pathological leucorrhoea due to presence of bacteria and another is inflammatory leucorrhoea. No need for treatment in physiological leucorrhoea but personal hygiene should be maintained and in pathological and inflammatory leucorrhoea treatments should be done. The homoepathic treatment of bloody leucorrhoea is simply based on constitutional approach. In this approach detail case study of patient is done based on its mental, physical and general symptoms totality of symptoms is done and based on 'similia similibuscurenter' a single medicine conium maculatum is selected after a thorough repertorization by the help of Kent's repertory. The medicine not only helps in reduction of pain and discharge but also help in total cure of symptoms. A case study was conducted in my personal clinic. The case was treated by homeopathic medicine conium maculatum reported here.

***Keyword**: Bloody Leucorrhoea, Conium Maculatum, Homoeopathy, Suppressed Sexual Desire, Divorcee.*

Introduction

Leucorrhoea is a normal milky white or clear vaginal discharge. It is usually thin and could have a mild odour. It is a medical condition in which women experience the presence of yellowish or white is vaginal discharge. It sometimes occur before an adolescent female has her first period and is considered a sign of puberty. Leucorrhoea will not affect the health if it caused due to hormonal changes during the

* Asst. Professor, State LBS, Homeopathic Medical College and Hospital, Prayagraj, 211013
Correspondent Author Email Id:- Sarojverma2011@gmail.com

menstrual cycle, sexual excitement, early pregnancy and puberty. When the discharge becomes excessive or changes in colour, odour or consistency, it may indicate infection or other health condition. There are many causes of leucorrhoea the usual one being estrogen imbalance. A small amount of vaginal discharge almost one teaspoon a day is considered normal if no discomforts are associated in some women it may cause discomfort and hence need attention.

Types of leucorrhoea[1]:

1. Physiological leucorrhoea–Normal and occurs during different phases of the menstrual cycle, common during puberty, ovulation, pregnancy and sexual arousal.

2. Pathological leucorrhoea–Abnormal discharge caused by infections or disease can result from bacterial, fungal or parasitic infections.

Causes of white discharge[2]

1. Infection–It can be due to bacterial vaginosis, fungal infection, sexually transmitted infection.

2. Hormonal changes–It can be due to pregnancy, menstrual cycle fluctuations and menopause.

3. Medical conditions–That can be due to diabetes or anaemia.

4. Hygiene Practice–It can be due to poor genital hygiene or use of scented products.

5. Cerfvical casue–It can be due to cervicitis, cervical ectopy or cervical polyp.

6. Vaginal cause–It can be due to retroverted uterus, uterine prolapse and pelvic inflammatory disease.

Complications of white discharge

1. Pelvic Inflammatory disease
2. Infertility issues
3. Complications during pregnancy
4. Chronic pelvic pain.

Characteristics of Normal Vaginal Fluid[3]

1. Nature–Watery
2. Colour–White
3. Order–Orderless
4. pH-4.0
5. Microscopically -Squamous Epithelial Cells, lacto bacilli and gram negative bacteria.

Homoeopathic Management includes

- Increase your water intake,
- Increase intake of seasonal fruits, green leafy vegetables, and salads
- Use freshly squeezed lemon juice and water clean the vaginal area
- Avoid foods that are high in spices and oils
- Avoid coffee and tea
- Avoid alcohol and carbonated drinks
- Soke some coriander seeds in water overnight and drink the water on an empty stomach
- Consume at least one or two bananas daily.

Material and methods

Objective

The aim of this research is to assess the feasibility of using Homoeopathy as a treatment method for bloody leucorrhoea. The study was conducted in my personal clinic.

Methods

Data for study has been collected by–

- Clinical history from parents
- Clinical presentation
- Clinical examination of patient

Inclusion Criteria

To conduct the analysis PubMed, Scorpus and Google Scholar was utilized to look for and refer to pertinent articles. The search was conducted using the terms like bloody leucorrhoea, conium maculatum, homeopathy, discharge.

Exclusion criteria

Gross pathological changes of the patient was excluded.

Intervention

After questioning the patient a well selected medicine conium maculatum was prescribed. Basically 200 C potency was prescribed of SBL Company.

Case study

A 35-year-old female, Mrs. Shashi Singh, divorcee, came on 03-08-23 with complaints of bloody white mixed leucorrhoea throughout the month from past 10 months with foul smell in it, her panty gets wet due to discharge, great

weakness which is aggravated due to work, feels slight better by rest. Pain and heaviness in breast with before and during menstruation and having burning micturition from past 2 months.

Mental

She was well dressed up and educated doneM.Scchemistry but still she was not interested in doing job. She got divorced from her husband 2 years back. She was not able to perform any type of mental work properly since then. She was humiliated by her husband and her in-laws for having two female child, out of which one was mentally disabled. So this is the reason why she hates society, but still she is not able to, stay alone. She has excessive sexual desire which was suppressed because she was divorced and this makes her even more frustrated.

Physical

She has loss of appetite. She has desire for sour, oily, spicy food. Thirst was moderate amount. She has dysmenorrhea with scanty, regular menses. Her U.S.G of abdomen was normal. Before coming to my clinic, she took antibiotics for two months, which gave a slight improvement in her condition.

Past history

Irregular menses since puberty, she was suffering from hypothyroidism.

Having one younger girl child suffering from autism.

Per Vaginal Examination

Vulva–Healthy, Vagina–Inflamed, Discharge–Bloody Mix, whitish.

Evaluation

Mental general–

(1) Suppressed sexual desire.

(2) aversion to society.

(3) unable to perform mental work. physical general.

(4) female genitalia; mastitis during menses.

(5) female genitalialeucorrhoea offensive.

(6) urine; burning hot.

Rubrics selection: from kent's repertory[4]

S.No.	Rubrics	Pg No.	Medicines
1.	MIND: company aversion to, dread being alone yet;	12	CLEM,CONIUM,NAT. CARB,SEP.
2.	FEMALE: genitalia, menses, scanty	728	AMMOM CARB, CARB S, CONIUM, CYCL, DULC, GRAPH, KALI C, MANG., NAT M, PHOS, SULPH, SEPIA
3.	FEMALE: genitalia, leucorrhea, bloody	721	CAL-S, CHIN, COCC, NITAC, SEPIA*, CONIUM*
4.	STOMACH: desire, sour acids	486	COR-R,HEP,VERAT,*CONIUM*
5.	GENERALITIES: sexual desire, suppression of agg.	1399	APIS, CAMPH, CONIUM, PULS

Table 1. *Repertorization of Rubrics*

Two medicine sepia and conium was selected but conium covered the maximum symptoms. Based on her constitution most suitable medicine was conium which cover her all mental, physical and particular symptoms.

Prescription-03/08/2023-conium 200 1 dose, rubrum 30 tds for 15 days Follow up;

Date	Complaints	Prescription
17/08/2023	Appetite-good. burning during urination reduced, bloody discharge also reduced	- Sac lac 1 dose - Rubrum tds for 15 days
31/08/2023	Mentally feeling fresh, appetite good, burning urination reduced, leucorrhoea quantity decreased	- Sac lac 1 dose - Rubrum tds for 15 days
14/09/2023	Appetite- good, no burning during urination no complaints of leucorrhoea	- sac lac 1 dose - rubrum tds for 15 days
29/09/2023	Totally free from her bloody discharge followed by her regular menses	————

Table 2. *Follow up of patient*

Result and Discussion

Patient was prescribed conium 200 considering her mental physical and particular. Regular follow up was taken and during the follow up the patient showed steady improvement initially her burning was relieved after two months of treatment the patient is completely cured of the bloody leucorrhea. Hence we can say that homoeopathic medicine plays a marvellous role in curing bloody leucorrhoea.

Similar research has been performed before by Dr Subhangi N Potdar[9], Materia Novum The Journal found Sepia medicine very effective in curing leucorrhoea and also Kajal Chauhan, Heena Parveen[10], IJAMSCR, Vol. 10, Issue 2 found homoeopathic medicine very effective in the treatment of leucorrhoea.

Conclusion

Homeopathy has shown to be a promising alternative treatment option for the management of leucorrhoea moreover homeopathic medicine are safe natural and do not fall any undesirable side effects in this case conium 200 when given on the basis of symptom similarity relieved the patient's bloody leucorrhea.

REFERENCES

1. D.C. Dutta Gyne&Obs, 5th Edition, Kolkata 700009, India, Pg. No. 524-525
2. International Journal of AYUSH, Vol. 12 Issue 3., May-July 2023
3. Sakhsi Arora Gyne&Obs, 5th Edition
4. Kent J.T. Lecture on Homoeopathy Materia Medica, B Jain Publisher, Pg. No. 403-409
5. Allen's keynotes by H.C. Allen, 8th Edition, Pg. No. 106-108
6. Homoeopathic Mat. Medica by William Boerick, 9th edition, Pg. No. 230-232
7. A study on Materia Medica by N.M. Chaudhari, 7th Edition, Pg. No. 335-340
8. Lotus Materia Medica by Robin Murphy, 2nd Revised Edition, Pg. No. 536-541
9. Materia Novum The Journal of Homoeopathy/ vol1/Issue 3/July-Sept 2017
10. International Journal of Allied Medical Science and Clinical Research (IJAMSCR), Vol. 10, Issue 2, April-June, 2022.

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

निम्न मध्यवर्गीय गृहस्थी को सिरजती केशर

(सन्दर्भ : केशर कस्तूरी)

❑ **अवनीश यादव***

शोध-सारांश

आजादी के बाद जन्में शिवमूर्ति के लेखन का वितान सत्तर के दशक से प्रारंभ होता है। यह वह दौर है जिसमें समाज, जड़ता और गत्यात्मकता के त्याग और मोह के बीच तीव्र दोलन करता है। हाशिए के मनुष्य का अंतःसंघर्ष और मानवीय जिजीविषा का रेखांकन, शिवमूर्ति के लेखन की केंद्रीय प्रवृत्ति है। कहना ही होगा कि भारतीय समाज, विविधता एवं विषमता का समाज है। विविधता भाषा, धर्म एवं संस्कृति आदि के परिप्रेक्ष्य में और विषमता सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर। जहाँ 'समाज' के केन्द्र में जाति एवं वर्ण है, तो वहीं 'अर्थ' के केन्द्र में वर्ग। वाया लेखनी इन विद्रूपताओं की गहरी शिनाख़्त करते हैं शिवमूर्ति।

बकौल कथाकार शिवमूर्ति, ''वर्ग संघर्ष, रोटी के लिए। वर्ण संघर्ष है इज्जत के लिए।''[1] इसी वर्ग संघर्ष अर्थात् रोटी के संघर्ष से लड़ती–जूझती कथाकार शिवमूर्ति की कहानी 'केशर कस्तूरी' की निम्न मध्यवर्गीय केन्द्रीय स्त्री चरित्र केशर है। केशर, जिसका पूर्व नाम केश कुमारी, जिसने स्वयं संक्षिप्त कर 'केशा' किया। तारीफ़ में एक आगंतुक ने कहा, ''वाह! कितना सुंदर नाम है–केशर कस्तूरी, रूप और गंध दोनों एक साथ।''[2] केशर की बालसुलभ चंचलता, हर किसी को आकर्षित कर लेती है। वह एक खुशमिज़ाज़ और कामकाजी लड़की है, जिसके पास अनेक प्रकार के देहाती नुस्खे हैं और जिनकी बदौलत वह जल्दी ही कॉलोनी के लोगों का दिल जीत लेती है। बकौल कथानायक, ''केशर मेरे साढ़ू भाई की लड़की है। पत्नी की बीमारी में देखभाल के लिए पिछले साल आई थी। ...हँसोड इतनी कि पत्नी कभी–कभी उसकी हँसी से आतंकित हो उठती है। उदास होने या बिसूरने की बात पर भी हँसी। कभी–कभी तो हँसी के लिए पत्नी की मार खाने के दौरान भी मुँह में दुपट्टा ठूँसकर हँसती रहती... ।''[3] यद्यपि यह केशर के व्यक्तित्व का पूरा पक्ष नहीं है। केशर निम्नवर्गीय परिवेश से है, दस–ग्यारह साल की अवस्था में दर्जा पाँच पास कर अपने मौसा अर्थात् कथानायक के यहाँ आती है। कथानायक का परिवेश अलग है, प्रशासन से सम्बद्ध रखता है, कुल मिलाकर उच्च मध्यवर्ग या

* वरिष्ठ शोधार्थी, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
मो.नं.–9598677625, ईमेल–awanishy965@gmail.com

मध्यवर्ग। ऐसे में आगमन महज़ केशर का नहीं होता, होता है शहर में गाँव का निम्न या निम्न मध्यवर्ग का उच्च या मध्यवर्ग में, गरीबी और अभाव का, समृद्धि और सम्पन्नता में। बकौल कथानायक, ''वह पहली बार गाँव से बाहर निकली थी। शहर की चीजें आँखें फाड़कर देखती। ... बिजली से पानी गरम हो जाना, बिना धुआँ–धक्कड़ के गैस के चूल्हे पर खाना पक जाना, सीटी मारने, भाप उगलने वाला कुकर, बिना मेहनत के टोंटी घुमाते ही बाल्टी भर देने वाला नल। सब उसे अजगुत–अजगुत लगते। ... पहली बार उसे सैंडिल और मोजे मिले तो उन्हें पहनकर पैर पटकते हुये सारे दिन कॉलोनी में घूमती फिरी। स्कूल खुले तो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते बच्चों को देखती रह जाती। गाँव के अभाव, नियंत्रण और आर्थिक संयम में पला बचपन यहाँ की स्वतंत्रता और सहज उपलब्धि देखकर आह्लादित था।''[4]

केशर कम उम्र की जरूर थी, पर उसे ग्रामीण वयस्क स्त्री की भाँति गृहस्थी का मुकम्मल ज्ञान था। उच्च वर्ग की सुविधापरस्त जिंदगी में सहायक नयी तकनीक से जल्द ही परिचित होकर, गृहस्थी का सारा बोझ अपने कोमल कंधों पर उठा लेती है। यथा, ''महरी और धोबिन अपना हिसाब केशर से लिखवाती हैं। मुझे कब क्या पहनना है? कौन सा कपड़ा धुला है, कौन–सा लांड्री गया है, इसका निर्णय और जानकारी का माध्यम केशर हो गयी है। नमक–चीनी से लेकर कपड़े–लत्ते तक के चुनाव पर उसकी मर्जी चलती है।''[5] इस तरह गृहस्थी और सेवा भावना में निपुण केशर का छः माह बाद जब गाँव से बुलावा आता है, किन्तु मौसी उसे भेजना नहीं चाहती तो, स्वयं ही रास्ता सुझाती है केशर 'मुझे सिलाई–कढ़ाई के स्कूल में भर्ती करा दीजिए। साल भर की गुलामी का पट्टा पक्का हो जायेगा।'

भारतीय ग्रामीण निम्नवर्गीय परिवार में बाल–विवाह बड़ी समस्या है। ''आज के उत्तर आधुनिक कहे जाने वाले दौर में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। खास कर के निम्न वर्ग में आज भी कम उम्र में शादी बहुतायत मात्रा में होती है। केशर भी उन्हीं लोगों में से एक है।''[6] केशर के पिता अपनी वर्गीय हैसियत और परिवेश के अनुरूप, केशर की शादी दर्जा आठ पास करते ही, एक हाईस्कूल में पढ़ने वाले लड़के से कर दी है। जो चंडीगढ़ में मकान पुताई का काम कर, पच्चीस–तीस रुपये रोज का कमा लेता था। बहरहाल, गृहस्थी में गिरथिन केशर अपने मौसा के यहाँ रहते वक्त अपने प्रेम, व्यवहार और बुद्धि से विभिन्न तीज–त्योहार के अवसरों पर नेग–चार के रूप में गृहस्थी का अधिकांश सामान मसलन– डोलची, सैंडिल, घड़ी, सिलाई मशीन, संदूक एवं कपड़ा आदि गुल्लक में पैसे की भाँति सिरज ली थी। मानों चंचल मन केशर को यह आभास था कि गृहस्थी के सामान का बोझ, परिवार पर अचानक नहीं डाला जाता, सिरजने से ही गृहस्थी चलती है। यद्यपि केशर के वर्गीय परिस्थिति में यह और भी अपरिहार्य था। केशर के इस गुण पर समकालीन कवि हरीश चन्द्र पाण्डे की कविता 'गुल्लक' का यह अंश याद आना स्वाभाविक है–''जहाँ बचपन के पास छोटी–छोटी बचतों के संस्कार नहीं होंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था चाहे जितनी वयस्क हो। कभी भी भरभरा कर गिर सकती हैं।''(गुल्लक, हिन्दी समय से)

बाल–विवाह के पाट में फँस चुकी केशर अपने पढ़ाई की इच्छा (मौसाजी, हमारे बप्पा से कहिए, हमें और आगे पढ़ा दें) को दफ़न कर, स्नेह–नाते को 'आखर' के साथ स्मरण कर मायके से ससुराल को विदा होती है। इस यात्रा में मात्र भौगोलिक अंतर नहीं, वर्गीय परिवेश का अंतर है, जिम्मेदारी का अंतर है। डेढ़ वर्ष पश्चात् कथानायक जब केशर के यहाँ जाता है तो पाता है, ''...वह चपलता, चंचलता! दैहिक आभा क्षीण है। मुख मलीन! केशौर्य की अकाल मृत्यु हो रही है। मँड़ई के एक कोने में पत्नी द्वारा दी गई प्लास्टिक की डोलची पड़ी थी। उसका टँगना कई बार धागे से

सिला गया था। एक तरफ शैम्पू की एक खाली शीशी पड़ी थी। केशर नंगे पाँव इधर–उधर डोल रही थी।''[7] केशर की यह परिस्थिति सहृदय पाठक को दुःख, निराशा और करुणा से द्रवित कर देती है। आँखों के सम्मुख दो दृश्य साफ़ तौर पर उभरता है, डेढ़ वर्ष पूर्व की हँसती–खिलखिलाती, हमजोलियों के बीच की आकर्षण बनी केशर और शादी के बाद की केशर। इस हालात के लिए वर्ग, अर्थ और स्वयं केशर का परिवार जिम्मेदार है।

कहते हैं कि जब विपदा आती है, तो चहुँओर से आती है। केशर के घर अलगौझा हो गया। बँटवारे में केशर के हिस्से आधा एकड़ खेत, एक बैल, सत्ताईस सौ रुपये का कर्ज और बूढ़ी सास मिली। दूसरा संकट केशर की एक मात्र आमदनी के स्रोत पर पड़ा, केशर का पति जो अपने श्रम के बूते रोजाना मकान की पुताई कर पच्चीस–तीस रुपये कमा लेता था। सीढ़ी से गिरने के कारण उसे चोटें आयीं, काम छूट गया। महीनों दवा–इलाज के बाद पास के भट्ठे पर मुंशीगिरी करने लगा थोड़े पैसे में। और तीसरा दुःख केशर की कोख का, केशर की लड़की पैदा हुई और दो महीने की होकर निमोनिया के कारण गुजर गयी।

गृहस्थी को गति देने और आर्थिक संकट से निज़ात के लिए केशर अपने पिता से बढ़कर मान देने वाले उच्च मध्यवर्गीय मौसा से सिसकते हुये पति के लिए चपरासी की नौकरी दिलाने का अनुरोध करती है। आश्वासन के दो साल बाद भी नैरेटर नौकरी दिलाने में असफल रहा। और दूसरी बार जब वह केशर के ससुराल मिलने जाता है, तो उसकी हालत और भी बदतर दिखाई देती है। ''पुराने खपरैल घर का पिछला हिस्सा केशर को बँटवारे में मिला था। सबसे आगे एक मटमैला हड्डहा बैल जाड़े से रोएँ फुलाए खड़ा था। उसके बाद पुआल का ऊँचा ढेर। ढेर की आड़ लेकर धूप सेंकती बैठी थी केशर की बूढ़ी, अशक्त और लगभग अंधी सास। बगल में एक चारपाई खड़ी थी। जमीन पर बिछे पुआल के एक सिरे पर डेढ़–दो हाथ लम्बी, तेल और मैल से चीकट एक काली कथरी सूख रही थी। कथरी से बूढ़ी तक ढाई–तीन गज लम्बे क्षेत्र में मक्खियाँ भिनक रही थीं। साँय–साँय करके हाँफती बूढ़ी, रह–रहकर खाँसती और बलगम का एक लोंदा बगल में लुढ़का देती। हर लोंदे पर मक्खियों का काला गोला जमा था।''[8]

इस दृश्य को चाहे केशर की गृहस्थी का खस्ताहाल समझिए, या लेखक शिवमूर्ति के अति यथार्थ चित्रण की शक्ति या बिम्बों के प्रयोग की समझ। पर जो भी हो, इस दृश्य से केशर ही नहीं, केशर जैसी लाखों निम्न और निम्न मध्यवर्गीय नारी की गृहस्थी का परिवेश झाँक रहा है। पुकार रहा है सरकार और समाज को, उनके वर्गीय परिभाषाओं और मापन की कसौटी में संसोधन के लिए। बहरहाल, सहायता में असमर्थ पिता, बेटी की दारूण स्थिति देखकर ग्लानि से भर जाता है। अफ़सोस ज़ाहिर करता है, कि इस बेटी के लिए सचमुच लगकर कुछ किया जा सकता था। उसका दुःख हल्का करने के बजाए उसे आराम और साधन सम्पन्नता (उच्च मध्यवर्गीय परिवेश) की दुनिया से परिचय कराकर उसके दुख को दूना किया। सच! अब वह पहले वाली केशर नहीं थी, केशर का कंकाल मात्र था। खैर, ''शिवमूर्ति के स्त्री पात्र कहीं अकेले हैं, कहीं दलित भी हैं, कहीं विधवा, ग़रीब और बहुधा उत्पीड़ित पर स्वाभिमान की लौ से दहकती हुई स्त्रियाँ हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने वाली केशर हर हालत में अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी रहती है।''[9] और यही केशर का हासिल भी है। यदि गौर करें तो 'केशर कस्तूरी' के सम्पूर्ण कथा वितान में प्रधान स्त्री चरित्र केशर की तीन छवियाँ या तीन अवस्थायें उभर कर आती हैं। गोया प्रथम–सम्पन्नता में पल रही बालमन केशर, दूसरा–वैवाहिक जीवन और निम्नवर्गीय परिवेश से परिचित होती केशर और तीसरा और महत्त्वपूर्ण अपनी जीवटता और जीवंतता के साथ संघर्ष की डगर पर केशर की छवि। संघर्ष ही केशर को निखारता है, और कथा को ऊँचाई

पर भी पहुँचाता है। अपने तीसरे छवि में केशर किसी से मदद की कोई अपेक्षा नहीं रखती, केवल उसे अपने संघर्ष पर भरोसा है। केशर के पिता जब उससे स्थान परिवर्तन से दुःख हल्का होने अर्थात् विदाई की बात करते हैं, तो केशर चूल्हे की आँच तेज करते हुये जवाब देती है, "दुख तो काटने से ही कटेगा बप्पा! भागने से तो और पिछुआएगा।" यह जवाब कर्मठ भारतीय नारी का जवाब है। सिर्फ इतना ही नहीं, केशर के हाथों अपने मनपसंद का भोजन करते हुये जब नैरेटर कहता है 'तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका बेटी!' इस संबंध में केशर का प्रति उत्तर काबिले गौर ही नहीं काबिले तारीफ भी है। मसलन, "मेरी सोच में अपनी देह न गलाइए। जितने दिन आपकी बारी–फुलवारी में खेलना–खाना बदा था, खेल–खाए। माँ–बाप जनम के साथी होते हैं पापा। 'करम–रेख' तो सभी की न्यारी है। जब जनक जैसे बाप जो राजा भी थे और 'बरम्ह–ग्यानी' भी, जिनकी इतनी औकात थी कि सौ बेटी–दामादों को घर–जमाई रखकर उमर भर खिला सकते थे–तीन लोक के मालिक से बेटी ब्याहकर उमर भर उसे सुखी देखने को तरस गए तो हम गरीब लोगों की क्या औकात?''[10]

यह केशर का मनोविज्ञान है, वह अपने दुःख के कारण को पहचान गई है। खैर, पुस्तक के फ्लैप पर उचित ही लिखा गया है–"यह केशर नहीं, केशर के रूप में मूर्त हिन्दुस्तानी नारी का हजारों–हजार पीढ़ियों से विरासत में मिला अनुभव और यथार्थ को उसके ठोस व्यावहारिक रूप में पकड़ लेनी की उसकी अंतश्चेतना बोल रही थी।"

'चेहरे पर आग की लाल लपट पड़ रही थी। वह समाधिस्थ–सी लग रही थी।' यह दृश्य था केशर के खाना बनाते वक्त का। और दूसरा दृश्य जब केशर अपनी गृहस्थी के दैनिक कार्यों से निवृत्त हो, रात में लालटेन की मद्धिम पीली लौ में सिलाई मशीन चलाती है। दोनों दृश्य में रोशनी उसके चेहरे पर उभरती है। प्रथम दृश्य में जहाँ चिंता है, जीवन को बचाए रखने की, तो दूसरे दृश्य में जीवन को चलाए रखने की। दोनों चिंता जब एकाकार होती है, तो वह समाधिस्थ सी लगती है। लेखक ने 'वह समाधिस्थ सी लग रही थी' वाक्य का प्रयोग अनायास नहीं किया, बल्कि सायास। इस वाक्य की बुनावट के एक–एक अक्षर में, बौद्ध दर्शन का सार है–'संसार में दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है।' केशर दुःख के कारण को जान चुकी है, दुःख के निवारण हेतु वह बगैर किसी से अपेक्षा किये आधी–आधी रात तक, सिलाई मशीन चलाकर चार, छः रुपये प्राप्त कर, नून–तेल की जुगत करती है। वास्तव में केशर कपड़े नहीं सिलती, बल्कि सिरजती है अपनी निम्नवर्गीय गृहस्थी को, कपड़ों पर वह धागा नहीं टाँकती, बल्कि अंकित करती है अपनी गृहस्थी के नोन–तेल, लकड़ी, आटा–दाल के मार्ग को कोमल रेशों द्वारा।

प्रायः स्त्रियों की जीवटता पुरुषों को खटकती है। पुरुष स्त्री चरित्र को छुई–मुई सा घोषित करने पर तुला रहता है। स्त्री की सफलता पर पुरुष मनोविज्ञान गैर वाज़िब आरोप की कालिख पोतना चाहता है। केशर इससे अछूती नहीं है, केशर का जेठ उसके सिलाई के हुनर को नापसंद कर, झूठ–मूठ का कलंक लगाता है। स्वयं केशर अपने पिता की ऊँच–नीच की आशंका को कर्म में रत, गीत गाते हुये निर्मूल कर देती है–

''मोछिया तोहार बच्चा 'हेठ' न होइहै
पगड़ी केहू ना उतारी, जी–ई–ई
टुटही मँड़इया मा जिनगी बितउवै,
नाही जावै आन की दुआरी जी–ई–ई।।''[11]

इस लोक गीत के अक्षर–अक्षर को बोल्ड कर देखें तो, इसमें समस्त पुरुष आरोपों का प्रतिकार है, संघर्ष से जूझती नारी की जीवटता है, दुःख झेलने की ताकत है, वर्गीय परिवेश है, निम्न मध्यवर्गीय स्त्री की गृहस्थी का मुकम्मल चित्र है। सनद रहे, कुछ ऐसा ही गीत 'तिरिया चरित्तर' कहानी का पात्र बिल्लर गाता है। यथा–**'अरे टूटही**

मँडहिया के हम हैं राजा, करीला गुजारा थोरे मा...।' यह महज लोक गीत की साम्यता नहीं; वर्गीय साम्यता है, परिवेश और संघर्ष की साम्यता है। दुःख की साम्यता है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि कथाकार शिवमूर्ति अपनी कहानियों के मार्फ़त न सिर्फ इन चरित्रों की वर्गीय स्थिति और संघर्ष से पाठकों का परिचय कराना चाहते हैं, बल्कि इनके विकास और उत्थान के लिए चिंतित रहते हैं। उनके लेख 'योगी भी भोगी भी' में उनकी यह वाज़िब चिंता सहजता से देखी जा सकती है, ''मेरी नज़र में आज सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है अमीर का और अमीर तथा गरीब का और गरीब होते चले जाना। हमारे देश में आम आदमी की हालत दिनोंदिन दयनीय होती जा रही है।''[12] सरकार और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक सम्पन्न वर्ग को इनके दुःख को अपने भीतर ट्रांसलेट होता हुआ प्रतीत होना चाहिए, इनके संघर्ष को अपना संघर्ष समझना ही होगा– **'नाहीं जाबै आन की दुआरी हो बपई। नाही जाबै...'** यह जीवटता का मजबूत तंतु है, जो केशर जैसी स्त्रियों के जीवन का पर्याय है, गृहस्थी का सेतु है। निम्न और निम्न मध्यवर्गीय भारतीय नारी का मन और माथा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तर्पण, शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, प्र.सं. 2010, पृ. 26
2. केशर कस्तूरी, शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पेपर बैक्स, दूसरा संस्करण 2015, पृ. 134
3. वही, पृ. 125, 126
4. वही, पृ. 133
5. वही, पृ. 126
6. लमही, प्र.सं. विजय राय, शिवमूर्ति विशेषांक, अक्टूबर–दिसम्बर, 2012, पृ. 67
7. केशर कस्तूरी, शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, दूसरा संस्करण 2015, पृ. 130
8. वही, पृ. 135, 136
9. आजकल, प्रधान सम्पादक राकेश रेणु, नई दिल्ली, अगस्त, 2021, पृ. 31
10. केशर कस्तूरी, शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, सं. 2015, पृ. 139
11. वही, पृ. 140
12. संवेद, सं. किशन कालजयी, अ.स. पंकज शर्मा, शिवमूर्ति विशेषांक, फरवरी–अप्रैल, 2014, पृ. 228

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 30th Nov. 2024 Paper Accepted : 7th Dec. 2024

Exploring the Impact of Social Media Content and Online Advocacy on Public Opinion and Policy Change : Persuasion, Engagement, and Effectiveness

Sunil Kumar Tripathi*

Dr. Praveen Tiwari**

ABSTRACT

This study investigates the role of social media in shaping public opinion and promoting political engagement, particularly focusing on the participation of individuals in online advocacy, such as petitions and campaigns related to public policy. Through a survey of 400 participants (200 males and 200 female), the research examines how individuals perceive the influence of social media on their political views, as well as their involvement in digital activism. The results indicate that a small proportion of respondents (8%) have engaged in online advocacy, with no significant gender differences observed in participation rates. However, a large percentage (73%) expressed uncertainty about their involvement in online political activities, suggesting a lack of awareness or understanding of the effectiveness of digital advocacy. The study also highlights the role of gender in shaping perceptions of social media's impact, with males more likely to acknowledge its influence on their opinions. Overall, the findings point to a need for increased awareness and greater engagement with online political participation tools, as well as further research into the barriers that prevent broader public involvement in digital activism.

Keywords*–*Social media, Online advocacy, Digital activism, Political participation, Public opinion, Gender Differences, Political engagement, Online campaigns, Petitions, Digital platforms.

INTRODUCTION

In recent years, social media has become an indispensable platform for communication, information sharing, and political engagement. These digital spaces, such as Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok, are shaping public opinion on social, political, and policy issues in unprecedented ways. Social media allows individuals to not only consume news but also actively participate in political discourse through commenting, sharing, and advocating for causes. Consequently, social media platforms have

* Department of Journalism & Mass Communication
* Research Scholar in Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan-333010
** Associate Professor in Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan-333010

become pivotal in influencing how people perceive public policies and governmental decisions. This transformation is particularly significant in the context of political campaigns, social justice movements, and policy advocacy, where online platforms serve as both a tool for information dissemination and a space for collective action.

One of the central questions regarding social media's influence is what types of content are most persuasive in shaping users' opinions. Social media hosts a vast range of content, from traditional news articles and opinion pieces to memes, videos, and viral posts. According to studies, news content on social media often gets consumed differently than traditional media due to the personalized nature of online algorithms, which filter content based on users' previous interactions and preferences (Pariser, 2011). For example, political memes and opinionated posts can have a particularly strong persuasive impact, as they combine entertainment with political commentary, often simplifying complex issues and presenting them in an emotionally compelling manner (Nahon & Hemsley, 2013). These types of content can either reinforce existing views (through echo chambers) or challenge users' beliefs, depending on how they are framed and shared across networks.

Moreover, the increasing frequency of online advocacy campaigns, such as petitions, hashtag movements, and online protests, has further cemented social media as a platform for activism and policy influence. Digital activism, or "clicktivism," has been criticized by some scholars for lacking real-world impact, but others argue that it provides an avenue for marginalized voices and has the potential to mobilize individuals toward collective action (Tufekci, 2014). Online petitions, for instance, have become a popular method for advocating policy change, with platforms like Change.org enabling individuals to easily share petitions and rally support from online communities. These campaigns, often shared through social media, can raise awareness, foster public debate, and even prompt government responses, depending on their reach and public backing.

In addition to advocacy, another key factor influencing social media's role in political change is its effectiveness in swaying government policies. Some argue that social media campaigns can indeed impact policy decisions, especially when they generate significant media coverage and mobilize a large number of people. Social movements like #BlackLivesMatter and #MeToo, which gained momentum on platforms such as Twitter and Instagram, demonstrate the potential of social media campaigns to drive conversations, challenge societal norms, and influence public policies (McDonnough, 2020). Studies suggest that social media's ability to rapidly disseminate information and connect activists, journalists, and the public can lead to political and legislative change, although critics question the sustainability and long-term impact of such campaigns (Boulianne, 2015).

However, while the potential for social media to shape public opinion and influence policy is evident, it is important to consider the complexities of digital communication. Social media platforms are designed to prioritize content that garners the most engagement, often amplifying sensationalist or emotionally charged posts. This algorithmic bias can skew political discourse, creating polarized environments where users are exposed primarily to information that aligns with their pre-existing beliefs, further entrenching political divisions (Pariser, 2011). The role of misinformation and disinformation on these platforms also presents a challenge, as fake news can spread faster than verified facts, undermining informed public opinion and making it more difficult to discern the truth (Lazer et al., 2018).

This research aims to explore the intersection of social media content, online advocacy, and policy influence, with a particular

focus on the types of content most persuasive in shaping public opinion, the role of online campaigns in policy advocacy, and the effectiveness of social media in influencing government decisions. By examining these aspects, this study seeks to offer insights into how digital platforms are transforming political engagement, policy discussions, and the broader democratic process.

METHODOLOGY

The data for this study were collected through an online survey distributed to a sample of 400 participants, with equal representation of male and female respondents. The survey aimed to investigate how different types of social media content and online advocacy shape individuals' opinions on social and political issues, as well as the effectiveness of social media campaigns in influencing government policies. The sample was carefully stratified to ensure balanced gender representation, with 200 male and 200 female respondents, each comprising 50% of the total sample.

Participants were recruited through a combination of online channels, including social media platforms (e.g., Facebook, Twitter, Instagram), email invitations, and online communities related to political discourse and digital activism. This diverse recruitment strategy helped ensure a broad cross-section of participants from different backgrounds, while also maintaining gender balance.

The survey was designed to gather both quantitative and qualitative data. It included a series of questions addressing participants' social media usage, engagement with political content, and their perceptions of the influence of social media on their opinions and advocacy behaviours. Participants were asked to indicate the types of content they found most persuasive in shaping their views on political and social issues, such as news articles, memes, opinion pieces, or viral videos. In addition, respondents were asked whether they had ever engaged in online advocacy (e.g., petitions, social media campaigns) related to public policy and whether they believed social media campaigns could effectively influence government policies.

The survey incorporated both closed-ended questions (e.g., Likert scale ratings) to quantify the extent to which social media influenced opinions and open-ended questions to provide deeper, qualitative insights into how social media exposure shaped respondents' political views and behaviours. By integrating both types of questions, the survey aimed to capture a comprehensive understanding of social media's role in political engagement and advocacy.

Data analysis was conducted using both quantitative and qualitative methods. The quantitative data were analysed for trends, correlations, and statistical significance. The analysis revealed a perfect correlation (r value of 1) for both male and female groups across all sections of the survey, indicating that gender had an equal distribution of responses across the different questions. This finding reflects a strong alignment between gender and the types of content participants found persuasive, their level of engagement with online advocacy, and their beliefs about the effectiveness of social media campaigns.

Qualitative responses were coded and analysed thematically to identify common patterns and insights regarding participants' motivations for engaging with political content and online advocacy, as well as their opinions on the role of social media in influencing policy change.

Overall, this methodology allowed for the collection of a comprehensive dataset that not only quantified the influence of social media on public opinion but also provided qualitative insights into the nuances of how gender, content type, and online advocacy intersect in shaping political and social perspectives.

RESULTS

Table 1: What types of content do you find most persuasive in shaping your opinions?

Choice	Govt. online participants		Private online participants		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Articles	138	69	154	77	292	73	0.99
Videos	28	14	20	10	48	12	0.96
Memes	16	8	16	8	32	8	1
Infographics	18	9	10	5	28	7	0.89
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

Fig 1:- content do you find most persuasive in shaping your opinions

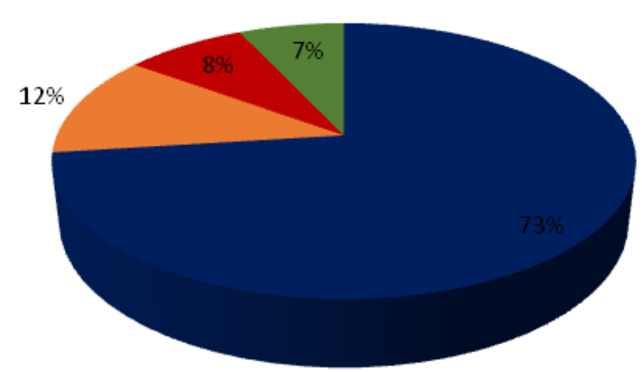

The data collected regarding the types of content most persuasive in shaping opinions revealed some interesting insights into the preferences of both government online participants and private online participants. Participants were asked to identify the content types that they found most influential in shaping their views on social and political issues.The most popular and persuasive content type among both government and private online participants was **articles**. A total of **292 participants** (73%) selected articles as the most persuasive content. Among government online participants, **69%** (138 respondents) found articles to be the most influential, while **77%** (154 respondents) of private online participants shared this view. This significant preference for articles highlights the importance of well-researched, long-form content that provides in-depth analysis and information on political and social issues. Articles likely offer the necessary context and factual support that users find compelling when forming opinions about public policies or social issues. The **r value of 0.99** indicates a very high level of consistency between the two participant groups regarding their preference for articles, suggesting that this content type is broadly influential across both government and private sector users. The next most persuasive content type was **videos**, selected by **48 participants** (12%). Among government online participants, **14%** (28 respondents) chose videos as influential, while **10%** (20 respondents) of private online participants selected the same.

Although videos did not emerge as the dominant form of content in this survey, they still played a notable role, likely because of their visual and engaging nature. Videos can provide both emotional and informational appeal, making them effective in shaping public opinion, particularly when addressing current events or presenting interviews and expert opinions. The **r value of 0.96** suggests a relatively high agreement between the two groups, with government online participants showing a slightly higher preference for videos.**Memes** were the least persuasive content type overall, with only **32 participants** (8%) selecting them. Both government and private online participants chose memes equally, with **8%** from each group indicating that memes were influential in shaping their views. While memes are typically seen as informal, humorous, or simplified representations of political issues, their viral nature on social media platforms can drive conversations and help spread political messages quickly. However, given their simplified and often satirical nature, memes may not be viewed as deeply persuasive for individuals seeking nuanced, factual information about complex policy issues. The **r value of 1** shows complete agreement between the two groups, suggesting no significant difference in their responses regarding the influence of memes.**Infographics** were selected by **28 participants** (7%), with **9%** of government online participants and **5%** of private online participants finding them persuasive. Infographics provide a visual representation of data or information, making them useful for conveying complex concepts or statistics in an easy-to-understand format. Although not as widely persuasive as articles, infographics can still play a role in shaping opinions, particularly when presenting policy data or survey results in a visually accessible manner. The **r value of 0.89** suggests a moderate level of agreement between the two participant groups in the effectiveness of infographics as persuasive content., (Table 1, Fig. 1).

Table 2: Have you ever engaged in online advocacy (e.g., petitions, campaigns) regarding public policy?

Response	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Yes	132.0	66.0	30.00	15.00	162.0	40.5	0.67
No	68.00	34.0	142.0	71.00	210.0	52.5	0.85
Not Sure	0.00	0.00	28.00	14.00	28.00	7.00	0.50
Total	**200.0**	**100.0**	**200.0**	**100.0**	**400.0**	**100.0**	

Table 2: Have you ever engaged in online advocacy (e.g., petitions, campaigns) regarding public policy?

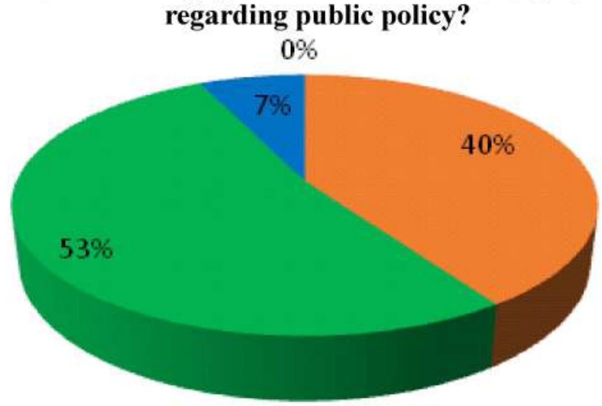

The data collected regarding whether participants believe social media influences their opinions on social and political issues revealed notable differences between male and female respondents. A total of 162 participants (40.5%) agreed that social media influences their opinions. Among male respondents, 66% (132 respondents) believed that social media shapes their views, whereas only 15% (30 respondents) of female participants held the same belief. This significant difference suggests that males are more likely to recognize the influence of social media on their political opinions. The moderate correlation (r value of 0.67) between gender and the belief that social media influences opinions further supports this gender disparity, with males showing a stronger tendency to attribute political influence to social media.

On the other hand, the majority of respondents, 210 participants (52.5%), disagreed with the statement, indicating that they do not believe social media affects their opinions. Among males, 34% (68 respondents) felt that social media had no influence on their views, while a larger proportion of female participants, 71% (142 respondents), shared the same sentiment. This suggests that female respondents are more likely to reject the idea of social media influencing their political perspectives. The strong correlation (r value of 0.85) indicates that females are significantly more likely to dismiss the influence of social media on their views compared to males (Table 2 & Fig 2).

A smaller portion of respondents, 28 participants (7%), expressed uncertainty about the impact of social media on their political opinions. Notably, all of these respondents were female, as no male participants were unsure. This finding highlights a higher level of ambivalence or hesitation among female participants when it comes to assessing the role of social media in shaping their views. The moderate correlation (r value of 0.50) suggests that females were more likely to be unsure about the influence of social media compared to their male counterparts.

Table 3 : Do you think social media campaigns can effectively influence government policies?

Influence	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Yes	26.00	13.00	18.00	9.00	44.00	11.00	0.95
No	108.0	54.00	134.0	67.0	242.0	60.50	0.98
Sometimes	66.00	33.00	48.00	24.0	114.0	28.50	0.96
Total	**200.0**	**100.0**	**200.0**	**100.0**	**400.0**	**100.0**	

Table 3 : Do you think social media campaigns can effectively influence government policies?

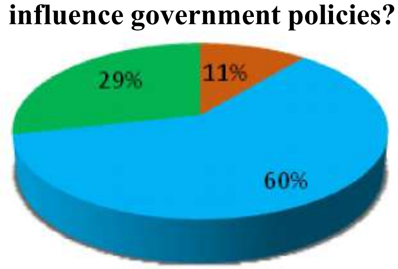

The data collected regarding the influence of social media on political opinions revealed differing responses based on gender. A total of 44 participants (11%) believed social media influences their political views. Among male respondents, 13% (26 participants) felt that social

media had an impact, while 9% (18 participants) of female respondents shared the same view. The relatively low percentage of participants acknowledging the influence of social media suggests that many individuals may be skeptical of or indifferent to the power social media holds in shaping their political opinions. The high correlation between male and female responses (r value of 0.95) indicates that the influence of social media was similarly perceived across both genders, with only minor differences in how each group viewed its impact.

The majority of participants, 242 individuals (60.5%), stated that social media does not influence their political opinions. Among males, 54% (108 participants) reported that social media had no influence, whereas a larger percentage of female respondents, 67% (134 participants), agreed with this statement. This indicates that a significant portion of female participants were more likely to dismiss social media as a factor in shaping their political views. The strong correlation (r value of 0.98) between the responses of males and females further supports this trend, suggesting that females were more inclined than males to reject the idea that social media affects their political perspectives.

A third of participants, 114 individuals (28.5%), indicated that social media sometimes influences their political opinions. Of these, 33% (66 participants) were male, and 24% (48 participants) were female. This suggests that while social media may not have a constant effect on everyone, many participants, particularly males, felt that it had an occasional or fluctuating impact on their views. The moderate correlation (r value of 0.96) between male and female responses indicates that both groups generally agreed that social media's influence on their opinions can vary, though male participants were slightly more likely to acknowledge occasional influence (Table 3 and Fig 3).

Table 4 : Can you recall a specific instance where social media had an impact on a public policy issue in India?

Response	Male		Female		Total		r value
	N	%	N	%	N	%	
Yes	16	8	16	8	32	8	1
No	36	18	40	20	76	19	0.99
Not sure	148	74	144	72	292	73	0.99
Total	**200**	**100**	**200**	**100**	**400**	**100**	

The data collected regarding participants' views on whether they have ever engaged in online advocacy (such as petitions or campaigns) concerning public policy revealed some interesting trends across gender. A total of **32 participants** (8%) reported that they had engaged in online advocacy. This was equally distributed between males and females, with **8%** of both male (16) and female (16) respondents indicating that they had taken part in online campaigns or petitions. The **r value of 1** suggests a perfect correlation between male and female responses, meaning that both genders showed the same level of engagement in online advocacy for public policy.

The majority of respondents, **76 participants** (19%), stated that they had not engaged in online advocacy. Among male respondents, **18%** (36) indicated they had never participated in online campaigns, while **20%** (40) of female respondents shared the same sentiment. The **r value of 0.99** indicates a very high correlation between male and female responses, with both genders showing a similarly low level of participation in online advocacy.An overwhelming majority, **292 participants** (73%), reported that they were **not sure** whether they had ever engaged in online advocacy. Among males, **74%** (148) expressed uncertainty, and **72%** (144) of females were similarly unsure. The

r value of 0.99 suggests a strong consistency between the genders in their uncertainty about participation in online advocacy (Table 4).In conclusion, while a small percentage of both male and female respondents (8%) reported having engaged in online advocacy, the majority expressed uncertainty or a lack of engagement. This finding suggests that online advocacy, while prominent in certain circles, is not universally practiced among all social media users. The high levels of uncertainty among both male and female participants highlight the need for further exploration into the barriers or lack of awareness regarding online advocacy and its potential impact on public policy discussions.

DISCUSSION

The data collected from the survey reveals significant insights into the engagement of individuals in online advocacy, particularly with regard to public policy. When examining whether participants had ever engaged in online campaigns or petitions, the results were strikingly consistent across genders. A small percentage of both male and female respondents (8%) indicated that they had participated in online advocacy efforts. This reflects the growing awareness of digital platforms as a tool for political engagement, but it also highlights a relatively low level of active involvement in digital political actions. The consistent percentage across both genders (8% for both males and females) underscores a shared trend of limited participation in online advocacy, which could be indicative of a broader societal trend where online engagement in political processes, such as petitions or campaigns, has not yet become a mainstream activity for most individuals.

The relatively low level of engagement in online advocacy aligns with previous research on political participation. Studies have shown that while social media platforms provide new avenues for political engagement, many individuals still do not actively participate in online political activism (Boulianne, 2015; Ekström & Bjerling, 2020). This could be attributed to factors such as apathy, lack of time, or a general skepticism about the effectiveness of online petitions or campaigns in influencing public policy (Anderson & Tushman, 2021). In this study, the relatively high percentage of respondents (73%) who expressed uncertainty about engaging in online advocacy further emphasizes this point. Many individuals may be unaware of the extent to which they could participate in or influence political discourse through online means, or they may not perceive these actions as impactful.

The comparison between male and female respondents reveals a slight but consistent pattern in the responses. Both genders reported similar levels of engagement in online advocacy, with **8%** of respondents from both groups acknowledging participation. However, the relatively higher percentage of **uncertainty** (74% for males and 72% for females) could suggest that political campaigns and petitions may not be widely known or actively pursued by many individuals, regardless of gender. This aligns with findings from studies that suggest while digital activism is growing, it still faces challenges in terms of visibility and outreach, especially among groups that may not be as engaged in political discourse (Karpf, 2016).

In terms of gender differences, while there were no significant differences in terms of online advocacy participation, this study's findings are consistent with broader research on gender and political engagement. Females have historically been found to engage in political participation differently than males, with some studies suggesting they are more likely to participate in social causes, but less likely to be involved in formal, institutionalized politics (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). While this study did not find gendered differences in online advocacy participation, the higher uncertainty rates among both male and female respondents could suggest that social media campaigns or petitions might not yet be seen as integral to political engagement across all genders.

Furthermore, the results also point to a significant gap in understanding or awareness of

online political participation tools. A substantial proportion of respondents (73%) were unsure if they had engaged in online advocacy, suggesting that many individuals may not view digital platforms as significant or effective channels for political participation. This highlights an area for further investigation: how can online platforms better communicate the power and potential of digital activism? Previous research has emphasized the importance of providing users with clearer and more accessible pathways for participation in online political processes (Boulianne, 2015). Addressing this gap could encourage more people to get involved, particularly when the issues at stake resonate with them personally.

CONCLUSION

The data from this study shows that while digital advocacy is available, it has not yet reached the point where it is a widespread or consistent form of political engagement for most social media users. Despite the growing role of social media in political discourse, only a small percentage of both male and female participants actively engage in online advocacy. The significant uncertainty expressed by respondents regarding their involvement in online campaigns suggests that digital political participation remains underdeveloped or under-utilized by many individuals. Further research into the barriers to engagement and the effectiveness of online advocacy is necessary to better understand how social media platforms can encourage greater participation and influence on public policy.

REFERENCES

- Anderson, C. A., & Tushman, M. L. (2021). *The role of digital platforms in political participation: Challenges and opportunities*. Journal of Political Technology, 25(2), 34-52.
- Boulianne, S. (2015). *Social media use and participation: A meta-analysis of current research*. Information, Communication & Society, 18(5), 524-538.
- Ekström, M., & Bjerling, E. (2020). *Digital activism and political participation: A study of online petitions and campaigns*. New Media & Society, 22(3), 487-506. Karpf, D. (2016). *The politics of online activism: What works and what doesn't*. Political Communication, 33(3), 368-387.
- Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F.,& Watts, D. J. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096.
- McDonnough, A. (2020). Social media and political activism: A review of the #MeToo and #BlackLivesMatter movements. *Journal of Social Media Studies*, 12(4), 45–62.
- Nahon, K., & Hemsley, J. (2013). *The politics of social media: Political participation in the digital age*. Polity Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Tufekci, Z. (2014). Social media and the decision to participate in political protest: Observations from the Gezi Park protests in Turkey. *Journal of Communication*, 64(2), 337-352. https://doi.org/10.1111/jcom.12073
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

नये युग के युद्ध के संचालन का एक ऐतिहासिक अध्ययन

❒ नरेन्द्र कुमार*
❒ डॉ. सोनू सरन**
❒ डॉ. हरीश कुमार***

शोध-सारांश

स्थान और समय के लिहाज से देखा जाए, तो युद्ध अब केंद्रित नहीं रह गए हैं, बल्कि बड़े क्षेत्र में उनका फैलाव हो गया है। कृषि, व्यापार, वित्त और संसाधनों की साझेदारी जैसे क्षेत्र पहले पूरी तरह से नागरिक डोमेन के तहत आते थे, लेकिन अब इन्हें भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। जाहिर है कि प्रौद्योगिकी को शामिल करने का मतलब है, अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका मतलब है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस (DGQA) जैसी एजेंसियों के साथ संपर्क के मौजूदा मॉडल की तुलना में लोगों की संख्या में बढ़ोतरी. टेक्नोलॉजी से सेना के कामकाज में और बदले में, उनके साथ समन्वय करना अधिक मुश्किल कार्य बन जाता है। इसके उदाहरणों पर नजर डालें, तो इसमें मानव रहित प्रणालियों में डेटा मानकीकरण, साइबर सुरक्षा और स्वायत्तता के मुद्दे शामिल हैं. सूचना के दोबारा वर्गीकरण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सभी तीनों सेवाओं में, अधिकांश सूचनाओं को वर्गीकृत किया गया है, जो समाधानों हेतु नागरिक स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियाँ पैदा करती हैं, क्योंकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण के लिए रियल टाइम डेटा की आवश्यकता होती है, न कि कृत्रिम रूप से पैदा किए गए डेटा की। उदाहरण के लिए यदि एक निश्चित क्षेत्र के लगातार रीयल–टाइम उपग्रह मानचित्रों के बीच अंतर की पहचान करने के लिए एक निश्चित एआई एल्गोरिदम को सीखने की जरूरत है, तो इसे प्रशिक्षण या सिंथेटिक डेटा पर निर्भर रहने के बजाए, रियल टाइम डेटा पर प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी।

मुख्य शब्द–*प्रौद्योगिकी, थिंक टैंक, एंटी–टैंक गाइडेड, सैन्य क्षेत्रों आदि।*

* शोधार्थी, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान
** शोध निर्देशक, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान
*** सह–निर्देशक, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान

परिचय

मौजूदा नियम–कानून सैन्य और नागरिक डोमेन के बीच सूचना की निर्बाध आवाजाही की अनुमति नहीं देते हैं। भू–स्थानिक इंटेलिजेंस, स्पेस स्टार्टअप्स और ओपन–सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) के प्रसार के निजीकरण के साथ ही इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि किस चीज को गोपनीय माना जाए और किसे नहीं। सशस्त्र बलों के भीतर टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के लिए भी उनके और उनके सिविलियन समकक्षों के बीच करीबी समन्वय की जरूरत है, जैसे कि शिक्षा, थिंक टैंक, उद्योग और अन्य मंत्रालयों के साथ। इससे दोहरा लक्ष्य हासिल होता है, यानी सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की लागत में कमी, विशेष रूप से अनमैन्ड सिस्टम, एआई और डेटा प्रबंधन प्रणाली जैसे संभावित दोहरे उद्देश्यों वाली प्रौद्योगिकियों और प्लेटफार्मों के लिए एवं दो क्षेत्रों के बीच समानताओं के बेहतरीन और अधिकतम उपयोग के माध्यम से स्वदेशीकरण का प्रोत्साहन सुनिश्चित करना। उद्योग समूहों और उद्योग संघों की स्थापना उन उदाहरणों में से एक है, जिनके माध्यम से इसे हासिल किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध हथियारों के प्लेटफॉर्म और तकनीकों के उपयोग एवं उनके महत्त्व को लेकर कुछ सबक देता है। ये सबक भारतीय संदर्भ में उपयोगी साबित हो सकते हैं, साथ ही ये सबक इस पर बहस की रूपरेखा तैयार करते हैं कि भविष्य के युद्धों के लिए रूस–यूक्रेन संघर्ष ने एक विशेष तरह की दुविधा को सामने लाने का काम किया है, यानी क्या परेशानी वाला कठिन दौर वापस आ गया है या नहीं? दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने में पारंपरिक युद्ध की अनुपयोगिता को प्रदर्शित करता है। पश्चिम के नजरिए से देखा जाए, तो छोटी यूनिट की रणनीति, हाई–टेक्नोलॉजी और रक्षात्मक हथियार जैसे कि एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGMs) ने सशक्त रूसी सेना के विरुद्ध एक प्रभावी यूक्रेनी लड़ाई की अगुवाई की है। इन सभी हथियारों और प्रौद्योगियों को इंटेलीजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकोन्नैसैन्स (ISTAR) यानी खुफिया, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति और टोही जैसे कि (UAV) स्टारलिंक जैसे निजी उपग्रह समूह और पलान्टिर एवं क्लियरव्यू जैसी कंपनियों के टूल्स के उपयोग के उभरते रूपों द्वारा जोड़ा गया है। हालाँकि, लड़ाई के दूसरे चरण में यानी 2023 के वसंत में एक संभावित यूक्रेनी आक्रमण के लिए टैंक जैसे आक्रामक हथियारों के उपयोग की जरूरत है, जो कि NATO के भीतर और अमेरिका के साथ मतभेद की एक प्रमुख वजह है इसके अलावा, रूस द्वारा यूक्रेन के नागरिक और दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन के समूहों का उपयोग किए जाने की सूचना है। रूस के इस ड्रोन हमले का उद्देश्य नागरिकों के मनोबल को तोड़ना है और यूक्रेनियों द्वारा IW के इस्तेमाल को रोकना है। रूस और यूक्रेन के बीच का यह संघर्ष एक बार फिर से साबित करता है कि सेना और नागरिक के बीच की रेखा मिट गई है और प्रौद्योगिकी दोनों के बीच सेतु बनी हुई है।

नागरिक के समूह की आवश्यकता

नागरिकों की कुछ टीमों को रियल टाइम में उनके प्रोटोटाइप के परीक्षण के लिए प्रमुख संरचनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसा कि बेराकटार मॉडल में होता है। सैनिकों और नागरिक विशेषज्ञों के बीच जरूरी स्तर के सामरिक समन्वय के लिए शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल जवानों की आवश्यकता होती है। भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों का चयन करके, विशेष रूप से अग्निवीर योजना के आलोक में, जो देश को तकनीकी रूप से कुशल सेना बनाने के लिए जीवन में एक बार अवसर प्रदान करती है, तकनीक रूप से दक्ष सैन्य कमांडर्स इसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

आज विवादास्पद समानताएँ

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को विवादास्पद समानता भी कहा जा सकता है, जिसमें रूस की सशस्त्र सेनाएँ यूक्रेन को माध्यम बनाकर NATO के साथ मुकाबला कर रही हैं। पश्चिम की

अधिकांश सेनाओं ने, अपने फुल्दा गैप मोमेंट के बाद मानसिक रूप से भीषण युद्ध के लिए खुद को पारंपरिक और गैर–परंपरागत रूप से तैयार किया है। यूक्रेनी युद्ध मैदान ने रूसी सेना को विभिन्न क्षमताओं और प्लेटफार्मों के साथ अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्षमता के सीध विरोध में खड़ा कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों को रूस के विरोधी देशों यानी पूर्वी यूरोपीय देशों से तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें इन विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे कि जर्मनी के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, अमेरिकी ड्रोन और फ्रांसीसी आर्टिलरी गन्स को संचालित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सैन्य नेतृत्व का लिटमस टेस्ट यानी उसकी कुशलता और क्षमता सर्वोत्तम फोर्स स्ट्रक्चर को लेकर निर्णय लेने और उसका गठन करने में निहित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सशस्त्र बल राष्ट्रीय हितों को हासिल करने के लिए न केवल प्रभावी उपकरण बने रहें, बल्कि एक निरंतर समय अवधि के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं।

युद्ध के समय अलग–अलग टेक्नोलॉजियों के साथ एक कॉमन कमांड और कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रणालियों को शामिल करने की जरूरत होती है और उसके लिए जूनियर स्तर पर लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं इसके लिए व्यापक स्तर पर ऑपरेशनल मार्गदर्शन और राजनीतिक एवं रणनीतिक स्तर पर मानकीकरण मानदंडों की भी जरूरत होती है। इसका अर्थ यह है कि आज टेक्नो–लीडरशिप की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है, जैसा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के मामले में अपनी क्षमता को बढ़ाया है, ऐसे में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों को कुछ बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि योग्य भागीदारों के साथ मिलकर उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए सभी सेवाओं हेतु मानकीकरण मेट्रिक्स जारी करना, चयनित तकनीकों के लिए नागरिक–सैन्य एकीकरण सुनिश्चित करना ताकि कंपनियाँ इसको लेकर अच्छी तरह से प्रयोग कर सकें और सफलता–विफलता के दौर से तेजी से आगे बढ़कर आखरि में सफलता हासिल कर सकें, इसके अलावा और अपेक्षाकृत मॉड्यूलर और लचीले संगठन बनाना।

विघटनकारी टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग

पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विघटनकारी तकनीक गड़बड़ी फैलाने या कुशलता से काम करने में नाकाम रहती है। प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य समानता लाना है, यानी साइलो या गतिरोधों को समाप्त करना और रैंकिंग को खत्म करना है। तकनीकों का समान पटल पर उपयोग करने से वे बेअसर हो जाती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी में सक्षम कमांडरों को प्रौद्योगिकियों की बारीकियों को विस्तार से समझना चाहिए ताकि इसके नए–नए प्रयोग किए जा सकें। इसके लिए एक तरीका शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के साथ नियमित संपर्क है. इसके साथ ही जूनियर अधिकारियों के इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन (DDP) जैसी पहलों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सैनिकों को सरकारी संस्थानों और स्टार्टअप्स की प्रयोगशालाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि वे अपने विचारों को विकसित कर सकें और यदि उनके विचार व्यावहारिक हों तो उसे और आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का संभावित समर्थन दिया जाए। टेक्नो–कमांडर इस परिवर्तन को सुविधाजनक बना सकते हैं।

युद्ध और राजनीति,

वांछित राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के मामले में युद्ध और राजनीति के बीच संबंध आज उतना दृढ़ नहीं है, जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हुआ करता था। परमाणु हथियारों के आगमन ने किसी देश के सभी उपकरणों को कवर करने के लिए तीव्रता और युद्ध की पहुँच बढ़ाने के लिए छद्म युद्धों, सूचना युद्ध और सटीक हथियारों के उपयोग की अगुवाई की है। फायर और कार्पेट बमबारी की मानसिकता, जिसमें नागरिक आबादी को आसान शिकार माना जाता था, उसे युद्ध के उभरते क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था। इसका मतलब

था कि अधिक से अधिक क्षेत्र हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगे।

आज सशस्त्र बलों में तकनीकी रूप से सक्षम कमांडरों की आवश्यकता है। यानी ऐसे कमांडर या अधिकारी जो बदले हुए वातावरण, गैर–सैन्य क्षेत्रों या सिविलियन डोमेन में युद्ध के विस्तार, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की प्रकृति एवं निहितार्थों को अच्छी तरह से समझने वाले हों। आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह उसी रणनीतिक वास्तविकता से उपजा हुआ है। युद्ध के बारे में कोई चाहे जो कुछ कहे, लेकिन युद्ध में पूरी तरह से जीत संभव नहीं है। देखा जाए तो रूस–यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है, इसमें जो भी किरदार हैं वे काइनेटिक और नॉन–काइनेटिक दोनों प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हुए तीव्र संघर्षों के छोटे–छोटे झटकों के माध्यम से एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। जो पक्ष हारता है, वह अपने भागीदारों और अपनी क्षमताओं दोनों की तलाश करता है और अपने नुकसान की भरपाई के लिए अगले दौर के युद्ध की तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुट जाता है। वास्तव में इस युद्ध में पारंपरिक हथियार प्लेटफार्मों की प्रमुखता ने एक देश के राजनीतिक– सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में पारंपरिक युद्ध की अनुपयोगिता को रेखांकित किया है। आज हम जो देखते हैं वह सर्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का युग है। तकनीकी तौर पर दक्ष कमांडरों को इस नई वास्तविकता को समझने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रासंगिक क्षमताओं का निर्माण, विस्तार और प्रतिस्पर्धा को तेजी से छोटे विस्फोटों में उपयोग किया जाता है। भविष्य में चुनौतियाँ असामान्य होने वाली हैं। सेना के वरिष्ठ जनरलों को यह समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वे उभरती चुनौतियों, नई तकनीकों और नए विरोधियों के बारे में सक्षम या जागरूक नहीं हो सकते हैं। उन्हें अपने जूनियर अधिकारियों और नागरिकों समेत दूसरों की विशेषज्ञता को समझने, उसका सम्मान करने और उसे आत्मसात् करने की आवश्यकता है। अब पुराने जमाने के नहीं, बल्कि विभिन्न आवश्यकताओं के साथ 24X7 चलने वाले ऑपरेशन्स होंगे। स्मार्टफोन की सर्वव्यापकता और सिंड्रोम से जूनियर नेतृत्व पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और तकनीक–सक्षम कमांडरों को प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का सामना करने के लिए, एवं इनकी धार को कुंद करने के लिए मुस्तैद रहने की आवश्यकता है। आज की सैन्य रणनीतियों को राजनीति के मुताबिक संचालित करने हेतु एक अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले के समय के विपरीत, एक रणनीतिक ठहराव सबसे अच्छा है, जिसे हासिल किया जा सकता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पहले ईरान और फिर तालिबान के विरुद्ध इसे सीखा है। इसलिए, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करने और उनका लाभ उठाने की जरूरत है ताकि विरोधी रैंकों में संज्ञानात्मक मतभेद पैदा किए जा सकें। इसके साथ ही जब इनको लक्षित किया जा रहा है, तब इन्हें रक्षात्मक उपाय करने और परिस्थिति के मुताबिक पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। सशत्र बलों के भीतर पदानुक्रमित मॉडलों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो कि युद्ध की स्पीड के मुताबिक तीव्र और निर्णायक कार्रवाइयों में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। OODA लूप को फिर से विशिष्ट कार्यों के लिए उसके अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन (PME) की एक नई प्रणाली, जो कि स्वायत्त निर्णय लेने पर जोर देती है, उसे भी विकसित करने की जरूरत है। आज के समय की एक तत्काल आवश्यकता यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों में तकनीकी के साथ ही प्रणालीगत, सांस्कृतिक और संगठनात्मक परिवर्तनों को अमल में लाया जाए, ताकि लगातार प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वे अपनी दक्षता को बरकरार रख सकें। आज सशस्त्र बलों में तकनीकी रूप से सक्षम कमांडरों

की आवश्यकता है। यानी ऐसे कमांडर या अधिकारी जो बदले हुए वातावरण, गैर–सैन्य क्षेत्रों या सिविलियन डोमेन में युद्ध के विस्तार, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की प्रकृति एवं निहितार्थों को अच्छी तरह से समझने वाले हों। साथ ही ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है, जो विरोधी पक्ष में न सिर्फ असहमति और असंतोष को बढ़ावा देने में सक्षम हों, बल्कि उसे पैदा करने वाले भी हों। जाहिर है कि ऐसे सैन्य कमांडरों की जरूरत को इस शिद्दत के साथ पहले कभी भी महसूस नहीं किया गया है।

2000 के दशक की शुरुआत में चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर सैन्य खतरे की चिंताओं ने भारत को किसी भी क्षेत्र के नुकसान को रोकने के लिए निवारण और हतोत्साहन पर आधारित रणनीति विकसित करने के लिए प्रेरित किया। हालाँकि, सेना को कभी भी उस हिसाब से संसाधन नहीं दिए गए, जिससे गंभीर कमजोरियाँ खुली रहीं। भारत–चीन और भारत–पाकिस्तान संबंधों में हाल ही में हुए सुधारों के बावजूद, दो मोर्चों पर सैन्य खतरा एक विकट चुनौती बना हुआ है। जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। भारत के पास दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को संसाधन देने के लिए आर्थिक साधन नहीं हैं। **विकल्प**–बाहरी संतुलन के लिए अन्य शक्तियों के साथ साझेदारी की तलाश करना भी मुश्किल साबित होगा, यह देखते हुए कि क्वाड पहल अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और अभी तक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। इसलिए, नई दिल्ली के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प न तो दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना है और न ही लड़ने की तैयारी करना है। इसके बजाय, भारत को अपने किसी विरोधी के साथ टिकाऊ और स्थायी शांति की तलाश करनी चाहिए। चूँकि चीन दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बना हुआ है और पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति नई दिल्ली में प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के साथ असंगत है, फिर भी, भारतीय सेना के एक अव्यवहारिक स्थिति में रहने की संभावना है संसाधन–विवश, अत्यधिक तनावग्रस्त और असुरक्षित।

स्टिमसन का दक्षिण एशिया कार्यक्रम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की एक श्रृंखला से दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा और विश्लेषण की विशेषता वाले शोध नोट्स की एक श्रृंखला प्रकाशित करने में प्रसन्न है। इन लेखों का उद्देश्य उभरते विषयों और तनावों पर विविध दृष्टिकोण प्रदान करना है जो आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय स्थिरता और भूराजनीति को प्रभावित करेंगे। इस जनवरी में अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने कहा कि "सैन्य और गैर–सैन्य दोनों क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग बढ़ा है। दो मोर्चों की स्थिति ऐसी चीज है जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।" दो मोर्चों के खतरे को अन्य शीर्ष भारतीय सैन्य कमांडरों ने भी स्वीकार किया है, हालाँकि देश का राजनीतिक नेतृत्व इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चुप रहा है। सितंबर, 2020 में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्वीकार किया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चीनी आर्थिक सहयोग, साथ ही निरंतर सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन हमारे लिए उच्च स्तर की तैयारी की माँग करता है। इससे उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर समन्वित कार्रवाई का खतरा भी पैदा होता है, जिसे हमें अपनी रक्षा योजना में विचार करना होगा। हालाँकि, रावत ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय सैनिक ऐसे किसी भी खतरे को विफल करने में सक्षम होंगे और उन्होंने पहले ही एक योजना बना ली है। उन्होंने कहा कि योजना की कुंजी, संचालन करने के लिए एक प्राथमिक और द्वितीयक मोर्चे की पहचान करना था। एक महीने बाद, भारतीय वायु सेना (IAF) प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया ने अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका बल दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है, भले ही उन्होंने इसके संचालन का कोई विवरण नहीं दिया। भारतीय

वायुसेना प्रमुख के मामले में, उनके पास मौजूद संसाधन तभी से कम होते जा रहे हैं, जब से उनके पूर्ववर्ती ने चेतावनी दी थी कि "दो मोर्चों वाली स्थिति में हवाई अभियान को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए हमारी संख्या पर्याप्त नहीं है। दो मोर्चों वाली स्थिति की संभावना का आकलन करना जरूरी है। लेकिन क्या संख्याएँ पर्याप्त हैं? नहीं। स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं।"

भारतीय वायुसेना के साथ–साथ भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना भी दो मोर्चों वाली चुनौती का सामना करने में समान रूप से अक्षम हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी, स्पष्ट रणनीति का अभाव और संबंधित संरचनात्मक कारक हैं। भारत के लिए दो मोर्चों वाले सैन्य खतरे पर चर्चा 2006 के आसपास शुरू हुई और 2009 में रक्षामंत्री के ऑपरेशनल निर्देश में औपचारिक रूप से व्यक्त की गई। हालाँकि, प्रतिक्रिया में कभी भी दो मोर्चे के सहयोगी खतरे के लिए संसाधन नहीं जुटाए गए। इस प्रकार दो मोर्चे के युद्ध से निपटने का यह तरीका एक सर्वोत्तम स्थिति पर आधारित है जहाँ सब कुछ योजना के अनुसार होता है, ताकि नई दिल्ली चीन से बड़े पैमाने पर क्षेत्र का नुकसान होने से बचा सके क्योंकि वह पाकिस्तानी दबाव को झेलने में सक्षम है। परमाणु विकल्प की उपलब्धता के बावजूद इस तरह के युद्ध की रूपरेखा और सैन्य ताकत की चुनौती, नई दिल्ली के लिए गंभीर कमजोरियों की ओर इशारा करती है।

निष्कर्ष

आज भी चीन–भारत सीमा पर तनाव हाल ही में कम हुआ है और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में मधुरता आने वाली है, लेकिन दो मोर्चे की चुनौती विकट बनी हुई है और निकट भविष्य में इसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर भारत दो मोर्चे के युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका इससे लड़ने के लिए तैयार रहना है, तो देश के पास ऐसी चुनौती के लिए अपनी सेना को संसाधन देने के लिए आर्थिक साधन नहीं हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन समय में इसे भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छात्र इसे अत्यंत उत्साह से पढ़ते थे। भारतीय पुनर्जागरण के समय (बीसवीं सदी के प्रारंभ) में भारतीय वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। 1947 में देश के आज़ाद होने के पश्चात् संस्थाओं की स्थापना की गई ताकि विज्ञान के क्षेत्र में हुई इस सहज एवं रचनात्मक प्रगति को और बढ़ावा मिल सके। इस कार्य में विभिन्न राज्यों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद से भारत सरकार ने देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक अवसंरचना के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सन्दर्भ स्रोत

1. चौपल, माइक (2005), प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना पूर्वी मोर्चे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना का खंड 3, ऑस्प्रे पब्लिशिंग।
2. डेविस, पॉल के. (1994), अंत और साधन ब्रिटिश मेसोपोटामिया अभियान और कमीशन, एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. फोर्ड, रोजर (2009), ईडन टू आर्मागेडन मध्य पूर्व में प्रथम विश्व युद्ध, लंदन वीडेनफेल्ड और निकोलसन आइसबैन।
4. हीथकोट, टी. ए. (1995), ब्रिटिश भारत में सेना दक्षिण एशिया में ब्रिटिश भूमि सेना का विकास, 1600–1947, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, एन.डी.।
5. होयट, एडविन पी (1981). गुरिल्ला कर्नल वॉन लेटो–वोरबेक और जर्मनी का पूर्वी अफ्रीकी साम्राज्य, मैकमिलन पब्लिशिंग कंपनी।
6. जेफरी, कीथ (1984), ब्रिटिश सेना और साम्राज्य का संकट, 1918–22. मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, एन.डी.।
7. किंजर, स्टीफन (2003), ऑल द शाह्स मेन एन अमेरिकन कूप एंड द रूट्स ऑफ मिडिल ईस्ट टेरर, लंदन, स्टीफन किंजर, जॉन विले एंड संस, पृष्ठ 48।

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024
Paper Accepted : 15th Dec. 2024

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और ऊधम सिंह

डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

ऊधम सिंह भारत के एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं क्रान्तिकारी थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने वीरतापूर्ण कार्यों से वह प्रसिद्ध हो गए। 13 अप्रैल, 1919 ई. को पंजाब प्रान्त के जलियाँवाला बाग़ में एक शान्तिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश ब्रिगेडियर रेज़िनॉल्ड डायर के आदेश से ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दीं। इस घटना में 1000 से अधिक पुरुषों, म हिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गवाँ दी थी और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हत्याकाण्ड के लिए ऊधम सिंह पंजाब के तत्कालीन लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले ब्रिगेडियर रेज़िनॉल्ड डायर को ही मुख्य रूप से दोषी मानते थे। ऊधम सिंह ने इस हत्याकाण्ड का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। 21 वर्षों के पश्चात् 13 मार्च, 1940 ई. को लन्दन में उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटिश शासन ने ऊधम सिंह को फाँसी का दण्ड दिया। 31 जुलाई, 1940 ई. को उन्हें फाँसी दे दी गई। अपने महान् बलिदान से उन्होंने अपना नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर लिया है।

मुख्य शब्द–*स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, रौलेट एक्ट, जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या, शहादत और सम्मान।*

प्रस्तावना

शहीद ऊधम सिंह का नाम भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में एक महान् क्रान्तिकारी एवं देशभक्त के रूप में अंकित है। अपने दृढ़ अध्यवसाय और विचारों के द्वारा एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी वह लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो गए। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसम्बर, 1899. ई0 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रान्त स्थित संगरूर ज़िले के सुनाम नामक ग्राम में एक कम्बोज सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार टहल सिंह और माता का नाम नारायण कौर था। उनके पिता एक किसान थे और पास ही के गाँव में रेलवे क्रॉसिंग वाचमैन के रूप में भी काम किया करते थे। 1901 ई. में ऊधम सिंह की माता का और 1907 ई. में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी. पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail- gbpantdegreecollege@gmail.com Mob.- 9412368300

के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः ऊधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। अनाथालय में ऊधम सिंह की ज़िन्दगी चल ही रही थी कि 1917 ई. में उनके बड़े भाई का भी देहान्त हो गया। अब वह पूरी तरह से अनाथ हो गए। 1918 ई. में ऊधम सिंह ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की।

रौलेट एक्ट

भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और 1919 ई. में ही ब्रिटिश सरकार ने रौलेट कमेटी की रिपोर्ट को क़ानून का रूप दे दिया। इसके द्वारा सरकार को राजनीतिक दृष्टि से संदेहास्पद व्यक्तियों को बिना वारंट के बन्दी बनाने, देश से निष्काषित करने, प्रेस पर नियन्त्रण रखने तथा राजनीतिक अपराधियों के लिए बिना जूरी के विशेष न्यायालयों को स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीयों ने इसे **'काला क़ानून'** की संज्ञा दी।

जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड

13 अप्रैल 1919 ई. को बैसाखी के दिन सायं 4:30 बजे अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में गाँधी जी के आह्वान पर रौलेट एक्ट एवं पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉ. सतपाल और डॉ. सैफ़ुद्दीन किचलू की गिरफ़्तारी के विरोध में एक शान्तिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में लगभग 30 हज़ार लोग एकत्रित थे। इसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्रियाँ और पुरुष सभी थे। सहसा ब्रिटिश सैनिकों ने बाग़ को चारों ओर से घेर लिया और ब्रिटिश ब्रिगेडियर रेज़िनॉल्ड डायर की आज्ञा से निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगे। इस घटना में 1,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान गवाँ दी थी और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड पर प्रकाश डालते हुए श्री व्यथित हृदय ने लिखा है कि **"अंग्रेज़ों ने 1650 राउण्ड गोलियाँ चलाईं, जिससे सभा में भगदड़ मच गई। सारा बाग़ चीख़–पुकार से गुंजित हो उठा। बाग़ में चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई देनी लगीं। अंग्रेज़ भागने वालों को भागने भी नहीं देते थे। जो भागता था, वे उस पर भी आक्रमण करते थे।[1]"** ऊधम सिंह ने इस पैशाचिक हत्याकाण्ड को अपनी आँखों से देखा था। इस हत्याकाण्ड की भारत सहित पूरी दुनियाँ में कड़ी आलोचना हुई थी। ब्रिटिश संसद के निम्न सदन 'हाउस ऑफ़ कामन्स' ने तो जनरल डायर के खिलाफ़ निन्दा का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन उच्च सदन 'हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स' ने प्रशंसा पत्र पारित किया। निन्दा प्रस्ताव पारित होने के बाद जनरल डायर ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड का ऊधम सिंह पर प्रभाव

जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड ने ऊधम सिंह के हृदय में हलचल उत्पन्न कर दी थी। स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों की चीख़–पुकार सुनकर उनका हृदय काँप उठा था। उन्होंने उसी समय मुट्ठी बाँधकर प्रतिज्ञा की थी कि **"मैं ख़ून का बदला ख़ून से लेकर रहूँगा।"[2]** ऊधम सिंह जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर तथा गोली चलाने का आदेश देने वाले ब्रिगेडियर रेज़िनॉल्ड डायर को ही मुख्य रूप से दोषी मानते थे। कई इतिहासकारों का भी मानना है कि **"जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड जनरल माइकल ओ डायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यन्त्र था, जो पंजाब प्रान्त पर नियन्त्रण बनाने के लिए किया गया था।"[3]** इसलिए 1919 ई. में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और किसी प्रकार दक्षिण अफ़्रीका चले गए। कुछ दिनों पश्चात् वे अमेरिका जा पहुँचे। अमेरिका में

उन्होंने अपनी दाढ़ी मुँडवा दी थी, पर सिर पर अभी भी बड़े–बड़े बाल थे। अमेरिका में रहते हुए वे ग़दर पार्टी से जुड़ गए। ग़दर पार्टी का गठन अमेरिका के सैन फ़्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 ई. में भारत से अंग्रेज़ी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। ग़दर पार्टी के अन्य सदस्यों की तरह ऊधम सिंह का भी मानना था कि **''अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध हथियार उठाना ग़द्दारी नहीं, महायुद्ध है। हम विदेशी राज के आज्ञाकारी नही, घोर दुश्मन हैं।''**[4] एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने ग़दर पार्टी की गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

अमेरिका में रहते हुए ही ऊधम सिंह को भगत सिंह का एक पत्र मिला। उन्होंने उस पत्र के द्वारा ऊधम सिंह को भारत वापस बुलाया था और भारत में विप्लव की आग जलाने की सलाह दी थी। भगत सिंह का पत्र पाकर ऊधम सिंह अमेरिका से चल पड़े। वे अपने साथ कुछ अस्त्र–शस्त्र भी भारत ले आए। ऊधम सिंह जिस जहाज़ से भारत लौट रहे थे, उस जहाज़ पर एक अमरीकी महिला भी थी। अमरीकी महिला उनके गुणों पर मुग्ध हो उठी और उनसे प्रेम करने लगी। उस महिला के कहने पर ऊधम सिंह ने अपने सिर के बड़े–बड़े बाल भी कटवा लिए थे। उस महिला ने उनके क्रान्तिकारी कार्यों में बड़ी सहायता पहुँचाई थी।

भारत पहुँचकर ऊधम सिंह लाहौर में रहने लगे और क्रान्तिकारी कार्यों में योग देने लगे। एक दिन अवैध शस्त्र रखने के अपराध में उन्हें बन्दी बना लिया गया। उन पर मुक़द्मा चला और उन्हें चार वर्ष की सज़ा दी गई। चार वर्ष की सज़ा काटने के बाद 1932 ई. में ऊधम सिंह कारागार से बाहर निकले। लेकिन अब भारत में रहना उनके लिए कठिन हो गया था। वे जहाँ कहीं भी जाते थे, गुप्तचर उनके पीछे लगे रहते थे। अतः उन्होंने एक बार पुनः भारत छोड़ने का निश्चय किया। बड़े कौशल से एम.ए. सिंह के नाम से एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट लेकर 1933 ई. में वह यूरोप चले गए। कई देशों में भ्रमण करने के पश्चात् 1934 ई. में वह लन्दन पहुँचे और वहाँ 9, एल्डर स्ट्रीट, कामर्शियल रोड पर रहने लगे। वहाँ उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना ध्येय पूरा करने के लिए छह गोलियों वाली एक रिवाल्वर भी खरीद ली। ऊधम सिंह बड़े धैर्य से जनरल माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित समय का इंतज़ार करने लगे।

ऊधम सिंह के मन को उनकी प्रतिज्ञा आकुल बनाए रखती थी। वे जहाँ ठहरे हुए थे, उसके पास ही हरनाम सिंह नाम का एक सिख भी रहता था, जो हलवाई का काम करता था। ऊधम सिंह उसके पास जाया करते थे। उन्होंने उससे कहा था कि वे एक विशेष कार्य करने के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। हरनाम सिंह उन्हें पागल समझता था, क्योंकि उसे ऊधम सिंह की बातों में यथार्थता नहीं मिलती थी। 1937 ई. में वह लन्दन स्थित शेफ़र्ड बुश गुरुद्वारे में नज़र आए, जहाँ बिना दाढ़ी के बेहतरीन सूट में अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे।

जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड में गोली चलाने का आदेश देने वाले ब्रिगेडियर रेज़िनॉल्ड डायर की मौत के बाद ऊधम सिंह का निशाना पंजाब के तत्कालीन लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर थे, क्योंकि उन्होंने इस नरसंहार को उचित बताया था तथा इसका समर्थन किया था। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या के एक दिन पहले यानी 12 मार्च, 1940 ई. को ऊधम सिंह ने अपने कई दोस्तों को दावत पर बुलाया और सबका मुँह मीठा कराने के बाद घोषणा की कि **''अगले दिन लन्दन में एक ऐसा काम होगा, जो अंग्रेज़ हुकूमत की नींव हिला देगा।''**[5] वास्तव में ऐसा ही हुआ।

जनरल माइकल ओ डायर की हत्या

13 मार्च, 1940 ई. को जनरल माइकल ओ

डायर लन्दन के कैक्सटन हॉल में 'ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन' और 'सेन्ट्रल एशियन सोसाइटी' (वर्तमान में रॉयल सोसाइटी फॉर एशियन अफ़ेयर्स) की एक संयुक्त बैठक में बोलने वाले थे। ऊधम सिंह, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का अपना परिचय पत्र कोट की ऊपर की जेब में डालकर समय से कैक्सटन हॉल पहुँचे। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था, जिससे हथियार आसानी से छिपाया जा सके। उनके पास कुल आठ गोलियाँ थीं। सभा में बोलते हुए जनरल माइकल ओ डायर ने कहा था कि **''भारतीय बड़े कायर होते हैं। अमृतसर के जलियाँवाला बाग़ में गोलियों की आवाज़ सुन वे भेड़ों की तरह भाग रहे थे। उन्हें अभी सैकड़ों वर्षों तक दबाकर रखा जा सकता है।''**[6]

सायं 4:30 बजे के लगभग सभा समाप्त हो चुकी थी। लोग अपने–अपने घर जाने लगे थे। सहसा ऊधम सिंह उछल कर माइकल ओ डायर के पास जा पहुँचे। उन्होंने माइकल ओ डायर को दो गोलियाँ मारीं, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद ऊधम सिंह ने स्टेज पर खड़े स्टेट ऑफ़ इण्डिया के सेक्रेटरी लॉर्ड जेटलैंड को भी दो गोलियाँ मारीं, जबकि बॉम्बे के पूर्व गवर्नर लॉर्ड लैमिंग्टन और पंजाब के पूर्व एल.जी. सुई डेन को भी एक–एक गोली मारी। ऊधम सिंह ने वहाँ से भागने की कोई कोशिश नहीं की और वीरतापूर्वक अपनी गिरफ़्तारी दी। अंग्रेज़ों द्वारा तलाशी लेने पर उनके पास से एक अमरीकी पिस्तौल और दो गोलियाँ बरामद हुईं।

ऊधम सिंह को गिरफ़्तार कर ब्रीक्सटन जेल भेज दिया गया। जेल में ऊधम सिंह ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में स्वयं को 'हिन्दू–मुस्लिम–सिख' एकता के प्रतीक के रूप में पेश किया तथा 36 दिनों की भूख हड़ताल की। अंग्रेज़ पुलिस और अदालत के समक्ष दिए गये बयानों में उन्होंने अपना नाम 'राम मोहम्मद सिंह आज़ाद' बताया। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार **''ऊधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर 'राम मोहम्मद सिंह आज़ाद' रख लिया था, जो भारत के तीन प्रमुख धर्मों का प्रतीक है।''**[7]

शहादत

ऊधम सिंह पर हत्या के अभियोग में मुक़द्मा चलाया गया। मुक़द्में के दौरान ऊधम सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत की छवि को धूल में मिलाने का एक भी मौक़ा नहीं छोड़ा। जब अंग्रेज़ जज ने ऊधम सिंह से सीधे यह सवाल पूछा कि बस ये बताओ कि तुम्हें फाँसी की सज़ा क्यों नहीं दी जाए? इसके जबाब में ऊधम सिंह ने ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि **''मुझे सज़ा–ए–मौत की कोई फ़िक्र नहीं है। मैंने बदला लेने के लिए पूरे 21 वर्षों तक इंतज़ार किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने मक़सद में कामयाब रहा। मुझे मौत से डर नहीं लगता है। मैं अपने वतन के लिए अपनी जान दे रहा हूँ।''**[8]

ऊधम सिंह के मन में देशप्रेम की भावना हिलोरें मार रही थीं। बर्बर एवं ज़ालिम ब्रिटिश शासकों के अत्याचार भी उनकी वीरता और साहस को डिगा नहीं सके। उन्होंने ब्रिटिश न्यायाधीश की आँखों में आँखें डालकर निडरता से बयान देते हुए अपने जुर्म को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा था कि **''माइकल ओ डायर इसी योग्य था कि उसकी हत्या कर दी जाए। मैंने उसकी हत्या करके पापों का अन्त कर दिया है। वह चाहता था कि मेरे लोगों का हौसला कुचल दे, इसलिए उसे मैंने ही कुचल डाला। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। वृद्धावस्था में मरने की अपेक्षा युवावस्था में मरना कहीं अच्छा होता है।''**[9] ब्रिटिश

न्यायाधीश ने ऊधम सिंह को फाँसी का दण्ड दिया। 31 जुलाई, 1940 ई. को पेंटनविले जेल (लन्दन) में उन्हें फाँसी दे दी गई।

ऊधम सिंह में बचपन से ही राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना कूट–कूट कर भरी हुई थी। फाँसी के समय भी उनकी यह भावना कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक बलवती हो गई। फाँसी के तख़्ते पर खड़े होकर सिंह की तरह दहाड़ते हुए ऊधम सिंह ने कहा था कि **''मैं अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा हूँ। अपनी मातृभूमि की ख़ातिर मृत्यु से ज़्यादा बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है?''**[10] ऊधम सिंह की क़ब्र में ताबूत पर आखिरी मिट्टी डालने के दौरान सम्भवतः अंग्रेज़ों ने यह ज़रूर सोचा होगा कि अब ताबूत के साथ ऊधम सिंह की कहानी भी दफ़न हो गई है, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया और 15 अगस्त, 1947 ई. को भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया।

सम्मान

अपने देश की ख़ातिर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के महान् सेनानी और क्रान्तिकारी ऊधम सिंह ने ज़िंदा रहते हुए जनरल माइकल ओ डायर को मारना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। लेकिन शहादत के बाद भी शायद उनकी आत्मा अपने वतन की धरती को न पाकर परेशान रही होगी। उनकी शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ऊधम सिंह के पार्थिव शरीर वाले ताबूत की माँग ब्रिटिश सरकार से की। भारत सरकार की माँग से दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को ऊधम सिंह के पार्थिव शरीर वाले ताबूत को भारत को सौंपना पड़ा।

19 जुलाई, 1974 ई. को ऊधम सिंह की शहादत के 34 साल बाद उनकी क़ब्र को खोदकर उनके पार्थिव शरीर के ताबूत को निकाला गया और एयर इण्डिया के विशेष विमान से भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्ञानी ज़ैल सिंह, भारत के तत्कालीन विदेशमन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह और केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने उनके पार्थिव शरीर का स्वागत किया। दिल्ली एयरपोर्ट से ऊधम सिंह के पार्थिव शरीर के ताबूत को कपूरथला हाउस पहुँचाया गया। वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी स्वयं मौजूद थीं। इसके बाद भारत में ऊधम सिंह की शवयात्रा निकाली गई। जहाँ भी यह यात्रा पहुँची, लाखों की संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया और 'ऊधम सिंह अमर रहें' के नारे लगाए।

ज्ञानी जैल सिंह ने ऊधम सिंह का अन्तिम संस्कार उनके पैतृक गाँव सुनाम में किया और उनकी चिता को मुखाग्नि दी। इसके बाद 2 अगस्त, 1974 ई. को उनकी अस्थियों को इकट्ठा करने के बाद सात कलशों में रखा गया। इनमें से एक कलश को हरिद्वार, एक को किरतपुर साहिब गुरुद्वारा और एक को रौज़ा शरीफ़ (दरगाह फतेहगढ़ साहिब, पंजाब) भेजा गया। एक अन्य कलश को जलियाँवाला बाग़ ले जाया गया। 2018 ई. में बैसाखी के दिन जलियाँवाला बाग़ के बाहर ऊधम सिंह की एक आदमक़द प्रतिमा स्थापित की गयी है, जिसमें वह अपनी मुट्ठी में खून से सनी मिट्टी उठाए हुए दिख रहे हैं। उत्तराखण्ड में 'ऊधम सिंह नगर' ज़िले का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊधम सिंह एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, क्रान्तिकारी, देशभक्त एवं भारतमाता के सच्चे सपूत थे। जलियाँवाला बाग़ हत्याकाण्ड के मुख्य दोषी जनरल माइकल ओ डायर को लन्दन में भरी सभा में वीरतापूर्ण ढंग से गोली मारकर एवं बदला लेकर उन्होंने भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। मृत्यु की गोद में सदा के लिए सोकर भी वे आज भारतीयों के मन–मस्तिष्क में जीवित हैं। उन्होंने अपना बलिदान देकर अंग्रेज़ों को यह बता दिया कि भारतीय न तो कायर हैं और

न ही उनका पौरुष थका है। अपने बलिदान से ऊधम सिंह ने आज़ादी की क्रान्ति की ऐसी मशाल जलाई, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन जलकर भस्म हो गया। हम समस्त भारतीय युग–युग तक उनके ऋणी रहेंगे तथा उनके बलिदान से स्वदेश प्रेम एवं देशभक्ति की प्रेरणा लेते रहेंगे।

सन्दर्भ स्रोत

1. श्री व्यथित हृदय, स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी (भाग एक), पृष्ठ 93, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1993 ई.।
2. वही, पृष्ठ 93।
3. https://hi.m.wikipedia.org, पृष्ठ 01, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।
4. ग़दर पार्टी विकिपीड़िया–hi.m.wikipedia.org, पृष्ठ 03, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।
5. https://www.patrika.com, पृष्ठ 02, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।
6. श्री व्यथित हृदय, स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी (भाग एक), पृष्ठ 94, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1993 ई.।
7. https://hi.m.wikipedia.org, पृष्ठ 01, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।
8. https://www.patrika.com, पृष्ठ 01, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।
9. श्री व्यथित हृदय, स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी (भाग एक), पृष्ठ 94, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 1993 ई.।
10. https://www.jagranjosh.com, पृष्ठ 01–02, दिनांक 16/08/2024 से उद्धृत।

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

भाषा : मानवीय अस्मिता की परिचायक

❑ डॉ. खेमाबाई साहू*

शोध-सारांश

आज की इस आधुनिकता के तेज रफ़्तार के दौर में संस्कृति का रूप विकृत होता चला जा रहा है। ऐसे में भाषा ही एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा हम अपने संस्कारों को क्षीण न होने दें। संस्कारों को जीवित रखने की यह प्रक्रिया तभी क्रियाशील होगी जब प्रत्येक विद्यालय में हमारी संस्कृत आदि। भारतीय भाषाएँ अनिवार्य रूप से विषय बनी रहेंगी।

आधुनिक बुद्धिजीवियों के शब्द भण्डार में 'पुनरुत्थान' वह शब्द है जिसमें कर्म न तो ध्वन्यासित होता है और न ही दिखायी देता है। अपने ही देश में भाषा के पुनरुत्थान की बात कही जाए, उस भाषा के लिए इससे बढ़कर और कोई दुःख की बात नहीं हो सकती। कटु सच्चाई यह है कि यह हमारी विडम्बना है। भाषा की नहीं। कोई भी भाषा लम्बे समय तक सरकारी अनुदानों अथवा मौखिक आत्म–प्रशंसाओं शक्ति द्वारा जीवित नहीं रहती, उसका स्रोत ऊपर से नहीं नीचे से आता है। उन अतल गहराइयों से जहाँ संस्कार व स्मृतियाँ बसा करती हैं।

मुख्य शब्द–*हमारे पूर्वज।*

यह सर्वविदित है कि अपने बाह्य रूप से अत्यंत तथ्यपरक अनुभूत होने वाला भाषा विज्ञान अपनी चेतना की गहराइयों में मानव अस्तित्व की, उसके विचारों के विकसित परिपक्व रूप की अंतर्कथा कहता है। हर शब्द स्वयं में एक कथा है और जब वह किसी भी प्रकार प्रयोग में लाया जाता है तब उसका यह प्रयोग व्यक्ति विशेष के द्वारा या कथाकार या साहित्यकार के द्वारा किस रूप में किया जा रहा है, उसकी कथा अलग होती है और इस रूप में शब्द की सत्ता सर्वप्रमुख होती है। उसकी चेतना की अपनी कथाएँ होती हैं। वास्तव में शब्दों के मध्य जीवित रहते हुए हम अपनी उन चेतनाओं को जीते हैं जिन्हें कभी हमारे पूर्वजों ने भी अनुभूत किया था।

जैसा कहा गया है कि प्रत्येक शब्द, निर्माण की एक कथा होती है, वस्तुतः प्रत्येक शब्द के पीछे एक अनुभव होता है। एक विशिष्ट अनुभव पुराना होने पर स्मृति में बदल जाता है। साहित्यिक कृति के निर्माण में स्मृति का क्या योगदान होता है, क्या अंतर है। एक साहित्य और एक इतिहास में

* अमन नगर, अवन्ति विहार के पास, आनंद निकेतन, पोस्ट–शंकर नगर, थाना–खम्हारडीह, रायपुर–492001 (छत्तीसगढ़), मो.: 6263186286

–इतिहास की नवीनतम परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि–घटना तब तक स्मृति नहीं बनती जब तक वह हमसे बिल्कुल अलग नहीं हो जाती। बिना स्मृति के कोई घटना सिर्फ एक हादसा बनकर रह जाती है। हादसे में मनुष्य सिर्फ बदहवास हो जाता है– स्मृति का अवकाश उसमें नहीं होता, जिसके रहते ही हम घटनाओं को एक सिलसिलेवार घटना के रूप में बाँधते हैं, जिसे हम इतिहास कहते हैं, एक ही घटना को दो देशों के इतिहास अपने–अपने अनुभव और अस्तित्व की सुरक्षा के अनुरूप भिन्न–भिन्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक देश जिन्हें जिहादी कहता है तो दूसरा उन्हीं जिहादियों को बागी कहता है।

हम अक्सर भूल जाते हैं कि हिंदी की खड़ी बोली, जिसमें अधिकांश हिंदी साहित्य की रचना हुई है, मुश्किल से सौ डेढ़ सौ वर्ष पुरानी है। हिंदी की सांस्कृतिक जड़ें भले ही पाँच हजार वर्ष पूर्व संस्कृत वाङ्मय और लोक भाषाओं में हों, खड़ी बोली में रचा साहित्य शायद दुनियाँ के युवातम साहित्यों में गिना जाएगा। मैथिलीशरण गुप्त से लेकर निराला तक लेखकों को अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए अपनी काव्यात्मक भाषा स्वयं गढ़नी पड़ी थी, बंगला या मराठी लेखकों की तरह उन्हें वह बनी बनाई विरासत नहीं मिली थी। हैरानी होती है, इतने कम समय में हिंदी ने इतनी मंजिलें कैसे पार कर लीं। यह गर्व का विषय है कि कैसे विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए हिंदी लेखक ने इन वर्षों के दौरान एक ऐसा संवेदनात्मक तंत्र तैयार किया, जिसमें संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा की भूमिका उतनी ही महत्त्वपूर्ण थी, जितना स्थानीय बोलियों और लोक भाषाओं का योगदान।

भाषा मनुष्य की देह का अदृश्य अंग है जो उसे आत्मदृष्टि प्रदान करता है। भाषा और आत्म–बोध का यह संबंध मनुष्य को समस्त जीव–जंतुओं से अलग एक अद्वितीय श्रेणी में ला खड़ा कर देता है। अपने अधूरेपन को पहचान कर ही मनुष्य संपूर्णता का स्वप्न देखता है। इसी संपूर्णता की भावना को नष्ट करने की भरसक चेष्टा बहुत से विदेशी आक्रांताओं ने की। जिनमें सबसे अधिक क्षति हमें अंग्रेजों ने पहुँचायी। 1913 में दिए गए लॉर्ड मैकाले का कथन है कि ''जो बंगाली पश्चिमी शिक्षा पाएगा उसे सब प्रत्ययों से विरक्ति हो जाएगी जिसे हिंदू कहा जाता है। अगर आप एक ऐसी युवा पीढ़ी उत्पन्न करना चाहते हैं, जो न केवल अपनी अस्मिता और विरासत से अनभिज्ञ हो, बल्कि उसके प्रति गहरी हिकारत भावना रख सके, तब उसे संस्कृत की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी भाषा है, जो एक भारतीय को अपनी सशक्त परंपरा और विशिष्ट अस्मिता के प्रति सचेत करती है–उसे अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह पश्चिमी मूल्यों में दीक्षित हो सके।''

भाषाओं का विसर्जन ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा केवल नापा–तोला जा सकता है। अपनी आरंभिक अवस्था में स्मृति के द्वारा अपने कुछ मानसिक बिम्बों के साथ वह एक व्यक्ति तक ही सीमित रह जाता है। जब तक वह साहित्य का आकार ग्रहण नहीं कर लेता। निस्संदेह कोई भी साहित्यिक रचना अपने समय की संस्कृति परिवेश के चित्र को न केवल प्रस्तुत करती है वरन् अपने समय की विभिन्न अच्छाइयों, बुराइयों आदि का विस्तृत विश्लेषण भी करती है। हमारी हिंदी भाषा का विकास इतिहास के बंद किवाड़ों की सुरक्षा के भीतर नहीं, साहित्य की खुली हवा के मुक्त थपेड़ों के बीच हुआ है।

भारतेंदु ने जिस हृदय की शूल का वर्णन किया वह भी वास्तव में वही जातीय अस्मिता ही थी। आज मानसिक गुलामी के जिस शब्दकोश के सहारे हम विचारों का आदान–प्रदान करते हैं उसके प्रत्येक प्रत्यय को हमें गढ़ना पड़ता है क्योंकि वह हमारी चेतना में कहीं नहीं है। पाश्चात्य विचारों से हम कुछ सीख सकते हैं पर उनमें हम जी नहीं सकते क्योंकि उनके प्रत्येक शब्द और शब्द से जुड़े विचार के पीछे एक सांस्कृतिक

परिदृश्य है जो उनकी चेतना में बसा हुआ है, जो हमारी अनुभूति का विषय नहीं है। संस्कृत से चलकर हिन्दी तक आने वाला प्रत्येक मुहावरा और लोकोक्ति स्वयं में एक बड़ी कहानी को समेटे हुए हैं, जिन्हें जाने–अनजाने हम अपनी भाषा के सहारे जान जाते हैं और उसे जीते हैं।

आधुनिकता के तेज झंझावातों के मध्य संस्कृति का रूप विकृत होता चला जा रहा है, ऐसे में भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपने संस्कारों को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। संस्कारों को जीवित रखने की यह प्रक्रिया तभी क्रियाशील होगी जब प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत आदि भारतीय भाषाएँ अनिवार्य विषय बनी रहेंगी। इस एक अंतिम उपाय को भी पश्चिमी शिक्षा से लैस बुद्धिजीवी पुनरुत्थान की बात कहकर हाशिये पर रख देते हैं। आधुनिक बुद्धिजीवियों के शब्दकोश में पुनरुत्थान वह शब्द है जिसमें कर्म न तो ध्वन्यायित होता है और न ही दिखाई देता है। अपने ही देश में जिस भाषा के पुनरुत्थान की बात की जाए उस भाषा के लिए इससे बढ़कर और कोई विडंबना नहीं होगी, पर सच्चाई यह है कि यह हमारी विडम्बना है भाषा की नहीं। कोई भाषा बहुत देर तक सरकारी अनुदानों अथवा मौखिक आत्म प्रशंसाओं द्वारा जीवित नहीं रहती, उसकी संजीवनी शक्ति का स्रोत ऊपर से नहीं नीचे से आता है।

उन अतल गहराइयों से जहाँ उसके संस्कार और स्मृतियाँ वास करती हैं।

भारत को देवभूमि और संस्कृत को देवभाषा कहने के पीछे भूमि और भाषा के बीच का शाश्वत और पुनीत संबंध ही ध्वनित होता है। भाषा पाँचों इंद्रियों के सहज एहसास का मौखिक एवं लिखित रूप है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को धरोहर के रूप में प्राप्त होती है।

भाषा हमें वह भूमि देती है, जिस पर पैर टिकाकर ही हम अपने यथार्थ का आकलन कर सकते हैं–पैरों के नीचे से यदि वह भूमि खिसकती जान पड़े, जहाँ हम खड़े हैं तो आस–पास का समूचा परिदृश्य गड़बड़ा जाता है। हम विचारों के वाहक नहीं विचारधाराओं की रखैल बन जाते हैं।

सन्दर्भ स्रोत

1. शब्द समय और संस्कृति, डॉ. सीताकांत महापात्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, संस्करण–2006
2. दूसरे शब्दों में, निर्मल वर्मा, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 1999, नई दिल्ली
3. आदि अंत और आरंभ, निर्मल वर्मा, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 2011, नई दिल्ली
4. आदि अंत और आरंभ, निर्मल वर्मा, भारतीय ज्ञानपीठ, संस्करण 2001, नई दिल्ली

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

वृद्ध जीवन में पीढ़ियों के बीच टकराव प्रेमचन्द की कहानियों का सामाजिक अध्ययन

□ **प्रीती बोपचे***
□ **प्रो. रेनू सिंह****

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य में वृद्धों की समस्याओं का चित्रण किया गया है। वृद्धावस्था एक जटिल और महत्वपूर्ण जीवन चरण है, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विशेष महत्व रखता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज समाज के बदलते ढाँचे, विशेष रूप से संयुक्त परिवारों के टूटने और न्यूक्लियर परिवारों के बढ़ते चलन ने वृद्धों की समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। आज जो गहन समस्या बन गई है, उसे प्रेमचंद ने कई साल पहले अपने साहित्य का विषय बनाया था। प्रेमचंद के साहित्य में वृद्ध विमर्श एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। उनके लेखन में वृद्धों की समस्याओं, उनके संघर्षों और समाज में उनकी स्थिति का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने वृद्धों की स्थिति को न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से देखा, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है।

***मुख्य शब्द**–वृद्धावस्था, पीढ़ीगत संघर्ष, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक संत्रास, एकाकीपन, जीवन, मूल्य, कुंठा, आशंका उपेक्षा।*

प्रस्तावना

वृद्धावस्था एक स्वाभाविक एवं नैसर्गिक प्रक्रिया है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के साथ–साथ परिवार की उपेक्षा भी झेलनी पड़ती है। इस कारण वृद्धवस्था में व्यक्ति को एकाकीपन, अलगाव, भय तथा असुरक्षा घेरे रहती है। जो व्यक्ति युवा पीढ़ी में ऊर्जा का स्त्रोत होता है। वह वृद्धावस्था में परिधि में चला जाता है और सब चीजों से कटा हुआ महसूस करने लगता है। इस स्थिति में युवा पीढ़ी द्वारा वृद्धों के प्रति नकारात्मक व्यवहार उन्हें निराशा की गर्त में ढकेल देता है। "जैसे–जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता

* शोधार्थी, हिंदी विभाग, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, म.प्र.
ई–मेल : preetibopche913@gmail-com, मो.: 9340186262
** शोध निर्देशिका, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, अधिष्ठाता मानविकी एवं भाषा संकाय, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, म.प्र.

है, वैसे–वैसे उसकी सोच में भी परिवर्तन आता चला जाता है। वृद्धावस्था में मानव शरीर शिथिल होता जाता है। जिन कार्यों को वह अपने यौवन काल में सुगमता से कर पाता था उन्हीं कार्यों को करने में वृद्धावस्था में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे–जैसे मानव वृद्धावस्था को प्राप्त होता है उसे न केवल शारीरिक कमजोरियों का सामना करना पड़ता है बल्कि मानसिक शक्ति भी धीरे–धीरे क्षीण होने लगती है, उसके कार्य करने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है।"[1] इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धावस्था में शारीरिक दुर्बलता मानसिक परिवर्तन का कारण बनता है। बदलते मूल्यों के संदर्भ में अपने जीवन मूल्यों से बँधा हुआ वृद्ध व्यक्ति अप्रासंगिक होने लगता है। आज के तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारतीय समाज में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। परिवार की संरचना में बदलाव हो रहा है। संयुक्त परिवार एकल परिवार का रूप ले रहे हैं। भूमंडलीकरण के इस प्रतियोगी युग में वृद्धों की स्थिति अधिक दयनीय हो गयी है। प्राचीनकाल से मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, जैसी उच्च मूल्यपरक संस्कृति सर्वोपरि रही है। उसी भारतीय जनमानस में आज वृद्धों की जो स्थिति देखने को मिलती है, वह विचारणीय है। इस परिवर्तन की कड़ी में साहित्य की रचना भूमि में भी बदलाव निरंतर हो रहे हैं, इसी के बरख्श हिंदी साहित्य में अन्य विमर्शों के सापेक्ष वृद्ध विमर्श को भी देखा जा सकता है। आज वृद्ध जीवन पर केन्द्रित अनेक साहित्यिक कृतियाँ लिखी जा रही हैं। उसे कई वर्षों पहले प्रेमचंद ने अपने साहित्य का विषय बनाया। "प्रेमचंद का साहित्य अत्यंत व्यापक है। प्रेमचंद समाज के प्रत्येक तबके, आयुवर्ग तथा अवस्था के व्यक्ति की समस्याओं को उठाते चलते हैं। एक तरफ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरी तरफ हम लोग अपने पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्यों को विस्मृत करते जा रहे हैं, जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से इस समस्या को बीज रूप में चित्रित किया है।"[2]

प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे कथाकार हैं, जिन्होंने समाज की जमीनी हकीकत और उसके भीतर व्याप्त विविध मुद्दों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उनकी कहानियों में पारिवारिक संबंधों, पीढ़ियों के टकराव और वृद्ध जीवन के संघर्षों को गहराई से उजागर किया गया है। साथ ही उनकी कहानियों में वृद्धों की मनोदशा को मनोविश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने वृद्धों की यथार्थ स्थिति को दर्शाते हुए युवा पीढ़ी को आईना दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने उन सभी परिस्थितियों को हमारे समक्ष रखा है, जो हमारे ह्रदय को अन्तस्थल तक झकझोर देते हैं। जैसे 'बूढ़ी काकी' में दर्शाया गया है, कि वृद्धावस्था बाल्यावस्था का पुनरागमन होता है। बूढ़ी काकी के सभी अंग शिथिल हो जाते है, किन्तु अच्छे भोजन की चाह बनी रहती है। वृद्धावस्था में शारीरिक और मानसिक असमर्थता के कारण व्यक्ति उपेक्षित हो जाता है। ऐसे में आर्थिक असमर्थता उनकी स्थिति को दयनीय बना देती है। बूढ़ी काकी जो अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर देती है, भोजन के लिए जूठे पत्तल से खाने के लिए विवश हो जाती है। इसी प्रकार 'पंच परमेश्वर' की खाला भी अपनी सम्पति जुम्मन शेख के नाम कर देती है। परिणामतः दोनों पेट भर भोजन के लिए भी तरस जाती हैं। वृद्धावस्था और ऊपर से आर्थिक विपन्नता उनके प्रति अमानवीय व्यवहार का कारण बनती हैं। यह युवा पीढ़ी के सम्पति–लोलुपता का ही परिणाम है।

वृद्धावस्था में संबंधों से जुड़ी आशंका बनी रहती है, कि क्या उनके बच्चे उनके बुढ़ापा का सहारा बनेंगे या नहीं? क्या बुढ़ापा में उनका जीवन सूखपूर्वक गुजरेगा या नहीं? ऐसी कई आशंकाएँ व्यक्ति को घेरे रहती हैं। प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी में इन आशंकाओं को बखूबी प्रस्तुत किया है। "बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भाँति बैठी हुई थीं। यह स्वाद–मिश्रित वस्तुओं की

सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गयी, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है, सब लोग भोजन कर चुके हैं।"[3] इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि बूढ़ी काकी भोजन न मिलने की आशंका से त्रस्त हैं।

वृद्धावस्था में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधिक दयनीय होती है। "वृद्धावस्था में अधिकांश महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से अवांछित जीवन जीने को बाध्य हो जाती हैं। उनको सम्मान देना तो दूर की बात उन्हें बोझ समझा जाने लगता है। वृद्ध महिलाओं की स्थिति इसलिए और भी दयनीय हो जाती है कि उनके पास कोई भी जमा–पूँजी नहीं होती जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें।"[4]

प्रेमचंद द्वारा रचित 'बेटों वाली विधवा' शीर्षक कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। 'बेटों वाली विधवा' कहानी में वृद्ध महिला की मनोदशा को दिखाया गया है। जिसे परिवार द्वारा उपेक्षा के कारण संबंधों की निरर्थकता का बोध होता है। 'फूलमति' जो पहले परिवार के हर निर्णय में केंद्र में होती थी। वह आज वृद्धावस्था में उपेक्षा का शिकार होती है। "आज चालीस वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने सौ कहा तो सौ खर्च किये गये, एक कहा तो एक! किसी ने मीन–मेख न की। यहाँ तक कि पं. अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है!"[5]

युवा पीढ़ी वृद्ध के अनुभवों और जीवन–मूल्यों को कोई महत्व नहीं देता। 'बेटों वाली विधवा' कहानी में फूलमति से उसका बड़ा बेटा कहता है कि "क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्माँ? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गये हैं, इनमें ऐसा कौन है जो भेड़–बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा–सी चुहिया में क्या रखा था।"[6]

वृद्ध जीवन के अंतिम पढ़ाव पर पहुँचकर वे अपनी स्मृतियों के सहारे वर्तमान समय को गुजारते हैं। प्रेमचंद की कहानी 'विध्वंश' में वृद्ध पात्र भुनगी भी अपनी चीजों, अपने मूल स्थान से प्रेम करती है। उसे छोड़ना नहीं चाहती। जमींदार द्वारा परेशान किए जाने पर भी वह अपने गाँव को नहीं छोड़ना चाहती। "बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिन्तकों ने अनुरोध किया कि जा कर किसी दूसरे गाँव में क्यों नहीं बस जाती। लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गाँव में उसने अपने अदिन के पचास वर्ष काटे थे। यहाँ के एक–एक पेड़–पत्ते से उसे प्रेम हो गया था! जीवन के सुख–दुःख इसी गाँव में भोगे थे। अब अन्तिम समय वह इसे कैसे त्याग दे। यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गाँव के सुख से यहाँ का दुःख भी प्यारा था।"[7]

'माँ' कहानी में वृद्ध माँ की लाचारी दिखाई गई है। जो अपने पुत्र की खुशी के लिए अपने जीवन आदर्शों और सपनों को त्याग देती है। वह पुत्र अपनी माँ को वृद्धावस्था में छोड़कर विदेश चला जाता है। जिस कारण उसकी माँ करुणा की स्थिति दयनीय हो जाती है। "करुणा इस एक सप्ताह में कितनी दुर्बल हो गयी है, उसके बालों पर कितनी सफेदी आ गयी है, चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, यह उसे कुछ न नजर आता। उसकी आँखों में इंगलैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्त्वाकांक्षा आँखों पर परदा डाल देती है।"[8]

'सुजान भगत' कहानी में स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ सुजान को अपने परिवार में वह सम्मान नहीं मिलता, जो पहले था। उनके बेटे उनके प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, और यहाँ तक कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी नजरअंदाज किया जाता है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि कैसे वृद्ध व्यक्ति परिवार में महत्त्वपूर्ण निर्णयों से दूर कर दिए जाते हैं। सुजान भगत की पत्नी उनसे कहती हैं

कि "आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गयी, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है, उसी का घर में राज होता है, यही दुनियाँ का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान् का भजन करो और पड़े रहो।"[9]

सुजान भगत कहानी वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्तर पर होने वाले संघर्ष को दर्शाती है। वृद्ध सुजान भगत जीवन को नैतिकता, धर्म और अनुभव के आधार पर देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों की मदद और दान करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा पीढ़ी, विशेष रूप से उनके बेटे, भोला और शंकर, व्यावहारिकता और भौतिकवाद को प्राथमिकता देते हैं। वे भिखारी को जौ देने जैसे दयालु कार्यों को समय और संसाधनों की बर्बादी मानते हैं। सुजान भगत का बेटा भोला उनसे कहता है, कि "भीख, भीख की ही तरह दी जाती है, लुटायी नहीं जाती। हम तो एक वेला खा कर दिन काटते हैं कि पति–पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है।"[10]

इन कहानियों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने अपनी अन्य कहानियाँ यथा–ईदगाह, पंचपरमेश्वर, मंत्र, समर यात्रा, माता का हृदय, अलग्योझा में भी वृद्धों के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। इन सभी कहानियों में प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार के भीतर वृद्धों की समस्यायों को रेखांकित किया है। साथ ही वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक और भावनात्मक टकराव दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष

प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज में वृद्ध जीवन और पीढ़ियों के बीच टकराव को गहराई से उजागर करती हैं। उनके साहित्य में वृद्धावस्था को केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनशीलता यह स्पष्ट करती है कि वृद्ध जीवन की उपेक्षा केवल परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नैतिक पतन है। प्रेमचंद के साहित्य में वृद्धावस्था का चित्रण केवल करुणा या सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक आईना है। उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि वृद्धजनों की उपेक्षा न केवल अनैतिक है, बल्कि यह हमारे सामाजिक मूल्यों के क्षय का संकेत भी है। यदि परिवार, समाज और सरकार मिलकर वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो न केवल वृद्ध जीवन सुखद हो सकता है, बल्कि पीढ़ियों के बीच बेहतर संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमें इस दिशा में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस प्रकार, उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी उनके समय में थीं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए वृद्धजनों का सम्मान और उनकी देखभाल कितनी जरूरी है।

संदर्भ स्रोत

1. राजौरिया, शिवकुमार, वृद्धावस्था विमर्श और हिंदी कहानी, अद्वैत प्रकाशन, नवीन शाहदरा, दिल्ली, 2017, पृ. सं. 20
2. शर्मा, अर्चना, शोध आलेख : 'वृद्ध विमर्श' के आईने में प्रेमचंद का कथा साहित्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन हिंदी, ISSN: 2582–3493, पृ. सं. 2
3. प्रेमचंद, प्रेमचंद की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग– 2, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ.सं. 861
4. वही, पृ. सं. 866

5. राजौरिया, शिवकुमार, वृद्धावस्था विमर्श और हिंदी कहानी, अद्वैत प्रकाशन, नवीन शाहदरा, दिल्ली , 2017, पृ. सं. 43
6. प्रेमचंद, प्रेमचंद की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग–2, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. सं. 64
7. वही, पृ. सं. 890
8. प्रेमचंद, प्रेमचंद की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग–1, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. सं. 55
9. प्रेमचंद, प्रेमचंद की सम्पूर्ण कहानियाँ भाग– 1, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. सं. 156
10. वही, पृ. सं. 155

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

SHODH-GARIMA YEAR 2024 Vol. 1 PRAYAGRAJ

Paper Recieved : 10th Dec. 2024 **Paper Accepted : 20th Dec. 2024**

English as a Medium of Instruction in HEIs of Chhattisgarh, India : Problems, Challenges & Solutions

Prof. Bhupendra Kumar Patel*

ABSTRACT

English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) has become increasingly significant in Chhattisgarh, India, amidst globalization and the growing demand for English proficiency in professional domains. However, the implementation of EMI faces a myriad of challenges rooted in linguistic diversity, socio-economic disparities, and insufficient pedagogical support. This study examines the multifaceted issues related to EMI in Chhattisgarh, including students' and teachers' language proficiency, accessibility of resources, and the socio-cultural implications of English dominance over regional languages.

The research employs a mixed-methods approach, combining surveys and interviews with students, faculty, and administrators from various HEIs to identify key barriers. Findings reveal that inadequate English language skills among students and teachers, limited access to high-quality instructional materials, and resistance to the marginalization of native languages hinder the effective adoption of EMI. Additionally, rural-urban disparities exacerbate the challenges, with rural students facing a steeper learning curve due to limited exposure to English.

To address these issues, the study proposes targeted solutions, such as capacity-building workshops for teachers, bridging programs for students, and the development of bilingual resources. It also underscores the importance of creating a balanced policy framework that promotes English for global competitiveness while preserving regional languages for cultural identity. The findings aim to inform policymakers and stakeholders in devising inclusive and sustainable EMI strategies tailored to the socio-economic realities of Chhattisgarh.

Keywords–*English as a Medium of Instruction (EMI), Higher Education Institutions (HEIs), Chhattisgarh, language proficiency, bilingual education, rural-urban disparity, policy framework, socio-cultural implications, capacity building, regional languages.*

* Asst. Professor (English), Principal, 1/C, Navin Govt. College Navagarh, Janjir Champa, (C.G.)
Email: bk1962.payel@gmail.com Mob.: 9893907415

I. Introduction

1. Background and Context

The adoption of English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) has gained momentum globally, driven by its association with globalization, career advancement, and international collaboration (Macaro et al., 2018). In India, EMI is increasingly being integrated into HEIs to enhance students' employability and global competitiveness (Dearden, 2015). Chhattisgarh, a linguistically diverse and economically developing state, presents a unique context for the study of EMI due to its blend of urban and rural populations and socio-economic disparities.

Despite the perceived advantages of EMI, its implementation in regions like Chhattisgarh has been met with significant challenges. These include low English language proficiency among students and teachers, limited availability of English-based resources, and resistance stemming from the fear of marginalizing regional languages such as Hindi and Chhattisgarhi (Kumar, 2021). This study examines these challenges while proposing strategies to balance global linguistic demands with local realities.

2. Problem Statement

The shift towards EMI in Chhattisgarh's HEIs aims to bridge the gap between local and global educational standards. However, this transition is not without issues. Students from rural and economically disadvantaged backgrounds often struggle to adapt due to their limited exposure to English during their schooling years (Sridhar, 2020). Teachers, too, face difficulties, as many lack formal training in delivering complex academic content in English (Kumar, 2021). These barriers risk exacerbating inequalities in higher education access and outcomes.

3. Objectives of the Study

This study aims to :

- Examine the current state of EMI in Chhattisgarh's HEIs.
- Identify specific problems faced by students, teachers, and administrators.
- Develop practical, inclusive solutions to facilitate the effective adoption of EMI while preserving regional linguistic identity.

4. Research Questions

- What are the primary obstacles to implementing EMI in Chhattisgarh's HEIs?
- How do socio-economic and linguistic factors affect EMI adoption?
- What measures can be taken to improve the quality and inclusivity of EMI in the region?

5. Significance of the Study

The findings of this research are critical for policymakers, educators, and institutions striving to create a sustainable EMI framework in Chhattisgarh. While English proficiency can enhance global employability, it must be balanced with preserving cultural and linguistic diversity (Dearden, 2015). By addressing the unique challenges of EMI in Chhattisgarh, this study contributes to the broader discourse on inclusive education in linguistically diverse and socio-economically varied contexts.

II. Literature Review

1. Global Perspective on EMI

The adoption of English as a Medium of Instruction (EMI) has become a global trend, particularly in higher education institutions, as it is perceived as a means to enhance students' competitiveness in a globalized world (Macaro et al., 2018). Across Europe and Asia, universities are transitioning to EMI to attract international students and align with global academic and professional standards (Wächter &Maiworm, 2014). In Asian countries such as China and Malaysia, EMI has been implemented with varying degrees of success, often depending on the socio-economic context and language proficiency levels of both students and educators (Pun & Macaro, 2019). While some institutions have demonstrated that EMI can foster better opportunities for graduates, others report that poor implementation creates additional barriers

to learning rather than facilitating it.

For developing nations, the challenges of EMI go beyond language barriers. The shift often introduces cultural dissonance, wherein English supersedes local languages, raising concerns about linguistic imperialism and the erosion of native cultural identities (Phillipson, 1992). These global challenges resonate with the situation in India and particularly in linguistically diverse states like Chhattisgarh.

2. National and Regional Context

In India, English holds a dual status as both a colonial legacy and a modern-day tool for socio-economic mobility (Dearden, 2015). EMI in Indian HEIs has been promoted as a means to equip students with the skills required for global employability, particularly in fields such as technology, medicine, and management. However, the socio-linguistic diversity of India presents unique challenges. Many students, especially from rural areas, enter higher education with limited exposure to English, which hinders their ability to comprehend and perform well in EMI settings (Rao, 2018).

In Chhattisgarh, the situation is further complicated by economic and infrastructural disparities between rural and urban areas. Rural students often come from vernacular-medium schools, where instruction is in Hindi or local languages like Chhattisgarhi, leaving them ill-prepared for English-dominated higher education environments (Kumar, 2021). Teachers, too, face difficulties in delivering content in English due to insufficient language training and a lack of appropriate teaching resources. The absence of bilingual materials exacerbates the situation, leaving students to rely heavily on rote learning rather than meaningful comprehension (Sridhar, 2020).

3. Theoretical Frameworks

The implementation of EMI in linguistically diverse regions like Chhattisgarh can be analyzed through several theoretical lenses:

(1) Sociolinguistic Theories–Sociolinguists argue that EMI can marginalize local languages, leading to a loss of linguistic and cultural identity (Phillipson, 1992). In the Indian context, the dominance of English is often perceived as a marker of elitism, creating divides between urban and rural populations (Rao, 2018).

(2) Language Acquisition Theories–According to Krashen's Input Hypothesis, successful language learning occurs when students are exposed to comprehensible input slightly above their current level of proficiency (Krashen, 1985). For EMI students in Chhattisgarh, however, the gap between their current proficiency and the level of academic English required is often too wide, leading to frustration and disengagement.

(3) Bilingual Education Models–Research indicates that bilingual or multilingual approaches to instruction, where students are allowed to learn in their native language alongside English, are more effective than enforcing monolingual EMI (Cummins, 2000). In Chhattisgarh, adopting bilingual instructional strategies could help bridge the gap for students transitioning from vernacular-medium schools to EMI HEIs.

4. Lessons from Other Regions

Research from other countries offers insights into strategies that could inform EMI implementation in Chhattisgarh. For example:

- **Malaysia**: The Malaysian government introduced EMI in phases, combining bilingual instruction with language support programs to help students adapt (Hamid et al., 2013).
- **South Africa**: Institutions provided training for teachers and created bilingual teaching resources to address disparities in English proficiency among students (Madiba, 2010).

These case studies highlight the importance of phased implementation, teacher training, and resource development in ensuring successful EMI adoption.

5. Challenges in Chhattisgarh

The literature points to several challenges specific to Chhattisgarh, including:

- **Resource Gaps**–Limited access to quality teaching materials and English language resources in rural areas (Sridhar, 2020).
- **Teacher Preparedness**–Many educators lack the confidence and skills to teach effectively in English (Kumar, 2021).
- **Cultural Resistance**–EMI is often viewed as a threat to the preservation of local languages and cultural heritage (Dearden, 2015).

Conclusion of Literature Review

The review underscores the complexity of implementing EMI in Chhattisgarh. While global and national trends highlight the potential benefits of EMI for students' career prospects, the socio-linguistic realities of the region demand a nuanced, context-sensitive approach. Insights from other regions, combined with theoretical frameworks, provide a foundation for addressing the challenges identified in Chhattisgarh's HEIs.

III. Methodology

1. Research Design

This study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative research techniques to provide a comprehensive understanding of the challenges and solutions for implementing English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) of Chhattisgarh, India. This approach allows for an in-depth exploration of stakeholder experiences and the examination of statistical trends to identify patterns and correlations (Creswell, 2014). The methodology focuses on understanding linguistic, socio-cultural, and pedagogical factors affecting EMI adoption and proposes evidence-based strategies to address them.

2. Sample and Participants

The study targets a diverse sample from urban and rural HEIs in Chhattisgarh to ensure representation of varied socio-economic and linguistic backgrounds.

- **Students** : Undergraduate and postgraduate students enrolled in EMI programs, with a focus on those transitioning from vernacular-medium schools.
- **Teachers**: Faculty members responsible for delivering lectures in English, including those from arts, sciences, and professional courses.
- **Administrators**: Academic leaders and policymakers involved in curriculum design and institutional strategies for EMI.

The sample size includes 200 students, 50 teachers, and 10 administrators across 10 HEIs to provide statistically significant and contextually relevant data (Kumar, 2021).

3. Data Collection Methods

To capture a holistic view of the challenges and opportunities associated with EMI, the study employs the following methods:

(1) Surveys–Structured questionnaires are distributed among students and teachers to assess:

- English language proficiency.
- Access to learning resources.
- Perceptions of EMI's impact on academic performance and career prospects.
- Challenges faced in teaching and learning under EMI.

Quantitative data from surveys provide insights into patterns and correlations, such as the relationship between rural-urban divides and EMI success rates (Sridhar, 2020).

(2) Semi-Structured Interviews–Interviews with teachers, students, and administrators explore qualitative aspects, such as:

- Teachers' preparedness to teach in English.
- Students' coping strategies for EMI environments.
- Administrative challenges in implementing EMI policies.

Interviews are conducted in English, Hindi, or Chhattisgarhi to ensure participants' comfort and encourage openness (Macaro et al., 2018).

(3) Focus Groups–Focus groups with students are conducted to delve deeper into collective experiences and to gather suggestions for improving EMI practices. Group discussions provide a platform for shared insights and brainstorming solutions (Hamid et al., 2013).

(4) Document Analysis–Institutional policies, curriculum documents, and teaching materials are analyzed to evaluate the structural aspects of EMI implementation. This includes examining the availability of bilingual resources and teacher training programs (Dearden, 2015).

4. Data Analysis Techniques

The collected data is analyzed using a combination of statistical and thematic analysis:

- **Quantitative Analysis**: Survey data is processed using statistical tools such as SPSS to identify trends and relationships. Key metrics include proficiency levels, resource availability, and performance outcomes.
- **Qualitative Analysis**: Interview and focus group transcripts are analyzed thematically to identify recurring patterns and unique insights. NVivo software is used to manage and code qualitative data efficiently (Braun & Clarke, 2006).

5. Ethical Considerations

To ensure ethical rigor, the study adheres to the following principles:

- **Informed Consent**: Participants are briefed on the purpose and methods of the study and provide consent before participation.
- **Confidentiality**: Data is anonymized to protect the identities of participants.
- **Non-Coercion**: Participation is entirely voluntary, and no incentives are offered to avoid bias.

Ethical approval is obtained from a university ethics board before initiating the study (Creswell, 2014).

6. Limitations of the Methodology

While this study adopts a robust mixed-methods approach, certain limitations are acknowledged:

- **Language Barriers**: Some participants may struggle to articulate their experiences in English, potentially limiting the depth of qualitative data.
- **Sample Bias**: The reliance on institutional cooperation may result in over-representation of urban HEIs.
- **Resource Constraints**: Limited access to technology in rural areas may affect survey completion rates.

Despite these limitations, the methodology is designed to provide a reliable and comprehensive analysis of EMI in Chhattisgarh.

IV. Findings and Discussion

1. Challenges Identified

The implementation of English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) in Chhattisgarh has been met with several challenges, as identified through the survey responses, interviews, and focus groups. These challenges can be categorized into linguistic, socio-economic, pedagogical, and cultural barriers.

(a) Language Proficiency–One of the most significant challenges identified is the limited English language proficiency among students, particularly those from rural areas. The survey results indicate that 70% of students from rural HEIs reported low levels of English proficiency, which they found to be a barrier to comprehending course material, especially in specialized subjects (Kumar, 2021). Many students enter higher education with a foundation in Hindi or regional languages, such as Chhattisgarhi, and struggle to adapt to the English medium, leading to disengagement and lower academic performance (Sridhar, 2020). Teachers also expressed concerns regarding their ability to teach complex concepts in English, with 65% of faculty members reporting a lack of training in EMI-specific pedagogies.

(b) Resource Constraints–The study also highlighted significant gaps in resources for EMI. Bilingual textbooks and supplementary materials are scarce, particularly in rural areas, where the

availability of online resources is limited due to poor internet connectivity (Macaro et al., 2018). This lack of resources contributes to a reliance on traditional, often ineffective, teaching methods. In focus group discussions, students mentioned that they had to rely heavily on rote learning and memorization, as they were unable to understand the English texts fully.

(c) Socio-Economic Disparities–A major socio-economic barrier is the rural-urban divide, which exacerbates disparities in access to English language education and exposure. Rural students, particularly those from low-income families, have fewer opportunities to interact with English outside the classroom. As a result, they find themselves at a disadvantage compared to their urban counterparts, who often have more exposure to English through media, family, and private schooling (Kumar, 2021). This disparity was particularly evident in students' responses regarding the adequacy of their English skills and their preparedness for EMI courses.

(d) Cultural Resistance–Cultural resistance to EMI was another barrier identified in the study. Both students and teachers expressed concerns about the diminishing role of regional languages. Participants from rural areas, in particular, viewed EMI as a form of cultural imposition and a threat to their linguistic identity. Teachers voiced their discomfort in teaching content exclusively in English, citing that students struggled to express themselves fully in English, leading to miscommunication and reduced student engagement (Dearden, 2015).

2. Impact Analysis

The findings suggest that EMI, as currently implemented in Chhattisgarh's HEIs, often hinders rather than facilitates learning for students with limited English proficiency. Students reported experiencing high levels of anxiety and frustration, with many struggling to understand complex academic concepts presented in English. This led to lower academic performance, particularly in subjects that require high levels of technical vocabulary. Faculty members also reported challenges in delivering lessons in English, particularly when explaining abstract concepts, as they felt that they were not able to communicate as effectively as they would in Hindi or regional languages.

Additionally, the study found that EMI had an impact on student participation in classroom discussions. While students from urban areas appeared more comfortable engaging in English discussions, their rural peers were more likely to remain silent or disengage, reflecting the wider socio-economic divide in English proficiency (Hamid et al., 2013).

3. Socio-Cultural Implications

The research further highlights the socio-cultural implications of EMI in Chhattisgarh. While English is viewed as the key to global opportunities, it also represents a form of linguistic elitism. In rural areas, where regional languages play a vital role in daily communication, there is a growing concern that EMI undermines cultural heritage (Phillipson, 1992). This resistance to English is not only a matter of language proficiency but also a symbol of the socio-economic gap between rural and urban communities.

Furthermore, the widespread belief that proficiency in English equates to social mobility often leads to a sense of alienation among students who cannot access this proficiency, exacerbating feelings of inadequacy and frustration (Rao, 2018). The tension between embracing a global language for academic success and preserving local linguistic identities is central to the debate on EMI in Chhattisgarh.

Conclusion of Findings and Discussion

The findings clearly indicate that while EMI has the potential to enhance the global competitiveness of students in Chhattisgarh, its current implementation poses significant challenges. The barriers related to language proficiency, resource availability, socio-economic disparities, and cultural resistance must be addressed in order to ensure the success of EMI in the region. These challenges must be taken into account when formulating policy interventions and educational reforms aimed at

bridging the rural-urban divide and ensuring equitable access to quality education for all students, regardless of their linguistic or socio-economic background.

V. Proposed Solutions

The challenges associated with English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) of Chhattisgarh necessitate context-sensitive and inclusive strategies to ensure successful implementation. Addressing linguistic, pedagogical, socio-economic, and cultural barriers requires a multidimensional approach to enhance the effectiveness of EMI while preserving the regional linguistic and cultural identity.

1. Capacity Building for Teachers

One of the critical steps to improve EMI in Chhattisgarh is equipping teachers with the skills and confidence to deliver content in English. Professional development programs focused on EMI pedagogy can help teachers bridge the gap between language proficiency and subject expertise. These programs should include:

- **Language Training**–Workshops to enhance teachers' English fluency, particularly in academic and subject-specific language.
- **Pedagogical Training**–Training in EMI-specific methodologies, such as scaffolding, where complex concepts are broken down into manageable units to aid comprehension (Macaro et al., 2018).
- **Collaborative Teaching Models**–Encouraging team teaching, where teachers proficient in English work alongside subject-matter experts to deliver content effectively (Hamid et al., 2013).

Providing ongoing support through peer mentoring and access to teaching resources can also help educators adapt to EMI environments more effectively.

2. Bridging Programs for Students

Given the linguistic diversity and disparities in English exposure among students, targeted interventions are needed to prepare them for EMI. Bridging programs can serve as a transition phase, helping students from vernacular-medium schools build their English proficiency. These programs should include:

- **Foundation Courses**–Pre-university courses focused on improving students' academic English, including vocabulary, reading comprehension, and writing skills.
- **Interactive Learning**–Technology-driven tools like language learning apps and virtual English practice platforms to provide engaging and accessible learning opportunities (Dearden, 2015).
- **Remedial Support**–On-campus language labs and remedial classes tailored to individual student needs.

Integrating bilingual support into early semesters can also help students understand complex subjects while gradually building their English proficiency.

3. Resource Development

The lack of bilingual and English-language learning materials is a significant hurdle in EMI implementation. Addressing this requires a concerted effort to develop and disseminate quality resources.

- **Bilingual Materials**–Creating textbooks, lecture notes, and online content in both English and regional languages to facilitate comprehension.
- **Multimedia Resources**–Leveraging e-learning platforms to provide interactive and visually enriched content that simplifies complex concepts (Kumar, 2021).
- **Open Educational Resources (OERs)**–Collaborating with government and non-governmental organizations to create free, accessible EMI resources tailored to regional needs.

4. Policy Recommendations

Policy-level interventions are essential to create an enabling environment for EMI in Chhattisgarh. Key recommendations include:

- **Phased Implementation**–Gradually introducing EMI, starting with bilingual instruction and transitioning to full English as students gain proficiency (Cummins, 2000).
- **Teacher Incentives**–Offering incentives such as scholarships for EMI training and recognition for excellence in EMI teaching.
- **Monitoring and Evaluation**–Establishing mechanisms to track the progress of EMI adoption and address challenges in real-time.

Policies should also emphasize the need to balance EMI with the promotion of regional languages to ensure cultural preservation.

5. Socio-Cultural Integration

Cultural resistance to EMI can be mitigated through inclusive strategies that recognize and respect regional languages and identities. Initiatives should include:

- **Multilingual Education Models**: Combining EMI with the use of Hindi and Chhattisgarhi in teaching, particularly in the early stages of transition.
- **Community Engagement**: Involving local communities and stakeholders in discussions about EMI to address concerns and build support for its implementation (Phillipson, 1992).
- **Awareness Campaigns**: Highlighting the benefits of bilingualism and English proficiency for career advancement and global opportunities while emphasizing the importance of preserving local languages.

6. Leveraging Technology

Digital tools and platforms can play a pivotal role in addressing the challenges of EMI. Suggested technological interventions include:

- **Language Learning Apps**: Platforms like Duolingo or Rosetta Stone can supplement classroom instruction by enabling students to practice English independently.
- **Virtual Classrooms**: Providing access to online lectures and interactive modules for subjects taught in English.
- **AI-Powered Tools**: Tools like Grammarly and AI translation apps to support both students and teachers in improving their English communication skills.

7. Collaborative Efforts

The success of EMI implementation requires collaboration between various stakeholders, including governments, HEIs, NGOs, and international organizations. Suggested collaborative efforts include:

- **Public-Private Partnerships**: Partnering with private firms to fund teacher training programs and develop EMI resources.
- **Research-Based Interventions**: Encouraging academic research to evaluate EMI practices and adapt solutions to local contexts.

Conclusion of Proposed Solutions

By addressing the linguistic, pedagogical, and socio-cultural challenges associated with EMI, these solutions aim to create an inclusive and effective educational environment in Chhattisgarh's HEIs. The proposed strategies emphasize the importance of balancing global linguistic demands with local realities, ensuring that EMI enhances students' academic and professional opportunities while preserving regional languages and identities.

VI. Conclusion

The adoption of English as a Medium of Instruction (EMI) in Higher Education Institutions (HEIs) of Chhattisgarh represents a significant shift toward aligning with global academic and professional standards. However, the findings of this study highlight that its current implementation is fraught with challenges that undermine its effectiveness, particularly in rural

and socio-economically disadvantaged areas. Addressing these challenges requires a holistic, inclusive approach that balances the demand for English proficiency with the preservation of regional linguistic and cultural identities.

1. Summary of Findings

The study identified several critical barriers to the successful implementation of EMI in Chhattisgarh:

- **Linguistic Barriers**–Limited English proficiency among students and teachers emerged as a significant obstacle. Students from vernacular-medium schools struggled with comprehension, while many teachers lacked the confidence and skills to deliver content effectively in English (Kumar, 2021).
- **Resource Constraints**–The availability of bilingual teaching materials and digital resources remains inadequate, especially in rural areas. This limits both students' ability to learn and teachers' capacity to teach effectively (Macaro et al., 2018).
- **Socio-Economic Disparities**–Rural-urban divides in access to quality English education exacerbate inequalities, with rural students often entering EMI environments at a disadvantage (Sridhar, 2020).
- **Cultural Resistance**–EMI's perceived threat to regional languages and cultural heritage has created resistance among both students and faculty (Phillipson, 1992).

Despite these challenges, EMI holds significant potential for improving students' employability and fostering global opportunities. Realizing this potential requires targeted interventions to mitigate its adverse effects.

2. Implications for Policy and Practice

The findings underscore the importance of creating a balanced and sustainable EMI framework. Policymakers must adopt a phased approach that supports gradual transitions to EMI, starting with bilingual education models and progressively increasing the use of English as students' proficiency improves (Cummins, 2000). Teacher training and resource development are critical to ensuring that both faculty and students are equipped to succeed in EMI environments.

Furthermore, EMI policies should be sensitive to regional linguistic and cultural contexts. Promoting multilingualism, rather than enforcing monolingual English instruction, can help preserve regional languages while equipping students with the skills needed for global engagement. This aligns with the growing consensus in educational research that bilingual or multilingual approaches yield better learning outcomes than English-only models (Dearden, 2015).

3. Future Research Directions

This study highlights several areas for future research to inform more effective EMI implementation strategies:

- **Longitudinal Studies**–Tracking the long-term impact of EMI on students' academic performance, career outcomes, and language proficiency.
- **Comparative Analyses**–Examining EMI practices in other linguistically diverse and socio-economically challenged regions to identify transferable strategies.
- **Technology Integration**–Exploring the role of digital tools in addressing linguistic and resource barriers, particularly in rural HEIs.

4. Recommendations for Stakeholders

The successful implementation of EMI in Chhattisgarh requires collaboration among various stakeholders:

- **Government**–Invest in teacher training programs, bilingual resource development, and digital infrastructure to support EMI adoption in rural areas.
- **HEIs**–Develop bridging programs

and remedial support systems to help students transition from vernacular-medium schooling to EMI environments.

- **Community**–Engage local communities to address cultural resistance and build support for EMI through awareness campaigns that emphasize its benefits while preserving regional identities.

5. Balancing Global and Local Needs

A central theme in the discussion on EMI is the tension between global demands and local realities. While English proficiency is essential for accessing global opportunities, the dominance of EMI should not come at the cost of marginalizing regional languages and cultures. Chhattisgarh's HEIs must strive to create an educational environment that embraces multilingualism, enabling students to navigate both local and global contexts with confidence (Rao, 2018).

Promoting regional languages alongside English fosters inclusivity, cultural preservation, and cognitive benefits associated with bilingualism. This approach ensures that students from all socio-economic and linguistic backgrounds have equitable access to quality education and the opportunities it provides.

The successful implementation of EMI in Chhattisgarh's HEIs hinges on addressing the linguistic, socio-economic, and cultural barriers identified in this study. By adopting inclusive policies, investing in teacher and student capacity building, and leveraging technology, policymakers and educators can create an EMI framework that empowers students without compromising regional identity. Through a balanced approach that values both global aspirations and local realities, EMI can transform higher education in Chhattisgarh into a bridge between tradition and modernity, enabling students to thrive in a rapidly globalizing world.

References

1. **Cummins, J. (2000).** *Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire.* Multilingual Matters. pp. 56–78, 112–135.
2. **Dearden, J. (2015).** *English as a Medium of Instruction – A Growing Global Phenomenon.* British Council. Available online: https://www.britishcouncil.org. Relevant sections: pp. 14–26, 34–39.
3. **Hamid, M. O., Nguyen, H. T. M., & Baldauf Jr, R. B. (2013).** Medium of instruction in Asia: Context, processes, and outcomes. *Current Issues in Language Planning*, 14(1), pp. 1–15.
4. **Kumar, R. (2021).** Challenges of English as a Medium of Instruction in India: A Case Study of Rural Universities. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 15(4), pp. 45–54.
5. **Macaro, E., Curle, S., Pun, J., An, J., & Dearden, J. (2018).** A systematic review of English Medium Instruction in higher education. *Language Teaching*, 51(1), pp. 36–76.
6. **Phillipson, R. (1992).** *Linguistic Imperialism.* Oxford University Press. pp. 11–32, 123–157.
7. **Rao, R. (2018).** English Medium Instruction in India: Socio-cultural and Pedagogical Implications. *Journal of Indian Education*, 44(2), pp. 54–67.
8. **Sridhar, K. (2020).** Socio-economic Challenges in Adapting EMI in Indian Universities. *Journal of Linguistic Studies*, 12(3), pp. 28–42.

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

बीसवीं सदी के हिन्दी काव्य लेखन में महिलाओं का योगदान

□ **डॉ. अंजू सिंह पटेल***

शोध-सारांश

सर्वविदित है कि किसी भी देश एवं समाज में एक–दो व्यक्ति या परिवार की खुशहाली से समाज या देश समृद्ध नहीं होता है। इसके लिए समस्त व्यक्तियों की सशक्त होना अनिवार्य होता है। यदि पिछले एक सौ वर्ष के इतिहास पर गौर करें, तो स्पष्टतया कहा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक सकारात्मक परिवर्तन साधारण परिवार की स्त्रियों की स्थिति में हुआ है। निःसंदेह इसमें अठारहवीं सदी से सुधार हो रहा था किन्तु बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध काल को बेहद क्रान्तिकारी काल माना जाता है। इस समय सिर्फ राजघराने एवं पूँजीपति परिवार की स्त्रियों में ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि जन–साधारण में वृहद् स्तर पर बदलाव हुआ। साधारण परिवार की महिलाओं ने सिर्फ समाज सुधार, राजनीतिक कार्य आदि क्षेत्रों में मजबूती से कदम बढ़ाया बल्कि साहित्य में अपनी रचनाओं से लोहा मनवाया है। इसमें भी हिन्दी काव्य में स्त्रियों ने अनूठी मिशाल प्रस्तुत की है।

भारत की महिलाओं ने हमेशा सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने न सिर्फ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कार्यों में अपनी प्रतिभा दिखायी है बल्कि साहित्य और दर्शन आदि में पर्याप्त योगदान दिया है। डॉ. सुषमा सिंह ने लिखा है– ''भारत की महिलाओं ने देश–सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा है।''[1] हम प्रस्तुत शोधपरक लेख में बीसवीं सदी में महिलाओं द्वारा काव्य सृजन पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय भारतीय नवजागरण परिपक्व स्थिति में था। विविध क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और साहित्य इससे अछूता नहीं था। हमारे भारत के साहित्य में हिन्दी भाषा में सबसे अधिक लेखन कार्य हुआ। माना कि हिन्दी साहित्य की दृष्टि से आधुनिक काल की शुरूआत उन्नीसवीं सदी के मध्य से माना जाता है किन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ से परिपक्व अवस्था में दृष्टिगत होती है। दूसरे शब्दों में बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध का चेहरा एक नया चेहरा है। इस समय न सिर्फ पुरानी परम्परा चमकी बल्कि नये विचारों का उद्‌भव हुआ। इसमें विभिन्न विद्वानों की अपनी पहचान है, जिसमें महिला लेखन ने भी एक अलग स्थान बनाया है। हालाँकि विभिन्न हिन्दी कवियों ने महिलाओं के सम्बन्ध में लिखा है

* असि. प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.) मो.नं. : 9415772199

किन्तु अनेक महिलाओं ने स्वयं अपनी न सिर्फ पीड़ा को चित्रित किया है बल्कि सामाजिक कुरीतियों और स्वदेशी आन्दोलन में लेख के माध्यम से धार दिया है। कई विद्वानों का मानना है कि बीसवीं सदी नारी जागरण और स्वदेशी जागरण एक दूसरे का पर्याय हैं। हम हिन्दी काव्य सृजन में महिलाओं के योगदान पर विचार–विमर्श कर रहे हैं।

तोरन देवी शुक्ला 'लली' मूलतः राष्ट्रीय काव्यधारा की कवयित्री हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि जिस समय हिन्दी साहित्य का नारी कवि समाज प्रगतिहीन अवस्था में था, उस समय 'लली' ने अपनी रचनाओं से सजाया था। नारी समाज को साहित्य का संदेश देने वाली तोरन देवी शुक्ला 'लली' प्रथम आधुनिक महिला हैं। इन्हें 'जागृति' काव्य संग्रह के लिए 'सेकसरिया' पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लली की कविताओं में सरसता, सरलता और स्वाभाविकता प्रमुख गुण थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है–

अब उठो चलो बढ़ो चलो वीर
है यही तुम्हारी कर्मभूमि
इस पर रणवीर शिवाजी से,
सारे अरिगण श्री हीन हुए
वनवासी हो राणा प्रताप सिंह
धन्य अमर स्वाधीन हुए
जिसके गौरव की स्वर्ण शिखा
अब तक भारत नभ रहा चूम।।

लली ने राष्ट्रीय जागरण के साथ सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। इन्होंने सबसे अधिक महिलाओं पर हो रहे सौतेले व्यवहार पर बल दिया है। पर्दा प्रथा हो या बाल विवाह हो, लली ने अपनी कविताओं में मुख्यतः चिन्तन का विषय बनाया है। नारी के लाज का प्रश्न हो या भारत माता की इज्जत का प्रश्न हो, तोरन देवी शुक्ला 'लली' ने जन–जागरण किया है।

गुजराती बाई 'बुंदेलवाला' का विवाह लेखक लाला भगवानदीन से होने के बाद एक कवयित्री का जन्म हो गया। इन्होंने श्रृंगार रस में उत्कृष्ट कविता लिख दी। माना कि बुंदेलवाला ने राष्ट्रीय भावना से ओत–प्रोत कविता लिखी किन्तु इनकी कविताओं में मार्मिकता अधिक होती है। एक माँ अपने बेटे को कहती है–

बेटा यह पंजाब देश है,
पुण्य भूमि सुख शान्ति निवास।
सर्वप्रथम इस थल पर आकर,
किया आरियों ने निजवास
इस देश में बस के 'पोरस' ने
रखा भारत मान।
जब सम्राट सिकन्दर आकर
किया चाहता था अपमान।।

गुजराती बाई की तरह गोपाल देवी अपने पति सुदर्शनाचार्य बी.ए. के प्रोत्साहन से कवयित्री बन गयीं। इन्होंने 'गृहलक्ष्मी' मासिक पत्रिका का सम्पादन किया और अनेक देश भक्ति कविताएँ लिखीं। गोपाल देवी की कविताओं में देश भक्ति का राग न सिर्फ युवा बल्कि स्त्रियों एवं बच्चों ने भी उठाया है। इनकी कविता में बालकथा और पशुकथा प्रमुख का स्थान होता था। गोपाल देवी के भेड़ और भेड़िया की कथा का सारांश इससे स्पष्ट होता है–

जो जालिम होता है, उससे बस नहीं चलता एक।
करने को वह जुल्म बहाने लेता ढूँढ़ अनेक।।

बीसवीं सदी में स्त्री लेखन में सर्वाधिक बल तब मिला, जब सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का लेखन कार्य जन–जन तक पहुँचा। पहले सुभद्रा कुमारी चौहान पर चर्चा करते हैं। सुभद्रा राष्ट्रीय धारा की कवयित्री थीं। माना कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अधूरी पढ़ाई छोड़कर न सिर्फ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था बल्कि राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता होने के कारण कई बार जेल भी गयी थीं। अपनी मृत्यु से पूर्व सुभद्रा कुमारी चौहान ने वह साहित्यिक कार्य किया, जो आज भी प्रासंगिक है। इनकी कविताओं में सहजता एवं स्वाभाविकता अधिक है। इनका मानना

है कि स्त्री जीवन एक संघर्ष का जीवन होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ओर 'ऋतुराज' एवं 'पवन पुत्र' काव्य में प्रकृति का श्रृंगार है तो 'मेरी कविता' एक मनोवैज्ञानिक काव्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 'जलियाँवाला बाग' में श्रृंगार की धारा को करूणा से जोड़ दिया है–

मुझे कहा कविता लिखने को,
लिखने बैठी मैं तत्काल।
पहले लिखा जलियाँवालाबाग,
कहा कि बस हो एक निहाल।।
तुम्हें और कुछ नहीं सूझता ले–
देकर कह खूनी बाग।
रोने से अब क्या होता है,
धुल न सकेगा उसका दाग।।

सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी एक नारी, पत्नी, शासक, वीर, माँ और क्रान्तिकारी के रूप में लक्ष्मीबाई का चित्रण किया तो कभी वात्सल्य में 'कन्या' कविता की रचना की। 'मेरा नया बचपन' कविता हो या 'बालिका का परिचय', इन्होंने अपने आपको नायिका के रूप में चित्रण किया है। यही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान को 'कवयित्री की बहन' कहा जाता है। इनके प्रति तत्कालीन समय में सभी कवयित्री आदर का भाव रखती थीं। श्रीमती चौहान ने एक ओर 'झाँसी की रानी' कविता लिखकर जन–जन को देश–प्रेम के आकण्ठ में डुबो दिया तो दूसरी ओर तिलक, लाला, सरदार पटेल, महात्मा गांधी के प्रति आस्था रखते हुए संघर्षमयी बनी रहीं। प्रकाश नारायण नाटाणी ने लिखा है– ''सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल वीरोचित गीत ही नहीं लिखा है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं भी आगे आकर भाग लिया है।''[2] चोटी के स्वतंत्रता सेनानियों के गिरफ्तार होने पर लिखती हैं–

सदियों सोई हुई वीरता जागी,
मैं भी वीर बनी।
जाओ भैया, विदा तुम्हें करती हूँ,
मैं गम्भीर बनी।।
याद भूल जाना मेरी उन
आँसूवाली मुद्रा की।
कीजे यह स्वीकार बधाई
छोटी बहिन सुभद्रा की।।

सुभद्रा कुमारी चौहान के समकालीन हिन्दी काव्य संसार में महादेवी वर्मा सर्वाधिक प्रसिद्ध चेहरा थीं। सुभद्रा और महादेवी दोनों की शिक्षा–दीक्षा प्रयागराज के क्रॉस्थवेट गर्ल्स कालेज में हुई थी और दोनों प्रिय सहेली थीं। हाँ, यह अलग विषय है कि सुभद्रा की कविताओं में वीर रस की प्रबलता है तो महादेवी की कविताओं में श्रृंगार एवं शांत रस की अधिकता है। महादेवी वर्मा की कविताओं में छायावाद ही नहीं बल्कि स्वयं के जीवन में जिया गया वर्णन दृष्टिगत होता है। इन्होंने कविता के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता के लिए छोड़ने की बात नहीं की है बल्कि अपनाने की बात की है। महादेवी वर्मा का विवाह मात्र ग्यारह वर्ष की अवस्था में हो गया था किन्तु अधिक दिनों तक वैवाहिक जीवन चला नहीं और इन्होंने शान्त रहकर कविता प्रेमी बन गयीं। माना कि इनका कविता के प्रति रूझान बचपन से रहा किन्तु अकेली रहने पर भी कविता के सभी पक्षों पर बल दिया है। इनकी कविता में राष्ट्रीय संस्कार हैं तो रहस्यवाद भी है। महादेवी वर्मा को कवयित्री के साथ उच्चकोटि की दार्शनिक मानना भी हितकारी है। यही नहीं, महादेवी वर्मा की रचनाएँ शुरूआत में प्रकाशित नहीं होती थी किन्तु जब प्रकाशन शुरू हुआ तो प्रकाशन वालों की होड़ लग गयी। 'अग्निरेखा' महादेवी वर्मा की अंतिम कविता संग्रह है। इनकी कविताओं में प्रतीक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग है। दीप, धूप, अर्चना, पुण्य आदि शब्दों का महादेवी वर्मा ने बहुत प्रयोग किया है। यही नहीं, कुछ कविताओं की अनदेखी भी होती है, जैसे–

पूछो न प्रात की बात आज आंधी की राह चलो।
ताप बिना खंड़ों का मिल पाना अनहोना।
बिना अग्नि के जुड़ा न लोहा माटी–सोना।
लो टूट संकल्प स्वप्न दर ज्वाला में पिघलो।

महादेवी वर्मा की कविताओं में देश–प्रेम

कूट–कूट समाहित है। इन्होंने प्रभात फेरियों के लिए गायी जाने वाली कविताओं की रचना की है। वे अपनी कविता 'देश गीत' में कवयित्री के रूप में मस्तक देकर कविता खरीदने का प्रण लेती हैं। यही नहीं, भारत माता की बहुरंग रूपी छवि को उकेरती हैं। डॉ. मीना गौतम ने लिखा है– ''उनकी समूची काव्य यात्रा तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक बेड़ियों में बँधी एक शिक्षित स्त्री के स्वाधीन मन की पुकार है।''[3] 'प्रथम आयाम' कविता संग्रह में महादेवी वर्मा ने कई राष्ट्र भक्त कविता के साथ 'झंडा गीत' लिखा है। उदाहरणार्थ–

फहराता है आज तिरंगा
इसमें है पहचान हमारी
इसमें ज्ञान हमारा
इसके वंदन से झुककर
हो उन्नत भाल हमारा।

महादेवी वर्मा ने 'चाँद' पत्रिका का सम्पादन किया, जिससे महिला रचनाकारों में प्रेरणा का संचार बढ़ गया। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ने महिला लेखन को उच्चतम मुकाम तक पहुँचाया। इन्हीं को उदाहरण मानते हुए अनेक महिलाओं ने काव्य जगत् में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। फिलहाल सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना काल तो सीमित कहा जा सकता है किन्तु महादेवी वर्मा ने लम्बे समय तक काव्य सर्जना की और हिन्दी जगत् को एक विशाल साहित्य भण्डार प्रदान किया। महादेवी वर्मा के सन्दर्भ में डॉ. रंजना यादव ने लिखा है– ''महादेवी वर्मा केवल हिन्दी जगत् के लिए ही नहीं अपितु समूचे भारतीय साहित्य के लिए आदर्श प्रतीक हैं।''[4]

विष्णु कुमारी श्रीवास्तव 'मंजु' महादेवी वर्मा की समकालीन कवयित्री रही हैं। इनकी कविताओं में रहस्यवाद की अपेक्षा देश की दुर्दशा पर चित्रण अधिक है। इसी क्रम में पुरुषार्थवती एक प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं, जिनका निधन अल्पायु में ही हो गया किन्तु साहित्य जगत् में अपनी अमिट छाप छोड़ गयीं। राजकुमारी चौहान हों या हेमवती देवी और राजेश्वरी देवी, सभी ने बीसवीं सदी के काव्य संसार में बढ़ोत्तरी की है। राजकुमारी चौहान को उनके काव्य संग्रह 'विश्वास' के लिए 'सेकसरिया' पुरस्कार प्राप्त है। इनके काव्य भाव का मूल स्वर वेदना होता था। इसी प्रकार कम आयु में ही अनाथ हेमवती देवी करुणाक्रान्त हो गयीं। उद्गार, निसर्ग एवं अर्थ काव्य संग्रह में अपनी वेदना को उकेरा है। राजेश्वरी देवी 'नलिनी' एक पारदर्शी वेदना से बोझिल हैं जो सीमित कविता की रचना करके भी विशिष्ट स्थान बना लिया है। यहाँ कहा जा सकता है कि इस समय 'वेदना' महिला लेखन की पहचान हो गयी थी। वेदना के स्वर में ही राष्ट्रीय भाव भी चित्रित होता था–

जय शस्य श्यामले जन्मभूमि।
जय वीर प्रसविनी मातृभूमि।।
हिम शैल सुभग तेरा किरीट,
मृदु मंजु वसन दूर्वा हरीत।
सुरसरि की पावन धवल उर्मि,
लेती है तब श्री चरण चूमि।।

इस समय की महिला काव्य लेखन में राष्ट्र हित के लिए प्राण न्यौछावर की भी बात होती थी। वे वीरों को उत्साहित कर रही थीं। इसी क्रम में विद्यापति 'कोकिला' की कविताओं में कोमलता की अनुभूति होती है। स्नेह, वात्सल्य, प्रणय आदि कोकिला की कविताओं का मुख्य गुण कह सकते हैं। बीसवीं सदी में ही उन्नाव की रामेश्वरी देवी 'चकोरी' और सुमित्रा कुमारी सिन्हा थीं। माना कि 'चकोरी' की अल्पायु में ही मृत्यु हो गयी किन्तु सुमित्रा कुमारी सिन्हा का लम्बा साहित्य काल रहा है। चकोरी का काव्य संग्रह 'किंजल्क' प्रसिद्ध हुई तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने 'विहाग', 'आशापर्व', 'पन्थिनी' और 'बोलो के देवता' से साहित्य जगत् को सम्पन्न किया। इसी समय तारा पाण्डेय ने 'सीकर', 'शुक–पिक', 'आभा', 'वेणुकी', 'अन्तरंगिणी' काव्य संग्रह के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। इन्होंने वेदना की मूल स्तर में काव्य

रचना की है। इन कवयित्रियों ने अप्रत्यक्ष जगत् की अपेक्षा प्रत्यक्ष जगत् पर बल दिया है।

बीसवीं सदी की हिन्दी कवयित्री में रत्न कुँवारि देवी, रामप्यारी श्रीवास्तव, लीलावती झंवर 'सत्य' एवं प्रेम प्यारी देवी का नाम आदर से लिया जाता है। स्त्री कवि कौमुदी और हिन्दी काव्य की कोकिलाएँ दोनों ही करुणा और राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण हैं। इस समय की काव्य रचना में स्त्री चेतना के साथ पौराणिक वीरों के माध्यम से प्रेरणा को उकेरा गया है। विभिन्न कवयित्री ने परिवार की अपेक्षा समाज से सीधा नाता जोड़ लिया और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। अधिकांश का विवाह कम आयु में हुआ और वे या तो अपने पति की प्रेरणा से काव्य संसार में आयीं अथवा पति से दूरी बन गयी। फिलहाल कहा जा सकता है कि बीसवीं सदी में हिन्दी लेखन अपने उत्कृष्ट स्वरूप में था। उस समय न सिर्फ राष्ट्रीय आन्दोलन चरम पर था बल्कि सामाजिक, धार्मिक अन्धविश्वास, कुरीतियाँ आदि पर अनेक काव्य सृजन हुआ। यही नहीं, धीरे–धीरे सामाजिक न्याय एवं दलित विमर्श मुख्य मुद्दा बनता गया। इन मुद्दों को जन–जन तक पहुँचाने में महिला कवयित्रियों की अहम् भूमिका रही है। अतः महिलाओं ने हिन्दी काव्य सृजन में विशिष्ट योगदान दिया है।

सन्दर्भ स्रोत

1. डॉ. सुषमा सिंह, 'भारत की स्त्रियों की संघर्षमयी गाथा', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली (1999), पृ. 10
2. प्रकाश नारायण नाटाणी, 'भारत की प्रमुख महिलाएँ, जसोरिया पब्लिकेशन, जयपुर (2011), पृ. 115
3. डॉ. मीना गौतम, 'महादेवी वर्मा एक विश्लेषण', प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली (2016), पृ. 87
4. डॉ0 रंजना यादव, 'महादेवी वर्मा का रचना संसार : संवेदना के विविध रूप', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर (2009), पृ. 31

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

इक्कीसवीं सदी में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता

डॉ. जय प्रकाश पटेल*

शोध-सारांश

महात्मा गांधी के रूप में भारत में एक ऐसे देवत्व व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनके प्रत्येक कार्य एवं विचार ने जन–सामान्य को प्रभावित किया है। गांधी जी का राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिये गये विचार ही नहीं बल्कि छोटे–छोटे सामाजिक मुद्दों पर दिया गया विचार भी अनुकरणीय है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी कब सोते थे, कब भोजन करते थे, क्या खाते थे, क्या पढ़ते थे, क्या दिनचर्या थी? आदि लाखों प्रश्न वर्तमान समय में शोध का विषय है। इन सभी पर न सिर्फ गम्भीरता से शोध हो रहे हैं बल्कि साधारण व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है। यही कारण है कि गांधी के कार्यों एवं विचारों की प्रासंगिकता ज्वलंत एवं अनिवार्य विषय के सदृश्य है।

बीसवीं सदी में हमारे देश भारत में एक ऐसा मानव अवतरित हुआ, जिसका पूरा विश्व कायल रहा है और वर्तमान समय में भी उसकी शिक्षाओं से वैश्विक जन प्रभावित हैं। हाँ, हम महात्मा गांधी की ही बात कर रहे हैं, जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे अनेक विचारों से सदैव जन–जन में प्रिय हैं। कोई गांधी को राष्ट्र का महानायक, तो कोई अहिंसा का अग्रदूत, तो कोई हिन्दी का प्रचारक, तो कोई युगदृष्टा आदि उपाधियों से विभूषित करता है किन्तु गांधी जी की समस्त उपाधियाँ उनके कार्यों एवं विचारों के समक्ष छोटी प्रतीत होती हैं। फिलहाल हम सीधे मुख्य विषय पर आते हैं अर्थात् क्या इक्कीसवीं सदी में महात्मा गांधी प्रासंगिक हैं?

महात्मा गांधी का जन्म एक ऐसे देश–काल एवं परिस्थिति में हुआ, जब हमारा देश न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से विविध झंझावातों को झेल रहा था बल्कि राजनीतिक दृष्टि से ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। महात्मा गांधी ने न सिर्फ वैश्विक जगत् के समाज का अध्ययन किया बल्कि वे अनेक पुस्तकों को पढ़कर मानव जीवन की वास्तविकता से अनुभूति हुए। इन्होंने न सिर्फ हिन्दू धर्म की पुस्तकें पढ़ीं बल्कि अनेक धर्मो की पुस्तकें पढ़ीं और उनके महत्वपूर्ण विचारों को अपनाया। इसी अनुभाविक परिप्रेक्ष्य में पाया कि अहिंसा से ही हिंसा को हराया जा सकता है। भारत में ही नहीं विश्व के किसी भी देश में हिंसात्मक शासन हो तो हम अहिंसा से ही हरा सकते हैं। यह गांधी जी ने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। महात्मा

* 64ए, बी.एच.एस. अल्लापुर, प्रयागराज (उ.प्र.) मो.: 9415396645

गांधी का स्पष्ट मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात अहिंसक होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रूर हो किन्तु वह अपने अन्दर अहिंसा को समेटे रहता है। यही कारण है कि गांधी जी ने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार माना था। आशा शर्मा ने लिखा है– ''गांधी जी के पास अहिंसा का अमोघ शस्त्र था। उन्होंने अपने इस शस्त्र से अंग्रेजी सेना, जो विश्व की सर्वोत्तम और महाशक्तिशाली सेना थी, को बुरी तरह पराजित किया।''[1]

यहीं से प्रश्न उठता है कि क्या 'अहिंसा' किसी भी देश–काल में अप्रासंगिक हो सकती है? इसके पक्ष में एक स्वर से हाथ उठते हैं कि गांधी जी की अहिंसा वर्तमान सदी में भी प्रासंगिक है। माना कि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि एक ओर अत्याचारी एवं हिंसक शक्ति हो तो हम अहिंसा से कैसे लड़ सकते हैं? जब तक हमारे अहिंसात्मक विचारों को प्रतिपक्षी तक पहुँचाया जाएगा, तब तक हिंसात्मकता में संलग्न व्यक्ति हमें भौतिक संसार से विदा कर सकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि हमारे ऊपर कितने भी हिंसात्मक हमले हों किन्तु हम अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे। हम बलिदान हो सकते हैं, किन्तु तब भी हमारी बात स्वीकार्य होने की सम्भावना बनी रहती है। गांधी जी का मानना था कि यदि समाज में हिंसा को स्वीकार किया जाय, तो पूरी पृथ्वी से मानव जाति के समाप्त होने की पूरी सम्भावना है जबकि अहिंसा से प्रत्येक व्यक्ति उत्कृष्ट ढंग से जीवन जी सकता है। गांधी जी ने कहा, ''मैंने तो पुकार–पुकार कर कहा है कि अहिंसा वीर का लक्षण है। कायरता कभी धर्म नहीं हो सकती है। आत्मबल के सामने तलवार का बल तृणवत् है। अहिंसा आत्मा का बल है।''[2] हमारे देश में ही क्रान्तिकारी कहे जाने वाले उग्रवादी स्वभाव के व्यक्तित्व ने भारतीय आजादी में सहयोग किया किन्तु उनके अनुयायियों को भी गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की छतरी में शरण लेना पड़ा था। अन्ततः कहा गया कि गांधी जी की 'अहिंसा' ने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यही नहीं, जब विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली अर्थात् ब्रिटिश हुकूमत गांधी के अहिंसा से हार गयी तो अन्य के सन्दर्भ में क्या कहा जा सकता है? अतः महात्मा गांधी को अहिंसा आज भी समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है।

महात्मा गांधी ने अहिंसा के साथ 'सत्य' का सदैव पालन किया। ये अपने युवावस्था में ही नहीं बल्कि बाल्यकाल से सत्य को स्वीकार करते थे और उसी का पालन करते थे। एक बार माता–पिता को बिना बताये मांसाहार भोजन ले लिया था तो इन्हें इस बात का दुःख नहीं था कि मैं मांसाहार भोजन ग्रहण किया हूँ बल्कि इस बात का अधिक दुःख हुआ कि माता–पिता को बिना बताये ही मांसाहार भोजन कर लिया। इसी प्रकार एक बार विद्यालय में निरीक्षक महोदय बच्चों की परीक्षा ले रहे थे। शिक्षक महोदय ने इन्हें वर्तनी शुद्ध लिखने का संकेत किया किन्तु गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि जब हमें सही जानकारी नहीं है तो मैं दूसरे की नकल करके वर्तनी क्यों शुद्ध करूँ? इस तरह के सैकड़ों प्रसंग हैं, जो गांधी जी के सत्य पर अडिग रहने का उदाहरण है। गांधीजी का अपने जीवन के अन्त तक कहना था कि सत्य और अहिंसा हमारी सर्वोत्तम नीति हैं, उनके विचारों को प्रो. श्रीकान्त प्रसून ने लिखा है– ''मैं सत्य और अहिंसा की नीति के अलावा और कोई नीति नहीं जानता हूँ।''[3] महात्मा गांधी का मानना है 'सत्य ही ईश्वर है'। इस पर कुछ विद्वानों की टिप्पणी है कि क्या गांधी जी नास्तिक थे अथवा क्या गांधी जी ने जन प्रचलन में व्याप्त ईश्वर पर विश्वास नहीं किया है? वास्तव में गांधी ने सत्य को ही ईश्वर कहा है अर्थात् ईश्वर सत् है। हमें सत्य को ईश्वर की तरह स्वीकार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सत्य को जैसे–जैसे स्वीकार करता जाता है, वह उतना ही उत्कृष्ट नागरिक बन जाता है। सत्य के सन्दर्भ में गांधी जी ने कहा है– ''सत्य एक विशाल वृक्ष है। ज्यों–ज्यों उसकी सेवा की जाती है,

त्यों–त्यों उसमें अनेक फल लगते दिखाई देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों–ज्यों हम गहरे पैठते हैं, उनमें से रत्न निकलते हैं। सेवा के अवसर हाथ आते रहते हैं।''[4]

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने विचारों में ही नहीं रखा बल्कि उसका सदैव पालन किया है। गांधी जी की कथनी और करनी में एकरूपता भी प्रासंगिक है। दूसरे शब्दों में, जिन व्यक्तियों ने अपने विचारों को स्वयं क्रियान्वयन में उतारा है, उसे ही साधारण जन ने स्वीकार किया है। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को जन साधारण के मध्य प्रस्तुत करने से पूर्व स्वयं भी अपनाया है। वे गीता के निष्काम को हृदय से स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि हमें अपने कार्य निःस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हम फल की इच्छा भाव से कार्य करते हैं तो इच्छित सफलता प्राप्त न होने पर दुःख होता है जबकि निष्काम भाव से कार्य करने से किसी प्रकार की निराशा नहीं होती है। यह विचारधारा महात्मा गांधी को नियतिवाद की ओर ले जाती है किन्तु गांधी जी का मानना है कि हमें श्रीमद्भागवतगीता का पालन करना चाहिए–

''संन्यासः कर्म योगश्य निःश्रेयसकरावुभौ।
तपोस्तु कर्म संन्यासत्कर्म योगो विशिष्यते।।''
–(5/211)

अर्थात् मन, इन्द्रियों तथा शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्त्तापन का त्याग और निष्काम कर्म करना, यह दोनों ही परम्कल्याणकारी हैं।

गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता के क्रम में 'सत्याग्रह' सभी देश–काल में स्वीकार्य है। सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह होता है। इसमें किसी की हार अथवा जीत नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कोई न ही विजयी पक्ष का होता है और न ही पराजय पक्ष का होता है बल्कि सत्य की जीत होती है। हालाँकि गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह अपनाने वालों की संख्या जैसे–जैसे बढ़ती जाती है, वैसे–वैसे ही विचारधारा में मजबूती आती जाती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सत्याग्रह के लिए कोई भी उपाय किया जा सकता है। गांधी जी का मानना है कि हमें सत्य के आग्रह के लिए हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमारी सत्याग्रह में हम अकेले भी पड़ सकते हैं किन्तु साधन के रूप में किसी प्रकार की हिंसात्मकता स्वीकार नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के शब्दों में– ''सत्याग्रह की क्षमता सत्याग्रहियों की संख्या पर नहीं बल्कि उनके गुणों पर निर्भर करती है। संख्या तो बुजदिल के लिए प्रसन्नता का विषय हो सकता है। शूरवीर तो अकेला ही लड़ने में शूरवीरता पाता है।''[5] महात्मा गांधी का सत्याग्रह इक्कीसवीं सदी में अनुकरणीय है। हमारे आस–पास अन्याय हो तो हम सत्याग्रह से उसे न्याय के मार्ग पर ला सकते हैं। सत्याग्रह किसी राजसत्ता के प्रतिपक्ष में ही नहीं होता है बल्कि अपने परिवार में, अपने पास–पड़ोस एवं विविध छोटे–बड़े संगठन के अनैतिक कार्य के विपरीत नैतिकता एवं सत्यता का आग्रह करना सत्याग्रह होता है। अनिल कुमार ने लिखा है– ''सत्याग्रही सम्बन्धियों और अपरिचितों, तरुणों और वृद्धजनों, पुरुषों और महिलाओं, मित्रों और शत्रुओं में कोई भेद नहीं करता।''[6]

भारत में गांधी जी को भाषा की दृष्टि से भी प्रासंगिक कहा जा सकता है। हमारे देश में जन सामान्य ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत दी है। महात्मा गांधी ने भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था। इनका मानना था कि हमें अन्य भारतीय भाषाओं को अस्वीकार नहीं करना चाहिए किन्तु जहाँ तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, हिन्दी सबसे अधिक जनों द्वारा आसानी से सीखी एवं जानी जाती है। यह विविध वैज्ञानिक गुणों एवं शब्दों से समृद्ध भाषा है। हिन्दी का विशाल साहित्य भण्डार है। गांधी जी के अनुसार– ''आपको मालूम ही है कि मेरा मत यह है कि हिन्दी ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।''[7] माना कि महात्मा गांधी के समय भारत में राष्ट्रीय एकता की अनिवार्य जरूरत थी। इस राष्ट्रीय एकता ने ही भारत को आज़ादी दिलाने में सर्वाधिक

महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस कारण महात्मा गांधी का हिन्दी के प्रति झुकाव उचित था किन्तु क्या वर्तमान समय में हिन्दी के प्रति भारतीय जनों में झुकाव उचित है? हाँ, हम भारतीयों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया है। यह अलग विषय है कि संवैधानिक दृष्टि से हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है किन्तु देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलती एवं समझती है, वह स्वतः ही राष्ट्रभाषा मानी जाती है। यह हिन्दी भाषा के पक्ष में निर्विवाद सत्य है। हिन्दी भाषा को भारतवासियों को समझना ही आसान नहीं है बल्कि सीखना भी बेहद आसान है क्योंकि यह अधिकांश बच्चों का माँ की गोद से ही सीखना हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी का हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने का विचार आज भी प्रासंगिक है।

महात्मा गांधी 'छुआछूत के विरूद्ध' थे। इनका मानना है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति समान है। मानव समाज में कोई भी छोटा–बड़ा नहीं होता है। अस्पृश्यता एक रोग या कोढ़ है, जो समाज को नष्ट कर दे रही है। इन्होंने अछूतों के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया। हरिजन का तात्पर्य हैं हरि के भक्त, इनके प्रति यदि किसी के मन में नकारात्मक भाव है तो यह उचित नहीं है। यही नहीं, गांधी जी ने 'साम्प्रदायिक सद्भाव' पर बल दिया है। हमें जाति एवं धर्म के आधार पर किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ. सुधा सिंह ने लिखा है– ''गांधी जी सभी धर्मों को समान मानते थे तथा सबका सम्मान करते थे।''[8] इसी क्रम में गांधी जी 'स्त्रियों के उद्धार' की बात करते हैं। हमारे देश में स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से समान अधिकार नहीं है। इन्हें पुरुषों के बराबर हक मिलना चाहिए। गांधी जी का जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर समानता वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। कुछ आलोचकों का मानना है कि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है तो जातिविहीन समाज की कल्पना कैसे की जाती है? यहाँ कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को अनुचित माना है जबकि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। प्रकाश नारायण नाटाणी ने लिखा है–''गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे परन्तु वे उसका समर्थन जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म, स्वभाव और कर्त्तव्यपरायणता के आधार पर करते थे।''[9]

महात्मा गांधी ने 'ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज' की बात की है। इनका यहाँ तक मानना है कि प्रत्येक ग्राम को आत्मनिर्भर होना चाहिए। गाँव के समस्त नागरिकों को एक–दूसरे की सहायता से मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आस–पास के गाँव से आवश्यक सामग्री प्राप्त करना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि हमारा भारत 'गाँवों का देश' है। यहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इस कारण गांव के विकास से ही भारत का विकास सम्भव है। यही नहीं, गांधी जी ने बड़े–बड़े उद्योगों का भी विरोध किया। इसकी अपेक्षा कुटीर उद्योग पर बल दिया है। इनका मानना है कि भारत जैसे देश के लिए कुटीर उद्योग अधिक उपयोगी है। यह गाँवों में आत्मनिर्भरता का प्रश्न हो या कुटीर उद्योग की धारणा हो, इक्कीसवीं सदी में भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे गाँवों को आत्मनिर्भर करने के लिए विशेष कार्यक्रम के आयोजन की जरूरत है और कुटीर उद्योग से हम देश के जन–जन में खुशहाली लाने का प्रयास कर सकते हैं।

इसी क्रम में बुनियादी शिक्षा पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा में हस्तकौशल पर विशेष बल दिया है। इससे जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में, भी हस्तकौशल पर बल दिया जा रहा है। दूसरे शब्दों में शिक्षा के उद्देश्य को जीविकोपार्जन से युक्त करने की

जरूरत है। यही नहीं, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा माना है और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। वर्तमान सदी के तकनीकी युग में भी नैतिक शिक्षा पर बल दिए जाने की जरूरत है। हालाँकि भारत के विद्यालयों में चल रहे पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में हम मशीनीकरण एवं भौतिकता की ओर इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि मानवीयता का भाव धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। अतः गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर पुनः विशेष बल दिया जाना चाहिए। जैसा कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर श्रीमती वन्दना सक्सेना ने लिखा है– ''महात्मा गांधी का शरीर बेशक नहीं है किन्तु उनके आदर्श, स्वप्न, विचार, दर्शन आज भी जीवित हैं।''[10]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी के कार्य एवं विचार न सिर्फ बीसवीं सदी में उपादेय थे बल्कि वर्तमान सदी में भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी की प्रतिदिन की दिनचर्या से लेकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत विचार का विश्व जन कायल है। इनका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि से सम्बन्धित चिंतन दृष्टि को साधारण जन समुदाय स्वीकार करता है। जैसे–जैसे हमारा मानव समाज गांधी जी के बारे में जानता एवं समझता जा रहा है, उनके कार्यों एवं विचारों की प्रासंगिकता गहरी होती जा रही है।

सन्दर्भ स्रोत

1. आशा शर्मा, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी', एस.के. पब्लिशर्स, नई दिल्ली (2004), पृ. 114
2. डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, 'गांधी जीवन दर्शन', लाइब्रेरी बुक सेन्टर, दिल्ली (2011), पृ. 11
3. प्रो. श्रीकान्त प्रसून, 'महात्मा गांधी व्यक्ति और वाणी', सस्ता साहित्य निकेतन, दिल्ली (2008), पृ. 49
4. डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, 'गाँधी जीवन दर्शन', लाइब्रेरी बुक सेन्टर, दिल्ली (2011), पृ. 16
5. प्रकाश नारायण नाटाणी, 'महात्मा गांधी जीवन एवं दर्शन', पुनीत प्रकाशन, जयपुर (2011), पृ. 89
6. अनिल कुमार, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी', अमरावती प्रकाशन, दिल्ली (2011), पृ. 66
7. प्रो. सुमन जैन, 'गाँधी : चरखा से स्वराज', लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज (2022), पृ. 135
8. डॉ. सुधा सिंह–'सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी', सरोज बुक्स, दिल्ली (2012), पृ. 58
9. प्रकाश नारायण नाटाणी, 'महात्मा गांधी जीवन एवं दर्शन', पुनीत प्रकाशन, जयपुर (2011), पृ. 104
10. श्रीमती वन्दना सक्सेना, 'गांधी जीवन और दर्शन', बी.आर. पब्लिशर्स, जयपुर (2012), पृ. 104

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 30th Nov. 2024
Paper Accepted : 7th Dec. 2024

Digital Repositories: Administration, Preservation and Distribution of Digital Content

Dr. Pramod Yadav*

ABSTRACT

In our increasingly digitalized world, digital repositories have emerged as essential venues for organizing, preserving, and sharing digital content. these repositories guarantee long-term access to a variety of digital resources, such as academic papers, research data, audiovisual materials, and more by acting as virtual archives,. An overview of digital repositories, including their concept, function, and types, is given in this article. It examines the historical context of their creation, which was motivated by the necessity to guarantee the availability and preservation of digital information. The essay also outlines the essential elements and characteristics of contemporary digital repositories, including as user interfaces, metadata frameworks, storage systems, and search capabilities. The significance of protecting digital content from deterioration and technological advancements is emphasized in the discussion of preservation techniques. File formats, data integrity, metadata consistency and long-term storage costs are among the preservation-related issues that are discussed, along with solutions. The study examines access and discovery in digital repositories, emphasizing metadata cataloging, sophisticated search features and user-friendly interfaces. To maintain compliance and foster user trust, legal and ethical issues are covered, such as intellectual property rights, privacy, and security. The article's conclusion highlights upcoming developments and trends in digital repositories, including the use of blockchain technology, enhanced semantic search capabilities and the incorporation of artificial intelligence. Overcoming the obstacles they encounter will guarantee that digital repositories continue to be important resources for future generations. They are essential to the creation, maintenance, and accessibility of digital content.

Keywords–*Digital Repositories, Preservation, Artificial intelligence, Metadata.*

Overview

Digital repositories have emerged as essential platforms for managing, storing, and disseminating digital content. They serve as

* Associate Professor, Department of Library & Information Science, Kulbhaskar Ashram P G College Prayagraj.

virtual archives, ensuring long-term access to various digital materials such as scholarly articles, research data, audiovisual media, and more. With the increasing digitization of information, these repositories have become vital in our digital age. Digital repositories have revolutionized the way information is stored, managed, and shared in the digital age. As the world becomes increasingly digitized, organizations and individuals are faced with the challenge of effectively preserving and providing access to vast amounts of digital content.

Digital repositories, also known as digital archives or digital libraries, are specialized systems designed to store, organize, and disseminate digital assets. These assets can encompass a wide range of digital content, including research papers, datasets, images, audio files, videos, and more. The primary goal of digital repositories is to ensure the long-term preservation and accessibility of digital materials, enabling users to discover, retrieve, and utilize them efficiently.

In the past, physical libraries and archives were the primary means of storing and accessing knowledge and information. However, with the advent of digital technologies, the need for digital repositories emerged. Digital repositories provide several advantages over traditional methods of information storage. They enable organizations to overcome the limitations of physical space and geographical boundaries, allowing for the efficient preservation and dissemination of digital content on a global scale.

One of the key advantages of digital repositories is their ability to enhance the discoverability and visibility of digital assets. Through the use of metadata and robust search functionalities, users can easily locate and access relevant resources within the repository. This promotes collaboration, knowledge sharing, and interdisciplinary research.

As technology continues to advance, digital repositories are evolving to meet the changing needs of users and organizations. New trends and innovations, such as the integration of artificial intelligence and machine learning, are shaping the future of digital repositories, enabling more sophisticated search capabilities, content recommendation systems, and data analytics.

Digital repositories have become indispensable tools in the digital landscape, providing efficient and secure means of storing, managing, and disseminating digital content. They empower individuals and organizations to preserve their knowledge, share their research, and contribute to the collective growth of society. With their continued development and adoption, digital repositories will play a crucial role in shaping the future of information management and access.

Definition and Objective

Digital repositories are online platforms designed to store and organize digital content. They serve as centralized locations for collecting, preserving, and providing access to digital resources. The primary purpose of digital repositories is to ensure the long-term availability and accessibility of digital content. A digital repository, also known as a digital archive or digital library, is a specialized system designed to store, organize, preserve, and provide access to digital assets. These assets can include various types of digital content, such as research papers, datasets, images, audio files, videos, and more. Digital repositories serve as trusted sources of information, ensuring long-term preservation and accessibility. Digital repositories have become essential components of the modern information landscape. They provide organizations and individuals with a centralized platform for storing, managing, and disseminating digital content. In this article, we will explore the concept of digital repositories, their importance, types, features, use cases, challenges, best practices, and future trends.

Various Categories of Digital Repositories

There are several types of digital repositories, each catering to specific content and user needs. Institutional repositories focus on preserving and sharing scholarly outputs from a specific institution or organization. Discipline-

specific repositories concentrate on a particular academic discipline, providing a curated collection of resources. Additionally, subject repositories, data repositories, and multimedia repositories serve specific purposes within their respective domains.

- **Institutional Repositories–** Institutional repositories are created by academic institutions, such as universities, colleges, or research centers. They serve as a central hub for storing and sharing scholarly output produced by faculty members, researchers, and students. Institutional repositories typically include research papers, theses, dissertations, conference papers, and other academic materials. These repositories aim to promote open access to scholarly work, increase visibility and discoverability of research, and provide long-term preservation of institutional knowledge.
- **Subject-based Repositories–**Subject-based repositories focus on specific subject areas or disciplines. They cater to researchers and professionals working in specialized fields who require access to relevant resources. These repositories collect and curate digital content specific to a particular discipline, such as biology, chemistry, physics, or humanities. Subject-based repositories provide researchers with a targeted platform to find and access scholarly publications, datasets, and other resources relevant to their areas of interest.
- **Data Repositories–**Data repositories specialize in storing and sharing research datasets. They are designed to ensure the long-term preservation and accessibility of valuable research data. Data repositories typically include datasets from various disciplines, including scientific research, social sciences, and environmental studies. These repositories often provide tools and metadata standards for effective data management, making it easier for researchers to discover, access, and reuse datasets for their own studies.
- **Government Repositories–** Government repositories are established by governmental bodies and agencies to preserve and share important documents, records, and information. These repositories serve as archives for historical records, legislative documents, public reports, and cultural artifacts. Government repositories play a crucial role in preserving the nation's heritage and ensuring transparency in governance. They provide public access to government publications and facilitate research and analysis in various fields.
- **Digital Libraries–**Digital libraries are comprehensive repositories that encompass a wide range of digital content. They may include digitized books, journals, manuscripts, photographs, maps, audiovisual materials, and more. Digital libraries often collaborate with libraries, museums, and cultural institutions to digitize and preserve their collections. These repositories aim to provide universal access to knowledge and cultural heritage, allowing users to explore and access resources from diverse disciplines and genres.
- **Commercial Repositories–** Commercial repositories are managed by private organizations or companies that offer services for storing and distributing digital content. These repositories cater to industries such as publishing, entertainment, and media. Commercial repositories focus on protecting and monetizing digital

assets, ensuring copyright compliance, and providing secure distribution channels. They may include platforms for e-books, music, videos, and other digital media.

Development of Digital Repositories

The development of digital repositories has been a dynamic and evolving process, driven by advancements in technology, changing needs of users, and the growing importance of preserving and sharing digital content. Over the years, several key factors have contributed to the development and improvement of digital repositories:

Technological Advancements–The rapid progress of digital technologies has played a fundamental role in the development of digital repositories. Increased storage capacities, improved data compression techniques, and enhanced network infrastructures have made it possible to handle and store large volumes of digital content. Advancements in metadata standards, digital preservation techniques, and search algorithms have also significantly improved the functionality and effectiveness of digital repositories.

Open Access Movement–The open access movement, which advocates for free and unrestricted access to scholarly publications and research outputs, has influenced the development of digital repositories. The movement has fostered the creation of institutional repositories and subject-based repositories, providing platforms for researchers to share their work openly. Digital repositories have become key components in enabling open access to academic materials, facilitating the dissemination of knowledge on a global scale.

Collaboration and Interoperability– Digital repositories have become more interconnected and interoperable, allowing for seamless integration and sharing of content between different repositories and systems. Initiatives such as the OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) have enabled repositories to exchange metadata, promoting collaboration and enabling users to discover resources across multiple repositories. The development of standardized metadata schemas and protocols has facilitated the interoperability of digital repositories, making it easier for users to access and utilize content from various sources.

Preservation and Long-Term Access– Digital preservation has been a significant focus in the development of repositories. The need to ensure the long-term accessibility and usability of digital content has led to the adoption of preservation strategies and best practices. Repositories incorporate mechanisms such as data backup, migration, and emulation to mitigate the risks of technological obsolescence and data loss. Preservation metadata and formats have been developed to support the long-term sustainability of digital materials, ensuring their integrity and authenticity over time.

User Experience and Engagement–User-centric design and user experience have become key considerations in the development of digital repositories. Repositories are designed to provide intuitive interfaces, powerful search capabilities, and personalized features that enhance the user experience. Integration with social media, citation management tools, and collaborative platforms has further increased user engagement and facilitated the sharing and discovery of digital content.

Community Engagement and Best Practices–The development of digital repositories has been shaped by the collaborative efforts of various communities and organizations. Professional associations, research consortia, and international initiatives have played a crucial role in establishing best practices, guidelines, and standards for the management and operation of repositories. Communities of practice have emerged, fostering knowledge exchange and sharing of experiences to improve the effectiveness and sustainability of repositories.

Looking ahead, the development of digital repositories is expected to continue, driven by emerging technologies and evolving user needs.

Artificial intelligence and machine learning are poised to play a more significant role in enhancing search capabilities, content recommendation systems, and metadata enrichment. Integration with research data management workflows and emerging technologies such as blockchain may further expand the functionalities and applications of digital repositories.

Key Features and Components

Digital repositories play a crucial role in managing, storing, and disseminating digital content effectively. They serve as organized and centralized platforms that provide access to a wide range of digital materials, including research articles, datasets, multimedia content, and other digital assets. Let's explore the key features and components that make digital repositories essential tools for knowledge management and information sharing:

Content Management–Digital repositories offer robust content management systems that enable the organization and categorization of digital assets. They provide metadata standards and descriptive fields to ensure proper indexing and searchability of content. Through content management features, repositories facilitate easy discovery and access to digital materials, enhancing their usability and visibility.

Storage and Preservation–Digital repositories provide secure and reliable storage infrastructure to house digital content. They employ preservation strategies, including backup systems, redundant storage, and data replication, to ensure the long-term integrity and accessibility of digital assets. Repositories often adhere to digital preservation standards and best practices to safeguard content from data loss, corruption, or obsolescence.

Access Control and Security–Digital repositories incorporate access control mechanisms to protect intellectual property rights, sensitive data, and confidential materials. They offer various access levels, allowing content owners to define permissions and restrictions for different user groups. Repositories also implement security measures, such as authentication, encryption, and digital rights management, to ensure authorized access and prevent unauthorized use or distribution of digital content.

Search and Discovery–Digital repositories feature powerful search and discovery functionalities, making it easy for users to locate and retrieve specific digital assets. They employ indexing techniques, metadata harvesting, and full-text search capabilities to enable efficient and precise searching across large repositories. Advanced search filters, faceted navigation, and relevance ranking algorithms enhance the discoverability of digital content.

Metadata and Descriptive Information–Digital repositories rely on comprehensive metadata standards and descriptive information to facilitate content organization and discovery. Metadata enriches the digital assets with contextual information, such as title, author, subject, keywords, and licensing terms. Repositories often follow established metadata schemas, such as Dublin Core, MODS, or METS, to ensure interoperability and consistency in describing digital content.

Interoperability and Integration–Digital repositories promote interoperability by supporting standard protocols and formats for content ingestion, retrieval, and dissemination. They often integrate with external systems, such as institutional repositories, library catalogs, learning management systems, and research databases, to enable seamless content exchange and integration. Interoperability allows for the efficient sharing and reuse of digital materials across different platforms and systems.

Metadata Harvesting and Aggregation–Digital repositories may participate in metadata harvesting and aggregation initiatives to increase the visibility and accessibility of digital content. They contribute metadata records to larger aggregators, such as OAI-PMH-based services or digital library networks, enabling wider exposure and discovery of digital assets.

Metadata harvesting and aggregation enhance the reach and impact of digital repositories within the scholarly and research communities.

Usage Statistics and Analytics–Digital repositories provide usage statistics and analytics features to track and analyze user interactions with digital content. They generate reports on downloads, views, citations, and other usage metrics, providing valuable insights into the impact and usage patterns of the deposited materials. Usage statistics help repository managers and content owners understand the reach and relevance of their digital assets.

Collaboration and Social Features–Some digital repositories offer collaboration and social features that foster engagement and interaction among users. These features may include commenting, annotation, sharing, and social bookmarking functionalities, allowing users to engage in scholarly discussions, provide feedback, and collaborate on research projects. Such features promote community building and knowledge sharing within the repository ecosystem.

Licensing and Rights Management– Digital repositories support licensing and rights management for digital content. They enable content owners to specify licensing terms, access restrictions, and usage permissions for their materials. Repositories may also integrate with licensing registries or Creative Commons platforms to streamline the licensing process and ensure compliance with copyright regulations.

Digital repositories provide a comprehensive set of features and components that facilitate the management, storage, and dissemination of digital content. With robust content management, secure storage, powerful search capabilities, and interoperability, repositories serve as vital tools for knowledge sharing, research collaboration and preserving digital heritage. Preservation in Digital Repositories.

Challenges and Strategies

Preserving digital content poses several challenges. These include issues related to file formats, data integrity, metadata consistency, and long-term storage costs. Digital repositories employ strategies such as format migration, emulation, and checksums to address these challenges. Collaboration between repositories and adherence to preservation standards further enhance the preservation efforts.

Access and Discovery in Digital Repositories

User Interface and Searchability

A user-friendly interface is crucial for effective access to digital repositories. Intuitive navigation, advanced search functionalities, and filtering options enhance user experience. Well-designed interfaces ensure that users can easily discover relevant resources and explore the repository's content.

Metadata and Cataloging

Metadata plays a vital role in the discovery and organization of digital resources. Repositories use standardized metadata schemas to describe the content, enabling effective searching and browsing. Cataloging practices ensure that resources are appropriately classified, tagged, and linked, enabling seamless exploration within the repository.

VI. Legal and Ethical Considerations

Intellectual Property Rights

Digital repositories must navigate the complex landscape of intellectual property rights. Balancing the rights of content creators and users is crucial to ensure legal compliance. Repositories often rely on licensing agreements, copyright policies, and fair use provisions to manage intellectual property concerns.

Privacy and Security

Protecting user privacy and maintaining data security are paramount for digital repositories. Safeguarding sensitive information and implementing secure authentication protocols are essential to build trust among users. Compliance with privacy regulations and continuous monitoring of security threats help maintain the integrity and confidentiality of the repository's content.

Future Trends and Innovations

Digital repositories continue to evolve to

meet the changing needs of users and technological advancements. Some emerging trends include the integration of artificial intelligence for automated metadata generation, improved semantic search capabilities, and the adoption of blockchain technology for enhanced security and transparency. These innovations promise to reshape the landscape of digital repositories in the coming years.

Conclusion

Digital repositories play a vital role in the development, preservation, and accessibility of digital content. By providing a centralized platform for storing and organizing diverse resources, they contribute to the advancement of knowledge. However, repositories face challenges related to preservation, access, legal considerations, and technological advancements. Overcoming these challenges will ensure that digital repositories continue to serve as invaluable resources for generations to come.digital repositories have become indispensable platforms for managing, storing, and disseminating digital content in our increasingly digitized world. These repositories serve as virtual archives, ensuring long-term access to a wide range of digital materials, including scholarly articles, research data, audiovisual media, and more. They play a vital role in the development, preservation, and accessibility of digital content, and overcoming the challenges they face will ensure their continued value as invaluable resources for generations to come.

Digital repositories have revolutionized the way information is stored, managed, and shared in the digital age. They provide numerous advantages over traditional methods of information storage, including enhanced discoverability, increased accessibility, and the promotion of open access to scholarly publications and research findings. By providing free and unrestricted access to academic materials, digital repositories contribute to the democratization of knowledge and foster innovation and progress.

The development of digital repositories has been driven by technological advancements, the open access movement, collaboration, preservation concerns, user experience, and community engagement. They have evolved to incorporate features such as content management, storage and preservation, access control and security, search and discovery, metadata and descriptive information, interoperability and integration, metadata harvesting and aggregation, usage statistics and analytics, and collaboration and social features. These features and components ensure the effective management, preservation, and dissemination of digital content while enhancing user experience and engagement.

Looking ahead, digital repositories will continue to evolve and adapt to meet the changing needs of users and organizations. Emerging technologies, such as artificial intelligence and machine learning, will play a significant role in enhancing search capabilities, content recommendation systems, and metadata enrichment. Integration with research data management workflows and the adoption of blockchain technology may further expand the functionalities and applications of digital repositories.

Digital repositories have become essential tools in the digital landscape, providing efficient and secure means of storing, managing, and disseminating digital content. They empower individuals and organizations to preserve their knowledge, share their research, and contribute to the collective growth of society. With their continued development and adoption, digital repositories will play a crucial role in shaping the future of information management and access.

References

1. Aminu Umar, Musa, et al. "Institutional Digital Repositories in Nigerian: Issues and Challenges." *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, vol. 19, no. 1, 2014, pp. 16–21, https://doi.org/10.9790/0837-191111621.
2. Jantz, Ronald, and Michael J. Giarlo. "Digital

Preservation Architecture and Technology for Trusted Digital Repositories." *D-Lib Magazine*, vol. 11, no. 6, 2005, pp. 135–47, https://doi.org/10.1045/june2005-jantz.

3. Loan, Fayaz Ahmad. "Open Access Digital Repositories in Asia: Current Status and Future Prospects." *International Journal of Information Science and Management*, vol. 12, no. 2, 2014, pp. 35–45.
4. Roy, Bijan Kumar, et al. "An Analytical Study of Institutional Digital Repositories in India." *Library Philosophy and Practice*, vol. 2012, no. FEB, 2012.
5. Vrana, Radovan. "Digital Repositories and the Future of Preservation and Use of Scientific Knowledge." *Informatologia*, vol. 44, no. 1, 2011, pp. 55–62.
6. Yakel, Elizabeth, et al. "Trust in Digital Repositories." *International Journal of Digital Curation*, vol. 8, no. 1, 2013, pp. 143–56, https://doi.org/10.2218/ijdc.v8i1.251.
7. Zuccala, Alesia, et al. *Http://Informationr.Net/Ir/13-1/Paper333.Html*. 2008, http://informationr.net/ir/13-1/paper333.html.

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 30th Nov. 2024 **Paper Accepted : 7th Dec. 2024**

Rivers Occupies A Central Position in the Lifeline of People, Plants and Organism : Degradation of Natural Resources

- **Sangeeta Banjare**[1]
- **Dr. Neeta Gupta**[2]
- **Dr. A. L. S. Chandel**[3]

ABSTRACT

Nature is a complex and intricate system that possesses the remarkable ability to cleanse and renew itself. The enormous varieties of natural resources on this planet provide everything for the survival of all forms of life. From the vast oceans to the dense forests and even the smallest of ecosystems, nature has developed various mechanisms to maintain its balance and purity. Through processes such as evaporation, filtration, and decomposition, pollutants and waste are naturally removed from the environment. Additionally, the presence of diverse plant and animal species helps in the breakdown of harmful substances, further aiding in the natural cleansing of our planet. Overall, nature's ability to self-cleanse is a testament to its resilience and the delicate harmony that exists within its ecosystems.Such as deforestation and pollution can greatly impact the health of rivers and the ecosystems they support. Without healthy rivers, many communities would struggle to access clean water for drinking, irrigation, and sanitation. It is crucial for us to prioritize the protection and conservation of rivers to ensure the well-being of both humans and the environment.Water samples were collected from different places located Korba and Janjgir - Champa. The parameter such as Odor Temperature, pH, TDS, DO, COD have been studied using standard protocol APHA. Pre sampling on spot testing have been done on the different site. Industries have their own management system and rules regulation to manage all the threats. They provide job so social impact is also good.

Keywords–*Rivers, Plants, Land, Temperature, pH, TDS, nitrate etc.*

1. Assitant Professor, D. L. S. P. G. College Bilaspur (C.G.)
2. Assitant Professor, Govt. E. R. R. Science P.G. College Bilaspur (C. G.)
3. Assitant Professor, Govt. E. R. R. Science P.G. College Bilaspur (C. G.)
   Email-che.sangeeta@gmail.com

Introduction

In the ancient world and todays context rivers have occupied a central position in human civilization, environment and ecology. They provide life sustenance, supporting human life and livelihoods, Support diverse aquatic ecosystem food security,[1] Transportation, Energy Generation, Cultural Significance, Economic growth. Rivers also play a crucial role in transporting nutrients and sediments, which are essential for the growth of plants and organisms. Additionally, rivers serve as important transportation routes for goods and people, facilitating trade and communication. Therefore, it is imperative to protect and preserve rivers to ensure the continued well-being of all living beings that depend on them.

Maintaining healthy river ecosystems is essential for the survival of both human communities and wildlife.[2] Healthy rivers not only provide clean water for drinking and irrigation but also support a diverse range of plant and animal species. By preserving river habitats and water quality, we can ensure the continued existence of vital ecosystems that are crucial for sustaining life on Earth. In addition, healthy rivers promote biodiversity and contribute to the overall health of the environment, making them invaluable resources that must be protected for future generations.[3]

The degradation of natural resources is a pressing environmental issue that affects ecosystem, human health and the economy.[4] A major cause of Natural Resource Degradation is overexploitation, Pollution, Climate change: Rising temperatures, altered precipitation pattern, and extreme weather events,Land Degradation, Urbanization and Infrastructure Development etc.[5] Industrialization is very important for growth of our country but they create some kinds of pollution air pollution, water pollution, soil pollution, etc.

These pollutants can have devastating effects on both aquatic life and human health, making it crucial to regulate and monitor their release into rivers. Implementing sustainable practices in agriculture and industry, such as reducing chemical use and implementing proper waste management, can help mitigate the degradation of natural resources in rivers. By taking proactive measures to protect our rivers, we can ensure a healthier environment for all living beings and preserve these vital ecosystems for generations to come.

River degradation can lead to the loss of biodiversity, as many species depend on healthy rivers for survival. Water quality can also be severely impacted, affecting not only aquatic life but also human health. Ecosystem services provided by rivers, such as water purification and flood control, can be compromised if degradation continues unchecked. It is important to consider these long-term consequences and take action to prevent further deterioration of our rivers.

Some potential solutions for mitigating river degradation and promoting sustainable management practices include implementing stricter regulations on pollution discharges, promoting sustainable agriculture practices to reduce runoff contamination, and restoring riparian buffers to improve water quality. Additionally, investing in green infrastructure projects, such as wetland restoration and stormwater management systems, can help to improve water quality and enhance the resilience of river ecosystems. Collaborating with local communities, stakeholders, and government agencies is essential for implementing these solutions and ensuring the long-term health and sustainability of our rivers. By taking proactive measures to protect and restore our rivers, we can safeguard biodiversity, preserve ecosystem services, and promote the well-being of both wildlife and human populations.

In Direct impact on the health of rivers, leading to a decline in water quality and biodiversity. Numerous studies have shown that pollution, deforestation, and urbanization can all

contribute to the degradation of rivers. Without proper management and conservation efforts, the future of these vital waterways is at risk. It is crucial for policymakers and individuals alike to prioritize the protection and preservation of rivers to ensure the well-being of ecosystems and communities that rely on them.

Materials and Method

To study the impact of river degradation on these life forms is crucial in understanding the extent of the problem. We may utilize field surveys, water quality testing, and satellite imagery to track changes in the river ecosystem over time. By analyzing data collected through these methods, scientists can determine the causes of degradation and propose solutions to protect these vital waterways for future generations.The selected study Site in Hasdeo and Mahanadi River for this analysis was Korba and Janjgir - Champa district both are falls under the hot temperate climate zone and hence the district experiences hot and dry. Waste water collect from different sites where the upstream S1, releasing effluents S2.0,S2.1, S2.2 and downstream S3, before confluence Mahanadi S4 and after confluence Mahanadi S5. The sampling sites were designated as S1, S2.0, S2.1, S2.2 S3, S4, S5, samples were collected with the help of clean plastic container well cleaned with nonionic detergent rinsed three times with tap water and finally washed with deionized water. Prior to usage while collecting samples contamination of the samples was avoided with any foreign material collected samples were brought to laboratory and stored. Some parameter Temperature , pH, TDS are tested on spot by thermometer and pocket pH meter, TDS meter, post sampling physicochemical parameter are temperature, pH, TDS, DO, COD, in the water were analyzed according to APHA(1995) and Trivedi and Goels (1986).

Result and Discussion

Such as deforestation and pollution can have a significant impact on the health and biodiversity of rivers. When rivers are degraded, it not only affects the availability of clean water for drinking and irrigation, but also disrupts the habitats of countless species that rely on the river ecosystem for survival. It is crucial that we prioritize the protection and conservation of rivers to ensure the well-being of both humans and the environment. Temperature, pH, TDS, Nitrate and Ammonia levels in a water sample present in variation in all season.To do this is by conducting a series of chemical tests using specialized equipment and reagents. For temperature, a thermometer can be used to measure the water's heat energy. pH levels can be determined by using pH strips or a pH meter to measure the acidity or alkalinity of the water. TDS levels can be measured using a TDS meter to quantify the total dissolved solids in the water. Nitrate and phosphate levels can be analyzed using chemical test kits to determine the concentration of these nutrients in the water sample. By conducting these tests, a comprehensive analysis of the water quality can be obtained. of river water in industrial area

Korba.

Temperature–Temperature is basically important for the effect on chemical reaction, reaction rate, aquatic life and the suitability of water for beneficial uses. Rising temperatures, altered precipitation pattern, and increased frequency of extreme weather events.

pH–pH is the measurement of intensity of acidity and alkalinity and measures the concentration of hydrogen ion in water. The pH determination is important objective in treatment of waste. Variation in pH values of effluent can affect the rate of biological reaction and survival of various microorganisms. Study site S2 acidic is more likely to be contaminated with polluted.

TDS–The solid contained in the filtrate that passes through a filter with a normal pore size of 2 micrometer are less is classified as dissolved solids. The size of colloidal particle in waste water is typically in the range from 0.01to 1.0 micrometer.

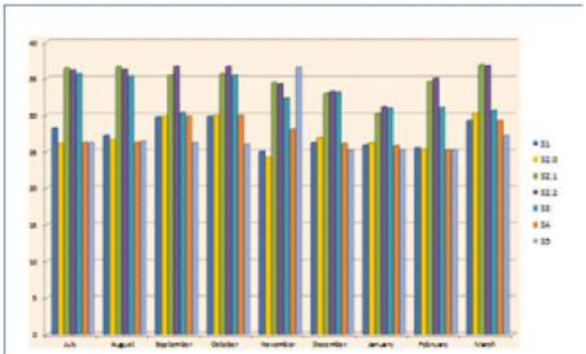

Seasonal variation of Temperature in the water samples from the different sampling sites

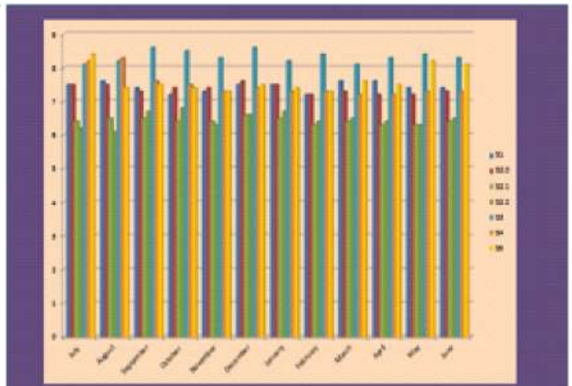

Seasonal variation of pH in the water samples from the different sampling sites

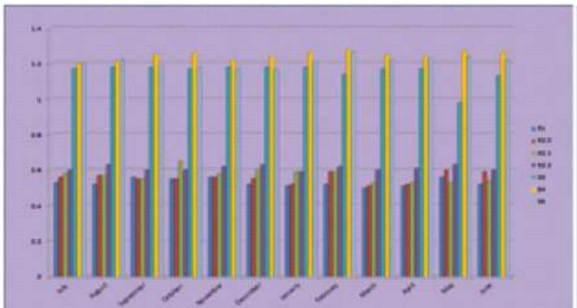

Seasonal variation of Total Dissolved Solids in the water samples from the different sampling site.

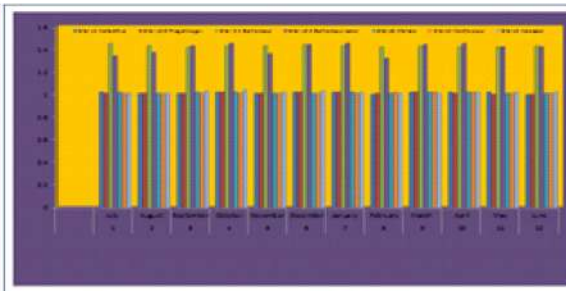

Seasonal variation of Nitrate in the water samples from the different sampling sites

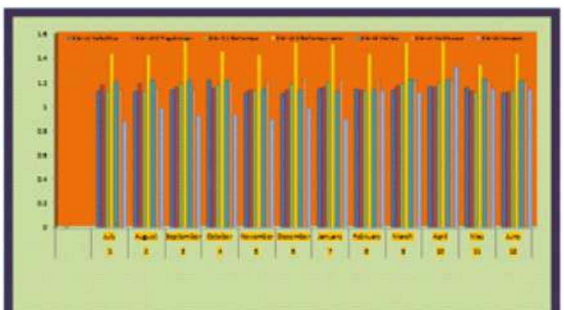

Seasonal variation of Ammonia in the water samples from the different sampling sites

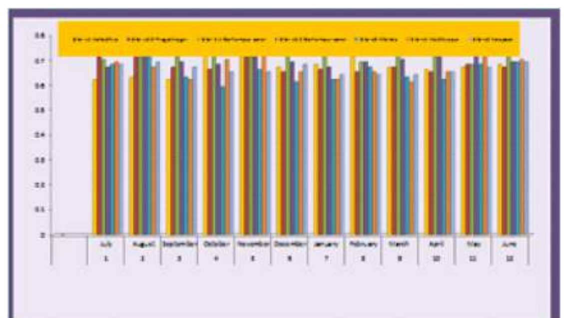

Seasonal variation of Nitrite in the water samples from the different sampling sites

Dissolved Oxygen–

Dissolved oxygen is the amount of oxygen that is present in water, water bodies receive oxygen from the atmosphere and from aquatic plant, if the temperature is high aquatic plants are not safe and destroyed and decreases DO level. Site 1 DO is good and Site S2.0, S2.1, S2.2 DO level is not good.

Chemical oxygen demand (COD)–

It is the amount of oxygen required by organic matter for its oxidation by strong COD substance in water. The COD is a test which is used to measure pollution of domestic and industrial waste. The waste is measure in terms of equality of oxygen required for oxidation of organic matter to produce CO_2 and water.

CONCLUSION

The degradation of natural resources, particularly rivers, poses a serious threat to the health and biodiversity of our planet. By prioritizing the protection and conservation of rivers, we can ensure the availability of clean water for both humans and wildlife, as well as maintain the delicate balance of the ecosystem. It is imperative that we take action to address issues such as deforestation and pollution to safeguard the lifeline that rivers provide to people, plants, and organisms. Only through collective efforts can we preserve and protect our rivers for future generations.Other way to conserve the Riverin the Korba industrial area is to implement strict regulations on industrial waste disposal. Companies should be required to treat their wastewater before releasing it into the rivers to prevent pollution. Additionally, implementing green infrastructure projects, such as rain gardens and permeable pavement, can help reduce stormwater runoff and improve water quality in the rivers. Finally, educating the community about the importance of river conservation and encouraging sustainable practices, such as reducing water usage and planting native vegetation along riverbanks, can also help protect these vital waterways.

To conserve plants and land is by practicing sustainable land management techniques such as crop rotation, agroforestry, and soil conservation. These methods can help prevent soil erosion, maintain soil fertility, and promote biodiversity. Additionally, protecting natural habitats and creating designated conservation areas can help preserve plant species and prevent deforestationBy taking these steps, we can ensure that plants and land are protected for future generations to enjoy,To conserve natural resources is by reducing our overall consumption. This can be done by using energy-efficient appliances, recycling materials, and opting for sustainable products. Additionally, protecting natural habitats and wildlife can help preserve ecosystems and the resources they provide. By making conscious choices in our daily lives, we can help ensure that future generations will have access to the same resources we enjoy today.

Acknowledgement

I acknowledge my sincere thanks and gratitude to my Supervisor Dr. Neeta Gupta and Co-Supervisor Dr. A. L S. Chandel for his support and guidelines; I would like to express my sincere thanks to Principal of the College for providing all the facility.

References

1. Sudarshankurwadkar et al.[2 May 2022] Unegualated discharge of wastewaterin the Mahanadi River Basin: Risk evalution due to occurance of polycyclic aromatic hydrocarbon in surface water and sediments. In this study,Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) through contaminated water may adversely affect human health and ecology. Water quality of Mahanadi River and Ecological risk, the sampling site select Cuttack city. They found unregulated discharge of wastewater could adversely affect human health and ecology.
2. Sandhya M. Sonawane [July 2015] Effect of wastewater and ash of thermal power stations on hydrological features of River tapi at Bhusawal district Jalgaon Maharashtra IOSR Journal of Environmental science, toxicology and food Technology (IOSR-JESTFT) eISSN: 2319-2402, p-ISSNn 2319 – 2399, Volume 9, Issue 7, Ver-II pp(19-24.) www.iosrjournal.org. they studied water quality status in tapi river. They select the site upstream and downstream in different date and time and season in the deepanagar Thermal Power Plant areas. They found Deepanagar power plant is responsible for alternative Physico-chemical properties of river water. The change in water temperature is one of the significant factor thatgoes to extreme.
3. RatnakarDhakate and T. GnaneswarRao [01 februarry 2010]Assessment of groundwater quality in talcher coalfield area, Orissa, India, International journalof Earth science and engineering ISSN 0974-5904, vol. 03, no. 01 , pp 43-55 they studied groundwater, electrical conductivity and major and minor elements. In this study seventeen groundwater samples were collected during pre and post mansoon season

from borewell /dugwells. They use preservation technique. they found high level of Al, Mg, K, Fe, Cd and Ni in groundwater is due to anthropogenic activity and it is unsuitable for potable purpose.

4. M Haritha et al. [2021] studies on concentration of heavy metal in agricultura soils around NTPC simhadrisuper thermal power plant coal fired Visakhapatnam. Andhrapradesh, India. They studied flyash contents bad effect and heavy metals pollution.

5. Flory Kilingo, Zulu Bernard et. al.[May 2021] The Analysis of wastewater treatment system efficiencies in Keniya: A review paper .they Review the treatment techniques in slum areas. They studied primary treatment stage entails physical processes which involve screening, removal of grit material then by sedimentation process aimed at separating elimination of oil & fatty acids and secondary process removal of nitrogen and biodegradable organic matter.

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

स्व-सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन

❑ **श्रीमती पूजा यादव***

शोध-सारांश

स्व–सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह ने समूह की महिलाओं को अन्य महिलाओं के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत करने तथा एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष योगदान दिया है। अब तक हुए विभिन्न प्रकार के अध्ययन इस बात को इंगित करते हैं कि समूह बनने के बाद तथा इसकी सदस्य बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूँजी (कल्चरल कैपिटल) में वृद्वि हुई है, अतः प्रस्तुत पेपर स्व–सहायता समूह बनने के बाद महिलाओं के जीवन में आये परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेगा जोकि साक्षात्कार तथा अवलोकन पर आधारित होगा।

मुख्य शब्द–*स्व–सहायता समूह, महिला एवं लघु ऋण।*

1. प्रस्तावना

भारत एक ग्रामीण देश है जहाँ लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। कृषि कार्यों के अतिरिक्त इनके पास अन्य कोई व्यवसाय नहीं है और न ही आय के अन्य साधन। खेती का कार्य साल भर में इनको 3–4 महीने ही मिलता है, इसलिए शेष महीनों में पर्याप्त आय जुटाने के लिए इन्हें कई अन्य प्रयत्न करने पड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें अपनी जमीनों और गहनों को गिरवी रखना पड़ता है, जिन्हें बाद में छुड़ाना इनके लिए अत्यधिक कठिन होता है। इस स्थिति में पुरुष वर्ग तो शहरों में मजदूरी करने लगता है किन्तु महिला के लिए यह एक संकट की घड़ी होती है, जिसमें न तो उसे खेतों पर काम मिलता है और न ही आजीविका चलाने के अन्य साधन भी (शर्मा, 2013)

इस दिशा में स्व–सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने 1970 से ही लघुवित्त आन्दोलन की शुरुआत की थी जिसके तहत गरीबों, विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी और आज लघुवित्त आंदोलन विश्व के 7 हजार संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे लगभग 1 करोड़ 6 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है (श्रीवास्तव, 2008) की वास्तव में

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), डी.एल.एस. स्नात. महा., बिलासपुर (छ.ग)

स्व–सहायता समूह गाँव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर, नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं तथा जिसका उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्य हफ्ते अथवा महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं, जिससे ये महिलायें गरीबी, बेरोजगारी तथा निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं (गुप्ता एवं पंथी, 2013)।

इस प्रकार प्रत्येक समूह अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे–समूह की नियमित मीटिंग होना तथा प्रत्येक सदस्य का मीटिंग में उपस्थित होना। मीटिंग में अनुपस्थित होने अथवा समय से ऋण न जमा करने पर अनुपस्थित सदस्यों द्वारा पाँच रूपये दण्ड के रूप में जमा करना, आदि। अतः नियमों के आधार पर समूह का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है और प्रत्येक सदस्य पर मासिक बचत के लिए सामूहिक दबाव के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, इसके अतिरिक्त अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये समूह किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संगठन से जुड़कर अपनी व्यावसायिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। एक अन्य अध्ययन जिसमें पाया गया कि महिला स्व–सहायता समूह को सहबैंक सम्बद्धता कार्यक्रम के तहत तीन लाख तक के ऋणों पर ब्याज सहायता देकर इन्हें सात प्रतिशत की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है (कुरुक्षेत्र–जुलाई,2013)।

स्व–सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के नेटवर्क में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। अभी तक जो महिलायें घर के कामों तक सीमित थीं, वो आज बाहर निकलकर सामूहिक स्तर पर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं। इलाहाबाद (प्रयागराज) के एक गाँव हथिगहाँ–जहाँ कई महिला स्वयं सहायता समूह में सक्रिय हैं, सामूहिक स्तर पर चिप्स, पापड़, अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण कर बाजार में बेंचकर अतिरिक्त आय के सृजन का प्रयास किया, किन्तु बाद में प्रशिक्षण न मिलने के कारण इन महिलाओं ने इस व्यवसाय को छोड़कर भैंस पालन व्यवसाय को अपनाया तथा दूध बेंचकर परिवार की आय में वृद्धि की और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया, जो महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है।

इस प्रकार स्व–सहायता समूहों के निष्पादन से सम्बन्धित किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि स्व–सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भैतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकारों में वृद्धि, सौदा शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उनका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनके विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है कि इसी गाँव की महिलायें घर के बाहर निकलकर बैंक, ब्लाक, हास्पिटल तथा बाजार के कार्यों को स्वयं कर रही हैं और विभिन्न व्यवसायों को कुशलतापूर्वक कर यह सिद्ध कर चुकी हैं कि मात्र वे घर के कामों में ही कुशल नहीं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने में भी निपुण हैं। इस प्रकार महिलाओं द्वारा महिला सशक्तिकरण का यह प्रयास सराहनीय है।

2. स्व–सहायता समूह का उद्देश्य

स्व–सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों, मुख्य रूप से महिलाओं को लघु ऋण उपलब्ध कराना है तथा इसके साथ ही साथ

बैंकिंग गतिविधियों के साथ जोड़कर बचत तथा महिलाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में समानता तथा सम्बद्धता को विकसित करना, आत्म विश्वास बढ़ाना, आत्म निर्भरता बढ़ाना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, जिससे वे व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त होने के साथ—साथ सामूहिक स्तर पर भी सशक्त हो सकें और अपने अधिकारों के लिए सामने आ सकें।

3. अध्ययन क्षेत्र तथा शोध प्रविधि

यह अध्ययन बिलासपुर के तीन गाँव क्रमशः पचपेडी, पताईडीह एवं जैतपुरी के अध्ययन क्षेत्र पर आधारित है। वर्तमान में ऐसा पाया गया कि इन तीनों गाँवों में महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जो कि मस्तुरी ब्लाक द्वारा संचालित होकर चिल्हाटी ग्रामीण बैंक से वित्त प्राप्त करते हैं, जिसके तहत इन समूहों ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाते हुए अपने आय के साधन को सृजित किया। अतः इन समूहों को अपने अध्ययन के लिए "सैम्पल" के रूप में चुना गया तथा साक्षात्कार एवं अवलोकन पद्धति द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया।

4. स्व—सहायता समूह का संचालन

समूह के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से ही तीन प्रतिनिधि—अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करता है, ताकि समूह की क्रियाविधि सुचारु रूप से चल सके। पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यतः शिक्षा तथा अत्मविश्वास होता है, ताकि समूह में हिसाब—किताब का काम ये स्वयं कर सकें। प्रायः सुविधादाता द्वारा कभी—कभी इनको समूह चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रत्येक महीने समूह की नियमित मीटिंग होती है, जो कि किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर बारी—बारी से होती है। समूह की मीटिंग में प्रत्येक सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अथवा अनुपस्थित होने की पूर्व सूचना सदस्य द्वारा समूह में उपलब्ध करायी जाती है, जिससे समूह के कार्यों का बेहतर नियोजन हो सके। कभी—कभी समूह के सदस्यों द्वारा अपने पड़ोसी से समूह में बचत का पैसा भेज दिया जाता है, जो कि यह इंगित करता है कि समूह बनने के बाद महिलाओं का "नाइबरहुड रिलेशन" भी मजबूत हुआ है। मीटिंग के दौरान प्रायः महिलाओं द्वारा आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे—ऋण के लेन—देन, बचत, नये सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया, गाँव की समस्या तथा समाधान, पर्यावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बच्चों की शिक्षा, राजनैतिक भागीदारी, ऋण का उपयोग तथा बचत के तरीके आदि। समूह के सदस्य इस बात के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं कि वे किस प्रकार छोटी—छोटी बचत कर एक बड़ी राशि समूह से प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार यह पाया गया कि समूह नियमित मासिक मीटिंग के अतिरिक्त कभी—कभी आकस्मिक मीटिंग भी करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को त्वरित ऋण उपलब्ध कराना है, जिसके लिए ये अपने बचत के पैसे से आपस में लेन—देन करती हैं। अतिरिक्त बचे हुए पैसे को समूह कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित कर, नजदीक के किसी बैंक, जहाँ समूह का सामूहिक खाता होता है, जमा किया जाता है और बैंक इन्हें इनकी बचत पर 02 प्रतिशत ब्याज भी देता है। इसके अतिरिक्त समूह की महिलाओं को किसी व्यवसाय को करने के लिए बैंक द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। इस प्रकार महिलायें समूह में आपस में लेन—देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो कि न केवल उनको आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि साहूकारों के चंगुल से भी बचाता है।

निष्कर्षतः

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएँ विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़

गयी हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ–साथ इनमें परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाय और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये।

इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके तहत अब तक 30 हजार से ज्यादा स्व–सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, कि इन्हीं समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगायी गई है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी आया है। अतः स्व–सहायता समूह ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सशक्तिकरण की दिशा की ओर उन्मुख किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएँ अपनी एक विशेष पहचान तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ गाँव के विकास में अहम् भूमिका भी निभा रही हैं, जो कि सराहनीय है।

सन्दर्भ स्रोत

1. बुर्रा, एन, देशमुख रानाडिव, जॉय एण्ड मुर्थी के. माइक्रो क्रेडिट पावर्टी एण्ड इम्पावरमेन्ट, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005
2. यादव, चन्द्रभान, महिलाओं की सफलता का सशक्त माध्यम स्व–सहायता समूह, कुरुक्षेत्र–जुलाई, 2013
3. पार्थसारथी, एस. के. अवेयरनेस, ऐसेस, एजेन्सी, इक्सपीरियंसेस आफ स्वयं शिक्षण प्रयोग इन माइक्रो फाइनेन्स एण्ड वूमेन इम्पावरमेन्ट, 2005
4. लक्ष्मी रामचन्द्र एण्ड पार्टी, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बेलारी, माइक्रो फाइनेन्स एण्ड वूमेन इम्पावरमेन्ट, द जनरल आफ फैमिली वेलफेयर, वोल्यूम–55, नं.–2, 2009
5. शर्मा, डी., शांति मैत्री मिशन संस्थान, मरुस्थलीय ग्रामीण विकास का पुरोधा, कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2013
6. एन.डी. जार्ज, भारत में लघुवित्त, मुद्दे और रणनीतियाँ, योजना, जनवरी, 2008, पेज 12–17
7. एम. श्रीवास्तव, मुहम्मद यूनुस का योगदान, योजना, 2008, पेज–18
8. गुप्ता एवं एस., स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण भारत का विकास, कुरुक्षेत्र, जुलाई, 2013, पेज 23–26
9. छ.ग. सरकार, महतारी वंदन योजना, 2024

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024 **Paper Accepted : 15th Dec. 2024**

बैतूल जिले में राष्ट्रीय चेतना का विकास एवं असहयोग आंदोलन

□ डॉ. संकेत कुमार चौकसे*

शोध-सारांश

सतपुड़ा की मनोरम पर्वत श्रृंखला में बसे बैतूल जिले ने स्वातंत्र्य चेतना का परिचय 1857 की क्रांति के दौरान ही प्रस्तुत कर दिया था। मध्यप्रांत के गठन के पश्चात् शिक्षा एवं यातायात के साधनों का विकास, सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों एवं समाचार-पत्र-पत्रिकाओं का प्रभाव, अकाल तथा उससे निपटने में ब्रिटिश साम्राज्य की असफलता इत्यादि अनेक कारणों से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ जिसका प्रभाव असहयोग आंदोलन के दौरान दिखायी दिया। इस आंदोलन में बैतूल जिले के नागरिकों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय पंचायतों द्वारा निर्णय इत्यादि कार्य कर सक्रिय सहभागिता प्रस्तुत की। प्रस्तुत शोध-पत्र में बैतूल जिले में राष्ट्रीय चेतना के विकास और असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द-राष्ट्रवाद, असहयोग आंदोलन।

राष्ट्रवाद से तात्पर्य उस भावना से है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों में आपस में जुड़ाव रहता है। इस जुड़ाव का आधार समान रीति-रिवाज, परम्पराएँ अथवा समान ऐतिहासिक शक्ति इत्यादि हो सकता है। आधुनिक विश्व में एक विचारधारा, आंदोलन, व्यवस्था एवं तीव्र उत्कंठा व रूप में राष्ट्रवाद सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित हुआ। आधुनिक भारत के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद दो प्रमुख विचारों साम्राज्यवाद विरोध एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रवादी एकजुट होने लगे। तत्पश्चात् राष्ट्रवाद के उत्थान में सामाजिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक कारकों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। वे समस्त कारण जिनसे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, वे कारण बैतूल में भी क्रियाशील रहे थे, जिससे इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ।

बैतूल जिला 21°22' से 22°23' उत्तरी अक्षांश एवं 77°10' से 78°33' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, यह वर्तमान मध्यप्रदेश के दक्षिणी सीमा पर सतपुड़ा की मनोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र रहा है, गोंड एवं कोरकू सतपुड़ा पर्वतमाला की आदि जातियाँ रही हैं। बैतूल जिले की महत्त्वपूर्ण नदियाँ ताप्ती, तवा, वर्धा, बैल, मोरण्ड तथा पूर्णा हैं यह जिला उत्तर में नर्मदापुरम, दक्षिण में महाराष्ट्र के अमरावती, पूर्व में

* सहायक प्राध्यापक इतिहास, राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, म.प्र.

छिंदवाड़ा एवं पश्चिम में पूर्वी निमाड़ (खण्डवा) जिले की सीमाओं को स्पर्श करता है। ब्रिटिशकाल में यह क्षेत्र सघन वनों से परिपूर्ण रहा, जिसके कारण शिक्षा एवं संचार की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा। किंतु इसके बाद भी इस क्षेत्र के निवासियों ने भी भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

भारतीयों के स्वतंत्र होने की अभिलाषा एक विराट् अभिव्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के दौरान परिलक्षित हुई। मेरठ से आरंभ इस क्रांति की लहर शीघ्र ही समस्त उत्तरी तथा मध्यभारत में फैल गयी। सतपुड़ा की पर्वत शृंखला में स्थित बैतूल जिला भी इस लहर से अछूता न रह सका। तात्कालीन सागर संभाग के कमिश्नर मेजर अर्सकाईन ने अपनी किताब में इस इलाके के बारे में लिखा है कि ''क्रांति की प्रतीक छोटी चपातियों का रहस्यमय ढंग से वितरण जनवरी 1857 के आसपास ही आरम्भ हो गया था।'' जिले में इस क्रांति का शोरगुल उस समय सुनाई दिया जब मालगुजार शिवदीन पटेल एवं उनके भाई रामदीन पटेल के पास कुछ शस्त्र बैतूल के समीप एक ग्राम में छिपे हुए पाये गये। इन पटेल बंधुओं ने अपने शस्त्र तथा सैनिक इत्यादि शाहपुर के निकट स्थित असीरगढ़ के किले में एकत्र कर रखे थे। इस कारण 5 अक्टूबर, 1857 को शिवदीन पटेल को उनके भाई रामदीन पटेल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अक्टूबर, 1857 को उन्हें क्रांति में भाग लेने का आरोपी घोषित कर सात वर्षों के कारावास की सजा दी गई।

बैतूल जिले में क्रांति से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटना तात्या टोपे का आगमन रहा। बैतूल जिले के मुल्ताई में क्रांति के अग्रणी नेता तात्या टोपे का आगमन 7 नवम्बर, 1857 को हुआ, उन्होंने वहाँ सरकारी इमारतों को ध्वस्त करते हुए बिरुल, मासौद, आठनेर, भैंसदेही होते हुए निमाड़ की ओर प्रस्थान किया, 1866 की बैतूल सेटलमेंट रिपोर्ट के अनुसार जिले में तात्या टोपे के समस्त सहयोगियों की एक सूची स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी और उन्हें दण्डित किया गया। मालगुजार द्वारा क्रांति में भाग लेने के कारण शाहपुर तालुका राजसात् कर लिया गया।[8] व्यापक पैमाने पर अनेक ग्रामों में लोगों से उनके सभी प्रकार के हथियार जप्त कर लिए गए और इसी जप्ती में अधिकारियों द्वारा भयंकर कठोरता, अमानवीयता और गैरकानूनी तरीकों का प्रयोग किया गया। इससे बैतूल जिले में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति संघर्ष की भावना का विकास हुआ।

2 नवम्बर, 1861 के प्रस्तावानुसार सागर-नर्मदा क्षेत्र तथा कंपनी सरकार द्वारा हस्तगत किये गये नागपुर राज्य को मिलाकर मध्यप्रांत का गठन किया गया।[9] मध्यप्रांत के गठन तथा बैतूल जिले के उसमें सम्मिलित होने से इस क्षेत्र में संचार व यातायात के साधनों का विकास हुआ। मध्यप्रांत के गठन के बाद शीघ्र ही बंबई-कलकत्ता रेलमार्ग का निर्माण किया गया जो नागपुर से होकर गुजरता था।[10] कलकत्ता व बंबई नागपुर से जुड़ जाने से मध्यप्रांत में राजनीतिक चेतना को प्रोत्साहन मिला जिसका प्रभाव बैतूल पर भी पड़ा। साथ ही इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गयी। शिक्षित होने के कारण बैतूलवासियों को न केवल आधुनिक पाश्चात्य विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ अपितु अंग्रेजी के रुप में एक संपर्क भाषा मिल गई जिससे राष्ट्रीयता के प्रसार में सहायता मिली।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भारतीय जनता में जागृति लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इन सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों से बैतूल जिले का जनमानस भी प्रभावित हुआ तथा यहाँ भी अनेक सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं का जन्म हुआ। बैतूल ज्ञान मूल सभा (1879), बदनूर ज्ञान मूल सभा (1879-80), मुलताई विद्यावर्धिनी सभा (1879) इत्यादि अनेक संस्थाएँ बैतूल जिले में स्थापित की गईं।[11] इसके अतिरिक्त जिले में आर्यसमाज की शाखाएँ भी स्थापित की गई। इन संस्थाओं का उद्देश्य राजनैतिक नहीं होने के बाद भी इन्होंने बैतूलवासियों में आत्मविश्वास तथा देश-भक्ति की भावनाएँ जागृत कीं।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अंकुरित और विकसित करने में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। यद्यपि तात्कालीन समय में बैतूल जिले से किसी भी समाचार पत्र का सम्पादन नहीं होता था। किंतु खण्डवा से मराठी साप्ताहिक

समाचार पत्र सुबोध सिंधु,[13] हरदा से आंग्ल-मराठी साप्ताहिक पत्र न्यायसुधा,[14] जबलुर से हिन्दी और अंग्रेजी द्विभाषीय समाचार पत्र जबलपुर समाचार एवं हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका शुभचिंतक[15] इत्यादि समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने सतपुड़ा क्षेत्र में जागृति लाने का कार्य किया। इनमें से अधिकांश पत्रों का वितरण बैतूल जिले में भी होता था।[16] इससे जिले की जनता में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई तथा निर्धनता, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती गई तथा 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय जनता को अनेक भीषण अकालों का सामना करना पड़ा। 1898 के भीषण काल में नर्मदा संभाग के अन्य जिलो की तुलना में बैतूल जिले पर घातक प्रभाव पड़ा, जिससे लगभग 50,000 एकड़ जमीन की फसलें वर्षा न होने के कारण नष्ट हो गयीं।[17] साथ ही जिले के किसानों को बड़ी संख्या में पशुधन की हानि भी उठानि पड़ी। किंतु इसके बाद भी सरकार द्वारा कोई विशेष सकारात्मक प्रयास इस दिशा में नहीं किए गए। इससे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में आक्रोश बढ़ा। इसके अतिरिक्त जिले में हैजा (1900 एवं 1906)[18] तथा प्लेग (1904 एवं 1908)[19] जैसी बीमारियों के प्रकोप तथा शासन की निष्क्रियता ने इस आक्रोश को बढ़ाया। इसका एक प्रमाण 1908 के प्लेग के समय मिलता है जब जिले की मुलताई तहसील की जनता ने प्रभातपट्टन के जमींदार देवराव पटेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत एवं सहायता लेने से इंकार कर दिया था।[20]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर, 1885 में हुई थी। यह अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति मानी जाती है। 1891 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मध्यप्रांत के अनेक वकील, जमींदार, व्यवसायी इत्यादि सम्मिलित हुए। फलतः मध्यप्रांत में राष्ट्रीय आंदोलन की गति में तीव्रता आई।[21] 1915 में मध्यप्रदेश के राजनीतिक कार्यकत्ताओं ने संगठित होकर मध्यप्रांत तथा बरार प्रांतीय संघ (सेंट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार प्राविंशियल एसोएिशन) का गठन किया। इसमें बैतूल जिले का प्रतिनिधित्व भालेराव वकील द्वारा किया गया।[22] इसके पश्चात् होमरूल आंदोलन के माध्यम से स्वराज के महत्त्व का व्यापक प्रचार किया गया जिससे जनता में राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ। इसी दौरान ऐनी बेसेंट द्वारा संचालित होमरुल लीग की एक शाखा 1917 में बैतूल में भी स्थापित की गई।[23]

प्रथम विश्वयुद्ध (1914-1918) के दौरान बैतूल जिले से संबंधित एक अन्य उल्लेखनीय घटना हुई। विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में युद्ध सेवाओं के लिए सैनिकों की भर्ती के अतिरिक्त युद्ध ऋण एकत्र करने का कार्य भी किया था। इस दौरान जब 1916 में तात्कालीन डिप्टी कमिश्नर बैतूल जिले के पट्टन पहुँचे तब वहाँ के मालगुजार देवराव पटेल द्वारा धन देने से इंकार कर दिया गया। इससे उन्हें दूसरे मालगुजारों के सम्मुख अपमानित किया गया। इसके प्रतिक्रियास्वरू जिले के अन्य मालगुजारों ने भी ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता करने से इंकार कर दिया।[24] इसके अतिरिक्त पट्टन में ही बाबा साहब घरपड़े की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें भर्ती के अमानवीय सरकारी तरीकों की आलोचना की गई।[25] इस प्रकार 1920 तक बैतूल जिले में असहयोग आंदोलन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया था।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अपनायी गयी ब्रिटिश नीतियाँ जैसे रोलट एक्ट, जलियाँवालाबाग हत्याकाण्ड आदि घटनाओं के पश्चात् महात्मा गांधी की नीतियों में व्यापक परिवर्तन आया तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया। असहयोग आंदोलन पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से सितंबर, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में आयोजित इस अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे स्वीकृत कर लिया गया।[26] असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन दिसंबर, 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के पैंतीसवें ऐतिहासिक अधिवेशन में किया गया।

कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में बैतूल जिले के केदारनाथ वैष्णव, रतनलाल पटेल, हीरालाल खण्डेलवाल, सेठ मिश्रीलाल गोठी, दीपचन्द गोठी, बाबूलालजी वर्मा, जेठमल तोतड, भैरवलाल तोतड बिहारीलाल पटेल, रामदीन अवस्थी सहित जिले के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।[28] 1920 में ही बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई, इसमें रामदीन अवस्थी को अध्यक्ष, गणपतराव इंगोले को सचिव तथा भैरवलाल तातेड को कोषाध्यक्ष बनाया गया। 1921-22 में कृष्णराव धर्माधिकारी ने जिला अध्यक्ष तथा वामनराव चांदे ने सचिव के रूप में कार्य किया।[29] इस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के सुचारु संचालन हेतु कार्यक्रम, यथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय पंचायतों द्वारा निर्णय इत्यादि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की।

नवम्बर, 1921 में सागर में आयोजित महाकौशल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में अहिंसक सत्याग्रह की प्रांतव्यापी योजना तैयार की गयी।[30] इस अधिवेशन में बैतूल जिले से रामदीन अवस्थी, कृष्णराव धर्माधिकारी, बिहारीलाल पटेल, मामा भैरवलाल सहित 20 स्वतंत्रता सेनानी सम्मिलित हुए।[31] इसी माह बैतूल जिले में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर विरोध प्रदर्शन करते हुए विशाल जुलूस का आयोजन किया गया।[32] 1922 में उत्तर प्रदेश के विख्यात धार्मिक वक्ता नारायण स्वामी का बैतूल आगमन हुआ। वह धर्म उपदेशक थे किंतु उनका मूल उद्देश्य धार्मिक प्रवचनों के द्वारा देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। उने आव्हान पर बैतूल बाजार में सेवा समिति की स्थापना हुई। इस समिति में लगभग 100 स्वयंसेवक कार्य करते थे। ये स्वयंसेवक चोरियों तथा अन्य अपराधों की छानबीन करते थे तथा पुलिस की तरह रात में गश्त भी लगाया करते थे।[33] इस समिति ने खादी एवं चरखे का प्रसार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं मद्यनिषेध इत्यादि कार्य भी किए। बाद में इसी प्रकार की समितियों का गठन मुलताई, चिचोली, प्रभातपट्टन, आठनेर, भैंसदेही इत्यादि स्थानों पर भी किया गया।[34] सेवा समिति के माध्यम से जिला कांग्रेस के कार्यकलापों को गतिशीलता प्राप्त हुई।

महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर पंच फैसलों के माध्यम से निर्णय करना सम्मिलित था। इसी तारतम्य में बैतूल जिले में बैतूल बाजार और निकटवर्ती इलाके के लिए एक राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। दीनानाथ पटेल को इसका सरपंच और दिवाकर राव पटेल और गजानन पटेल इस न्यायालय के पंच बने। इस न्यायालय ने लगभग 18 माह तक कार्य किया। इसका प्रभाव इतना व्यापक रहा कि सरकारी न्यायालय में प्रथम 6 माह में ही मुकदमों की संख्या घटकर एक चौथाई रह गई थी।[35] इसके अतिरिक्त अनेक ग्रामों में जातीय पंचायतों की स्थापना की गयी जो कि अपनी जाति के अपराधियों को अपराधानुसार आर्थिक दण्ड देती थी तथा जो मामले उनके कार्यक्षेत्र से बाहर के होते थे, उन्हें राष्ट्रीय न्यायालय में स्थानांतरित कर देते थे। जिला प्रशासन ने इस न्यायालय की प्रगति से चिंतित होकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इसके निर्णयों को अवैध घोषित कर दिया।[36] किंतु इससे स्थानीय जनता में इस न्यायालय की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आयी।

असहयोग आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार ने समय-समय पर घोषणाओं, झूठी अफवाहों तथा दण्डनीति का प्रयोग किया। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के दौरान धारा 100 के अंतर्गत बैतूल में 3 सत्याग्रहियों को दण्डित किया गया।[37] महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को विस्तारित करने के उद्देश्य से सामूहिक सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम तैयार किया किंतु इसके कुछ ही समय बाद चौरीचौरा की हिंसक घटना घटित हो गयी जिससे स्तब्ध हो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन तात्कालीन रूप से अपने मूल उद्देश्य स्वराज प्राप्ति में असफल रहा किंतु इसके दूरगामी प्रभाव रहे। इस आंदोलन ने स्वाधीनता आंदोलन के लिए व्यापक जनाधार तैयार कर दिया। बैतूल जिला भी इस आंदोलन से प्रभावित हुआ तथा यहाँ के निवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग एवं बलिदान की भावना का प्रसार हुआ जिससे इस क्षेत्र में स्वाधीनता संघर्ष की

गति में तीव्रता आई।

संदर्भ स्त्रोत

1. रसेल, आर.वी.; सेन्ट्रल प्रोविन्सेज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वॉल्यूम-ए, पायोनियर प्रेस, प्रयागराज, 1907, पृ.1
2. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्य्रदेश जिला गजेटियर, जिला बैतूल, संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल, 1990, पृ 78
3. वही, पृ 78
4. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खण्ड-पाँच, संस्कृति विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश, पृ. 133
5. देशमुख, डी.डी.; मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्वतंत्रता आंदोलन (1920-1947 ई.) श्री मंगेश प्रकाशन, नागपुर, 2019, पृ 41
6. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला बैतूल, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1990, पृ. 55
7. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वही, पृ. 134
8. वही, पृ. 134
9. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्रेश; मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, शारदा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 1988, पृ. 1
10. गुरु, शंभूदयाल (सं.); मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2008, पृ. 157
11. श्रीवास्तव, पी.एन.; वही, पृ. 398
12. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 46
13. श्रीवास्तव, प्रेम नारायण; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, पूर्वी निमाड़, जिला गजेटियर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1971, पृ. 91
14. सिन्हा, ए.एम., मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, होशंगाबाद, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1994, पृ 360
15. श्रीवास्तव, प्रेम नारायण; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जलबपुर, जिला गजेटियर विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1969, पृ. 600
16. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ. 44
17. श्रीवास्तव, पी.एन.; मध्यप्रदेश जिला गजेटियर, जिला बैतूल, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल, 1990, पृ. 149
18. वही, पृ 343
19. वही, पृ 344
20. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ 45
21 मिश्र, द्वारका प्रसाद (प्रधान सम्पादक); मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, 2002, पृ 196
22. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्रेश; वही पृ. 11
23. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वही, पृ 134
24. श्रीवास्तव, पी.एन,; वही, पृ. 58
25. वही, पृ. 59
26. सीतारमैया, पट्टाभि; कांग्रेस का इतिहास, भाग-1, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, 1948, पृ 157-158
27. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्रेश; वहीं, पृ 18
28. देशमुख, डी.डी., वही, पृ. 49
29. वही, पृ0 50
30. खान, ए.एम.; मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन (1920-1930), मिश्रा, जयप्रकाश एवं मेहरा, प्रमोद (सम्पादक), मध्यप्रदेश का इतिहास, खण्ड-3, आधुनिक काल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2014, पृ 156
31. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ 51
32. वही, पृ 52
33. श्रीवास्तव, पी.एन.; वही पृ 59
34. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ 53
35. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वही, पृ. 135
36. देशमुख, डी.डी.; वही, पृ 53
37. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एग्रेश; वही, पृ. 24

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327

Paper Recieved : 30th Nov. 2024
Paper Accepted : 7th Dec. 2024

Teacher Education Programmein the light of NEP 2020

Dr. Rama Gupta*

ABSTRACT

NEP 2020 focuses on learning and innovation skills, information and communication technology skills along with life and career skills for all-round development of students.Creative and innovative practices of teacher-educators and teachers contributes significantlyin improving the quality of school education.

The course structure of teacher educationprogramme will be changedaccording to structure of school education as per NEP 2020. The change in pedagogical approaches has to be shifted from teacher centered to learner centered teaching learning. In this regard, it is essential to understandthe role of constructivist approach in teacher preparation programmes.

This paper focuses on refinement of concept of learning,teacher education agenda, constructivist teacher, characteristics of constructivist learning, methods of constructivist approach, role of constructivist teacher, constructivist approach in preparing teachers and their professional development.Suggestions forteacher education at schoolstage has been given.

Keywords–*Teacher Education Programme, School Education, constructivism.*

Education is a functional system in which student and its development is in centre. National Education Policy 2020 (NEP 2020) is a visionary document that shows path for a better and improved teacher education programme. NEP 2020 focuses on learning and innovation skills, information and communication technology skills alongwith life and career skills. For developing above skills and quality enhancementchanges are essential in teacher education as per need of NEP 2020.

Quality in an educational institution refers to the learning outcomes of the students which helps them to excel in their field or work place. Recently, there is an increased demand for 'Quality Enhancement', as a crisis is felt in education system. Passing an exam has become the major objective and it has replaced the main focus of education i.e. learning and acquiring knowledge. Quality enhancement practices are the main focusat every stage of education

* Assistant Professor, Department of Education, Jagat Taran Girls' Degree College, Prayagraj
Mo.: 9451114502 **Email id:** ramaguptau@gmail.com

whether higher, secondaryor primary that demands improved teaching learning practices.

Creative and innovative practices of teacher-educators and teachers contributes significantly in improving the quality of school education.Learning is not just communication between the teacher and the learner. It is a meaningful exercise of relating experiential knowledge with the new knowledge by means of intelligent guessing and applying the previous knowledge to the new learning situations that enables child to discover something.

The course structure of teacher educationprogramme will be changed according to structure of school education as per NEP 2020. The new academic structure at school level will follow 5+3+3+4where the students will spend 5 years in foundational stage, 3 years in preparatory stage following 3 years middle and 4 years in secondary stage which will replace present 10+2 structure consisting 8 years of elementary education and 4 years of secondary education.

It will be a challenge to ensure quality education at school level in the light of ground realities. The change in pedagogical approaches has to be shifted fromteacher centered to learner centered teaching learning. The assessment and evaluation have tobe learning outcome oriented rather than content-based knowledge.

NEP 2020 highlights new expectations for learning.Hence changes in curriculum also need to be accommodated accordingly. This change has to take place in order from teacher led learning to learner-directed learning in individual and group context.Learning process need to be given most attention at school stage.

The concept of learning is being refined with the passage of time.For addressing the learning needs of students, the NCF (2005) emphasized on the constructivist pedagogy for learning various school subjects. Similarly, NEP 2020 is also looking forward for creation of better learning environment at school level.Hence the teachers need to be equipped with essential skills required for performing the teaching task effectively.In this regard, this is essential to throw light on the role of constructivist approach in teacher preparation programmes.

The purpose of NEP is to improve general educational background of thewould-beteachers, increasing their knowledge and understanding of subject, understanding pedagogy, learners, development of practical skills and competencies.Indeed, with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn.

Education thus, must move towards less content, and more towards learning about how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adaptand absorb new material in novel and changing fields. In this context Pedagogy must be evolved to make education more experiential, integrated,inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, holistic and, of course enjoyable.

Various governmental, as well as non-governmental surveys, indicate that currently the school system faces a learning crisis.A large proportion of students currently in elementary schools of India - estimated to be over 5 crores in number - have not attained foundational literacy and numeracy, i.e., the ability to read and comprehend basic text and the ability to carry out basic addition and subtraction with numerals.

The gap between the current state of learning outcomes and expected learning outcome must be bridged through major reforms that bring the highest quality, equity, and integrity into the system, from early childhood care andeducation tohigher education. A good educational institution is the one which creates environment conducive for learning.Every student feelswelcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are

offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students.

NEP 2020 envisions that the key overall thrust of curriculum and pedagogy reform across all stages will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn - and away from the culture of rote learning as is largely present today. The aim of education will not only be cognitive development, but be holistic in nature. Building character and preparing well-rounded individuals equipped with the key 21st century skills is the motto of NEP 2020. Manifestation of the perfection which is already within an individual must be highlighted through curricular practices. Teachers need to be reoriented and revamped to attain these critical goals.

Curriculum frameworks and transaction mechanisms will be developed for ensuring that these skills and values are imbibed through engaging processes of teaching and learning. Teaching learning will be conducted in a more interactive manner; questions will be encouraged, and classroom sessions will regularly contain more fun, creative, collaborativeand exploratory activities for students deeper understanding and more experiential learning.

Teacher Education Agenda

Teacher education both pre-service(B.T.C and B.Ed.) and in-service is responsible for developing quality teaching work-force. Teacher education is vital in creating a pool of schoolteachers that will shape the next generation. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge, formation of dispositions and values, and development of practice under the best mentors. As stated in NEP 2020, teachers must be grounded in indigenous values, knowledge, languages, knowledge, ethosand traditions including tribal traditions, while also being well-versed in the latest advances in education and pedagogy.

In education system, teachers take care of learning going on in classroom situations. Teachers should have knowledge about the changes in thoughts about learning.Sincethe teacher educators and the teachers are the key resources in the reform, redirection and renewal of education. Teacher Education must be revamped in policy framework. A comprehensive teacher education programme focusing on school education and continuous professional development of teacherscan lead to producing quality teachers with futuristic direction.

At foundational and preparatory schooling stage which is termed as elementary education at present, the teachers deal with students who are small and diverse in nature and their future is shaped in schools.Experiential learning within each subject, and explorations of relations among different subjects, will be encouraged more in new education policy. For meeting the challenges of changing classroom situations at nurserystage, application of suitable curricular practices is required.

Teacher educators play the role of facilitators and managers of Human Resource Development and not merely method masters. For preparing teachers at upper primary stage which will preparatory school stage, teacher educators need to adopt new task based interactive and participatory approach.Teacher educators must be equipped with the process that learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas or experience on the basis of materials/ activities presented to them.

Constructivist Teacher

Construction indicates that each learner individually and socially constructs meaning as he/she learns. Meaning of ‘Constructing’, is ‘learning’ and learning is a process of the construction of knowledge. The constructivist perspective provides strategies for promoting learning by all. Researches show that when constructivist approach is adopted, joy of

learning reduces rate of dropouts and enhances retention power of school, makes students involved in the process of learning and helps them to discover while learning.

Constructivism is not a set of methods nor is it a teaching style. Rather, constructivism is a set of assumptions and beliefs about children and how they learn, and it has significant implications for what teachers can do to facilitate their learning. For adopting this approach there is a need of professional development of teachers. Teachers should be well trained about pedagogy, content knowledge as well as strategies for managing the changing classroom environments with the creation of constructivist learning environment.

Characteristics of Constructivist Learning

Constructivists like Piaget, Vygotsky, Novak and Posner disagree on some aspect of knowledge construction process yet they all agree on the following basic characteristics of constructivism-

- Learning is not a passive receptive process but is instead an active meaning making process.
- New learning depends on learner's previous knowledge.
- Learning is facilitated by social interaction.
- Meaningful learning occurs within authentic learning tasks.
- Cognition is subjective, not objective.
- In constructivist approach Instructional goals focus on the process as well as product and how to learn as well as what to learn.
- Classroom environment is learner centered. Focus shifts from teacher to the student.
- In order to teach well, teacher must understand the mental models of learners and the purpose of learning is to construct one's own meaning not to memorize the right answers.
- Role of teacher is to provide opportunities to question, enquire, debate, reflect and analyze.
- Evaluation process examines the thinking process by asking students to think aloud or reflect on their own learning.
- In pedagogy content and skills should be made relevant to the learner and understood within the framework of learners' prior knowledge.

Methods of Constructivist Approach

The constructivist view of learning can point towards a number of different teaching practices. There is no fixed method for constructivist learning. Even the traditional methods like lectures and multimedia programmes can support it if they promote active cognitive processing, while other methods which are used frequently are - Co-operative learning, Concept mapping, Team Teaching, Problem solving and Experiential Learning.

The studies conducted on the effectiveness of these methods have pointed out that these methods contribute significantly in learning by constructivism. Co-operative learning was found to be successful teaching strategy at all levels from pre-school to post-secondary. (**Sapon-Shevin -1994)**. Significant increase in depiction of concepts and propositions was found when concept mapping method was used as compared to the description method **(Kharatmal 2009)**. Reflective questions related to topic developed by the teacher with rigorous exercises help in clarity of concepts and constructions of knowledge**(Ratha et al. 2008)**.

The role of the constructivist Teacher

In a constructivist classroom the teacher is no longer responsible for transmitting knowledge to the children. The teacher's responsibilities are not reduced in a constructivist classroom rather they are shifted. The teacher has to play different roles-

1. The teacher is a presenter.
2. Teacher is an observer.
3. Teacher is a question asker or problem

poser.

4. Teacher is an Environment Organizer.
5. Teacher is a Public Relations Manager.
6. Teacher is a Documenter.
7. Teacher is a Contributor to Classroom Culture.
8. Teacher is a Theory Builder.

Just like children, teachers need environment and support for building, growing, experiencing conflict, changing their ideas and always being open and interested.

Constructivist Approach in Teacher Preparation:

Constructivism is a meaningful exercise of relating old knowledge with the new in a way of intelligent guessing and applying the previous knowledge to the new learning situations in which the child enables himself to discover something. Innovation and creativity of teacher-educators and teachers is one of the significant contributors to improve the quality of school education.

When a subject is taught with non-involvement of students the teaching of varied subjects become least interesting to the students. What is required is teacher should educate students with the help of interactive media and learner centered approaches. This enables the students to work on their own with little support from their teachers.

Teachers should be free from practice of adopting only traditional approach in which abstract concepts are usually presented to study in an authoritarian way and they should adopt activity approach, play-way method and creating social situation which stresses the presentation of concrete experiences.The knowledge and practice of constructive methods by teacher educators will definitely help teachers to adopt new methods of teaching for students.

For teachers' constructivism is not just knowledge of curriculum content on the one hand, nor does pedagogy on the other, this quality reflects the point at which curriculum and transaction meet. Increasingly teachers are diversifying their pedagogical strategies by using constructivism to incorporate pupil centered and small group techniques, which are more consistent with those of learning and also more appealing to students who prefer interactive learning.

First and most important step towards equipping the teachers with required skills and applying principles of constructivist pedagogy while transaction in classroom is to acquaint the teachers and resource persons with transactional strategies for teaching basic concept of all the subjects and principles.Hence the present curriculum and transactional methodsalso need to be changed.

Nagpal and Sabharwal (2000) reported that assessment of status of some NCERT award winning pre-primary and primary teachers revealed that they were self-motivated individuals who made efforts for their professional growth through in service programs. The case studies revealed that those teachers had their own ways of teaching their subjects and making teaching-learning process child-centered, interesting and joyful for the students.

Co-operative learning, concept mapping and problem solving are used for constructing new concepts and its meaningful application in contextual reality. Teachers must be prepared tomake use of Interdisciplinary approach, self-study method, discussion method and organizing tutorials, seminars, gaming, role-play, activity-oriented approaches.

Professional Development of Teachers

Collaboration among teachers is also increasingly being required as teachers in many schools have additional responsibility for planning activities, managing resources and organizing their own professional development programme.A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education. More investment is required in teacher education programmes both in terms of financial and human resources.This investment in the form of human

efforts can result in improvement in the education of children.

The innovative teacher educators and teachers should find ways and means to transfer knowledge with illumination and wisdom in their teaching-learning process. These innovations have far reached educational and policy implications, as they try to improve the quality of education through several pedagogical processes in curriculum transaction. In this regard appropriate platforms must be created for sharing of innovative practice-based experiences among teachers.

Suggestions forteacher education at school Stage

In the light of NEP 2020, following points need to be addressed for preparation of teachers.

- Educational planners need to take care of use of the constructivist approach by teacher educators and teachers in class room situations.
- Guidelines should be framed by experts for training teachers through student centric methods.
- Teacher educators should apply innovations during the training of teachers in teacher training institutes and DIETs. While planning the strategies for pedagogy in teacher education curriculum framework, teachers should be made familiar with constructivist approach.
- Teacher education institutes should ensure the proper training of student teachers both in theoretical and practical aspects.
- During the teachers training, classroom transactional innovative practices should be incorporated so that the teachers can use constructive approach.
- The practical aspects of training such as demonstration lessons, observation lessons, criticism lessons, group teaching should be given more attention.
- The teachers training should be given by making small groups of student teachers, so that they can practice the constructivist approach while training and use it in classroom situations.
- In teacher preparation programmes subject specialized activities should be used for qualitative improvement of teaching a school subject. Teachers require more content knowledge of the subjects they are teaching in the classroom for practicing the constructivist approach.
- During the training programmes, the student teachers having knowledge of particular subject may undertake different activities to promote the interest of other group members in learning of their subjects.
- Teachers should sense gaps in the form of deficiencies in the existing teaching learning process in their institutions for improved students learning.
- Teachers should make use of simple and interesting stories for teaching subjects like Hindi, English and moral values.
- Teachers should spend a lot of time in developing strategies for teaching and evaluation in such a manner that students should be able to reflect the gained knowledge.
- The student teacher under teacher training must understand knowledge to be imparted at each stage and grade, its unique features and its linkage with knowledge as a whole for becoming an effective teacher.
- Content knowledge for any subject must also be examined in relation to pedagogic processes that are derived from the nature of content to be imparted.
- Teacher development must ensure that a student teacher receives proper

orientation in content aspects of knowledge on the subjects; he/she is going to teach.

- The theoretical knowledge from psychology, sociology etc. helps in understanding the rationale for selection and organization of curricular inputs. This is very important aspect for constructivism because teacher plans the activities according to the ability of students.
- Teacher should conduct and participate in field activities like games and sports, social work and develop worksheets for evaluation.

CONCLUSION

Teacher preparedness, enhancement in their level of motivation, commitment and dedication to the profession are needed to remove the ills of education and to achieve the goals of National Education policy 2020. It is strongly needed that teacher education curriculum should be revised as per need of constructivist approach. Taking an overview of teacher education programmes worldwide it is clear that developed economies invest most on teacher preparation process.

Content Knowledge of teachers should be enriched in the subjects which are to be taught in classroom situations. For this purpose, training should be given in small groups to make teachers practice the strategies to be adopted in constructivist approach. Teachers should be familiar with constructivist methods and they should prepare lesson plans accordingly. For adopting Constructivist approach will-power, determination, positive self-concept and open mindedness is also required in teachers.

Teachers should encourage group learning conditions among pupils for developing their skills of reading, writing, speaking, listening, working, understanding and thinking. The commitment of the teacher educators and teachers has to be revitalized to make use of the available facilities to the fullest extent possible.

REFERENCES

- Ausubel, D., Novak, J. and Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Kharatmal M. (2009). Concept Mapping for Eliciting students Understanding of Science. Indian Educational Review. Vol. 45, No. 2, 31-43.
- Mintzes, J.J., Wanderesee, J. and Novak J. (eds). 1998. Teaching sciences for Understanding-A Human constructivist view. USA. Academic Press.
- NCERT (2005): National Curriculum Framework-2005. New Delhi.
- National Education Policy, 2020; Ministry of Human Resource Development, Government of India
- Novak, J.D. and Godwin, D.B. (1984). Learning How to learn Cambridge University Press, New York.
- Ratha P.K., Behera K. & Pradhan (2008). Impact of questioning Exercises on construction of knowledge. In Senapathy. H.K. (ed.) Regional level sharing Meeting on quality of Elementary Education under SSA. R.I.E. Bhubaneshwar.
- Sabbarwal, N. and Nagpal S. (2000), “Case studies of Innovative Teachers” Department of Teacher Education and Extension, NCERT, New Delhi.
- Sapon-Shevin, M. (1994). Cooperative Learning and Middle schools: What would it take to really do it right? Theory into practice, 33, 183-190

SHODH-GARIMA–YEAR-1, VOL. 2 (Oct. to Dec., 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multidisciplinary Research Journal
ISSN (Print) : 3048-6327
Paper Recieved : 3rd Dec. 2024
Paper Accepted : 15th Dec. 2024

कोरवा जनजाति गोत्र : उद्भव, मान्यता एवं प्रतीक

□ डॉ. अलका यतीन्द्र यादव*

शोध-सारांश

भारत की संस्कृति और सभ्यता एक अद्वितीय स्तंभ है। विभिन्न प्रजातियों की अनेकांत अस्मिताएँ भारत को प्रजातियों का अजायबघर के रूप में घोषित करती हैं और इन्हीं विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत समागम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम चरण है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो अपनी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनकी धार्मिक मान्यताओं में खुड़ियारानी और सात बहिनिया को कुलदेवी के रूप में पूजनीय स्थान प्राप्त है। कोरवा जनजाति समाज एक सामुदायिक समाज है जिसमें व्यक्ति विशेष के भाव के स्थान पर सामुदायिक भावों को महत्त्व दिया जाता है और यह समुदाय मात्र मानवों का समुदाय नहीं है बल्कि इस समुदाय में उनके साथ सदियों से जीवन साझा करती आ रही गोचर–अगोचर, प्रकृति, समस्त नव्य प्राणी, पहाड़–जंगल, नदी–निर्झर सब सम्मिलित हैं। कोरवा जनजाति की गोत्र व्यवस्था उनके जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें प्रकृति और आध्यात्मिकता का गहरा संबंध दिखाई देता है। यह गोत्र व्यवस्था न केवल उनके सामाजिक संगठन का आधार है, बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं और पारंपरिक जीवन का परिचायक भी है। कोरवा जनजाति की संस्कृति में टोटम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। टोटम एक विशेष प्रतीक या चिह्न होता है, जिसे जनजाति अपने पूर्वजों की पहचान और उनकी उत्पत्ति से जोड़ती है। कोरवा जनजाति में टोटम मुख्यतः प्रकृति से संबंधित होते हैं, जैसे वृक्ष, पशु, पक्षी या प्राकृतिक स्थल। ये टोटम न केवल उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं, बल्कि उनके सामुदायिक जीवन और मान्यताओं को भी संगठित करते हैं। प्रत्येक गोत्र का नाम और प्रतीक (टोटम) उनके धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिचय देता है और उनकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा को स्पष्ट करता है। गोत्रों को इस जनजाति में अत्यधिक आदर और पवित्रता के साथ देखा जाता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि प्रत्येक गोत्र अपनी विशिष्ट पहचान और शक्ति रखता है। यह प्रणाली न केवल कोरवा जनजाति की सामाजिक संरचना को संगठित करती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विविधता और

* प्राचार्य, विष्णु कांति महाविद्यालय, छीतापुर, लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.), ईमेल : alkayadaw2675@gmail.com

प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक भी है। उनकी गोत्र प्रणाली उनके सामूहिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को पारिभाषित करते हुए उनकी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है।

मुख्य शब्द–*कोरवा जनजाति, प्रतीक (टोटम), सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यता, गोत्र।*

प्रस्तावना

आदिवासियों का प्रेम प्रकृति के प्रति और प्रकृति का प्रेम उनके प्रति अबाद रूप से दृष्टिगत होता है। यही वजह है कि आदिवासियों के गोत्र भी पशु, पक्षी और वृक्षों आदि के नाम से जुड़े होते हैं और ये अपने गोत्र से संबंधित जीवों को मारने की बात तो दूर उन्हें नुकसान पहुँचाना भी किसी अनिष्ट का हेतु समझते हैं। वैसे तो आदिवासियों के कई सारे देवता हैं किंतु इनमें जितने भी देवता हैं, वे सारे देवता मानवीय रूप धारण किये हुए देवता नहीं बल्कि प्रकृति के विविध रूप ही इनके देवता हैं। जनजातियों में सबसे बड़े व सर्वशक्तिमान देवता के रूप में सिंगबोगा यानि सूर्य देवता को माना जाता है। ''आदिवासी लोक में दो तरह के देवी–देवताओं के स्वरूप मिलते हैं। एक प्रारंभिक प्रतिष्ठित देवता और दूसरे स्थानीय देवता। लोक देवता कई तरह के होते हैं। पाप नाश करने वाले, बीमारी फैलाने वाले और दूर करने वाले, अनिष्टकारी देवता, संकट दूर करने वाले और रक्षा करने वाली माताएँ, अनिष्ट करने वाली शक्तियाँ, सुख संपदा देने वाली शक्तियाँ, स्वस्थ रखने वाले गाँव के देवता, कुल देवता, घर का देवता आदि। इस लोक में ऐसी कोई जगह या सोच नहीं है जहाँ कोई न कोई देवता न बिराजें हों।'' प्रकृति के जिस दृश्य और अदृश्य व अच्छी–बुरी शक्तियों से इन्हें लाभ व हानि पहुँचती है, वे अच्छे बोंगा और बुरे बोंगा के रूप में जाने जाते हैं तथा यही परिकल्पना इनके समुदाय में विश्वास के तौर पर प्रगाढ़ हो गयी है।

जनजाति अर्थ–जनजाति गोत्र, का ही एक व्यापक रूप होता है। यह एक जत्थे, झुंड गोत्र से अधिक विस्तृत, संगठित समुदाय होते हैं, जो अधिक समुदाय आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी, गिरिजन, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पहचाने जाते हैं।

जनजाति का एक निश्चित भू–भाग होता है। उनकी एक निर्दिष्ट परंपरागत निवास भूमि होती है। किंतु इस संबंध में विद्वानों के विचारों में भिन्नता है। डॉ. रिचर्ड का मत है कि, जनजाति के लिए एक निश्चित स्थाई निवास भूमि होना आवश्यक नहीं है। कई जनजातियाँ घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती हैं। किंतु डॉ. मजूमदार का मत है कि, घुमक्कड़ जनजातियाँ एक निश्चित भू–भाग यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही घूमती हैं, सभी स्थानों पर नहीं। वैसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बसने वाली अधिकतर जनजातियाँ इस क्षेत्र की स्थाई निवासी हो गई हैं। घुमक्कड़ जातियाँ भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकलीं।

अध्ययन क्षेत्र–राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर व जशपुर जिले में निवासरत हैं। प्रस्तुत शोध जिला कोरबा, विकासखँड अजगरबहार के विभिन्न ग्रामों में 05 गोत्रों के परिवार से सामूहिक चर्चा द्वारा किया गया है। इनकी दो प्रजातियाँ हैं–ये लोग पेड़ों पर मचान बनाकर रहते हैं। ये पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी कोरवा तथा मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले दिहाड़ी कोरवा कहलाते हैं।

गोत्र संबंधी अध्ययन की तालिका

क.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	कोरवा के नाम गोत्र
1.	कोरबा	अजगरबहार	गढ़कटरा	श्रीराम पहाड़ी कोरवा गोत्र – हसदा
2.	कोरबा	अजगरबहार	दूधीटांगर	बुधराम कोरवा गोत्र – गिनू
3.	कोरबा	अजगरबहार	टोकाभांटा	समरित बाई गोत्र – सामड
4.	कोरबा	अजगरबहार	खोखरा आमा	ममता गोत्र – मुड़ियार
5.	कोरबा	अजगरबहार	कुकरी चोली	मोहन गोत्र – एदगेवार

छत्तीसगढ़ राज्य में घुमक्कड़ प्रवृत्ति की कोरवा जनजाति सरगुजा संभाग के जशपुर और बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में पाई जाती है। कोरबा नाम कोरवा जनजाति से ही बना है।

कोरवा जनजाति

पहाड़ी कोरवा प्रायः अत्यंत काले वर्ण के होते हैं और प्रभावशाली ऊँचाई के भी। इनकी छाती सुविकसित होती है और उनकी आकृति उनके शक्ति का परिचायक होती है। आँखें छोटी और पलकें फूली हुई होती हैं। लेकिन चेहरे के विभिन्न भागों में एक ऐसी संगति होती है जो इन्हें बदसूरत कहने से बचा लेती है। पहाड़ी कोरवाओं के वस्त्र भी अनोखे हैं, पुरुष सिर्फ एक लंगोटी धारण करते हैं तथा महिलाएँ एक साड़ी से ही अपने आप को लपेटे रहती हैं। अब कुछ पुरुष बंडी भी पहनते है।

कोरवा परिवार (सामड गोत्र)

पहाड़ी कोरवाओं में जनजाति अंतर्विवाह और गोत्र बहिर्विवाह वर्जित है। इनमें वधू मूल्य चुकाने जैसी अनुकरणीय प्रथा भी प्रचलित है। बहुविवाह के साथ ही विधवा विवाह और तलाक भी अनुमत है। मनोरंजन के लिए हेमंत ऋतु में करमा नृत्य तथा वर्षा नहीं होती है तो वर्षा कराने हेतु देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। स्वयं की तथा फसलों की रक्षा के लिए और शिकार करने के लिए पहाड़ी कोरवाओं का मुख्य हथियार तीर–धनुष है। एकलव्य के वंशजों के रूप में पहाड़ी कोरवाओं की व्याख्या करने वाले इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि पहाड़ी कोरवा तीर चलाते वक्त अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। शिकार पर लगे प्रतिबंधों एवं जीवन–चक्र में आए सभ्यतागत परिवर्तनों के कारण धनुर्विद्या में प्रवीणता का क्षरण हो रहा है।

कोरवा जनजाति समाज एक सामुदायिक समाज है, जिसमें व्यक्ति विशेष के भाव के स्थान पर सामुदायिक भावों को महत्त्व दिया जाता है और यह समुदाय मात्र मानवों का समुदाय नहीं है बल्कि इस समुदाय में उनके साथ सदियों से जीवन साझा करती आ रही गोचर–अगोचर,

प्रकृति, समस्त नव्य प्राणी, पहाड़–जंगल, नदी–निर्झर सब सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से सभ्य कहे जाने वाले समाज में मनुष्य के निर्मित होने से लेकर स्थापित होने की कथा मिलती है, उसी प्रकार से कोरवा की उत्पत्ति के संबंध में भी कथा प्रचलित है।

कोरवा जनजाति की उत्पत्ति कथा

कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के विषय में तीन कथाएँ प्रचलित हैं। तीनों कथाओं का मूल कथ्य और भावना एक समान है। मात्र देवताओं के नाम परिवर्तित हुए हैं।

प्रथम कथा यह है कि, कोरवा लोग स्वयं के लिए यह कहते हैं कि–वे लोग खुरिया (जिला जशपुर) के मूल निवासी हैं। सरगुजा के किसी शासक नें, उन्हें अपने क्षेत्र में बसाया। कोरवा लोग अपने डरावने और कुरूप स्वरूप का कारण यह बताते हैं कि, सरगुजा में वनीय पशु उपजों को अत्यधिक नुकसान पहुँचाते थे। उन्हें डराने के लिए कुरूप और डरावने बिजूखे (काख भगोड़ा) बनाए गए। बड़े देव ने उनमें प्राण डाल दिए, जिससे उनके भक्तों को वन पशुओं से कभी भय न हो। कोरवा लोग अपने को उसी का वंशज मानते हैं।

द्वितीय कथा में बड़ा देव के स्थान पर राम–सीता हैं। वनवास काल में, सीता ने खेतों के समीप से गुजरते हुए, राम से बीजूखों में प्राण डालने का आग्रह किया और उन्होंने उसे क्रियांवित कर दिया।

तृतीय कथा में यह है, कि शँकर ने सृष्टि निर्माण हेतु रतनपुर राज्य के कला और बाला पर्वत से मिट्टी लेकर दो मनुष्य–काइला और घूमा सृजित किए। तदुपराँत दो नारी मूर्तियों में प्राण डाले। वह सिद्धि और बुद्धि बनी। काइला और सिद्धि तथा घुमा और बुद्धि के विवाह हुए। प्रथम युगल से तीन पुत्र–कोल, कोरवा और कोजकू हुए और द्वितीय पुत्र कोरवा के दो पुत्र हुए। प्रथम पहाड़ पर जाकर स्थानांतरित दहिया खेती करने लगा और पहाड़ी कोरवा कहलाए। द्वितीय पुत्र वनों को साफ कर हल द्वारा स्थाई खेती करने लगा और दिहाड़ी कोरवा कहलाए।

आज यही कोरवा समुदाय समाज की मुख्य धारा से अलग होता जा रहा है। उनके उत्थान, उनकी संस्कृति, परंपरा, जीवन दर्शन को व्यक्तिगत तौर पर हम सबको समझने की बहुत आवश्यकता है। प्रस्तुत आलेख में ध्यान रखते हुए इस शोधकार्य में कोरवा जनजाति, जीवन दर्शन और विभिन्न गोत्रों के मध्य जाकर उनके वर्तमान जीवन से जुड़े हुए महत्त्वपूर्ण गोत्र, गण चिन्ह बिंदुओं को ध्यान में रखकर समझने का प्रयत्न किया गया है।

जनजाति का भौगोलिक विवरण

कोरवाओं का निवास क्षेत्र पहाड़ व घने जंगल है, जहाँ अन्य जनजातियाँ निवास करना पसंद नहीं करतीं। पहाड़ी कोरवा जनजाति स्थान बदलकर रहते हैं। इनका मुख्य भोजन जंगली कंदमूल, फल व जंगली जानवरों का शिकार है जो इन्हें घने जंगलों में आसानी से प्राप्त होता है। अन्य भोजन के रूप में चावल, कोदो, कुटकी है। पहाड़ी कोरवा खेती करते हैं, इसके अलावा वनोपज संग्रह, जंगल से जलाऊ लकड़ी काटकर बेचना वर्तमान में इनका मुख्य व्यवसाय है। पहाड़ी कोरवा की महिला तथा पुरुष जीवन–यापन के लिए दिन में शिकार तथा कंदमूल, फल की खोज में निकल जाते हैं तथा रात्रि के पहले घर वापस आ जाते हैं। वर्तमान में ये स्थायी कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

कोरबा जिले के सतरेंगा पंचायत के गाँव खोखराआमा और कुकरी चोली सहित आधा दर्जन गाँव के ग्रामीण राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, यानी कि पहाड़ी कोरवा हैं। ये लोग विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं और वास्तव में धरतीपुत्र हैं, ये जंगलों में निवास करते हैं।

छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी

कोरवा आदिवासियों की बहुत पुरानी नस्ल है जिनका अपना विशिष्ट रहन–सहन, खान–पान, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है। इस जनजाति पर बढ़ रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसे संरक्षित सूची में स्थान दिया है। लेकिन तेजी से कट रहे जंगल और बीमारियों के पसरने से ये जनजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। राज्य सरकार ने इनके विशेष अभिकरण बना रखे हैं जिसमें पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, जशपुर एवं कोरबा में 120 गाँव तथा पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण सरगुजा के तहत रायगढ़ व सरगुजा के 264 गाँव शामिल हैं। कोरबा जिले में 610 से अधिक पहाड़ी कोरवा परिवार हैं, जिसमें कोरबा विकासखँड में 590 परिवार दुर्गम इलाकों में रहते हैं।

सामाजिक जीवन में गण चिन्ह (टोटम)

जनजातीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी जनजातीय समूह के अलग–अलग नाम होते हैं, जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इस संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियमों, प्रथाओं, गोत्र एवं परंपराओं, धार्मिक विश्वासों में गण चिन्ह, टोटम और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है। जनजाति के मुखिया स्थानीय अथवा बुजुर्ग लोगों का कार्य जनजाति को अपनी संस्कृति, परंपरागत विशेषताओं से परिचित कराना तथा जनजाति एकता सुदृढ़ बनाए रखना होता है।

सभी जनजातियों में टोटम पाए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द टोटेम का अर्थ है–विश्वास। ट्राइब, संगठित जनजाति या उसके गोत्र (गोतीयार) किसी भौतिक पदार्थ, पशु–पक्षी, पेड़–पौधे, फूल–फल, कीड़े–मकोड़े, जल–जीव आदि से अपना एक रहस्यमय संबंध होने का दावा करते हैं। वे ही ट्राइब या गोष्ठी नाम से जाने–पहचाने जाते हैं। उन पर विश्वास या टोटम मानते हैं। जनजाति समाज का एक महत्त्वपूर्ण आधार टेबू निषेध होता है, जो नकारात्मक प्रथा पर आधारित होता है। इसके लिए वे टेबू शब्द का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है–मत करो। टेबू का आदिवासी समुदाय कड़ाई से पालन करते हैं। यह आदिवासी समाज का अलिखित निषेधात्मक कानून है, जिसकी अवहेलना समाज के दारुण दुःख का कारण बनती है। इनकी मान्यता है टेबू के पीछे पारलौकिक शक्ति होती है। प्रत्येक जनजाति को किसी विशिष्ट नाम से जाना जाता है। जैसे बैगा, कोल, गोंड, उराँव, कोरवा आदि।

एल्विन राय तथा मजूमदार आदि विद्वानों ने टोटमवाद को आकस्मिक घटनाओं का परिणाम बताया है। कभी–कभी किसी पक्षी या पशु को मारने पर व्यक्ति को चोट लगी या उसे कोई हानि पहुँची तो यह समझ लिया जाता है कि उस पशु या पक्षी के शाप का फल है, कि व्यक्ति को हानि और चोट पहुँची। धीरे–धीरे समूह के लोग उसी पशु या पक्षी को टोटम (गण चिन्ह) मानने लगते हैं।

वास्तविकता यह है कि जनजातियों में टोटम (गण चिन्ह) की उत्पत्ति किसी एक ही कारण से नहीं मानी जा सकती। विभिन्न समूहों में टोटम की उत्पत्ति विशिष्ट कारणों से मानी जाती है। नामकरण की पद्धति, श्रम–विभाजन, गर्भ धारण के प्रति धारणा, भोजन का आधार, पेड़–पौधों में आत्मा का विश्वास आदि कारणों से टोटमवाद का विकास हुआ है।

सम्पूर्ण पशु को टोटम का प्रतीक न मानकर उसके किसी अंग में टोटम की स्थिति मानी जाती है, तो लोग उस अंग को नहीं खाते, शेष पशु को खा सकते हैं। कभी–कभी खाद्य संकट के समय टोटम को खाने की आज्ञा तो होती है, किन्तु ऐसा करने पर लोगों को विशेष प्रार्थनाएँ और धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं।

- मृतक संस्कार को नवाधानी कहते हैं।

- क्रियाकर्म के समय 'कुमारी भात' की परम्परा पायी जाती है।
- इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं।
- शरीर में आग से दाग का निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं।
- प्रसव के लिए निर्मित झोपड़ी को कुंबा (कुम्वा) कहते है।
- विशिष्ट बोली, कोरवा है।

गोत्र परंपरा–गोत्र शब्द की उत्पत्ति गो + त्र से हुई है। यहाँ ''गो'' अर्थात् इन्द्रियाँ ''त्र'' अर्थात् रक्षा करना, यानि इन्द्रियाँ आघात से रक्षा करने वाले।

पहाड़ी कोरवाओं की गोत्र परंपरा (प्रथा) आदिकाल से चली आ रही है। यह उसी समय की व्यवस्था है जब कोरवा लोग आखेट, नाच–गान आदि का शौक रखते थे। इनके आविष्कार और स्थापना का उद्देश्य शादी–ब्याह की सामाजिक गड़बड़ी से जात को वंचित और शुद्ध रखना था। ये लोग गोत्र–बाहर पर जात–भीतर विवाह करते थे। इनकी गोत्र परंपरा उन्नत अवस्था में होकर, आखेट–युग के समाज की नींव बनी थी। इनका विशेष गृहस्थी का सुप्रबंध और आधुनिक समाज व्यवस्थित है।

ग्राम गढ़कटरा में डॉ. अलका यादव द्वारा पहाड़ी कोरवा जनजाति के समूह में गोत्र हेतु चर्चा

गोत्र, टोटम (गण चिन्ह) और टाट के नियम कोरवा जनजाति में शादी–सगाई पर गहरी छाप लगाए हुए हैं। कोरवा अपने कुल टोटम (चिन्ह) को सखा–साथी–सा मानता है और उसके साथ आदर का व्यवहार करता है। व्यक्तिगत गोत्र नहीं होते हैं। बिरादरियों के अपने इस कूल संज्ञा को लोग जीवनदाता तो नहीं मानते परंतु उसकी विशेष याद तथा आदर करते हैं। ये जनजाति अपने को एक मूल पुरखे की संतान जानकर अपने ही गोत्र के भीतर बहू–बेटियाँ नहीं देते, न वर की तलाश करते हैं, अनजान ही ऐसी शादी हो गई तो भेद खुल जाने पर ये दंपत्ति जात से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं और बिरादरी कोरवा सदस्यों को जुर्माना और भोजन (हड़िया) देकर ही जात में सम्मिलित होते हैं। टोटम (चिन्ह) को बहुतेरे वर्जित मानते हैं, अर्थात् यदि वह प्राणी हो तो उसे हानि न करते या कराते अप्राणी, हो तो उसका प्रयोग सिर्फ मजबूर होकर करते हैं।

कोरवा परिवार के गोतियार (गोत्र)

(पहले) पितृसत्तात्मक है। कोरवा परिवार का वंश पिता के नाम से चलता है। अनेक गोत्र होते हैं जिनके अलग–अलग टोटम होते हैं।, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता। ये गोत्र निम्नानुसार हैं–हसदवार (हस्दा), एदगेवार, सामड़, मुड़ियार, गिनू, हारमढ़, फरमा, समाउरहला, भुदिवार, बिरवानी, सोनवानी आदि।

क.	गोत्र का नाम	गोत्र का टोटम
1.	हसदवार (हस्दा)	बॉस
2.	एदगेवार	बैला
3.	सामड़	सामत वृक्ष
4.	मुड़ियार	कुत्ते का सिर
5.	गिनू	पानी में रहने वाले प्राणी

अन्य गोत्र के टोटम बताने में असमर्थ थे।

गोत्र की उत्पत्ति निम्नानुसार बताई गई–

1. हसदवार गोत्र–श्रीराम पहाड़ी कोरवा (हस्दा गोत्र) ने बताया कि परिवार का मुखिया अपने पुत्र के विवाह के लिए योग्य लड़की तलाशने निकला, परंतु उसे कोई लड़की नहीं मिली।

भटकते–भटकते कई लोग उस पर हँसे और इस प्रकार भटकते रहने के कारण उसे भी अपने आप पर हँसी आई और हँसने के कारण ये अपने को हस्दा कहने लगे और हस्दा गोत्र कहलाने लगे जो हसदवार के नाम से जाना गया। यह समुदाय में सबसे ऊपर का दर्जा रखता है।

2. एदगे अथवा एदगेवार–पहाड़ी कोरवा जनजाति का गोत्र मल–मूत्र त्याग कर छोड़ देने वाले व्यक्ति अपने को एदगे या एदगेवार कहलाए।

3. गिनू गोत्र–कोरवा बोली/भाषा में गिनू का अर्थ पानी होता है। इस गोत्र के पूर्वज पानी में मछली पकड़ना, कछुआ व केकड़ा पकड़ने में व्यस्त रहने के कारण गिनू गोत्र के रूप में इनकी पहचान है।

4. हारमढ़–इनके पूर्वज हल्ला करने का कार्य करते थे, जिसके कारण ये लोग हारमढ़ कहलाए।

5. सामड़–समाज को एकजुट करने वाले व्यक्तियों के पूर्वज सामड़ गोत्र कहलाए।

कोरवा जनजाति के लोग अपने नाम के साथ गोत्र के नाम का प्रयोग नहीं करते हैं। कोरबा जिले के कोरवा लोगों के कुछ समूह ने बताया कि गोत्र के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम है और इसीलिए इसे नाम के साथ वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। श्रीराम पहाड़ी कोरवा के मामा जी मोहन कोरवा (एदगेवार) जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी, से पाँच गोत्रों की उत्पत्ति के बारे में ही जानकारी प्राप्त हो पाई।

कुछ लोगों ने आगे बताया कि गोत्र चिन्ह को ये लोग खाते नहीं हैं या उसे मारते नहीं हैं। इन सूचकों ने यह भी व्यक्त किया कि गोत्र के बारे में वे अपने बड़े–बूढ़ों से सुनते है लेकिन किस परिस्थिति में इसका महत्त्व कम हो गया था इसके बारे में वे भूल गये हैं, या कहना मुश्किल है। लेकिन वे इस बात से परिचित हैं कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि एक गोत्र के लोगों का आपस में खून का रिश्ता माना जाता है। बिरादरी जनजातियों के जब अनेक गोत्र होते हैं तो कुछ गोत्र के लोग मिलकर चार या पाँच समुदाय बना लेते हैं जिसे बिरादरी कहते हैं। इस तरह एक बिरादरी में कई गोत्र वाले रहते हैं, लेकिन एक ही बिरादरी में रहते हुए भी गोत्र के बाहर ही विवाह संबंध स्थापित किये जा सकते हैं। ममता पहाड़ी कोरवा जो खोखरा आमा में शिक्षिका है (मुड़ियार गोत्र) ने कहा कि, बिरादरी के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि गोत्र के बारे में वे भूल चुके हैं, सिर्फ इतना पता है कि स्व गोत्र में लड़की–लड़के को भाई–बहन माना जाता है।

गोती (गोत्र) उनके सामाजिक संरचना में आज महत्त्वहीन होकर रह गया है। अतः गोत्र व्यवस्था के बारे में वे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो अवश्य है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है।

निष्कर्ष

कोरबा जिला अजगरबहार क्षेत्र का कोरवा समुदाय अपनी संस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यही सांस्कृति उसकी पहचान है। श्री राम पहाड़ी कोरवा (हस्दा) ने बताया कि हमारे जीवन–दर्शन में गोतीयार और परंपरा को उनके पूर्वजों ने उसी रूप में सौंपा है, जिस रूप में उन्होंने अपने समय में निभाया था। सरल, सहज दिखने वाले कोरवा जनजाति अपनी गोत्र परंपरा को आज भी सँजोए हुए हैं।

कोरवाओं की छत्तीसगढ़ अंचल में एक अलग ही अरण्य संस्कृति है। कोरवा ग्रामों में साल वृक्षों के झुंड स्थान कोरवाओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यहाँ श्रद्धापूर्ण भावना से पूजा–पाठ करते हैं और क्षेत्र में हरियाली को संरक्षित रखने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

खानाबदोश रहे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले अधिकतर जनजातियों में कोरवा जनजाति अब स्थायी बस्तियों में रहने लगे हैं, इसके लिए

सरकार द्वारा मुख्य धारा में लाने हेतु उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

साक्षात्कार

नाम–श्री राम पहाड़ी कोरवा (हस्दा गोत्र), दिन रविवार, 02 जून, ग्राम–गढ़कटरा, जिला कोरबा

नाम–ममता (मुड़ियार गोत्र), दिन शनिवार, 15 जुलाई, ग्राम–खोखरा आमा, जिला कोरबा

नाम–मोहन (एदगेवार गोत्र), दिन शनिवार, 15 जुलाई, ग्राम–कुकरी चोली, जिला कोरबा

नाम–बुधराम कोरवा (गिनू गोत्र), 03 अगस्त, ग्राम–दुधीटाँगर, जिला कोरबा

नाम–श्री राम पहाड़ी कोरवा (हस्दा गोत्र), 03 अगस्त, ग्राम–गढ़कटरा, जिला कोरबा

संदर्भ ग्रंथ सूची

- छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जातियाँ– डॉ. संजय अलंग, मानसी पब्लिकेशन, दिल्ली